अष्टम माला, खंड 38, अंक 40

मंगलवार, 26 अप्रैल, 1988
6 वैशाख, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दसवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

No. B
Date......

LIBRARY

(खंड 38 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 26 अप्रेल, 1988/6 वैशाख, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 21, पंक्ति 2, "(ग) और (ख)" के स्थान पर "(ग) और (घ)" पढ़िये।

पृष्ठ 24, नीचे से पंक्ति 6, "बजटा" के स्थान पर "जटा" और "नाने" के स्थान पर "बनाने" पढ़िये।

पृष्ठ 37, नीचे से पंक्ति 9, "प्रणालिगां" के स्थान पर "प्रणालिया" पढ़िये।

पृष्ठ 47, पहली पंक्ति "अयन्त्र" के स्थान पर "अन्यत्र" पढ़िये।

पृष्ठ 81, पंक्ति 8 के आरंभ में (ख) पढ़िये।

पृष्ठ 81, नीचे से पंक्ति 5, (ख) के स्थान पर (घ) पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 38, बसवां सत्र, 1988/1909-10 (शक)

अंक 40, मंगलवार, 26 अप्रैल, 1988/ 6 वैशाख, 1910 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	... ...	1—19
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 815, 817, 818 और 820 से 823	1—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	19—168
	*तारांकित प्रश्न संख्या : 816, 819, 824 से 830 और 832 से 834 ...	19—26
	अतारांकित प्रश्न संख्या : 8355 से 8400, और 8402 से 8553	28—165
सभा पटल पर रखे गये पत्र	... ...	168—169
प्राक्कलन समिति	... ...	169—170
	सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण	
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	... ...	170
	43वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	... ...	170—171
	34वां, 35वां और 36वां प्रतिवेदन	

किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति	... ...	171
(एक) अठारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	... ...	171
(दो) बैठकों के कार्यवाही—सारांश—रखे गए	... ...	171
नियम 377 के अधीन मामले	... ...	171—177
(एक) धान का खरीद मूल्य निर्धारित करना		
श्री चिन्तामणि जेना	... ...	171—172
(दो) निर्दलीय उम्मीदवारों और साम्प्रदायिक दलों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए निर्वाचन विधियों में संशोधन करना		
श्री हुसैन दलवाई	... ...	172—173
(तीन) दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति में सुधार करने के लिए उपाय करना		
श्री भरत सिंह	... ...	173
(चार सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई जाना		
श्री डाल चन्द्र जैन	... ...	173—174
(पांच) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और बाराबंकी जिलों का औद्योगिकीकरण करना		
श्री निर्मल खत्री	... ...	174
(छः) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाना		
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	... ...	176
(सात) बडोदा और उसके आसपास रहस्यमयी गैस के प्रभाव को रोकने के लिए पूर्वोपाय करना		
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़	... ...	177
अनुदानों की मांगें, 1988-89	... ...	177—260
(एक) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	... ...	
श्री सोमनाथ रथ	... ...	178—181
श्री आर० अण्णादुरई	... ...	181—182

विषय				पृष्ठ
श्री आर० जीवरत्नम	...	...	...	182—183
श्री विजय कुमार यादव	...	...	...	183—186
श्री अजय मुशरान	...	...	...	186
श्री सुख राम	...	...	...	186—197
(दो) उद्योग मंत्रालय	...	...	...	199
श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति	...	...	...	201—207
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	...	207—211
श्री बसुदेव आचार्य	...	...	...	211—217
श्री टी० बशीर	...	...	...	217—219
श्री जगदीश अवस्थी	...	...		220—221
श्री तम्पन थामस	...	...	...	221—225
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	...	225—227
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	...	227—228
श्री नारायण चौबे	...	...	...	228—232
श्रीमती प्रभावती गुप्त	...	...	...	232—235
श्री ए० चार्ल्स	...	...	...	235—237
श्री के० जे० अब्बासी	...	...	...	237—239
श्री भद्रेश्वर तांती	...	...	...	239—241
श्री उमाकान्त मिश्र	...	...	...	241—243
श्री मौहम्मद महफूज अली खाँ	...	...	...	243
श्री चरनजीत सिंह वालिया	...	...	...	243—244
प्रो० सैफुद्दीन सोज	...	...	...	244—245
श्री जे० वेंगल राव	...	...	...	245—252
(तीन) नागर विमानन मंत्रालय	...	...	...	253—260
वाणिज्य मंत्रालय				
संचार मन्त्रालय, आदि				
विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1988	...	...	...	261—264
पुर:स्थापित करने के लिए प्रस्ताव				

विषय				पृष्ठ
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	261
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	261
श्री इन्द्रजीत गुप्त	...	...	...	261
श्री नारायण दत्त तिवारी	...	...	...	262
खंडवार विचार	...	...	...	
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री बी० के० गढ़वी	...	...	...	263—264
प्रोफेसर डेके की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति प्रतिवेदन	...	...	...	264—265

लोक सभा

मंगलवार, 26 अप्रैल, 1988/ 6 वैशाख, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों के प्रस्ताव

[अनुवाद]

*815. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नये उद्योग आरम्भ करने हेतु अनिवासी भारतीयों ने कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केरल में नये उद्योग प्रारम्भ करने के लिए प्रवासी भारतीयों के दो प्रस्ताव लम्बित हैं। इन दो में से एक मामले में, न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जिसमें सरकार द्वारा उस कार्य के लिए कोई आशय पत्र जारी करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, दिये जाने के कारण सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अन्य आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है।

प्रो० के० वी० थामस : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि नये उद्योग आरम्भ करने के लिए यद्यपि प्रवासी भारतीयों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, परन्तु इनमें से एक मामला न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण लम्बित पड़ा है और दूसरा अन्तिम निर्णय के लिए मन्त्रालय के पास लम्बित पड़ा है। प्रवासी भारतीयों द्वारा अपने उद्योग आरम्भ करने में प्रक्रिया सम्बन्धी देरी किये जाने की अनेक शिकायतें की गई हैं और यह भी शिकायत है कि प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृति पाना बहुत कठिन है। क्या सरकार को प्रक्रिया सम्बन्धी देरी किये जाने की इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं, और यदि हां, तो उसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री एम० अरुणाचलम : प्रवासी भारतीयों की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने में प्रक्रिया सम्बन्धी देरी किये जाने की कुछ शिकायतें मिली हैं। स्वीकृति शीघ्र दिए जाने के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विशेष अनुमोदन समिति स्थापित की गई है। प्रवासी भारतीयों की औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए आशय पत्र, विदेशी सहयोग और धन लगाने सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं एक साथ एक ही स्थान पर पूरी की जा सकेंगी। यदि कोई

विशेष मामला हमारे ध्यान में लाया जाता है तो हम उस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए निश्चित ही चेष्टा करेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रवासी भारतीयों के निवेश किये जाने के परिणामस्वरूप गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है।

श्री एम० अरुणाचलम : अप्रैल, 1982 से 31 दिसम्बर, 1987 तक प्रवासी भारतीयों ने विभिन्न योजनाओं में जो निवेश किया है वह इस प्रकार है : 1218.85 करोड़ रुपये का सीधा निवेश 64.66 करोड़ रुपये का पोर्टफोलियो इनवेस्टमेंट 26.40 करोड़ रुपये का भारतीय कम्पनियों में जमा और 4217.48 करोड़ रुपयों का बैंक में जमा कराया जाना (शेष राशि)

श्री के० कुंजम्बु : महोदय, बहुत सारे केरलवासी खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। उन्हें केरल में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, यह सच है कि केरल के बहुत सारे कुशल श्रमिक और तकनीशियन खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। केरल के प्रवासी भारतीय मूलतः कुशल श्रमिक यथा तकनीशियन, कार्पेन्टर, नर्स आदि हैं। वे उद्योग स्थापित करने का साहस करने तथा खतरा उठाने के बजाये ऐसे स्थानों की तलाश करना ज्यादा अच्छा समझते हैं जहां वे अपने धन को सुरक्षा के साथ जमा करा सकें। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, हमने आमतौर पर नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देश निर्धारित कर दिए हैं और विशेष रूप से उद्योग और बैंक आदि स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीयों को निवेश करने के लिए अपेक्षित समर्थन प्रणाली की सुविधायें उपलब्ध करा दी हैं। प्रवासी भारतीयों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को विशेष कार्यक्रम चलाने चाहिए। राज्य स्तर पर, राज्य सरकार ने प्रवासी भारतीयों को सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक केन्द्रीय एजेंसी खोली है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि खाड़ी देशों में बहुत सारे कुशल श्रमिक कार्य कर रहे हैं। वहां केवल कुशल श्रमिक ही काम नहीं कर रहे हैं अपितु ऐसे लोग भी हैं जो उद्योगों में धन का निवेश भी कर सकते हैं। किन्तु वास्तविकता यह है कि यद्यपि भारत के बाहर बड़ी संख्या में लोग काम कर रहे हैं किंतु वे केरल में धन का निवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। यद्यपि उद्योग के मामले में केरल सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। मेरे विचार से अन्य क्षेत्रों में निवेश करने को प्राथमिकता दी जाती है। मैं इस बात का कारण जानना चाहता हूं कि केरल के निवासी तक केरल में धन निवेश क्यों नहीं करना चाहते ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, हमारे मित्र को राज्य में अच्छा औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए काम करना होगा। जैसा कि मैं कुछ समय पहले कह चुका हूं कि राज्य सरकार को प्रवासी भारतीयों के लिए उस राज्य में अपने धन का निवेश करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाना चाहिए।

खुले मुहाने के खनन के सम्बन्ध में तकनीकी कार्यशाला

*817. **श्रीमती माधुरी सिंह**†
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान में हाल में खुले मुहाने के खनन के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) कोयले के क्षेत्र में अन्य प्रणालियों की तुलना में खुले मुहाने की खनन प्रणाली कहां तक बेहतर है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची में 3-4-1988 को "ओपेनकास्ट खानों में आप्टीमल विखंडन-ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का परिमाप" करने सम्बन्धी एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई थी।

चर्चा और सिफारिशों में यह बातें शामिल थीं—इष्टतम आकार, ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के दलों के कार्य निष्पादन में सुधार, प्रत्येक परियोजना में ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए अलग कक्षा का गठन, कम्पनी-स्तर पर निगरानी, ड्रिलों की किस्म में सुधार, लागत के नियंत्रण, अनुसधान एवं विकास के लिए उपाय।

(ग) ओपेनकास्ट अथवा भूमिगत खानों के मामले में अपनाई जाने वाली खनन-प्रणाली का दिशा-निर्देश इन बातों पर निर्भर करता है—कोयला सीमों की स्थिति, उनकी मोटाई और उनकी गहराई जहां वे उपलब्ध होती हैं। यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ओपेनकास्ट खनन के यह लाभ हैं — उत्पादन काफी मात्रा में होना, कोयले की प्राप्ति बेहतर होना, यंत्रीकरण के जरिए उच्च उत्पादकता, कम उत्पादन लागत और कामगारों की अधिक सुरक्षा तथा उनका स्वास्थ्य।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या विशेषज्ञों का यह मत है कि खुले खदानों की खुदाई से पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पड़ता है ? यदि यह सही है तो पर्यावरण की समस्याओं के सुधार के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बसंत साठे : असल में खुली खदानों की माइनिंग से पर्यावरण पर विपरीत परिणाम होने की बजाए अच्छा परिणाम हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : कैसे ?

श्री बसंत साठे : मैं बताता हूं। यदि कोयला कम गहराई पर हो, तो खुली माइनिंग की पद्धति से उसे निकालने में ज्यादा से ज्यादा कोयला मिलता है खासकर ऐसी जगह जैसे बिहार में बहुत-सी आग लगी, तो आग लगने की जो प्रक्रिया है, वह भी, यदि खुली माईनिंग की पद्धति स्वीकार की जाए, तो उससे बन्द हो सकता है।

श्री बसुदेव आचार्य : बन्द नहीं हो रही है।

श्री बसंत साठे : ओपन कास्ट माईनिंग से बन्द हो सकती है।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : मन्त्री महोदय दोनों भाषाओं में क्यों नहीं बोलते हैं।

श्री वसंत साठे : मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगा। यह भी सच है कि खुली खनन पद्धति से सभी प्रकार के लाभ हैं यथा--ज्यादा और अधिक कोयले की निकासी, यंत्रीकरण के माध्यम से अधिक उत्पादन, लागत में कमी और श्रमिकों की अधिक सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य। खान से कोयला निकालने का पूरा प्रयोजन क्या है ? प्रयोजन यही है कि कम से कम लागत पर, सर्वोत्तम तरीके से सुरक्षात्मक ढंग से अच्छे से अच्छा कोयला प्राप्त हो सके। यदि खान गहरी नहीं है तो आजकल उसके लिए खुली खान की प्रौद्योगिकी बेहतर है किन्तु यदि खान गहरी है तो खुली खान प्रौद्योगिकी इस्तेमाल नहीं की जा सकती है क्योंकि खुला खनन करने से खुदाई के कारण एक घाटी बन जायेगी जिस पर लागत अधिक आयेगी और काम अधिक करना पड़ेगा तथा इसके बाद ही कोयला मिल सकेगा। इस प्रकार पूरा कोयला प्राप्त हो जाता है। भूमिगत खुदाई में पूरी भूमि में बोरिंग करनी पड़ती है और खांचे बनाकर कोयला प्राप्त करने की चेष्ट करनी पड़ती है।

श्री वसुदेव आचार्य : इससे होने वाले प्रदूषण के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री वसंत साठे : मैं कह रहा हूं कि इससे प्रदूषण होता ही नहीं है। अपितु खुली खान की खुदाई से प्रदूषण कम से कम होता है।

श्री वसुदेव आचार्य : वह कैसे ?

श्री वसंत साठे : मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि आग और अन्य वस्तुओं की बचत कैसे की जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : आप हमें यह बताइए कि उत्पादन किस प्रकार बढ़ जाता है।

श्री वसंत साठे : महोदय, प्रदूषण कोयले के जलने या अन्य वस्तुओं के जलने अथवा अन्य वस्तुओं के कारण होता है। यह सब इसी प्रकार हो रहा है। किन्तु खुली खुदाई प्रणाली से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है।

श्री वसुदेव आचार्य : क्योंकि यह खुली है।

श्री वसंत साठे : इसी कारण प्रदूषण नहीं होता है।

[हिन्दी]

श्रीमती माधुरी सिंह : क्या मन्त्री जी द्वारा भारत-सोवियत समझौते के अधीन मुरकुण्डा कोयला परियोजना का निर्माण खुली खदान तकनीक द्वारा किया जा रहा है ? क्या यह सही है कि इस तकनीक से आर्थिक रिटर्न कम है ? यदि हां, तो इस परियोजना को आर्थिक दृष्टि से और मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या विचार रखती है ?

श्री वसंत साठे : आर्थिक दृष्टि से इस परियोजना को सही रूप में चलाने के लिए जो-जो आवश्यक कदम होंगे वे सब उठाये जाएंगे।

[अनुवाद]

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, क्या यह सच है कि खुली खुदाई खानों में माफिया की गतिविधियां सुगम हो जाती है क्योंकि उनके दल चुपचाप आते हैं और अपने ट्रक भर कर ले जाते हैं तथा उन्हें वहां कोई रोकने वाला नहीं होता है ? क्या यह सच है ?

श्री वसंत साठे : जहां तक माफिया या अन्य दलों का सम्बन्ध है, चाहे भूमिगत खान हो या खुली, मेरे विचार से तो वे भूमिगत दुनिया के लोग हैं। इसलिए उनके लिए यदि भूमिगत हो तो और

आसानी रहती है। जब खुली खान होती है तो ऐसे अवांछनीय तत्वों को अपनी गतिविधियां चलाने में कठिनाई आती हैं। चूंकि यह प्रश्न कोयला हटाने से सम्बद्ध है तो हम ऐसे अवांछनीय तत्वों पर नियंत्रण पाने के बारे में पूरा ध्यान दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से इस सभा को कह सकता हूं कि हम अपने प्रयास में सफल हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : और क्या आप यह समझते हैं कि जब वे भूमिगत होते हैं, तो वे और अधिक खतरनाक हो जाते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : यदि यह खुला है, तो सरकार काम कर सकती है।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मन्त्री महोदय ने कहा है कि इससे स्थान और पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किन्तु क्या उनको पता है कि असम में पटकाई पहाड़ियों की खुली खानों से स्थान और पर्यावरण बहुत अधिक प्रभावित हुआ है और पर्यावरण विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया है। वास्तव में मुझे विज्ञान के छात्रों की यह टिप्पणी ऊर्जा मन्त्री और प्रधान मन्त्री दोनों को ही भेजनी पड़ी थी कि इससे पटकाई पहाड़ियां बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं। अतः क्या उन्होंने पटकाई पहाड़ी की विशेष स्थिति की जांच कर ली है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्या उन्होंने वैज्ञानिकों तथा पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा दी गई टिप्पणियों और प्रतिवेदनों की जांच करा ली है और यदि नहीं, तो क्या अब वह मुझे इस बात का आश्वासन देंगे कि वे दस्तावेज उनके पास हैं और वह किसी स्वतंत्र जांच द्वारा इसकी जांच करा लेंगे और अपने जांच परिणाम प्रस्तुत करेंगे।

श्री बसंत साठे : जहां तक असम का सम्बन्ध है, यदि विशेषज्ञों ने यह राय दी है कि 'सुपर स्ट्रक्चर सरफेस' हटाये जाने से उसकी उर्वरकता प्रभावित हुई है अथवा खुली खान खुदाई से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ा है तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे क्योंकि हम यह नहीं चाहते हैं कि खान की खुदाई की किसी भी प्रणाली से पर्यावरण पर कोई बुरा असर पड़े।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ओपन कास्ट माइनिंग में प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और प्रदूषण भी उसमें ज्यादा नहीं रहता। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि रांची जिले में खेलाड़ी इलाई नार्थ कर्मपुरा में ओपन कास्ट माइंस है वहां भी आग लगी हुई है। बी०सी०सी० के अन्तर्गत झरिया जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसके ऊपर टाउन बसा हुआ है और नीचे आग लगी हुई है। मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें कि आग बुझाने के लिए क्या कोई योजना बनाई गई है ताकि इस घनी आबादी वाले क्षेत्र को जनहानि से बचाया जा सके। किसी भी समय झरिया की घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक्सप्लोजन हो सकता है और जनहानि हो सकती है। मन्त्री महोदय इन इलाकों के लिए क्या करने जा रहे हैं।

श्री बसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, आग दो तरह से लगती है। एक तो यह कि कोयला खोद कर ऊपर रख दिया जाए और कोयला इंटर्नल कंबश्चन सिस्टम से पाइल होने से वहां जलने लगता है, यह कटने की प्रक्रिया है। दूसरा जहां शैलो अण्डरग्राउन्ड कोयला होता है, जैसे झरिया की बात बताई गई, यहां पर कई सालों से आग लगी हुई है। वहां कोयला शैलो सीम्स में है और खोदा नहीं गया है। वहां ऊपर से हवा जाती है और आक्सीजन मिलने से वह कोयला जलने लगता है। ऐसी जो आग लगी हुई है; उसको बुझाने के लिए वैज्ञानिकों ने यह सोचा है कि उसे ओपन कर दिया जाए और सारा कोयला निकाल लिया जाए। ओपन कास्ट पद्धति से झरिया जैसी जगहों को बचाया जा सकता है। यह प्रयोग हम करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आबादी को वहां से हटाना पड़ेगा, उनका

जीवन खतरे में है और उसको बचाने के लिए इस पद्धति पर विचार किया जा रहा है। इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूंगा और हमारा भी पूरा प्रयास है।

श्री नारायण चौबे : जलने के बाद करेंगे ?

श्री बसन्त साठे : जलने से पहले करेंगे। आप तो दोनों तरफ से आग लगाते हैं, हमारे कुछ बन्धु ऐसे हैं नारायण चौबे जी जैसे कि जब लोगों को हटाने की बात करेंगे तो ये आंदोलन करेंगे कि इनको क्यों हटाते हैं और नहीं हटायेंगे तो कहेंगे कि क्यों नहीं हटाते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आग ज्यादा न लगे।

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा सयाने लोग जो होते हैं वे चोर को कहते हैं कि चोरी कर और मालिक को कहते हैं कि जागता रह।

श्री बसंत साठे : आशा है कि हम यह आग बुझा सकेंगे और अधिक कोयला भी निकाल सकेंगे।

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, ओपन कास्ट में नई मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका नाम ड्रेगलाइन है। इसकी कीमत 20-30 करोड़ रुपये है और इसकी खरीद में कमीशन भी लिया जाता है। यह कमीशन 10 से लेकर 25 परसेंट तक होता है। यह मशीन हजार श्रमिक जहां काम करते हैं वहां पर काम करती है, इसकी वजह से श्रमिक बेरोजगार होते जा रहे हैं, उन लोगों को काम नहीं मिल रहा है। इस बारे में मजदूरों को लाभ पहुंचाने के लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, कोयला ज्यादा से ज्यादा और कम खर्चे में निकाला जाए, इसके लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें शावल, डंपर, ड्रेगलाइन पद्धतियों का उपयोग करना पड़ेगा और यह आग्रह करना कि ज्यादा से ज्यादा आदमी कोयला उद्योग में ही लगाये जाएं कोयला निकालने के लिये तो इससे उत्पादन का नुकसान होगा। इससे देश में कोयला सस्ता और अच्छा नहीं होगा, इस बात का भी विचार हमको करना होगा।

उच्च शक्ति के दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

[अनुवाद]

*८१२. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 1990 तक सभी जिला मुख्यालयों में दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार का उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर, जैसे 10 किलोवाट अथवा इससे अधिक शक्ति के ट्रांसमीटरों की स्थापना करने का विचार है जिससे कि यह प्रत्येक जिले में पूरी जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो सके;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है और वर्ष 1988-89 में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि व्यय किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या अनंतपुर स्थित दूरदर्शन रिले केन्द्र की क्षमता 10 किलोवाट तक बढ़ाने का कार्य इस बीच प्रारंभ कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) देश में सभी जिला मुख्यालय नगरों को सातवीं योजना की विभिन्न स्कीमों के मुकम्मल हो जाने पर या तो वहां स्थित ट्रांसमीटर द्वारा अथवा आसपास के क्षेत्र (क्षेत्रों) में कार्यरत ट्रांसमीटर (ट्रांसमीटरों) द्वारा दूरदर्शन सेवा से कवर हो जाने की उम्मीद है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन की मौजूदा नीति इष्टतम कवरेज प्राप्त करने की दृष्टि से देश में उच्च शक्ति और अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर न्यायसंगत रूप से स्थापित करने की है। संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल चुनींदा स्थानों पर ही उच्च शक्ति (1 किलोवाट, 10 किलोवाट और इससे अधिक शक्ति वाले) के टी०वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने की व्यवस्था है। दूरदर्शन की वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना में इन ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए 2878.80 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है।

(घ) अनन्तपुर में प्रस्तावित उच्च शक्ति (10 किलोवाट) के टी०वी० ट्रांसमीटर के लिए स्थान का कब्जा ले लिया गया है और सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्राक्कलन स्वीकृत कर दिए गये हैं। ट्रांसमीटरों और सहायक उपकरणों के लिए विनिर्माताओं को क्रयादेश दे दिए गये हैं।

(ङ) अनन्तपुर में उच्च शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर के सातवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मैं अनन्तपुर में 10 कि० वाट का दूरदर्शन ट्रांसमीटर आरम्भ करने के लिए मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय का ध्यान भाग (ङ) की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि अनन्तपुर में उच्चशक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर के सातवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि अनन्तपुर जिले की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए तथा 1985 में अतारांकित प्रश्न संख्या 1621 दिनांक 1-4-85 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2018 दिनांक 2-12-1985 के माध्यम से पूरे जिले को दूरदर्शन से लाभांवित करने के लिए उच्च शक्ति का प्रसारण लगाने की निरंतर की जा रही मांग को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की कृपा करेंगे। तीन वर्ष पूर्व की गई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अनन्तपुर में उच्च शक्ति का प्रसारण इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर सकेगी और इस वर्ष के अन्त तक उसे चालू कर सकेगी ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : ट्रांसमीटर स्थापित करने का काम अनेक कारणों पर निर्भर करता है जिसमें से मुख्य कारण धन का उपलब्ध होना तथा सुपुर्दगी समय-सारिणी का अनुपालन है। इसलिए हम कोई निश्चित तारीख तो नहीं बता सकते हैं किन्तु हम उन उच्चशक्ति वाले सभी ट्रांसमीटरों को, जिन्हें 7वीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान स्थापित किया जाना है, शीघ्र संस्थापित करने का प्रयास कर रहे है। माननीय सदस्य की टिप्पणियों और अनुरोधों को ध्यान में रखा जाएगा।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : अनन्तपुर में ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कितनी राशि नियत की गई है। अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ? क्या सरकार यथाशीघ्र ट्रांसमीटर आरम्भ करने के लिए और अधिक राशि व्यय नहीं कर सकेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : पेड़ भी गिनने हैं और आम भी खाने हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि उच्चशक्ति का ट्रांसमीटर संस्थापित करने के लिए दूरदर्शन का इरादा 2878.80 लाख रुपये व्यय करने का है। अतः अनन्तपुर ट्रांसमीटर को भी इस निर्धारित राशि में यथानुपात धन मिलेगा।

श्री नारायण चौबे : इस विभाग के प्रभारी जब श्री अजित पांजा थे, अब माननीय मंत्री श्री एच० के० एल० भगत इसके प्रभारी हैं, उस समय यह कहा गया था कि एक ट्रांसमीटर मिदनापुर में भी स्थापित किया जायगा। आपको मिदनापुर का इतिहास पता है। यद्यपि मिदनापुर कलकत्ता से अधिक दूर नहीं है और हम कलकत्ता कार्यक्रम देख सकते हैं। हम कलकत्ता कार्यक्रम नहीं देखते। हम केवल दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में क्या रहा।

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के दौरान 3 और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित किए जाएंगे जिनमें से एक मिदनापुर में और एक-एक कलिमपोंग और अलिपुर द्वार में स्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सोमजी भाई डामर : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मन्त्री जी ने और मन्त्री जी ने अनाउंस किया था कि स्पेशल केस में आदिवासी एरिया में टी०वी० ट्रांसमीटर लगायेंगे, तो अब तक कितने टी०वी० ट्रांसमीटर लगा दिये हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि एक लाख की आबादी में टी०वी० ट्रांसमीटर लगायेंगे। दूसरा डिपार्टमेंट बोलता है कि आबादी कम करो। क्या टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने के लिए आबादी बढ़ानी पड़ेगी।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, दूरदर्शन के हार्डवेअर विस्तार के कार्यक्रम को इस प्रकार योजनाबद्ध किया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के सभी जिलों—445 जिलों को शामिल किया जायेगा। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए आदिवासी क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब सभी जिलों को शामिल किया जायेगा तो आदिवासी एरिया भी शामिल हो जायेंगे। ((व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री तिवारी प्रश्न पूछेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं माननीय मन्त्री से बक्सर में कम शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने के बारे में जानना चाहता हूं। बक्सर वर्षों से हमारी संस्कृति और सभ्यता का केन्द्र रहा है इसे न तो पटना से और न वाराणसी से 'कवर' किया गया है। यह बीच में है। मैं लगभग सभी मन्त्रियों से मिलता रहा हूं और लिखता रहा हूं। वास्तव में श्री वसन्त साठे के कार्यकाल से मैं लिखता रहा हूं परन्तु मुझे अब तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या बक्सर को भोजपुरी भाषी जनसंख्या के केन्द्र के रूप में और एक पुराने शहर के रूप में इसके महत्व को देखते हुए कोई निर्णय लिया गया है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जब देश के सभी जिलों को शामिल किया जायेगा तो बक्सर भी शामिल हो जायेगा। दरअसल, यह योजना में नहीं है कि देश के सभी जिला मुख्यालयों में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जाएं। देश के 445 जिलों में से सिर्फ 298 जिला मुख्यालयों में स्थानीय ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : हमारे जिले बहुत बड़े हैं। उत्तर प्रदेश या बिहार का एक जिला दूसरे राज्यों के पांच या छः जिलों के बराबर हो सकता है।

श्री एस० कृष्ण कुमार : अन्य 147 जिलों को उन पड़ौसी जिलों से ट्रांसमिशन द्वारा शामिल किया जायेगा जहां उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये जायेंगे। मैं तुरन्त ही यह नहीं बता सकता कि बक्सर कौन से उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर के अन्तर्गत आ जाएगा लेकिन मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा और पता लगाऊंगा कि बक्सर को भी योजना के भाग के रूप में शामिल किया जाए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि टी० वी० टावरों को ऊंचा करने के अलावा, टी० वी० द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को उचित रूप से शामिल करने के लिए, यह आवश्यक है कि पर्याप्त ऊंचाई के टी० वी० टावरों को उपयुक्त स्थानों पर लगाया जाए यदि ऐसा है तो क्या यह सच नहीं है कि पश्चिम तट के कोंकण क्षेत्र के बहुत से क्षेत्र में लोग उच्च शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर और टी०वी० टावर के अभाव में टेलीविजन के कार्यक्रम को उचित ढंग से नहीं देख पाते हैं यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री कोंकण क्षेत्र के इस पिछड़े इलाके को प्राथमिकता देंगे जिससे कि औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ कोंकण क्षेत्र टी० वी० के क्षेत्र में भी न पिछड़ जाए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यह प्रश्न पूछने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उन्होंने केवल प्रश्न ही नहीं पूछा है बल्कि इसके बारे में मुझे भी लिखा था।

मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच कर रहा हूं।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां हमने टी० वी० ट्रांसमीटर, विशेषत: उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये हैं, वहां ऊंचे टावर नहीं हैं। बहुत से स्थानों पर ऊंचे टावर हैं और सिगनल उपलब्ध हैं।

मैं कोंकण क्षेत्र के मामले की जांच कर रहा हूं।

मैं माननीय सदस्य की चिन्ता को अच्छी तरह समझता हूं और प्रशंसा करता हूं। वास्तव में बहुत से क्षेत्रों में टी० वी० सिग्नल हैं परन्तु ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जिन्हें अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इसलिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलायी जा रही है। वर्तमान में हमने विभिन्न श्रेणियों के 251 टी० वी० ट्रांसमीटर लगाये हैं — कुछ उच्च शक्ति के हैं, कुछ निम्न शक्ति के हैं, कुछ बहुत निम्न शक्ति के हैं और कुछ ट्रांसपोजर्स हैं, वे सब काम कर रहे हैं। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनायें पूरी हो जायेंगी तो हमारे पास विभिन्न श्रेणियों के 421 ट्रांसमीटर होंगे इसमें देश की 82.8 प्रतिशत जनसंख्या शामिल होगी और बहुत से जिलों और शहरों को शामिल किया जायेगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्लान के अतिरिक्त मैं इसे शीघ्रता से पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल में एक या दो दिन बाद सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रांसमीटरों का निर्माण करने वालों की बैठक हो रही है जिससे कि इसे शीघ्रता से पूरा किया जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अलावा मैं अपने मन्त्रालय से कुछ संसाधनों को प्राप्त करने की संभावना का तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधान के अतिरिक्त ट्रांसमीटर प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि हम देश

के लिए टी० वी० सिगनलों का बेहतर विस्तार कर सकें ? परन्तु मैं कह सकता हूं और हम सब कह सकते हैं कि सम्पूर्ण राष्ट्र इस पर संतोष और गर्व कर सकता है। यद्यपि हमारे देश को बेहतर टी०वी० तथा और अधिक टी० वी० की जरूरत है परन्तु जिस रफ्तार से हमने टी० वी० का विकास किया है वह विश्व में सबसे तेज है और विश्व इसे मानता है तथा इतने कम समय में टी० वी० के अन्तर्गत सबसे अधिक जनसंख्या को शामिल किया है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, सामान्य लोग टी० वी० से लाभ नहीं उठता सकते हैं। क्या सरकार सलाह पर विचार करेगी···

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार सलाह पर विचार करेगी···(**व्यवधान**) मैं हमेशा आपके सामने बैठा रहता हूं। क्या गलत है ? क्या आप मुझे नहीं देख सकते ? मैंने अनेक बार अपने हाथों को उठाया ? मेरा अनुपूरक प्रश्न यह है : क्या सरकार सार्वजनिक टी० वी० स्टेशनों की स्थापना करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, यह आवश्यक नहीं कि मैं हमेशा हाथों की तरफ ध्यान दूं। मैं प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : महोदय, आप यह क्या कह रहे हैं ? मेरे विचार में आप नहीं चाहते कि मैं अनुपूरक प्रश्न पूछूं। मैं सारा समय अपने हाथ उठाये हुए आपके सामने बैठा रहा हूं। मैं आपका ध्यान और किस प्रकार आकर्षित कर सकता हूं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा, मैं यह अनुरोध करता हूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि हाथ देखा जाए। और तत्पश्चात यह किया जाए। कभी-कभी इसकी उपेक्षा भी की जाती है।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : आपकी कुछ भूल है। (**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय मैं स्वयं प्रो० रंगा के पास जाकर स्थिति को स्पष्ट करूंगा।

साइकिलों और साइकिलों के पुर्जों का आयात

*820. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी साइकिल निर्माताओं द्वारा निर्मित साइकिलें और साइकिलों के पुर्जों का जिन पर अक्सर विदेशी ब्रांडों के नाम होते हैं, निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विदेशी ब्रांड नामों के स्थान पर भारतीय ब्रांड का नाम रखने का विचार है;

(घ) क्या देश साइकिल तकनीक में आत्मनिर्भर है और विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति में आ गया है;

(ङ) क्या साइकिलों और साइकिल के पुर्जों का कोई आयात किया गया है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का आयात को बिल्कुल कम करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) विद्यमान नीति के अनुसार साइकिलों सहित विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर विदेशी ब्रांडों के नामों के प्रयोग की अनुमति है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, भारतीय साइकिल निर्माताओं को साइकिलों तथा साइकिल के पुर्जों के निर्यात पर विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की मनाही करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) साइकिलों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा प्रौद्योगिकी दोनों में ही तेजी से विकास हुआ है । निर्यात प्रयोजनों के लिए भी साइकिल प्रौद्योगिकी में सुधार करने की आवश्यकता है । इसलिए, सरकार साइकिल तथा साइकिल के पुर्जों के निर्माण में प्रौद्योगिकी के आयात वाले विदेशी सहयोगों को बढ़ावा दे रही है ।

(ङ) और (च) सम्पूर्ण साइकिल के आयात की अनुमति नहीं है हिस्से-पुर्जों के सम्बन्ध में, कुछ पुर्जों को निर्यात उत्पादन के लिए, आयात करने की अनुमति है । 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान क्रमशः 28.50 लाख रुपये तथा 22.95 लाख रुपये के साइकिल पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी गई थी ।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, प्रश्न स्पष्ट है । इसका सम्बन्ध साइकिल प्रौद्योगिकी हमारी निर्माणकारी इकाइयों की प्रतिस्पर्द्धा और विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग से है । यह बड़ी अजीब बात है कि माननीय मन्त्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि विदेशी ब्रांड के नामों की अनुमति दी जाएगी मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनुमति कब तक दी जाएगी। इसे कब लागू किया गया ? क्या नीति की समीक्षा की गई ? इस तरह साइकिल तकनीक के बारे में हम आत्म निर्भर नहीं हैं । हम जमीन से जमीन तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में आत्म निर्भर हो सकते परन्तु साइकिल तकनीक में आत्म निर्भर नहीं हो सकते । विदेशी सहयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है । माननीय मन्त्री का यह जवाब है । यह दुर्भाग्य की बात है । अन्त में पुर्जों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नीति की समीक्षा की जा रही है और क्या साइकिल कम्पनियों में अनुसंधान और विकास इकाई की स्थापना की गई है । यदि अनुसन्धान और विकास की इकाई की स्थापना कर दी गई है तो उन्हें एक या तो वर्ष में आत्म निर्भर हो जाना चाहिए या आपको उसे बन्द करने का निर्देश देना चाहिए । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग करने से सम्बन्धित नीति तथा साइकिल तकनीक में आत्म निर्भरता से सम्बन्धित नीति और साइकिल तकनीक में विदेशी सहयोग को प्रोत्साहित करने की नीति की समीक्षा की गई है— क्या किसी समय इन सभी मामलों की समीक्षा की गई और हम कब तक आत्म निर्भरता प्राप्त कर लेंगे ।

श्री एम० अरुणाचलम : साइकिल उत्पादन के सम्बन्ध में हम आत्म निर्भर हैं । भारत से पुर्जों या साइकिलों के निर्यात के लिए विदेशी ब्रांड नामों तथा विदेशी ट्रेड मार्कों को प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके विपरीत यदि कोई विदेशी निर्माता भारत की किसी कम्पनी को अपना ब्रांड प्रयोग करने की अनुमति देता है तो इससे भारतीय साइकिलों की गुणवत्ता और मजबूती स्पष्ट होती है । जहां तक अनुसंधान और विकास का सम्बन्ध है, लुधियाना में हमारा एक अनुसंधान और विकास केन्द्र है और सरकार लुधियाना के इस अनुसंधान और विकास केन्द्र को सुदृढ़ बनाने पर

विचार कर रही है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मेरा प्रश्न यह था कि क्या हम साइकिल प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भरता प्राप्त करेंगे या नहीं। खैर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि हमने विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते के आधार पर जिन ब्रांड नामों का प्रयोग किया है क्या वह आपकी अनुमति से हुआ है। क्या मैं यह भी पूछ सकता हूं कि गत तीन वर्षों के दौरान साइकिल के पुर्जों का आयात में लागत के आधार पर नहीं परन्तु साइकिल के पुर्जों की किस्मों के आधार पर, कम हुआ है या बढ़ा है।

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक साइकिल के पुर्जों के आयात का सम्बन्ध है, हम अनुसंधान और विकास केन्द्रों और कुछ खेल के सामान के लिए साइकिल के पुर्जों के आयात की अनुमति देते हैं। सामान्य तौर पर हम सम्पूर्ण साइकिल के आयात की अनुमति नहीं देते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल की साइकिल बनाने वाली दो इकाइयों, आसनसोल और कल्याणी की सेन रेले और सेन पण्डित का राष्ट्रीयकरण किया गया था किन्तु राष्ट्रीयकरण के पश्चात कार्यगत पूंजी उपलब्ध नहीं की गई है। इस वर्ष भारतीय साइकिल निगम की आसनसोल सेन रेले इकाई के लिए केवल 400 करोड़ रुपये उपलब्ध किए गए हैं। इस समय बनाने के लिए यह राशि पर्याप्त है। क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या इन इकाइयों को सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है ताकि आसनसोल की सेन रेले इकाई प्रति मास 1500 साइकिल बनाने का अपना लक्ष्य पूरा कर सके।

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : भारतीय साइकिल निगम, कलकत्ता की संस्थापित क्षमता 5580 लाख है; 1986 में उत्पादन 1578 था और 1987 में 0591 था···

श्री वसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न कार्यगत पूंजी उपलब्ध करने के सम्बन्ध में था।

श्री जे० वेंगल राव : पहले मेरी बात सुनिए। हीरो साइकिल फैक्ट्री में एक व्यक्ति प्रति दिन 4 साइकिल बनाता है जबकि साइकिल निगम में चार व्यक्ति प्रति दिन एक साइकिल बनाते हैं। प्रति साइकिल पर हमें 300 रुपये की हानि होती है।

श्री वसुदेव आचार्य : जब तक आप कच्चा माल और कार्यगत पूंजी नहीं देते वे किस प्रकार साइकिल बना सकते हैं?

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह···नीति का ही एक-एक अंग है।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है—क्या इसे सक्षम बनाने का कोई प्रस्ताव है।

श्री सी० माधव रेड्डी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमने जो साइकिल के पुर्जों का आयात शुरू किया है वह आयात को अनुदार बनाने सम्बन्धी नीति का ही अंग है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हाल की निर्यात-आयात नीति में साइकिल के पुर्जों को ओ० जी० एल० खुले सामान्य लाइसेन्स में सम्मिलित किया गया है?

श्री जे० वेंगल राव : साइकिलों के आयात की अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है···

श्री सी० माधव रेड्डी : साइकिल पुर्जे।

श्री जे० वेंगल राव : मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। केवल निर्यात करने के लिए हम

आयात करने की अनुमति देते हैं। हमने 1983-84 में 28.50 लाख रुपये और 1984-85 में 22.95 लाख रुपये के मूल्य के पुर्जों के आयात की अनुमति दी थी। हम साइकिलों का निर्यात करते हैं। 1980-81 में हमने 55 लाख रुपये से अधिक के; 1982-83 में 37 लाख रुपये से अधिक; 1985-86 में 34 लाख रुपये से अधिक और 1986-87 में 41 लाख रुपये से अधिक के मूल्य की साइकिलें निर्यात कीं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप पुर्जों का आयात क्यों करते हैं ?

श्री जे० बेंगल राव : केवल निर्यात करने वाले साइकिलों के लिए कुछ पुर्जे आयात करते हैं देश में प्रयोग के लिए नहीं। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : महोदय, दि बॉम्बे साइकिल्स, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, भारतीय राष्ट्रीय बाइसिकल्ज से सम्बद्ध है। मैंने सदन में इस पर चर्चा की है और मुझे यही उत्तर मिला। ऐसी बात नहीं है कि कर्मकार काम नहीं कर रहे हैं। किन्तु प्रबन्धक और पूरे गिरोह ने सब कुछ हजम किया है। और आप फिर गिरोह को ले आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं : क्या आप सार्वजनिक क्षेत्र के साइकिल कारखाने के लिए सहयोग दे सकते हैं ? क्या इसके लिए आप अधिक धनराशि दे सकते हैं ताकि सैनिक अपने लिए अधिक साइकिलें खरीद सकें। इस प्रकार चिल्लाने का कोई अर्थ नहीं है कि हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रुचि है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है। हम सहयोग देने को तैयार हैं।

श्री जे० बेंगल राव : दो साइकिल निगम हैं—एक श्री बसुदेव आचार्य का है और दूसरा डा० दत्ता सामंत का है। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : कर्मकार काम करने को तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : हमें बसुदेव आचार्य की साइकिल कार्पोरेशन में प्रति दिन 300 रुपये और डा० दत्ता सामंत की साइकिल कार्पोरेशन में प्रति दिन 450 रुपये की हानि होती है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे इस महत्वपूर्ण प्रश्न को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपकी आभारी हूं। यह मेरे राज्य की एक ज्वलन्त समस्या है। हमारी कोई नहीं सुनता है और केवल आप ही हमारे हित की रक्षा कर सकते हैं। मैं आपके द्वारा मन्त्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि सरकार बंगाल पॉट्रीज को फिर चालू करने के लिए कौन से रचनात्मक उपाय कर रही है। कृपया सभा को सूचित कीजिए। (व्यवधान)

यह सम्बद्ध है। हां यह सम्बद्ध है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ममता जी कहती हैं :

"यह सम्बद्ध है।" हम कैसे कह सकते हैं कि यह सम्बद्ध नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह सच है। कृपया मन्त्री से उत्तर देने को कहिए। मन्त्री इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मन्त्री उत्तर देना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

ममता जी, मन्त्री जी की उत्तर देने की इच्छा नहीं है। मैं उन्हें नहीं रोक रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप ऐसा कर सकते हैं ? मेरे विचार से तो नहीं।

(व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या मैं एक साधारण प्रश्न पूछ सकता हूं ? माननीय वरिष्ठ और कुशल मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह प्रश्न सामने आता है कि क्या मैं उन्हें यह निवेदन कर सकता हूं कि वह एक विशेषज्ञ निकाय की नियुक्ति करेंगे जो उन कारणों का पता लगाएगी कि इस प्रकार का उद्योग, जिसने एक समय अच्छा नाम कमाया था और कम्पनी के पास एक समय सद्भाव और सब-कुछ था। अब क्यों अच्छा काम नहीं करती है ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रश्न की ओर ध्यान देने के लिए एक समिति की नियुक्ति कर सकते हैं।

श्री जे० बेंगल राव : हम उनके निवेदन पर विचार करेंगे।

केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-चार के अधिकारियों को स्थायी करना

*821. **श्री गंगा राम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-चार के अधिकारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को स्थायी करने के सम्बन्धी आरक्षण आदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लम्बी सेवा वाले कई अधिकारियों को अभी केन्द्रीय सूचना सेवा के निम्नतम पद पर भी स्थायी किया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) 1982 में आयोजित परीक्षा से पहले सीधी भर्ती द्वारा भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी व्यक्तियों को केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-4 में उनके रोस्टर बिन्दुओं के अनुसार स्थायी कर दिया गया है।

(ख) 1982 से पहले भर्ती किया गया ग्रेड-4 का कोई भी अधिकारी स्थायी किए जाने की प्रतीक्षा में नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गंगा राम : क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड-चार के अधिकारियों को स्थायी करने संबंधी सेवा शर्तों के अन्तर्गत कौन-कौन से मानदण्ड निर्धारित हैं ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सामान्य कानून हैं जिनका केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड-चार में नियुक्ति तथा पदोन्नति में सख्ती से पालन किया गया है।

जहां तक स्थायी किए जाने का सम्बन्ध है, वे परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होते ही स्थायी होने के पात्र हैं। वर्ष 1988 में स्थायीकरण का संशोधित आदेश लागू करने से पहले स्थायीकरण के समय भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए भी एक निश्चित प्रतिशतता आरक्षित की

गई थी। किन्तु 1988 के आदेश के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार—अधिकारी और सामान्य उम्मीदवार परिवीक्षाधीन अवधि सन्तोषजनक ढंग से पूरी होने पर स्थायीकरण के हकदार हैं अर्थात जब स्थायीकरण देय हो जाता है।

श्री गंगा राम : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या स्थायीकरण का नियम सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू किया जा रहा है। यदि हां, तो 1982 में संवर्ग की संख्या के सम्बन्ध में दोनों वर्गों के उम्मीदवारों के स्थायीकरण में औसत समय विलम्ब कितना है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : जो लोग 1982 से पूर्व भर्ती किए गए थे, उनमें से अनुसूचित जातियों के 26 और अनुसूचित जनजातियों के 5 अधिकारियों सहित ग्रेड-चार के 190 उम्मीदवारों का 15-4-1988 को स्थायी किये गये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकारियों और सामान्य अधिकारियों के बीच परस्पर समय विलम्ब नहीं है।

इस समय जिनमें 26 अनुसूचित जाति और 11 अनुसूचित जनजाति अधिकारी सहित 160 अधिकारी स्थायी होने की प्रतीक्षा में हैं। हम मानते हैं कि 1972 से 1982 तक अधिकारियों के स्थायीकरण में थोड़ा विलम्ब हुआ है। ऐसा इस कारण हुआ कि विभिन्न वर्गों में स्थायी संख्या समय पर निर्धारित नहीं की गई। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक नहीं हो पाई। इस त्रुटि को पहले ही ठीक कर लिया गया है। सभी अधिकारियों को स्थायी किया गया है।

मैं यह भी कहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया तथा समय क्रम में कोई भेद-भाव या अन्तर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के स्थायीकरण के लिए जान-बूझ कर के विलम्ब किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो आरक्षित वर्ग के अधिकारियों का कोई प्रत्यावेदन आदि सरकार के पास है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : अधिकारियों को स्थायी करने के बारे में न केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के बल्कि सामान्य श्रेणियों के अधिकारियों ने भी अभ्यावेदन दिए हैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 1972 से 1982 तक स्थाई करने में देरी इन दो कारणों से हुई—पहला यह कि यह निर्णय लिया गया था कि स्थाई करने की प्रक्रिया उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रारम्भ की जाए अर्थात ग्रेड-1 से प्रारंभ होकर इससे नीचे के ग्रेडों को लें तथा इससे ग्रेड-4 के अधिकारियों को स्थाई करने में कुछ देरी हो गई तथा दूसरा कारण यह है कि प्रति वर्ष की प्राधिकृत स्थाई संख्या को समय पर अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। ये सभी आवश्यकताएं अब पूरी कर ली गई हैं, शिकायतों का निराकरण हो गया है तथा 1982 से पहले भर्ती किए गए अधिकारियों को स्थाई करने के सभी लम्बित मामले निपटा दिए गए हैं।

फिलहाल कोई समस्या नहीं है। जो स्थाई नहीं हुए थे उन्हें कोई नुकसान अथवा काफी घाटा नहीं हुआ है क्योंकि पात्रता के समय उन्हें अर्ध-स्थाई कर दिया गया था तथा बाद में उन्हें स्थाई कर दिया गया। समय पर स्थाई न होने के बावजूद भी अनेक कर्मचारी ग्रेड-4 से ग्रेड-3 में तथा ग्रेड-3 से ग्रेड-2

में सही समय पर पहुंच गए हैं। इस प्रकार इस समय ऐसी कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बात साफ करते हुए तथा उन्हें आश्वस्त करते हुए कहता हूं कि मैंने इस प्रश्न का अध्ययन किया है। मैं वास्तव में संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि जैसा कि मेरे साथी ने भी कहा है कि बहुत से कारणों से कुछ देरी हुई है। यह निर्देश मैंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट कर दिया है और इस बात पर बल दिया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आदि के कारण जिन मामलों में स्थाई करने का काम लम्बित पड़ा है उसे पूरा किया जाए। मैं इस बात को अत्यधिक महत्व देता हूं। मेरे अधिकारियों ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि ग्रेड-4 से सम्बन्धित सारी प्रक्रिया जून तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा अन्य मामलों अर्थात ग्रेड-एक तथा ग्रेड-दो के मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने कार्यवाही करनी है तथा हम इस बारे में उनसे बात कर रहे हैं। चाहे यह अनुसूचित जातियां हों, अनुसूचित जनजातियां अथवा अन्य हों, हम सभी के मामले तेजी से निपटाने के अपने पूर्ण प्रयास करेंगे। जहां तक सी०आई०एस० अधिकारियों का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न होने की वजह से उन्हें नुकसान न हो। इस देरी के कई कारण थे जैसे कि मामले प्राधिकरण में चले गये थे और वरीयता सूची नियत करने का प्रश्न भी था। विस्तार में न जाते हुए मैं यह आश्वासन देता हूं कि इस बारे में हम बहुत सजग हैं तथा हम यह सुनिश्चित करेंगे कि समय बर्बाद किये बगैर सारा कार्य हो जाये।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का बड़ा नेक इरादा है और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी पूरी की है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो जाये, लेकिन इनकी नेक-नीयती के बावजूद ऐसे बहुत से केसेज लम्बित पड़े हुए हैं जिनमें अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। क्या इसको देखते हुए जो वर्तमान व्यवस्था मानिटरिंग की है इस सम्बन्ध में, आपका मानिटरिंग का कोई नया सिस्टम निकालने का इरादा है जिससे कि इस अन्याय को शीघ्र से शीघ्र हम लोग दूर कर सकें ?

[अनुवाद]

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने में मुझे खुशी होगी। इस बारे में मुझसे चर्चा करने के लिए मैं माननीय सदस्य का स्वागत करता हूं।

बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन लेने वालों की प्रतीक्षा सूची

*822. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिये कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इस प्रतीक्षा में से प्रतिमाह कितने लोगों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं;

(ग) प्रति माह औसतन कितने नये लोगों का पंजीकरण होता है;

(घ) बम्बई में कम से कम सामान्य आवेदकों को एक वर्ष में टेलीफोन कनेक्शन मिले, इसके लिये क्या कोई बड़ा कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कुल 205,266 आवेदक थे।

नये टेलीफोन कनेक्शन एक्सचेंज उपस्करों और बाह्य संयंत्र के विस्तार के आधार पर प्रदान किये जाते हैं। उपलब्ध कराये गये कनेक्शनों की संख्या हर महीने अलग-अलग है। 1986-87 और 1987-88 के दौरान क्रमशः 58721 और 57,798 नये कनेक्शन प्रदान किये गये।

टेलीफोन कनेक्शनों की व्यवस्था के लिये प्रतिमाह औसतन 5000 नये रजिस्ट्रेशन प्राप्त होते हैं।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा एक व्यापक विस्तार कार्यक्रम तैयार किया गया है तथा इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, यह वित्तीय संसाधनों और उपस्करों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

30-9-1986 तक की औसतन प्रतीक्षा सूची को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक निपटा देने का लक्ष्य है।

वर्ष 1988-89 में 70,000 कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, बम्बई, महाराष्ट्र की ही नहीं बल्कि सारे राष्ट्र की एकानामिक कैपिटल (आर्थिक राजधानी) है। आज के वैज्ञानिक युग में टेलीफोन का महत्व बम्बई में और बढ़ गया है। तो क्या सरकार टेक्नालाजी मिशन के द्वारा रेकमेंडेड टेलिमैटिक्स (सी-डाट) सिस्टम बम्बई में निजी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे, बैंकों, डेरी-कोआपरेटिव्ज आदि में लगाने की इजाजत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह सुविधा कब, कैसे और कहां तक उपलब्ध होगी?

श्री वसन्त साठे : यह नया सिस्टम जो सी-डाट का है वह अभी बड़े नगरों में तो नहीं लग सकता। उसके जब बड़े टेलीफोन एक्सचेंजेज पैदा करने का काम शुरू हो जायेगा तब बड़े नगरों में भी विचार किया जाएगा। पर जहां तक बम्बई में और दिल्ली में ये महानगर निगम हैं और वेटिंग-लिस्ट है, कल्पना यह है कि मैं अभी कुछ दिन पहले बम्बई गया था, मैंने वहां देखा, हम यह सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हो इसलिए एक तो टेलीकाम ब्यूरो सिस्टम हम शुरू करना चाहते हैं, दूसरे पब्लिक काल बूथ और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जिनको कि हैण्डीकैप्ड लोग मैन करें। और जो वहां बड़ी-बड़ी सोसायटीज हैं, हाउसिंग सोसायटीज, वे पी०ए०बी० एक्स० सिस्टम खुद ओन करेंगी और हम कनेक्शन देंगे तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी देने की हमारी कल्पना है। हमारा विचार है कि अभी दो लाख से ज्यादा वेटिंग लिस्ट पर हैं और प्रति महीने 5 हजार फ्रेश एप्लीकेशंस आ जाती हैं तो यह सारा जब तक हम टेक्नोलाजिकल एडवांसेज को बड़े पैमाने पर उपयोग में नहीं लायेंगे, वेटिंग-लिस्ट को पूरा करना सम्भव नहीं है। लेकिन हमारा हर तरह से प्रयास है। एक सिस्टम हमने और शुरू कर दिया है "तत्काल टेलीफोन"। बहुत से व्यापारी लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है और वे डिपाजिट करने के लिए भी तैयार हैं। पचास हजार के डिपाजिट

यदि कोई करता है, तो उसे तत्काल टेलीफोन देने का प्रावधान कर रहे हैं। पैसा भी मिलेगा और उसी पैसे से हम पी०ए०बी०एक्स···

श्री नारायण चौबे : एक लाख कर दें, तो और जल्दी हो जाएगा।

श्री वसंत साठे : इससे पब्लिक-कॉल आफिसेज ज्यादा खोल सकेंगे।···(**व्यवधान**)···एक लाख भी यदि कोई देने को तैयार है, तो करेंगे। रहीसों से ज्यादा पैसा लो और गरीबों के लिए इस्तेमाल करो। यही जोर हम रखना चाहते हैं···(**व्यवधान**)···ये कम्युनिस्ट लोग खाली बात करते हैं, करते-धरते कुछ नहीं हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री प्रकाश वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कार टेलीफोन सुविधा के बारे में विस्तार से बतायेंगे ?

श्री वसंत साठे : उसका अभी विचार नहीं हुआ है।

[**अनुवाद**]

श्री विजय एन० पाटिल : महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के गठन के बाद यह सोचा गया था कि बम्बई तथा दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। केवल अधिकारियों के वेतन-बिलों में सुधार हुआ है। टेलीफोन निगम के खर्चों में वृद्धि हुई है।

पहले बम्बई तथा दिल्ली से जो भी राजस्व प्राप्त होता था उसे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इसे इस निगम में लगाया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि बम्बई में प्रयोगात्मक आधार पर अथवा स्थाई तौर पर सेल्यूलर रेडियो टेलीफोन व्यवस्था आरम्भ करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री वसंत साठे : 'सैल्यूलर टेलीफोन व्यवस्था' अभी भी विचाराधीन है। हमने इस विचार को छोड़ा नहीं है। हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि यह योजना लोगों के लिए कितनी उपयोगी रहेगी।

[**हिन्दी**]

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि शहरी इलाकों में टेलीफोन की देखभाल ज्यादा होती है और उनके लिए सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से स्थान हैं, आठ-आठ, दस-दस गांव हैं, जहां टेलीफोन नहीं हो सकता है। यदि कोई मर गया तो टेलीफोन नहीं पहुंच सकता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं, इन स्थानों के लिए क्या आपके पास कोई नई योजना है ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, हमारा असली जोर गांवों की तरफ देखना है। यह जो रेडियो टेलीफोन या सी-डॉट सिस्टम है और जितने सिस्टम हैं, उनकी मूलभूत कल्पना गांवों में टेलीफोन पहुंचाने की ही है। उसी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा टेलीफोन गांवों में पहुंचाना चाहते हैं। यही हमारी कल्पना है।

[**अनुवाद**]

प्रो० नारायण चन्द पराशर : महोदय प्रश्न का भाग (घ) विशेष है :

"बम्बई में कम से कम सामान्य आवेदकों को एक वर्ष में टेलीफोन कनेक्शन मिले, इसके लिए क्या कोई बड़ा कदम उठाने का विचार है;"

सामान्य लोगों के लिए इस एक वर्ष की नियत अवधि के बारे में मन्त्री महोदय का क्या उत्तर है ?

श्री वसंत साठे : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मांगने पर टेलीफोन योजना (टेलीफोन-ऑन-आस्किंग स्कीम) के अन्तर्गत जो लोग 50,000 रुपये जमा कराएंगे उन्हें मांगने पर टेलीफोन दे दिया जाएगा।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : सामान्य आवेदक को टेलीफोन कब मिलेगा ?

श्री वसंत साठे : इस योजना में सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। (व्यवधान)

केरल में उद्योगों की स्थापना

*823. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में किन्हीं उद्योगों को स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई विशिष्ट प्रस्ताव भेजें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कैलेण्डर वर्ष 1988 से 1988 (31-3-1988 तक) की अवधि में केरल में राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों/निगमों से राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 45 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 24 आवेदन स्वीकार किये जा चुके है और संबंधित उपक्रमों को आशय पत्र मंजूर कर दिये गये हैं। 20 आवेदन रद्द कर दिए गये हैं/निपटा दिए गये हैं और शेष एक आवेदन, जो मार्च, 1988 में प्राप्त हुआ है, अभी तक निपटाया नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली को किराये पर उठाना

[हिन्दी]

*816. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री खादी भवन, नई दिल्ली को आगे किराये पर उठाने के बारे में 11 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा रीगल बिल्डिंग के एक हिस्से जो खादी ग्रामोद्योग भवन ने खरीदा हुआ है, के एक किरायेदार को उसे आगे किसी अन्य किरायेदार को किराये पर देने की अनुमति दिये जाने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : सरकार ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से मामले की समीक्षा करने को कहा था। समीक्षा करने से यह पता लगा कि पट्टे की शर्तों एवं नियमों का उल्लंघन

हुआ है और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध बेदखल करने सम्बन्धी मुकदमे दायर किये हैं। ये मुकदमे अभी तक न्यायालय में लम्बित पड़े हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गर्म वर्दी के लिए कपड़ों की खरीद

[अनुवाद]

*819. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री एच० जी० रामुलु } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, देहरादून ने कर्मचारियों की गर्म वर्दी के कपड़ों की खरीद की प्रक्रियागत कार्य को विभाजित कर दिया है और अपने विभिन्न एककों को अपनी आवश्यकता के अनुसार निविदाएं आमंत्रित करने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय मानकीकृत विशिष्टताओं तथा मानदण्डों के अनुसार कामगारों के लिए वर्दियों/पोशाक सामग्री खरीदने के लिए प्राधिकृत किए गये हैं।

(ख) इससे समय पर सामग्री सप्लाई करने में सुविधा होगी।

पवन ऊर्जा के विकास के बारे में विचार गोष्ठी

*824. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1988 में नई दिल्ली में पवन ऊर्जा के विकास के बारे में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में किन मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या सरकार का इस विचार गोष्ठी में दिए गये सुझावों पर कोई कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) अमेरिका के एक विण्ड एनर्जी एसोसिएशन ट्रेड मिशन ने "संयुक्त राज्य विण्ड टेक्नोलोजिज" पर 16 फरवरी, 1988 को एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। मिशन ने संयुक्त राज्य में पवन विद्युत उद्योग के सिंहावलोकन पर प्रस्तुतीकरण दिये जिसमें संवर्द्धनात्मक नीति, कार्यान्वयन और विद्युत उत्पादन के लिए पवन फार्मों के विशेष संदर्भ में पवन टरबाइनों के तकनीकी निष्पादन पर उनका अनुभव भी सम्मिलित है। प्रस्तुत किए गये कागजातों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के केलिफोर्निया में पवन फार्मों में, 31-12-1987 तक पवन विद्युत जनित्रों से जुड़े हुए लगभग 170 0 ग्रिड पर आधारित, 1400 मेगावाट की पवन फार्म क्षमता स्थापित की गई। पवन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, संयुक्त राज्य

अमेरिका के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं पर तकनीकी सूचनाएं भी प्रस्तुत की गईं।

(ग) और (ख) इस विचार गोष्ठी में, कोई भी विशेष सुझाव या सिफारिशें नहीं की गईं। फिर भी उस कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जोकि सरकार ने देश में पवन ऊर्जा के दोहन के लिए प्रारंभ किया था, उनके अनुभवों से संबंधित सूचना को नोट कर लिया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पत्रकारों/संवाददाताओं को टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*825. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आजमगढ़ जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में पत्रकारों/संवाददाताओं की श्रेणी में आवेदकों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) अधिकृत पत्रकारों/संवाददाताओं से प्राप्त टेलीफोन कनेक्शनों की मांग नीचे लिखे अन्य आवेदकों के साथ नान—ओ वाई टी—विशेष वर्ग में पंजीकृत की जाती है।

(एक) मान्यता प्राप्त उपाधि अथवा डिप्लोमा धारक डाक्टर;

(दो) अर्हता प्राप्त नर्सें और पंजीकृत दाइयां;

(तीन) पंजीकृत समाचार पत्र, पत्र/पत्रिकाएं;

(चार) पंजीकृत समाचार एजेंसियां;

(पांच) अधिकृत प्रेस संवाददाता और प्रेस फोटोग्राफर;

(छः) सार्वजनिक संस्थान;

(सात) लघु उद्योग;

(आठ) सरकारी स्कूल और कालेज;

(नौ) स्वतन्त्रता सेनानी;

(दस) पंजीकृत और मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ;

(ग्यारह) कानूनी सहायता समितियां;

(बारह) विख्यात व्यक्ति? और

(तेरह) प्राकृतिक चिकित्सक और भौतिक चिकित्सक।

पत्रकारों/संवाददाताओं से प्राप्त टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। अतः प्रतीक्षा सूची में दर्ज ऐसी अर्जियों की संख्या की जानकारी देना संभव नहीं है। बहरहाल, इस समय आजमगढ़ जिले में नान—ओ वाई टी—विशेष वर्ग में कोई मांग निपटान के लिए बकाया नहीं है।

2. अधिकृत पत्रकारों/संवाददाताओं को एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध होने पर नान—ओ वाई टी—विशेष वर्ग की प्रतीक्षा सूची में उनकी बारी आने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। सामान्यत: अधिकांश एक्सचेंजों में 1990 तक नान—ओ वाई० टी—विशेष वर्ग की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को टेलीफोन सुलभ किए जाने की संभावना है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्य देशों में तेल की खोज

[अनुवाद]

*826. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अन्य देशों में तेल की खोज करने के लिए अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो विदेशों में तेल की खोज करने के सुझाव देने के क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशों में तेल की खोज का काम आरम्भ करने की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आमतौर पर तेल की खोज के लिए समय-समय पर अन्य सरकारों द्वारा आफर किए गए सम्भावी क्षेत्रों को देखता है। ऐसे उद्यमों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के भाग लेने का निर्णय निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है :—

(I) अन्य देशों में हमारी तेल की खोज की गतिविधियों में सफलता से उत्पादित तेल में से हमें हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा। उस सीमा तक जहां तक उत्पादन में हमारे हिस्से के रूप में हम इन देशों से तेल प्राप्त कर सकते हैं, हम कच्चे तेल के आयात को कम कर सकते हैं।

(II) विभिन्न तलछटी बेसिनों में अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शन से इस क्षेत्र में हमारी तकनीकी क्षमताओं को बनाने में सहयोग मिलेगा।

(III) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में भी इससे सहायता मिलेगी।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के अनुमोदन के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्ण रूप से सहायक कम्पनी हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड तथा वियेतनाम की राष्ट्रीय तेल कम्पनी पेट्रो वियेतनाम के बीच उत्पादन में हिस्सा बांटने के लिए बातचीत द्वारा की गई एक संविदा सरकार के विचाराधीन है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तंजानिया में तेल की खोज के एक प्रस्ताव की भी जांच कर रहा है।

लघु उद्योग यूनिटों को कार्बन फीड स्टाक दिया जाना

*827. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तेल निगम कार्बन फीड स्टाक का निर्माण कर रहे हैं जिसका उपयोग केवल भारी मात्रा में कार्बन ब्लैक का उत्पादन करने वाले बड़े यूनिटों द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) क्या सरकार का कार्बन ब्लैक से भिन्न उत्पादों का निर्माण करने वाली लघु यूनिटों को आयातित कच्चे माल के प्रतिस्थापन के रूप में यह फीड स्टाक देने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) इस समय कार्बन ब्लैक का निर्माण करने वाली एककें कार्बन ब्लैक फीड स्टाक का प्रयोग कर रही हैं। कार्बन ब्लैक के अतिरिक्त किसी अन्य उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करने का किसी भी लघु एकक का कोई प्रस्ताव नहीं है । अत: स्वदेशी उत्पादन में से इनकी मांग को पूरा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

कश्मीर के कवि के सम्मान में स्मारक टिकट

*828. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कश्मीर के महान कवि स्वर्गीय गुलाम अहमद महजूर, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान हिन्दू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया था, के सम्मान में स्मारक टिकट जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं;

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता।

भारतीय सीमेंट निगम को हुई हानि

*829. **श्री कमल नाथ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन निर्माण सामग्री परिषद के चेयरमैन एवं महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को भारतीय सीमेंट निगम को दिए गए ऋण के वापस भुगतान की अवधि बढ़ाने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय सीमेंट निगम को कितनी हानि हुई है; और

(घ) व्यय और वसूली में अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें, जो सरकार के विचाराधीन है, में अन्य बातों के साथ-साथ कर्जों के पुनर्भुगतान आस्थगन तथा ऋण-इक्विटी अनुपात को (:) करने हेतु कर्जों को इक्विटी में बदलना शामिल है।

(ग) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया को पिछले तीन वर्षों में हुआ शुद्ध घाटा निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये)
1985-86	12.36
1986-87	21.02
1987-88	34.45
	(अनन्तिम)

(घ) बेहतर क्षमता उपयोग करना, विपणन लागत को कम करना तथा बिक्री में सुधार करना, उठाये गये कदमों में शामिल हैं।

उड़ीसा में पुलिस विभाग द्वारा डाक सेवा के लिए कबूतरों का उपयोग

*830. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई डाक सेवा, तुरंत डाक सेवा तथा स्पीड पोस्ट सेवा के जमाने में, अभी भी उड़ीसा में पुलिस विभाग द्वारा डाक सेवा के लिए कबूतरों का उपयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी इस सेवा का उपयोग करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां। राज्य पुलिस विभाग उड़ीसा द्वारा डाक लाने-लेजाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) पोस्टमास्टर जनरल द्वारा एकत्र जानकारी से पता चला है कि यह उड़ीसा सरकार के पुलिस विभाग की एक आंतरिक सेवा है। यह सेवा पुलिस विभाग की डाक को राज्य के भीतर ढोने तक ही सीमित है और राज्य के दस चुनिन्दा केन्द्रों में ही उपलब्ध हैं। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेवा का उद्देश्य संदेश की विषय सामग्री को अति गुप्त और विश्वसनीय रखना है। यह सेवा पुलिस अधीक्षक, अपराध शाखा, कटक के अधीन है। पुलिस विभाग, उड़ीसा से और प्रमाणिक ब्यौरा मंगवाया गया है जिसे प्राप्त होने पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) कबूतरों के माध्यम वाली यह एक विशेष सेवा है जिसे उड़ीसा राज्य की पुलिस द्वारा अपनी आंतरिक डाक जरूरतों को पूरा करने के लिए चलाया जाता है। भारत सरकार के संचार मंत्रालय को इस सेवा से कोई सम्बन्ध नहीं है। संचार मंत्रालय, भारत द्वारा भारत के किसी अन्य राज्यों में ऐसी सेवा का इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में नारियल जटा उद्योग को अर्थक्षम बनाने की योजना

*832. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में नारियल जटा उद्योग को हो रही कठिनाइयों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान नारियल जटा उद्योग को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) भारत सरकार केरल के कयर उद्योग की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती रही है। सितम्बर, 1986 में सरकार ने गलान स्थल (रेटर्स साइट) पर एकल बिन्दु लेवी चालू की थी जिससे कि नारियल जटा सरकारी समितियों को पर्याप्त मात्रा में और नियमित मूल्यों पर मिलती रहे। उसी वर्ष कयर उद्योग के पुनरुत्थान हेतु केरल सरकार ने "केरल पुनर्वास और आधुनिकीकरण" नामक एक प्रस्ताव पेश किया था।

2. केरल सरकार द्वारा सुझाये गये विभिन्न उपायों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, जनवरी, 1987 में प्रधान मन्त्री ने अपनी केरल यात्रा के दौरान एक पैकेज कार्यक्रम घोषित किया जो कयर उद्योग के पुनर्वास हेतु तैयार किया गया था। उक्त पैकेज में सातवीं योजना अवधि के शेष भाग में कयर उत्पादों की बिक्री पर छूट की योजना का समय एक वर्ष में 10 दिन तक बढ़ाना और आदर्श कयर ग्राम योजना अधिक क्षेत्र में लागू करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, केरल सरकार के कहने पर नारियल जटा पर एकल बिन्दु लेवी योजना के स्थान पर मार्च, 1988 में तीन बिन्दु लेवी योजना रखी गई जिसमें खोपरा उत्पादक और जटा व्यापारी (हस्क डीलर) दो अतिरिक्त बिन्दु शामिल किये गये। राज्य सरकार ने अब बताया है कि यह संशोधित योजना 20 अप्रैल, 1988 से लागू हो गई है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सदस्य (वित्त) का पद भरा जाना

*833. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी उद्यम चयन बोर्ड द्वारा एक वर्ष पूर्व पैनल बनाये जाने के बावजूद तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सदस्य (वित्त) का पद नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त पद को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में सदस्य (वित्त) के पद के चयन के लिए सार्वजनिक उद्यमों के चयन बोर्ड (पी०ई०एस०बी०) द्वारा सिफारिश किए गए दो अधिकारियों में से एक के विरुद्ध चूंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी० बी० आई०) ने जांच का काम अपने हाथ में लिया था इसलिए यह निर्णय किया गया कि निर्णय लेने से पूर्व सी० बी० आई० की जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

सी० बी० आई० की रिपोर्ट ओ० एन० जी० सी० को जनवरी, 1988 के अन्त में प्राप्त हुई। आयोग द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने तथा अपनी सिफारिशें करने के बाद ही सदस्य (वित्त) की नियुक्ति के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

मिनी/माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं के लिए राज्यों से प्रस्ताव

*834. **श्री उत्तमभाई ह० पटेल**
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान मिनी तथा माइक्रो पनबिजली टरबाइन संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात तथा अन्य राज्यों से एवं गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र से योजनाएं, प्राक्कलन और प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गुजरात तथा अन्य राज्यों में ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए जिन्स के रूप में और धनराशि के रूप में कितनी सहायता दी जा रही है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों को इसके लिए कितनी सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में गुजरात राज्य बिजली बोर्ड सहित राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, राज्य प्राधिकारी 5 करोड़ रुपये से कम लागत वाली स्कीमों को राज्य क्षेत्र में आरम्भ कर सकते हैं और स्कीमों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति हेतु भेजने की आवश्यकता नहीं है। निजी क्षेत्र में माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जहां तक 5 करोड़ रुपये तथा अधिक की अनुमानित लागत वाली माइक्रो/मिनी/लघु स्कीमों का सम्बन्ध है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 40 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 6 स्कीमें स्वीकृत की गई हैं, 132 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 21 स्कीमों पर विचार किया जा रहा है और 21.5 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 5 स्कीमों की पुनरीक्षा की जा रही है अथवा उन्हें छोड़ दिया गया है। इसी अवधि में, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा 3.25 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 7 माइक्रो/मिनी स्कीमें स्वीकृत की गई हैं और 5.16 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 10 स्कीमों पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है। ग्राम विद्युतीकरण निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा क्रमशः 6 तथा 4 माइक्रो/मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा माइक्रो/मिनी स्कीमों के वैद्युत तथा यांत्रिक उपस्करों की लागत को पूरा करने हेतु कुल 128 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में 2 मेगावाट की पनाम मिनी जल विद्युत स्कीम सहित 4 माइक्रो/मिनी/लघु स्कीमें विदेशी सहायता के लिए प्रस्तुत की गई हैं।

तेल हेतु ड्रिलिंग कार्य के लिए मोबी साझा एफ० सी० कारपोरेशन द्वारा प्रयास

8352. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार तटवर्ती क्षेत्र में तेल हेतु ड्रिलिंग कार्य के लिए मोदी सान्ता एफ० सी० कारपोरेशन को आमंत्रित करने का है, जो इस कार्य को करने के लिए इच्छुक हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को तेल उत्पादन के क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति देने का कोई निर्णय लिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) सामान्य टेण्डर प्रक्रिया के आधार पर ओ० एन० जी० सी० द्वारा तटवर्ती ड्रिलिंग सेवाओं के लिए ठेके दिए जाते हैं, मैसर्स मोदी सान्ता एफ० ई० कारपोरेशन यदि इच्छुक हो तो ओ० एन० जी० सी० के टेण्डरों के लिए जब भी ये आमंत्रित किए जाएं आवेदन दे सकते हैं।

(ख) सरकार ने ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० को ठेके के आधार पर तेल क्षेत्र की सेवाओं को मुहैया कराने के लिए निजी क्षेत्र की कम्पनियों को अनुमति देती रही है।

पैकेजिंग उद्योग में प्रगति

8353. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "रेपिड ग्रोथ इन पैकेजिंग इन्डस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि केवल मात्र पैकेजिंग उद्योग के लिए "पाओप्रो" (पैकिंग और पैकेजिंग की सामग्री के बारे में जर्मन व्यापार मेला) का आयोजित किया जाना पैकेजिंग का एक विशेष विषय मानने की आवश्यकता का द्योतक है;

(ग) क्या पैकेजिंग की अत्यधिक मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो पैकेजिंग उद्योग किस सीमा तक सफल रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कृषि और उद्योग में वृद्धि के कारण परिष्कृत पैकेजिंग सामग्री की मांग बढ़ गई है। मैटल कन्टेनरों, बोतलों और प्लास्टिक कन्टेनरों को हल्का, सस्ता और अधिक किफायती पैकेजिंग बनाये जाने की मांग में बढ़ोतरी प्रतीत हो रही है।

(घ) उद्यमी उन्नत पैकेजिंग के विकास में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। तथापि, भारत में पैकेजिंग उद्योग का मूल्यांकन कर पाना अभी सम्भव नहीं है।

कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की मांग

8354. **श्री आर० एम० भोये** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की ढुलाई के लिए वैगनों की मांग का अनुमान कोयले के उत्पादन लक्ष्य के अनुसार तैयार किया जाता है और कोयले की ढुलाई में रेलवे का योगदान कितना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1986 और 1987 के दौरान कोयले की ढुलाई के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ग) उक्त वर्षों में कोयले की ढुलाई के लिए प्रति दिन कितने वैगनों की मांग की गई थी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के लिए निर्धारित रेल द्वारा कोयले के प्रेषण का लक्ष्य क्रमश: 115.20 मिलियन टन और 119.8 मिलियन टन था।

(ग) इन दो वर्षों के दौरान, कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा रेलवे को की गई दैनिक औसत पेशकश को नीचे दिया गया है :—

(चार पहिये वाले वैगनों में)

	को० इ० लि०	सि० को० कं० लि०	जोड़
1986-87	12006	1246	13252
1987-88	12272	1354	13626

आवश्यक और जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन

8355. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल औषधियों के उत्पादन की तुलना में आवश्यक औषधियों के उत्पादन की प्रतिशतता बहुत ही कम है और इससे आवश्यक तथा जीवन रक्षक औषधियों की कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988-89 के दौरान औषध उत्पादन, आयात तथा वितरण प्रणाली के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) औषधों की निरन्तर कमी नहीं रही है और जब कभी किसी की रिपोर्ट की गई वे स्थानीय प्रकृति की थी। उन मामलों में भी कुल मिलाकर समरूपी औषधें उपलब्ध थीं।

(ख) दिसम्बर, 1986 में घोषित भारत में भेषज उद्योग के युक्तिकरण, गुणवत्ता नियंत्रण और विकास के लिए नये उपायों का उद्देश्य भारत में औषधि निर्माण के ढांचे को युक्तियुक्त बनाना है।

कोयला उत्पादन के लिए प्रयोग की गई ऊर्जा तथा मानव शक्ति

8356. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति टन कोयले के उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली ऊर्जा और जनशक्ति विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अन्य विकसित देशों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) भारत में प्रति टन कोयला उत्पादन के लिए प्रयुक्त जनशक्ति विश्व में सबसे अधिक है। कोल इंडिया लि० में वर्ष 1987-88 के दौरान प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन लगभग 1.08 टन होने की प्रत्याशा है। वर्ष 1985 में कुछ

विकसित देशों की तुलना में यह प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन निम्नलिखित था :—

	(टन)
आस्ट्रेलिया	17.46
अमेरिका	16.85
पश्चिम जर्मनी	3.22
यू० के० (ब्रिटिश कोयला निगम)	2.72 (1985-86)

विश्व के अन्य देशों में ऊर्जा के उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु, यह समझा जाता है कि उन्नत देशों में प्रति टन कोयला उत्पादन पर ऊर्जा का उपभोग, अच्छे यंत्रीकरण को ध्यान में रखते हुए काफी अधिक होगा। भारत की कोयला खानों में तेल और विद्युत ऊर्जा दोनों का प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1987-88 के दौरान कोल इंडिया लि० की कोयला कम्पनियों में उपभोग में आई विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित है :—

कोल इंडिया लि० की सहायक कम्पनियां

1.	ई० को० लि०	(क) भू० ग० खानें	28 78 कि० वा० प्र० घं०/टन
		(ख) ओ० का० खानें	2.94 कि० वा० प्र० घं०/टन
2.	भा० को० को० लि०	25 27 कि० वा० प्र० घं०/ट०	(अधिकांश भू० ग० खानें)
3.	से० को० लि०	(क) 13.40 कि० वा० प्र० घं०/ट०	(भू० ग० खानों के लिए)
		(ख) 5.79 कि० वा० प्र० घं०/ट०	ओ० का० खानें
4.	ना० को० लि०	6.76 कि० वा० प्र० घं०/न०	ओ० का० खानें
5.	वे० को० लि०	14.37 कि० वा० प्र० घं०/ट०	
6.	सा० ई० को० लि०	11.00 कि० वा० प्र० घं०/ट०	
7.	ना० ई० को०	12.41 कि० वा० प्र० घं०/ट०	

(ग) प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन में सुधार के लिए प्रस्तावित कदमों में यह शामिल हैं :—

(1) विद्यमान खानों में खनन-कार्यों को युक्तिपूर्ण बनाना और जनशक्ति का विकास;

(2) नई उच्च उत्पादकता वाली (प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन लगभग 2 टन) यंत्रीकृत भूमिगत खानें खोलना;

(3) लगभग 15 टन प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन वाली नई ओपेनकास्ट खानें खोलना;

(4) भारी मिट्टी हटाने वाली मशीन तथा अन्य खनन मशीनों की उपलब्धता तथा उनके उपभोग में सुधार पर विशेष ध्यान।

उत्पादित प्रति टन कोयले पर ऊर्जा उपभोग को कम करने के लिए कोल इंडिया लि० में अनेक ऊर्जा संरक्षण उपायों की शुरूआत की गई है।

नैवेली लिग्नाइट परियोजना स्थल पर उपलब्ध पानी का सर्वेक्षण

8357. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी प्रदूषण नियंत्रण संगठन ने वर्ष 1987-88 के दौरान नैवेली लिग्नाइट परियोजना स्थल पर उपलब्ध पानी का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के साथ की गई संविदा के अनुसार मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स प्रत्येक महीने जल के नमूने लेती है और बिजली घर-I का मल निस्राव का विश्लेषण करती है। 1988 के दौरान मैसर्स रिचर्डसन एण्ड क्रूड्स ने खान-I विस्तार के लिए निर्मित की जा रही पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना के सम्बन्ध में खान-I विस्तार की मल-निस्राव एवं जल के नमूने का भी विश्लेषण किया था। अब तक, जनवरी, 1987 और मार्च, 1988 के बीच 15 मल-निस्राव के नमूनों को एकत्रित किया गया और उनकी जांच की गई। चूंकि इन जांचों के परिणाम यह दर्शाते हैं कि नमूनों के संयोजक तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही हैं, अतः इस सम्बन्ध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

कर्नाटक में खाना पकाने की गैस की सुविधा

8358. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कितने तथा कौन-कौन से नगरों और शहरों में अब तक खाना पकाने की गैस की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है; और

(ख) आगामी दो वर्षों के दौरान कितने नगरों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) इस समय कर्नाटक के 105 शहरों और नगरों में एल० पी० जी० की सुविधा है। उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त 1987-88 की एल० पी० जी० की विपणन योजना तक तेल कम्पनियों द्वारा कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर 29 और एल० पी० जी० वितरणशिपें स्थापित करने की योजना है। क्योंकि एल० पी० जी० वितरणशिप को वास्तव में चालू करने से पूर्व विभिन्न प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ती है, इसलिए यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ये वितरणशिपें चालू हो जाएंगी।

विवरण

कर्नाटक के उन शहरों/कस्बों के नाम जहां 31-3-1988 को एल० पी० जी० सुविधा उपलब्ध थी।

1. बंगलौर
2. कोलार
3. कोलार जी० एफ०
4. मैसूर
5. उदीपी
6. तुमकुर
7. मेरकारा
8. दावणगेरे
9. रैचुर
10. बौलारी
11. मंगलौर
12. बद्रावथी
13. हरीहर
14. हुटी (आर)
15. दोनीमलाई (आर)
16. बेलगांम
17. समबरा (आर)
18. कूनदापुर
19. तिपतुर
20. बिदर
21. सिनदानुर
22 भतकल
23. शाहाबाद
24. लक्ष्मेश्वर
25. गुलबर्गा
26. कुमता
27. कुरकुंता (आर)
28. हुनसुर
29. छल्लाकोर
30. छिकोदी
31. नरगुंद
32. शाहपुर
33. कित्तूर
34. बेलहोंगल
35. हरपन्नाहली
36. शोरापुर
37. सावानुर
38. चित्तापुर/बेदी
टीपी/बेदी —एसीसी
39. गुलेडगुद
40. कुदची/उगंखुर्द
41. कुर्दमुख (आर)
42. अनेकल
43. अरसीकेर
44. बेंतवल
45. बीजापुर
46. चमाराजनगर
47. चिकबालपुर
48. चित्रादुर्गा

49. डनदेली
50. दोडाबालापुर
51. गदाग
52. गुंदलुपुट
53. हसन
54. हीरीयुर
55. होसपेट
56. हुबली/धारवार
57. जमखंदी
58. करवर
59. कोपल
60. मन्ड्या
61. मनवी
62. नीपानी
63. रबकावी-बनहाती
64. शंकेश्वर
65. सीमोगो
66. सिरसी
67. मनीपाल
68. मुदबिदरी
69. करकाला
70. उल्लाल
71. सूरथकाल
72. होलेनर्सीपुर
73. पुत्तुर
74. सागर
75. चिकमागूलर
76. कदूर
77. श्रिंगहसाली
78. कृष्णाराजनगर
79. द्विनगापटना
80. नंजनगुड
81. किलागल
82. चन्नापटना
83. होसकिटे
84. गौरीबिदनौर
85. बंगरपेट
86. रोबरतसोनपेट
87. रामनगररम
88. कनगेरी
89. विजयापुरा
90. गंगावती
91. संदूर
92. बिदर
93. निपम
94. बगलकेट
95. ननगद
96. रामदुर्ग
97. अलकल
98. चोकक
99. घटाप्रभा
100. अथानी
101. हवेरी
102. धरवाद
103. रनेबेनूर
104. यादगीर
105. तारीकेरी

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पाइपों, फिटिंग और हैवी ड्यूटी वाल्वों का आयात

8359. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे और निकल के दाम बढ़ जाने के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को विदेशों से विभिन्न प्रकार के पाइपों, फिटिंगों और हैवी ड्यूटी वाल्वों को आयात करने के लिए बढ़े हुए मूल्यों पर भुगतान करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो बढ़े हुए, मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान उपर्युक्त सामग्रियों के आयात पर कुल कितना व्यय किया गया और इन्हें किन-किन स्रोतों अथवा देशों से आयात किया गया; और

(घ) उक्त सामग्रियों के अगले वर्षों के दौरान किए जाने वाले आयात का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

ट्रैक्टरों का निर्माण

8360. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ट्रैक्टरों का निर्माण कौन सी कम्पनियां कर रही हैं और प्रति वर्ष प्रत्येक कम्पनी कितने ट्रैक्टरों का निर्माण करती है;

(ख) क्या सरकार को कुछ कम्पनियों के ट्रैक्टरों में निर्माण सम्बन्धी दोषों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको बेचने से पहले इन ट्रैक्टरों की पूरी जांच करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह सच है कि ट्रैक्टरों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान कितने ट्रैक्टरों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे ट्रैक्टरों के विशिष्ट माडलों में विनिर्माण सम्बन्धी खराबी होने की कोई विशिष्ट शिकायत सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है। तथापि जिला भटिंडा (पंजाब) के श्री सरदूल सिंह ने एक ट्रैक्टर के बारे में शिकायत भेजी है जो उन्होंने मै० आयशर ट्रैक्टर्स लि० से खरीदा था। मामले की जांच की गई है तथा आरोप असत्य पाये गये हैं।

(ग) सभी ट्रैक्टर निर्माताओं के पास ट्रैक्टरों का परीक्षण करने की सुस्थापित सुविधाएं हैं। प्रमुख निर्माताओं के पास अनुसंधान और विकास केन्द्र हैं जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से मान्यता प्राप्त है। वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पूर्व ट्रैक्टरों के नए माडलों के आद्यरूपों की सैंट्रल

फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टैस्टिंग इन्स्टिट्यूट, बुदनी में जांच की जाती है। उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बन रहे ट्रैक्टरों की परीक्षण संस्थान, बुदनी में पारी (बैच) जांच भी की जाती है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1987-88 के लिए निर्यात के पूर्ण आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर्स लि०, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०, पंजाब ट्रैक्टर्स लि०, ने वर्ष 1987-88 के दौरान कुल 87 ट्रैक्टरों का निर्यात किया बताया है। इन कम्पनियों ने इसी अवधि के दौरान लगभग 26.60 लाख रु० मूल्य के ट्रैक्टर पुर्जों व सामानों का निर्यात बढ़ाने की सूचना भी दी है। ये निर्यात अंगोला, मोजाम्बिक, नेपाल, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, घाना, अफगानिस्तान, मारीशस और आयवरी कॉस्ट देशों को किए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	उत्पादन (ट्रैक्टरों की संख्या)		
		1984-85	1985-86	1986-87
1	2	3	4	5
1.	मै० आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	450	400	294
2.	मै० आयशर गुडअर्थ लिमिटेड	8403	7800	9541
3.	मै० आयशर फार्म मशीनरी लि०	4306	3621	1189
4.	मै० आयशर डिजल लि०	703	589	शून्य
5.	मै० कपोला फार्म इक्विपमेंट लि०	—	—	1194
6.	मै० एस्कोर्ट्स लि०	12452	10890	10152
7.	मै० एस्कोर्ट्स ट्रैक्टर्स लि०	8418	6276	6610
8.	मै० गुजरात ट्रैक्टर्स लि०	1384	785	590
9.	मै० हर्षा ट्रैक्टर्स लि०	126	96	32
10.	मै० एच० एम० टी० लि०	12501	13626	14625
11.	मै० बिहार स्टेट एग्रो इंड० डेव० कारपोरेशन	6	30	शून्य
12.	मै० किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स लि० (ट्रैक्टर डिवीजन)	1681	781	119
13.	मै० महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० (ट्रैक्टर डिवीजन)	16195	14185	15369
14.	मै० पिटी ट्रैक्टर्स लि०	—	—	—

1	2	3	4	5
15.	मै० प्रताप स्टील रोलिंग मिल्स	141	153	367
16.	मै० पंजाब ट्रैक्टर्स लि०	8199	7229	8734
17.	मै० यूनाइटिड आटो ट्रैक्टर्स लि०	—	—	7
18.	मै० ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लि०	10001	9001	11187
19.	मै० वी० एस० टी० टिल्लर्स ट्रैक्टर्स लि०	—	—	463
	योग	84965	75462	80473

टायरों के मूल्य

8361. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में टायर के मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्योग के विभिन्न पहलुओं, जिनमें टायरों के मूल्य भी शामिल हैं, की जांच करने के लिए कोई तकनीकी समिति नियुक्त की गई थी;

(ग) क्या उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, यदि हां, तो उससे सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) टायरों की कीमतों तथा वितरण पर कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। खुदरा बाजार में टायरों की कीमतों में विभिन्नता है। उत्पाद विनिर्देश को युक्ति संगत बनाने, कच्चे माल के मानकीकरण की सिफारिश करने के लिए मई, 1984 में उद्योग मन्त्रालय द्वारा मोटरगाड़ी के टायरों तथा ट्यूबों के लिए एक समिति गठित की गई थी। टायरों की कीमतों की जांच करना समिति के विचारार्थ विषयों में नहीं था। समिति की रिपोर्ट में इसके विचारार्थ विषयों से सम्बद्ध कई सिफारिशें की गई हैं। समिति की सिफारिशों के अनुसार उपभोक्ताओं के हित संरक्षण के लिए आकार, प्रकार तथा विनिर्माण की तिथि इत्यादि जैसी आवश्यक सूचना को पहले से ही टायरों पर अंकित किया जा रहा है। विनिर्माताओं को स्थायी तौर पर टायरों पर अधिकतम खुदरा मूल्य का लेबल लगाने की भी सलाह दी गई है। टायरों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार निर्माताओं से नियमित सम्पर्क बनाए हुए है। सरकार ने उपभोक्ताओं की स्वीकृत श्रेणियों द्वारा सीमा शुल्क की कम की गई दर पर विशिष्ट बस तथा ट्रक टायरों के आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत अनुमति देने का भी निर्णय लिया है।

सीमेंट उद्योग की विकास दर

8362. **डा० बी० एल० झंझेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के कार्य निष्पादन

पर किये गये अध्ययन के अनुसार सीमेंट की तरह के कुछ उद्योगों की विकास दर वर्ष 1986-87 के दौरान घटी है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके विकास दर में कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) उनके विकास दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 581 बड़ी गैर-वित्तीय, गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों का अध्ययन किया है। ब्यौरे संलग्न **विवरण** में दिए गए हैं।

औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक के अनुसार औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 1985-86 में 8.7 प्रतिशत तथा 1984-85 में 8.6 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 के दौरान 9.1 प्रतिशत उच्चतर थी। सीमेंट उद्योग के मामले में विकास दर 1985-86 में 9.5 प्रतिशत की तुलना में 1986-87 के दौरान 10.6 प्रतिशत थी।

विवरण

वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के दौरान चुनिंदा उद्योग समूहों में उत्पादन का मूल्य

उद्योग/उद्योग समूह	उत्पादन का मूल्य		
	1984-85	1985-86	1986-87 (लाख रु०)
1 2	3	4	5
1. चाय रोपण	570,77	597,00	498,17
2. चीनी	367,26	409,41	451,79
3. तम्बाकू	449,63	555,96	590,27
4. सूती वस्त्र	2459,67	2834,74	3251,19
5. रेशम व रेयान वस्त्र	472,85	608,48	584,24
6. एल्युमिनियम	416,83	435,03	463,80
7. इंजीनियरी	8186,11	9579,02	10608,44
1. मोटर वाहन	2869,47	3321,91	3614,18
2. वैद्युत मशीनी यंत्र, उपकरण आदि	1907,76	2162,34	2412,75
3. परिवहन व वैद्युत के अतिरिक्त मशीनें	2101,47	2409,52	2641,66

1	2	3	4	5
	4. ढलाईघर तथा इंजीनियरी वर्कशाप	558,07	730,12	951,43
	5. लौह/अलौह धातु उत्पाद	575,44	724,84	787,00
8.	रसायन	5823,06	6867,97	7302,17
	1. आधारभूत औद्योगिक रसायन	3423,25	4043,51	4145,74
	(जिसमें से रसायन उर्वरक)	(1244,73)	(1504,67)	(1373,49)
	2. औषधियां तथा भेषजीय प्रिप्रेशन्ज	957,52	1178,87	1285,58
9.	सीमेंट	1267,64	1452,83	1515,29
10.	रबड़ व रबड़ उत्पाद	1174,26	1306,03	1449,30
11.	कागज तथा कागज से बनी वस्तुएं	7 2,44	954,89	1013,41
12.	विद्युत जनित्र व आपूर्ति	887,99	1043,16	1221,12
13.	व्यापारिक	427,84	464,22	525,62
14.	पोत परिवहन	309,38	362,71	376,87
	योग (अन्य सहित)	29971,76	34848,94	37656,30

टिप्पणी : चाय रोपण उद्योग में चाय संसाधन कंपनियां शामिल नहीं हैं।

बिजली के उत्पादन के लिए अपनाई गई प्रणालियां

8363. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के उत्पादन के लिए अपनाई जा रही विभिन्न प्रणालियों और प्रत्येक प्रणाली से हो रहे बिजली के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विभिन्न तकनीकों से बिजली का उत्पादन करने सम्बन्धी कार्यक्रमों पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनमें क्या उपलब्धियां हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) देश में इस समय विद्युत उत्पादन के मुख्य स्रोत ताप विद्युत, जल विद्युत तथा न्यूक्लीय विद्युत हैं। वर्ष

1987-88 के दौरान इन स्रोतों से उत्पन्न की गई विद्युत निम्नानुसार थी :

ताप विद्युत (मि०यू)	—	149350
न्यूक्लीय विद्युत (मि०यू०)	—	5029
जल विद्युत (मि०यू०)	—	47374

इसके अतिरिक्त सौर तापीय, सौर फोटोवाल्टिक, गोबर गैस, वायु आदि जैसे अन्य विभिन्न अपारम्परिक स्रोतों से भी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि समग्र देश में प्रतिष्ठापित किए गये विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत साधनों से अधिकांशतः सौर, वायु तथा गोबर गैस स्रोतों से 10 मिलियन यूनिट से अधिक विद्युत का उत्पादन किया गया। इसके अलावा अब तक प्रतिष्ठापित किए गये सौर तापीय साधनों से प्रतिवर्ष 200 मिलियन यूनिट से अधिक तापीय ऊर्जा के उत्पादन की आशा की जाती है।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन के लिए विभिन्न अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया गया है और/अथवा प्रायोगिक प्रदर्शन/अनुसंधान व विकास के चरणों में हैं, जिनमें सौर तापीय, सौर फोटोपोलटाइक, पवन फार्म, गोबर गैस पर आधारित गैसीफायर्स, भू-तापीय, रसायन स्रोत, महासागरीय ऊर्जा आदि शामिल हैं तथा इनके सम्बन्ध में भारतीय वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों द्वारा कार्य किया जा रहा है।

विद्युत स्टेशनों और गैस टरबाईनों को कोयला और ईंधन की सप्लाई

8364. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले ग्रीष्म विद्युत स्टेशनों और गैस टर्बाइनों को पर्याप्त मात्रा में कोयले और ईंधन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) कोयला विभाग की स्थाई लिंकेज समिति जो कि त्रैमासिक आधार पर कोयला लिंकेज के बारे में निर्णय लेने हेतु प्रत्येक तिमाही में बैठक का आयोजन करती है, इसकी बैठक 23-3-1988 को हुई थी जिसमें विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों के लिए अप्रैल से जून, 1988 की तिमाही हेतु कोयला लिंकेज के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया था। गैस टर्बाइनों तथा विद्युत केन्द्रों के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम ईंधन की सप्लाई की जाती रहेगी।

आकाशवाणी केन्द्र पणजी में रिक्त पदों को भरना

8365. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी, पणजी में पिछले तीन महीनों के दौरान कितने रिक्त पद भरे गये;

(ख) श्रेणीवार कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ग) रिक्त पदों को भरने में विलंब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी, पणजी में पिछले तीन मास के दौरान 6 रिक्त पदों को भरा गया।

(ख) रिक्त पदों की श्रेणी-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इस विवरण में पिछले तीन मास के दौरान हुई नई रिक्तियों को भी शामिल किया गया है।

(ग) रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिये सम्मिलित प्रयास किये जाते हैं। तथापि, कुछ पद संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग आदि के माध्यम से उम्मीदवारों के चयन में लगने वाले समय, मृत्यु/त्यागपत्र/स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप अप्रत्याशित रिक्तियों और चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा जांच जैसी प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने में लगने वाले समय जैसे विभिन्न कारणों से खाली रहते हैं।

विवरण

आकाशवाणी, पणजी में रिक्ति की स्थिति

क्रम संख्या	पद का नाम	15-4-1988 के दिन की स्थिति के अनुसार रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	सहायक केन्द्र निदेशक	1
2.	सम्पादक (स्क्रिप्ट)	1
3.	कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव	2
4.	निर्माता (पाश्चात्य संगीत)	1
5.	विस्तार अधिकारी	1
6.	हिन्दी अधिकारी	1
7.	कनिष्ठ इंजीनियरी सहायक	1
8.	क्षेत्रीय रिपोर्टर	—
9.	प्रेषण एक्जीक्यूटिव	8
10.	इंजीनियरी सहायक	3
11.	हिन्दी अनुवादक	1
12.	तकनीशियन	1
13.	कनिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष	1
14.	लिपिक ग्रेड-2	2
15.	मोटर ड्राइवर	2
16.	सुरक्षा गार्ड	4

1	2	3
17.	माली	1
18.	उद्घोषक (कनिष्क)	1
19.	वादक	5
	कुल	37

सुपर ताप विद्युत परियोजना का पूरा होना

8366. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान अब तक कितनी सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं पूरी हुई हैं;

(ख) इन परियोजनाओं से किन-किन स्थानों को लाभ मिलेगा;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जाने वाली शेष परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी सुपर ताप परियोजनाओं को कार्यक्रम के अनुसार आरम्भ किया जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) और पश्चिम बंगाल में फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (600 मेगावाट) पूरी की जा चुकी हैं। क्षेत्रीय केन्द्र होने के कारण, इन परियोजनाओं से सम्बन्धित क्षेत्र के राज्यों को लाभ प्राप्त होगा।

कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मेगावाट), विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (1260 मेगावाट) और हिन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (1000 मेगावाट) को सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान पूरा किए जाने की सम्भावना है। कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में आरम्भ में कुछ विलम्ब हुआ था जिसकी प्रथम यूनिट को अक्तूबर, 1987 में समकालित किया जा चुका है। रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में विलम्ब, परियोजना के प्रबन्ध सम्बन्धी संसाधनों को जुटाने और मैसर्ज नार्दन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज, ब्रिटेन द्वारा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग कार्यों में अधिक समय लगने के कारण हुआ है।

धुलेश्वरी जल विद्युत परियोजना मिजोरम की परियोजना रिपोर्ट

8367. **श्री सुदर्शन दास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम राज्य में धुलेश्वरी जल विद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट पूरी

हो गई है तथा प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे योजना आयोग द्वारा कब मंजूर किया गया था;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत की भारी कमी होने के बावजूद इस परियोजना के अब तक शुरू न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजना का निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई थी। तथापि, परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। इसे पर्यावरण तथा वन सम्बन्धी दृष्टि से भी स्वीकृति दी जानी है। इसके पश्चात् ही निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाएगा।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न और पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

8368. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोलिस्टर फिलामेंट यार्न और पोलिस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं तथा उनकी लाइसेंस क्षमता क्या है और उनमें कितना उत्पादन हो रहा है;

(ख) क्या इनमें से किसी कम्पनी का उत्पादन वर्ष 1984, 1985, 1986 और 1987 के दौरान लाइसेंस क्षमता से अधिक हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या लाइसेंस क्षमता में अधिक उत्पादन करने तथा अतिरिक्त उपकरण स्थापित करने अथवा अन्य बातों के बारे में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है और इस जांच के क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पंजाब को डीजल का आबंटन

8369. **श्री कमल चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के दौरान सूखे की स्थिति के कारण पंजाब को डीजल के आबंटन में वृद्धि के लिए कोई मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में कृषि क्षेत्र के लिए डीजल की आवश्यकताएं पूरी करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) पंजाब सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डीजल (एच० एस० डी०) का ऐसा आबंटन करने की कोई प्रणाली नहीं है। यह उत्पाद मुक्त बिक्री के आधार पर उपलब्ध है और तेल कम्पनियों को इस बात

के अनुदेश हैं कि वे जहां तक सम्भव हो इसकी सारी मांग पूरी करें।

उपरोक्त के बावजूद देश के विशेषकर उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र जिनमें पंजाब का कृषि क्षेत्र भी शामिल है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एच० एस० डी० की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए रेल उद्योग ने अनेक कदम उठाए हैं अर्थात्, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एच० एस० डी० की सप्लाई पर सूक्ष्म निगरानी रखना, पेट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम आवागमन के लिए रेलवे के साथ निकट संपर्क बनाए रखना, भण्डारों का बनाना आदि।

राजस्थान और गुजरात में सार्वजनिक टेलीफोन

8370. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1988-89 के दौरान दूरसंचार संबंधी प्रौद्योगिकीय मिशन के अन्तर्गत राजस्थान और गुजरात में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : जी हां।

एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष अचल सम्पत्ति से संबंधित मामले

8371. **श्री केशवराव पारधी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत भारी संख्या में अचल सम्पत्ति से संबंधित मामले/आवेदन पत्र न्याय निर्णयन हेतु प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 से वर्ष-वार ऐसे कितने मामले/आवेदन पत्र दायर किये गये, न्याय-निर्णयन हेतु स्वीकार किये गये तथा प्रारम्भिक चरण पर ही रद्द कर दिये गये;

(ग) आयोग द्वारा वर्ष-वार कितने मामलों को निपटाया गया; और

(घ) निपटान हेतु आज तक लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अभी तक इस प्रका के 19 मामलों में जांचें संस्थित की है। इन मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	पार्टी का नाम	वर्ष जिसमें जांच संस्थित की गई थी	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	डालमिया रिसोर्ट्स इन्टरनेशनल, नई दिल्ली	1987	निपटा दिया गया

1	2	3	4
2.	यूनाइटिड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, बम्बई	1987	कार्यवाहियां चल रही हैं
3.	जैना आपर्टमैन्ट्स, नई दिल्ली	1987	—यथोपरि—
4.	राजेन्द्राज प्रोपर्टीज इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	1987	—यथोपरि—
5.	नाहिदेव हाउसिंग प्रा० लि०, नई दिल्ली	1987	—यथोपरि—
6.	एम० एस० रिसोर्ट्स लि०, नई दिल्ली	1987	निपटा दिया गया
7.	राज सुधा टावर्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	1987	कार्यवाहियां चल रही हैं
8.	जे० के० कंस्ट्रक्शन कम्पनी, नई दिल्ली	1987	—यथोपरि—
9.	अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्डस्ट्रीयल, प्रा० लि०, नई दिल्ली	1987	—यथोपरि
10.	अंसल रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स लि०, नई दिल्ली	1987	निपटा दिया गया
11.	राजेन्द्राज प्रोप० एन्ड इन्डस्ट्रीज, नई दिल्ली	1988	कार्यवाहियां चल रही हैं
12.	स्कीपर सेल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	1988	—यथोपरि—
13.	स्कीपर सेल्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	1988	—यथोपरि—
14.	मनजोग विल्डर्स, बंगलौर	1987	निपटा दिया गया
15.	डी० एल० एफ० यूनिवर्सल लि० नई दिल्ली	1988	कार्यवाहियां चल रही हैं
16.	यूटीलिटी बिल्डर्स एन्ड लीजिंग, इंडिया, लिमिटेड, नई दिल्ली	1988	—यथोपरि—
17.	यूनिटेक लि० नई दिल्ली	1988	—यथोपरि—
18.	अलकनन्दा प्रोपर्टीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	1987	निपटा दिया गया
19.	महामाया बिल्डर्स (दिल्ली) प्रा० लि०, नई दिल्ली	1988	कार्यवाहियां चल रही हैं

डाक और दूरसंचार विभागों में वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान

[हिन्दी]

8372. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा नीति को लागू करने के लिए चौथे वेतन आयोग द्वारा सहायक निर्देशक (हिन्दी अधिकारी) वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक आदि के लिए सिफारिश किये गये वेतनमानों का ब्यौरा

क्या है और क्या ये सिफारिशें डाक/दूरसंचार विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन वेतनमानों को किस तारीख से लागू किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों आदि को भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों के समान रु० 1640-2900 के वेतनमान तथा अन्य वेतनमान किस तारीख तक दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) हिन्दी अधिकारी, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और अनुवादक ग्रेड-II और ग्रेड-III के लिए क्रमश: 650-1200, 550-800, 425-640 और 330-560 रु० के पुराने वेतनमानों के स्थान पर चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा 2000-3500 रु०, 1600-2660 रु० और 1400-2300 रु० के और 1200-2040 रु० के वेतनमानों की सिफारिश की गई है। ये वेतनमान 1-1-1986 से लागू हो गये हैं।

(ग) वेतन आयोग द्वारा 1640-2900 रु० और 1400-2600 रु० के वेतनमानों की सिफारिश क्रमश:, उन वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों और कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों के लिए की हैं जो केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सदस्य हैं। ये वेतनमान डाक और दूरसंचार विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों में इन पदों पर लागू नहीं होते हैं।

फरक्का में सुपर ताप बिजलीघर के लिए भूमि

[अनुवाद]

8373. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद जिले में फरक्का में सुपर ताप बिजलीघर के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कितनी भूमि का अधिग्रहण करना पड़ा था;

(ख) भूमि अधिग्रहण से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं;

(ग) क्या भूमि से हटाये गये परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को उक्त ताप बिजलीघर में रोजगार देने में वरीयता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो भूमि से हटाये गये कितने लोगों को पहले ही रोजगार दे दिया गया है; और

(ङ) भूमि से हटाए गए शेष लोगों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मेगावाट) की कुल क्षमता के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को मुर्शिदाबाद जिले में कुल 3543 एकड़ भूमि की आवश्यकता है, जिसमें से 2517 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है। बेदखल व्यक्तियों की संख्या लगभग आठ हजार है।

(ग) से (ङ) सभी बेदखल व्यक्तियों को उनकी भूमि अथवा सम्पत्ति के लिए उन्हें देय प्रतिपूरक राशि का भुगतान किया जाता है और निगम की नीति के अनुसार, उन्हें रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है बशर्ते वे अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हों। अब तक, पश्चिम बंगाल के कुल 294 बेदखल व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। विभिन्न पदों से संबंधित अपेक्षाएं तकनीकी प्रकार की होने के कारण अकुशल व्यक्तियों को नियुक्त किये जाने की सम्भावनाएं सीमित हैं।

हिमाचल प्रदेश के सब-डिवीजनों में टेलीफोन सेवा

8374. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक सब-डिवीजन में अक्तूबर—दिसम्बर, 1987 में दूरसंचार सेवाएं विशेषकर टेलीफोन सेवाओं के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई रिकार्ड तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सब-डिवीजन में इन तीन महीनों में एक दिन में लगातार तीन घंटे से अधिक समय तक अथवा थोड़ी-थोड़ी देर बाद कौन-कौन से एक्सचेंज खराब होते रहे हैं;

(ग) प्रत्येक सब-डिवीजन में इन तीन महीनों में प्रत्येक में एक दिन में लगातार अथवा थोड़ी-थोड़ी देर के लिए बारह घंटे तक खराब रहने वाले एल० डी० पी० टी० कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या उनकी सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु कोई उपाय किये गये हैं, और उनका स्वरूप क्या है;

(ङ) क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी ने भी इस रिकार्ड की जांच की है अथवा अचानक कोई जांच की है; और

(च) यदि नहीं, तो भविष्य में ऐसी कोई जांच की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) तीन घंटे से ज्यादा देर तक लगातार खराब रहे टेलीफोन एक्सचेंज के नाम ये हैं :—

(1) बग्गी, (2) बागसइड, (3) अल्लाप्पेर, (4) बरमना, (5) लेहरीसराय, (6) बारा, (7) स्वारघट, (8) कुहेरा, (9) बरथीन, (10) जनडेटा।

(ग) एक ही समय में 12 घंटे तक खराब रहे लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के नाम ये हैं :—

(1) चबूतरा, (2) डाघ, (3) मोलाग

(घ) खराबियों का पता लगते ही उन्हें ठीक कर दिया जाता है।

(ङ) उप-मण्डलीय अधिकारी और दूरसंचार जिला इंजीनियर के स्तर पर उनके दौरों के दौरान रिकार्ड की जांच की जाती है।

(च) उपर्युक्त (ङ) पर दिए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चमड़े का आयात और निर्यात

8375. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री प्रति व्यक्ति जूतों की खपत और उत्पादन के बारे में 15 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय जूतों के उत्पादन का स्तर क्या है और इसका संगठित तथा असंगठित क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिए इसके संगठित तथा असंगठित क्षेत्रवार उत्पादन लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि चमड़े और सिंथेटिक जूतों का निर्यात अथवा आयात किया जाता है, तो प्रति वर्ष औसतन कितना निर्यात अथवा आयात किया जाता है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार सैंडलों और चप्पलों सहित चमड़े के 3780 लाख जूतों के जोड़ों के कुल उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। 1987 में संगठित क्षेत्र में 157.5 लाख जोड़ों का उत्पादन हुआ था। संगठित क्षेत्र में 1988-89 के लिए लगभग 260 लाख जोड़ों का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 1986-87 में 80.38 करोड़ रुपये मूल्य के चमड़े के जूतों का निर्यात किया गया था। संगठित क्षेत्र में 1986-87 के दौरान 425.8 लाख रबड़ और कपड़े के जूतों के जोड़ों का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1988-89 के लिए 540 लाख जोड़ों का उत्पादन लक्ष्य है। रबड़ और कपड़े के जूतों का कोई आयात नहीं किया गया था। 1986-87 के दौरान 0.57 करोड़ रुपये मूल्य के रबड़ के जूते और 4.93 करोड़ रुपये मूल्य के रबड़ सोल सहित कपड़े के जूतों का निर्यात किया गया था।

पारादीप में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना

8376. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1988-89 में उड़ीसा में पारादीप में एक पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत कितनी है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सरकार और बैंकों की रुग्ण उद्योगों पर बकाया राशि

8377. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में क्षेत्रवार कितने रुग्ण उद्योग हैं और इन रुग्ण उद्योगों पर बैंकों तथा सरकार की कितनी धनराशि बकाया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्णता की स्वीकृत परिभाषा के अनुसार एकत्र किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार क्षेत्रवार रुग्ण उद्योगों की संख्या और दिसम्बर, 1986 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार इन उद्योगों में बकाया राशि नीचे दी गई है :—

	इकाइयों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
बड़े	714	3287.02
मझौले	1250	281.37
लघु उद्योग	145776	1306.10
कुल :	147740	4874.49

बंगलौर दूरदर्शन स्टूडियो को अयन्त्र ले जाना

8378. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन स्टूडियो को इसके नये परिसर में ले जाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या विश्वेश्वरैया दूरदर्शन टावर स्थित कार्यालय भी वहीं रखा गया है; और

(घ) क्या नगर में विभिन्न स्थानों से नये स्टूडियो को प्रेस विज्ञप्तियां, पत्र आदि भेजने के लिए विशिष्ट व्यक्तियों तथा संगठनों हेतु कोई व्यवस्था की गई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के स्थाई टी० वी० स्टूडियो परिसर के बंगलौर के स्वाई लाइन्स में 1-2-1988 को चालू हो जाने पर, विश्वेश्वरैया टावर के स्थान के भाग को जो अन्तरिम व्यवस्था के अन्तर्गत दूरदर्शन के कब्जे में था, खाली कर दिया गया है और स्थान के बचे भाग को भी खाली करने का निर्णय लिया गया है।

(घ) बंगलौर में स्वाई लाइन्स में स्थाई टी० वी० स्टूडियो परिसर शहर के बीच में स्थित है, अतः शहर के विभिन्न भागों से परिसर में प्रेस रिलीजों, पत्रों, इत्यादि को सीधे भेजना कठिन नहीं है।

भारी अर्थ मूविंग उपकरणों के निर्माण के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, लारसन एण्ड टुब्रो लिमिटेड और हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को दिये गये लाइसेन्स

8379. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी अर्थ मूविंग उपकरणों के निर्माण के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, लारसन एण्ड टुब्रो लिमिटेड और हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड को कितनी क्षमता के लिए लाइसेन्स दिए गए तथा उन्होंने इस क्षमता को कितने वर्षों तक अप्रयुक्त रखा;

(ख) इन्होंने कितने वर्षों तक इस लाइसेंस प्राप्त क्षमता से कम निर्माण किया;

(ग) यदि देश में इस लाइसेंस प्राप्त क्षमता के अनुसार वास्तव में निर्माण किया जाता, तो कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होती; और

(घ) इन उपकरणों के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मिट्टी हटाने के (अर्थ मूविंग) उपकरणों के उत्पादनार्थ भारत अर्थ मूवर्स लि०, लार्सन एण्ड टुब्रो लि० तथा हिन्दुस्तान मोटर्स को मंजूर की गई कुल लासेंसीकृत क्षमता निम्नांकित है :—

भारत अर्थ मूवर्स लि०	—	2503 नग प्र० वर्ष
लार्सन एण्ड टुब्रो लि०	—	287 नग प्र० वर्ष
हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	—	775 नग प्र० वर्ष

(ख) उनका पिछले चार वर्षों में उत्पादन निम्नलिखित रहा :—

	84-85	85-86	86-87	87-88 (अनुमानित)
भा० अ० मू० लि०	998	922	10.4	942
हि० मो० लि०	329	340	332	270
ला० एण्ड टु०	75	125	147	176

(क्योंकि उत्पादन का रुख बृहत्तर क्षमता के उपकरणों की ओर है इसलिए केवल संख्या के आधार पर वार्षिक उत्पादन की तुलना करना उचित नहीं होगा।)

(ग) मिट्टी हटाने के उपकरण आवश्यकतानुसार बनाई जाने वाली वस्तुएं हैं जो विशिष्ट क्रया-देश की मांगों के आधार पर बनाई जाती हैं। जहां तक आयात का प्रश्न है, मिट्टी हटाने के उपकरण अन्तर्राष्ट्रीय बोली (बिडिंग) प्रणाली के माध्यम से विश्व बैंक वित्तीयन परियोजनाओं के अन्तर्गत ही आयात किये जाते हैं और यह द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर होता है। अतः यह धारणा बनाना ठीक नहीं होगा कि लाइसेंसीकृत क्षमताओं को रोका जा रहा है या विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

(घ) मिट्टी हटाने के उपकरण बनाने हेतु किसी भी नये उद्यमी का औद्योगिक लाइसेंस आवेदन इस समय लम्बित नहीं है। इस समय मिट्टी हटाने के विभिन्न आकार-प्रकार के उपकरणों के उत्पादन में संलग्न एककों की संख्या 18 है। सातवीं योजना के कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार मिट्टी हटाने के उपकरणों के उत्पादन हेतु नये एककों की स्थापना नहीं की जा रही है क्योंकि पहले से लाइसेंसीकृत क्षमता ही 1989-90 तक की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। फिर भी विद्यमान एककों के विविधीकरण और विस्तार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

दूरदर्शन धारावाहिक "अधिकार" का प्रसारण

8380. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन संबंधित कानूनों/निर्णय का हवाला दिए बिना प्रत्येक बुधवार को धारावाहिक "अधिकार" का प्रसारण कर रहा है; और

(ख) क्या हवाला देने तथा धारावाहिक के पुनः प्रसारण का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन ने 10-2-88 से बुधवार के दिन प्रायोजित धारावाहिक "अधिकार" को राष्ट्रीय नेटवर्क पर टेलीकास्ट करना शुरू किया था। इस धारावाहिक का फार्मेट डाकू-ड्रामा है, जिसमें वास्तविक तथ्यों को एक प्रस्तुतकर्ता, जो संगत कानूनों/निर्णयों का संदर्भ देता है, के साथ नाटकीय रूप में दिया जाता है। धारावाहिक में हवाला देने तथा उसे पुनः टेलीकास्ट करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो में परामर्शदाताओं की नियुक्तियां

8381. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यौरो में परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या ब्यूरो में परामर्शदाताओं की नियुक्ति के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या मूल्य निर्धारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य इन परामर्शदाताओं द्वारा किये जाते हैं;

(घ) क्या यह सच है कि इस ब्यूरो में सरकारी अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिया जाता और केवल बाहरी व्यक्तियों को ही वरीयता दी जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय इस ब्यूरो में कितने परामर्शदाता कार्य कर रहे हैं और कब से ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ब्यूरो उस क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों से सम्पर्क करता है जिसके लिए परामर्श अपेक्षित होता है। जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की जाती है उनका प्रत्येक व्यवसाय अर्थात् इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र और कास्टिंग के लिए नियुक्त अलग-अलग सलाहकार समितियों द्वारा साक्षात्कार किया जाता है। ब्यूरो अन्ततः सलाहकार समितियों की सिफारिशों के आधार पर परामर्शदाताओं का चयन करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) परामर्शदाताओं को विशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं तथा उनका विश्लेषण करना होता है। इसके आधार पर ब्यूरो के सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा मूल्यों इत्यादि के बारे में सिफारिशें तैयार की जाती हैं।

(घ) परामर्शदाताओं का चयन अकादमी और अनुसंधान संस्थानों, सरकारी क्षेत्र के व्यवसायिकों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों एवं नये इंजीनियरी स्नातकों में से भी किया जाता है बशर्ते कि उनके पास आवश्यक अर्हताएं तथा अनुभव हो।

(ङ) इस समय ब्यूरो के कार्य में सहायतः करने वाले संस्थानों सहित 28 परामर्शदाता हैं। इन परामर्शदाताओं की सेवा की अवधि 3 महीने से 4 वर्ष तक अलग-अलग होती है।

चार पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण

[हिन्दी]

8382. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने लोहिया मशीन्स लिमिटेड की एक नई योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चार पहियों वाले स्कूटरों का निर्माण किया जायेगा;

(ख) क्या उपर्युक्त कम्पनी का 250 सी०सी० के स्कूटरों का निर्माण करने का विचार है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने विगत में भी अग्रिम बुकिंग के नाम पर लोगों से ₹15.95 करोड़ रुपये इकट्ठे किये थे और कम्पनी ने न तो उन्हें स्कूटर आबंटित किये हैं और न ही उनका पैसा उन्हें वापस किया है; और

(घ) इस कम्पनी के पास नये स्कूटरों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं तथा क्या अग्रिम बुकिंग के लिए धनराशि इकट्ठी की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं। किन्तु वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों को एक व्यक्तिगत किस्म का वाहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य

से ग्राहक के विशेष अनुरोध पर कंपनी स्कूटर में कुछ सुधार करेगी और उसमें दो अतिरिक्त मुक्त पहिए (फ्री व्हील) लगा देगी।

(ख) कम्पनी को 250 सी०सी० तक की क्षमता के इंजन वाले दुपहिया स्कूटरों के निर्माण हेतु तकनोलोजी आयात करने की अनुमति दी गई है। अब तक इस रेंज का वाहन बनाने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) कंपनी ने स्कूटरों की बुकिंग के लिए प्रचार किया था और 115.95 करोड़ रुपये की राशि इकट्ठी की थी। इस बुकिंग पर उन्होंने 255460 से अधिक स्कूटरों का आबंटन किया और सुपुर्दगी की तथा ब्याज सहित अग्रिम राशि का समायोजन किया। इसके अलावा कम्पनी ने बुकिंग रद्द (कैंसिल) कराने सम्बन्धी 833581 अनुरोधों पर अग्रिम राशि वापिस भी की है।

(घ) कंपनी ने सूचना दी है कि उनके पास 909357 स्कूटरों की बुकिंग बकाया पड़ी है और उसने किसी नई बुकिंग के लिए आमंत्रण नहीं दिया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के औषधालयों में घटिया किस्म की औषधियां

8383. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया**
श्री सुभाष यादव
श्री ओहरि राव
श्री प्रकाश चन्द्र
श्री एम० रघुमा रेड्डी : **क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1988 के मध्य में सतर्कता विभाग द्वारा मारे गये छापों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के औषधालयों में घटिया किस्म की और ऐसी औषधियां पाई गईं, जिनके इस्तेमाल की तारीख समाप्त हो चुकी थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में इन औषधालयों के चिकित्सकों को निलम्बित कर दिया गया है;

(ग) क्या ये औषधियां खरीदने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये औषधियां किस तारीख को खरीदी गई थीं और इन्हें खरीदने वाले अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार 15 मार्च, 1988 को कुछ औषधालयो के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कुछ ऐसी औषधियां जब्त की गई थीं जिनके इस्तेमाल की तारीख समाप्त हो चुकी थी तथा जिनकी गुणवत्ता घटिया होने की सम्भावना थी।

(ख) से (घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने यह भी सूचना दी है कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा एक फार्मेसिस्ट को निलंबित कर दिया गया है। इस प्रकार के सभी पहलुओं की जांच सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहा है।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

8384. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे स्थानों में, जहां सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र अलाभकर समझे जाते हैं, सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिए जाते हैं, यदि कोई तीसरी पार्टी हानि वहन करने की गारंटी देती है;

(ख) क्या ये आदिवासी क्षेत्रों में इस आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो तीसरी पार्टी को क्या शर्तें स्वीकार करनी होती है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन किराया और गारंटी के आधार पर उन स्थानों पर खोले जा सकते हैं जो आर्थिक सहायता के आधार पर इस सुविधा के पात्र नहीं होते। ऐसे मामलों में किराये की गणना समान दर आधार और पूंजी लागत आधार पर की जाती है। और गारंटी की प्रारंभिक अवधि में इन दोनों में से जो अधिक हो उसे वसूल किया जाता है। गारंटी की प्रारंभिक अवधि के बाद किराया समान दर पर पुन: निर्धारण किया जाता है।

आल सीजन्स "हाई-टैक" सूप

8385. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1988 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित उस विज्ञापन की ओर आकर्षित किया गया है, जिसके द्वारा मैसर्स आल सीजन्स फूड्स लिमिटेड ने भारत का पहला "हाई-टैक" टमाटर का पौष्टिक सूप प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग उक्त कम्पनी द्वारा "हाई-टैक" सूप तैयार किये जाने के दावे की जांच कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने यह विचार करने पर कि जो विज्ञापन दिनांक 4-3-1988 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था वह एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 36क की परिधि में आता है, उसके विषय में महानिदेशक (जांच एवं पंजीकरण) द्वारा की जाने वाली प्रारम्भिक जांच का आदेश दे दिया है। उक्त अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग अनुचित व्यापार प्रथाओं के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबंधों के अनुसार इस मामले में आगामी समुचित कार्यवाही करने के लिए सशक्त है।

महिला उद्यमियों का छठा राष्ट्रीय सम्मेलन

8386. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 17 मार्च, 1988 को श्रीनगर में महिला उद्यमियों के छठे सम्मेलन का आयोजन

किया गया था;

(ख) क्या महिलाओं के प्रति भेदभाव चर्चा का मुख्य विषय था;

(ग) क्या महिला उद्यमियों के राष्ट्रीय अभिसमय ने इस बारे में कुछ सुझाव दिये हैं;

(घ) क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है; और

(ङ) सरकार ने इनमें से कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) महिला उद्यमियों पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन श्रीनगर में 28 से 30 सितम्बर, 1987 तक एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा किया गया था;

(ख) से (ङ) सम्मेलन में महिला उद्यमियों द्वारा छोटे उद्यमों की स्थापना किए जाने संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन में दिए गए अधिकांश सुझाव राज्य सरकारों से संबंधित थे। यह सिफारिश कि उन उद्यमों में जिनकी स्वामी महिला उद्यमी हैं तथा जिनका संचालन महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है, को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे कार्य शक्ति का कुछ प्रतिशत महिलाओं को नियोजित करके पूरा करे वास्तव में सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गठित स्थाई समिति द्वारा, महिला उद्यमियों की परिभाषा स्वीकार करते समय लिए गए निर्णय की पुनरावृत्ति ही है।

डिजीटल माईक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रणाली के उत्पादन के लिए जापानी फर्म के साथ समझौता

8387. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग ने डिजीटल माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रणाली का स्वदेश में उत्पादन करने के लिए एक जापानी फर्म के साथ प्रौद्योगिकी के अंतरण के बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ग) फर्म कितनी सहायता और मदद देने पर सहमत हुई है; और

(घ) समझौते का कार्यान्वयन कब से किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मै० एन०ई०सी० जापान के साथ दिनांक 17-3-88 को हुआ अनुबंध डिजिटल सूक्ष्मतरंग प्रणाणियों का विनिर्माण करने के लिए तकनीकी सहयोग के लिए है और इसमें जानकारी का स्थानान्तरण, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और प्रलेखीकरण शामिल है। सहयोगकर्ता स्वदेशीकरण के लिए सहायता और परामर्श सुलभ कराने को भी सहमत हो गया है।

(घ) यह अनुबंध प्रभावी तिथि से आठ वर्ष के लिए अथवा व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने से पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। उत्पादन वर्ष 1989-90 में आरंभ होने की आशा है।

शीतल पेय प्रौद्योगिकी का आयात

8388. **श्री मट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान कौन-कौन सी शीतल पेय प्रौद्योगिकियों का आयात किया गया;

(ख) क्या शीतल पेय "77" उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बिकने वाला शीतल पेय है; और

(ग) यदि हां, तो इस समय इसकी खपत कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले दो वर्षों में शीतल पेय (वातित जल) बनाने हेतु प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि, मैसर्स डबल कोला मैन्युफैक्चरिंग कं०, (इं०) प्रा०लि० ने बताया है कि शीतल पेय सांद्रणों (कंसेन्ट्रेट्स) के निर्माण हेतु उन्हें डबल कोला कं०, यू०एस०ए० द्वारा तकनीकी जानकारी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के कार्य के निष्पादन के सम्बन्ध में श्वेत पत्र

8389. **श्री शरद दिघे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए वास्तविक कार्य निष्पादन के बारे में एक श्वेतपत्र जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) समय सीमा तैयार की जा रही है।

उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति द्वारा प्रस्तुत दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट का कार्यान्वयन

8390. **श्री के० एस० राव** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति द्वारा प्रस्तुत दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के 22 उपक्रमों ने उच्च शक्ति प्राप्त वेतन समिति को यह सुझाव दिया है कि वे चौथे वेतन आयोग के वेतनमानों को कार्यान्वित कर सकते हैं लेकिन सरकारी उद्यम कार्यालय ने इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उनके प्रस्ताव वापिस लेने के निदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(ग) और (घ) सरकारी क्षेत्र के 22 उद्यमों ने उच्च अधिकार वेतन समिति को प्रस्तुत किए गए उनके ज्ञापन में उनके कर्मचारियों के लिए भावी वेतन ढांचे के बारे में कुछ विचार प्रकट किए हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय ने नवम्बर, 1984 में सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निदेश-पत्र के बारे में सरकारी उद्यमों को उनके संस्था के अन्तर्नियमों/संविधियों में निहित प्रावधानों के कारण उनपर लागू की गई बाध्यताओं की केवल याद दिलाई है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा विज्ञापन आदि पर व्यय

839 . श्री के० मोहन दास : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख सरकारी उपक्रमों द्वारा वर्ष 1987 में विज्ञापनों, प्रचार और विविध मदों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) क्या किसी उपक्रम द्वारा व्यय की निर्धारित सीमा से अधिक खर्च किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

दिल्ली, हैदराबाद और सिकन्दराबाद में विशेष मामले के रूप में टेलीफोन कनेक्शन जारी करना

8392. श्री सी० सम्बु : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान दिल्ली, हैदराबाद और सिकन्दराबाद में विशेष मामले के रूप में मंत्रालय द्वारा कितने टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसन्त साठे) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है :—

निम्नलिखित वर्षों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या :

	1986-87	1987-88
दिल्ली	871	2483
हैदराबाद और सिकन्दराबाद	31	92

विद्युत संयंत्रों के निकट स्थित सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को बिजली सप्लाई करना

8393. श्री जनवारी लाल पुरोहित
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के विद्युत संयंत्रों के निकट स्थित सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को 15 प्रतिशत विद्युत सप्लाई करने की संभावना पर विचार करने के लिए एक

समिति नियुक्त की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को केन्द्र के निदेशों का पालन करने के लिए उपयुक्त निदेश दिए हैं; और

(ग) प्रस्तावित समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) प्राथमिक रूप से मुख्य क्षेत्र के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को सप्लाई करने हेतु केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों में उत्पादित विद्युत का एक हिस्सा उनके लिए आरक्षित रखने सम्बन्धी मामला एक समिति को विचार हेतु भेजा गया है जिसमें राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधि शामिल है और इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में लागत में वृद्धि

8394. श्री सलाउद्दीन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की परियोजनाओं को पूरा किए जाने में असामान्य विलम्ब होने और उससे लागतों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है और यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कुछ पूर्ण हो गई परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है परन्तु लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु, इस समय चल रही कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है जिनके कारण हैं—भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, वन विभाग का निरारोप-पत्र, कानून एवं व्यवस्था की समस्याएं, संयंत्र और मशीनरी की सप्लाई जिनका लागत वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा।

(ख) और (ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कम्पनी में तथा साथ ही में सरकार में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। इन पुनरीक्षाओं के आधार पर, यथासंभव विलम्ब रोकने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

कटक स्थित आकाशवाणी केन्द्र से वाणिज्यिक प्रसारण की सुविधा

8395. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटक स्थित आकाशवाणी केन्द्र में दी गई वाणिज्यिक प्रसारण सुविधा अपर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इसका दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी के विज्ञापन प्रसारण नेटवर्क में कटक के विज्ञापन प्रसारण केन्द्र सहित 29 विज्ञापन

प्रसारण केन्द्र हैं। चार महानगरों में स्थित विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों को छोड़कर, शेष सभी 25 विज्ञापन प्रसारण केन्द्र 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर पर प्रचालित होते हैं। आकाशवाणी, कटक के लिए यह सुविधा पर्याप्त समझी जाती है।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित आवेदन-पत्र

8396. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लम्बित सभी आवेदन पत्रों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 3 -3-1988 को नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 3299 अर्जियां बकाया पड़ी हैं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक औसतन 2000 लाइनों और इससे अधिक क्षमता की एक्सचेंज प्रणाली पर 1-4-1987 तक पंजीकृत आवेदकों को, मध्यम आकार की एक्सचेंज प्रणाली पर 1-4-1988 तक पंजीकृत आवेदकों को और ग्रामीण एक्सचेंज प्रणाली पर 1-4-1990 तक पंजीकृत आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रस्ताव है। वह भी निर्माण कार्य के लिए उपस्कर और संबद्ध भण्डार की सप्लाई पर निर्भर है। शेष आवेदकों को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

कागज उद्योग में रुग्णता रोकने के लिए विशेष निधि

[हिन्दी]

8397. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय**
श्री एच० एम० नन्जे गौडा
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय लघु कागज मिल संघ ने सरकार को सुझाव दिया है कि कागज उद्योग की रुग्णता की रोकथाम करने और इन मिलों के बड़ी संख्या में बन्द हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले संकट को रोकने तथा लघु कागज मिलों को उनकी दयनीय स्थिति से बचाने के लिए एक विशेष कोष बनाया जाये;

(ख) यदि हां, तो देश में इस समय घाटे पर चल रही छोटी कागज मिलों की संख्या कितनी है और जनवरी 1987 से अब तक कितनी कागज मिलें बन्द हो चुकी हैं;

(ग) सरकार ने विशेष कोष बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आवश्यक कार्यवाही कब तक किये जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कागज उद्योग के एक संगठन द्वारा एक आधुनिकीकरण निधि के सृजन का सुझाव दिया गया है।

(ख) इस समय घाटे में चल रही कागज मिलों की संख्या के बारे में सूचना नहीं रखी जा रही है। तथापि, तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में उल्लिखित कागज और गत्ते का विनिर्माण करने वाले 67 एककों ने पिछले दो वर्ष के उत्पादन की सूचना नहीं दी है।

(ग) से (ङ) वित्तीय संस्थाएं आधुनिकीकरण के लिए रियायती ब्याज दर पर पहले ही से सहायता प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर प्रोत्साहकों के अंशदान तथा ऋण इक्विटी अनुपात के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा एक लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। संस्थाओं द्वारा रुग्ण एककों की पुनर्स्थापना सम्बन्धी सहायता भी दी जाती है जिसमें सावधी ऋणों का पुनः निर्धारण, कार्यशील पूंजी की सीमा और ब्याज की दरों में कमी शामिल है।

असम में नाम्बूगढ़ में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

[अनुवाद]

8398. **श्री महेश्वर तांती** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने असम समझौता के अनुसार असम में नाम्बूगढ़ में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने हेतु हाल ही में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में गलत टेलीफोन बिल भेजना

[हिन्दी]

8399. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को बिहार में टेलीफोन के खराब पड़े रहने और अधिक राशि के टेलीफोन बिल आने के बारे में वर्ष, 1984 से अब तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) टेलीफोन के गलत बिल बनाये जाने के लिए कितने अधिकारियों को दण्डित किया गया;

(घ) क्या उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों अर्थात् दरभंगा, मधुबनी समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सरान, चम्पारन, सहरसा और कठिहार में टेलीफोन सेवा संतोषजनक नहीं है और इसके बावजूद भी टेलीफोन प्रयोक्ताओं को अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन मामलों के तथ्यों की जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जानकारी नीचे दे दी गई है :—

वर्ष	शिकायतों की संख्या	
	टेलीफोनों का दोषयुक्त कार्यकरण	मीटर रीडिंग (बढ़ी हुई राशि के टेलीफोन बिल)
1984	4,269	1,188
1985	3,947	1,177
1986	4,142	2,418
1987	6,513	3,758
1988 (मार्च तक)	1,579	528

(ख) शिकायतें प्राप्त होने पर, सुधार की दृष्टि से तत्काल कारंवाई की जाती है। अधिकांश दोष उसी दिन दूर कर दिये जाते हैं। मीटर रीडिंग से संबन्धित शिकायतों की विस्तृत जांच की जाती है और औचित्य सिद्ध होने पर, संदेह लाभ प्रदान करते हुए छूट प्रदान की जाती है।

(ग) शून्य।

(घ) जी नहीं, इन सभी जिलों में टेलीफोन सेवा अत्यन्त संतोषजनक है। 1984 से जारी किए गए कुल बिलों में से मीटर रीडिंग की शिकायतों की प्रतिशतता मुश्किल से 0.64 है जो कि 1 प्रतिशत से भी कम है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस का उपयोग

[अनुवाद]

8400. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे उद्योगों के लिए जिनमें कोयले के स्थान पर प्राकृतिक गैस प्रयोग की जा सके, प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों को प्राकृतिक गैस की सप्लाई की मूल्य निर्धारण योजना सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) विभिन्न उपभोक्ताओं को जिनमें वे उपभोक्ता भी शामिल हैं जो पहले कोयले का प्रयोग करते थे, प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जा रही है।

(ख) 31-1-1987 से सरकार ने तटवर्ती प्राकृतिक गैस और अपतट की लैण्ड फाल पाइंट पर प्राकृतिक गैस की कीमत 1400 रुपये प्रति एक हजार घन मीटर निर्धारित की है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कीमत एक हजार रुपए प्रति एक हजार घन मीटर है तथा 500 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर तक छूट की व्यवस्था है। एच० बी० जे० पाइपलाइन से प्राकृतिक गैस की कीमत 2250 रुपए प्रति एक हजार घन मीटर निर्धारित की है। इन कीमतों में रायल्टी, कर, शुल्क आदि शामिल नहीं है तथा ये कीमतें 31-3-1989 तक प्रभावित रहेंगी। जो उपभोक्ता फाल बैंक के आधार पर गैस प्राप्त करते हैं

उन्हें 15 प्रतिशत की छूट की व्यवस्था है ।

केरल में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

8402. **श्री के० कुन्हम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक कितनी गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी एजेंसियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी गई हैं; और

(ग) केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान आबंटित की जाने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1988 तक केरल में तेल उद्योग द्वारा अलाट की गई 149 एल० पी० जी० वितरणशिपों में से 25 वितरणशिपें अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के व्यक्तियों को दी गई हैं।

(ग) वर्ष 987-88 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं के अतर्गत केरल राज्य में तेल उद्योग की 42 एल० पी० जी० वितरणशिपें विभिन्न चरणों में थीं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । चूंकि एल० पी० जी० वितरणशिपों को वास्तव में चालू करने से पूर्व अनेक कदम उठाने होते हैं इसलिए निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ये वितरणशिपें चालू हो जाएंगी ।

विवरण

क्रम संख्या	स्थान	क्रम संख्या	स्थान
1	2	3	4
1.	कोडाकारा	12.	कालीकट
2.	माला	13.	कोलीन
3.	मूलन्थुरुथी	14.	कुत्तूपारम्बा
4.	चंगनचेरी	15.	काटागेडा
5	कोट्टयम	16.	पायोली
6.	कासरगोड	17.	काराकुलम
7.	नैडु मुडी	18.	पेराम्बरा
8.	वडसेरी केरा	19.	थामारेसरी
9.	सुल्तान बैटरी	20.	कोथामंगलम
10.	कोचीन	21.	पारापपननंगेडी
11.	कोडियारी	22.	त्रिरुरंगगडी

1	2	3	4
23.	नीलमपुर	33.	चैथानूर
24.	पंपडी	34.	सुरनार नार्थ/साऊथ
25	इरुमेली	35.	अंचल
26	पुडूपली	36.	कोलंगोड
27.	अरामुला	37.	अरुर
28	कोनी	38.	मनन्दारेड्डी
29.	मालापल्ली	39.	मनार
30.	मटानूर	40.	रमनी
31.	त्रिचुर	41.	मंजेरी
32.	किल्लीकोलूर/कोट्टामकारा	42.	इराट्टूपेट्टा/पूनजार

सहकारी क्षेत्र के प्रबन्धक के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग

8403. प्रो० पी० जे० कुरियन
श्री रामधन
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री शरद दिघे
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुशल प्रबन्धन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के किसी यूनिट में इसे आजमाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) भावी योजना की रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलना

8404. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में हस्त-चालित, स्वचालित और इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) ये एक्सचेंज कब से चल रहे हैं;

(ग) क्या राज्य में हस्त-चालित तथा स्वचालित एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक बदल दिया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 30 सितम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में मैनुअल, स्वचालित और इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार कुल संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) आंध्र प्रदेश में 1-4-1969 के बाद 1521 टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए और 1-4-1969 से पहले वहां 438 एक्सचेंज कार्य कर रहे थे।

(ग) जी, हां।

(घ) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। उपस्करों के उपलब्ध होने पर इन्हें बदला जाएगा।

विवरण-1

30-9-1987 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में जिलेवार एक्सचेंज का ब्यौरा

क्र० सं०	जिले का नाम	एक्सचेंजों की कुल संख्या	मैनुअल	स्वाचलित	इलेक्ट्रानिक
1	2	3	4	5	6
1.	औदिलाबाद	42	8	34	—
2.	अनन्तपुर	109	8	101	—
3.	चित्तूर	119	2	114	3
4.	कुडप्पा	69	6	62	1
5.	पूर्व गोदावरी	128	7	120	1
6.	गुन्टूर	106	8	98	—
7.	हैदराबाद	18	—	14	4
8.	करीमनगर	116	9	107	—
9.	खम्माम	66	6	58	2
10.	कृष्णा	118	9	109	—
11.	कुरनूल	89	6	82	1
12.	मेहबूबनगर	91	6	82	3
13.	मेडक	93	8	78	7

1	2	3	4	5	6
14.	नालगोंडा	82	9	73	—
15.	निजामाबाद	71	4	66	1
16.	नैल्लोर	89	5	84	—
17.	प्रकाशम	103	7	96	—
18.	रंगारेड्डी	97	7	72	—
19.	श्रीकाकुलम	43	7	36	—
20.	विशाखापट्नम	61	5	55	1
21.	विजयानगरम	45	5	39	—
22.	वारंगल	88	6	82	—
23.	पश्चिम गोदावरी	135	9	126	—
	कुल :	1959	147	1788	24

विवरण-2

उन एक्सचेंजों का ब्यौरा जिन्हें इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	वर्ष
1	2	3
1.	औद्योगिक क्षेत्र (500 एम०ए०एक्स०-II)	जून, 1988
2.	भद्राचलम (300 सी०बी०एन०एम०)	1988-89
3.	त्राडीपतरी (440 सी०बी०एम०)	1988-89
4.	पुन्नूरू (300 सी०बी०एन०एम०)	1988-89
5.	अनुमाकोंडा (1000 एम०ए०एक्स०-II)	1990-91
6.	काजीपेट (200 एम०ए०एक्स०-II)	990-91
7.	मादिरा (150 सी०बी०एम०एम०)	1989-90/90-91
8.	साधुपाले (150 सी०बी०एन०एम०)	—वही —
9.	वायरा (100 एम०ए०एक्स०-III)	—वही—

1	2	3
10.	भीमाडोल (150 एम०ए०एक्स०-III)	1989-90/90-91
11.	अचन्ता (150 एम०ए०एक्स०-III)	– वही—
12.	गारोवोडा (150 सी०बी०एन०एम०)	—वही—
13.	मेलमुनिपतनम (200 सी०बी०एन०एम०)	—वही—
14.	चोडावरम् (200 सी०बी०एन०एम०)	—वही—
15.	सिकन्दराबाद (2200 लाइनें)	1988-89
16.	गोलकुण्डा (1100 एल०एम०ए०एक्स०-II)	1988-89
17.	राजिन्दर नगर (400 एम०ए०एक्स०-II)	1988-89
18.	सरूर नगर (600 एम०ए०एक्स०-II)	1988-89
19.	जीडिमेतला (सी०बी०एम० 840 एल०)	1989-90
20.	गोवालीगुडा (एम०ए०एक्स०-I 5000 लाइनें)	1990-91
21.	हनामकोंडा (एम०ए०एक्स०-I 900 लाइनें)	1991-92
22.	दुब्बाक (एम०ए०एक्स०-III 25 लाइनें)	1988-89
23.	गोव्वाराम (सम०ए०एक्स०-III 50 लाइनें)	—वही—
24.	नारायणखेड (सी०बी०एन०एम० 100 लाइनें)	—वही—
25.	कंनियोपकम (एम०ए०एक्स०-III 25 लाइनें)	—वही —
26.	आरागोंडा (एम०ए०एक्स० 50 लाइनें)	—वही—
27.	बंगारूपालेम (एम०ए०एक्स०-III 50 लाइनें)	—वही—
28.	याडमारी (एम०ए०एक्स०-III 50 लाइनें)	—वही—
29.	अस्वरावपेट (एम०ए०एक्स०-III 100 लाइनें)	—वही—
30.	कल्लूर (एम०ए०एक्स०-III 25 लाइनें)	—वही—
31.	तालन्दा (एम०ए०एक्स०-III 50 लाइनें)	—वही—
32.	पेरशांति निलयन (एम०ए०एक्स०-III 100 लाइनें)	—वही—

कावेरी बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन

[हिन्दी]

8405. श्री रामधन
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी बेसिन में तेल और गैस का उत्पादन शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस बेसिन से तेल और गैस की कितनी मात्रा का उत्पादन हो रहा है;

(ग) इस बेसिन से उत्पादित तेल शोधन हेतु क्या प्रबन्ध किया गया है;

(घ) क्या इस बेसिन से उत्पादित गैस की कुल मात्रा को जलाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मात्रा तथा मूल्य क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां। शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा।

(ख) इस समय दैनिक औसत उत्पादन लगभग 55 टन कच्चा तेल तथा लगभग 42000 घन मीटर गैस है।

(ग) इस तेल को शोधन के लिए मद्रास रिफाइनरी में भेजा जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) लगभग 38,000 घन मीटर प्रतिदिन इस समय जलाई जाने वाली गैस की निम्नलिखित कारणों से कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती।

(I) उपभोक्ताओं के होने पर नेशनल कीमत बातचीत के बाद तय की गई कीमतों पर निर्भर करेगी; और

(II) वे क्षेत्र जहां से गैस का उत्पादन होना है चिन्हांकन के विभिन्न चरणों में हैं और तेल के साथ गैस का उत्पादन प्रासंगिक है क्योंकि यह सम्बद्ध गैस है।

बम्बई शहर में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

8406. **श्री सुरेशधर माने** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई शहर में 31 दिसम्बर, 1987 तक रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे;

(ख) नये कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रतीक्षा सूची के कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) 31 दिसम्बर, 1987 को बम्बई में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लगभग 20,600 व्यक्ति दर्ज थे।

(ख) आवागमन, औद्योगिक सम्बन्धों तथा अन्य परिचालन की समस्याओं के अतिरिक्त एल० पी० जी० की बल्क उपलब्धता में कमी के कारण वर्तमान उपभोक्ताओं का रिफिलों की सप्लाई के बैकलाग आ जाने के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान बम्बई सहित पूरे देश में नये एल०पी०जी०

कनेक्शन जारी करने की गति धीमी हो गई।

(ग) तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अधीन, चरण-बद्ध रूप से बम्बई सहित पूरे देश में नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी किए जाते रहेंगे बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता और बाटलिंग क्षमता में वृद्धि हो।

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए सोवियत संघ से स्टेयर रेलिंग आदि का आयात

8407. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए स्टेयर-रेलिंग आदि जैसी छोटी मदों का सोवियत संघ से आयात किया जा रहा है;

(ख) आयात की जा रही अन्य ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं, जो देश में ही उपलब्ध हैं अथवा जिनका देश में ही निर्माण किया जा सकता है;

(ग) ऐसी सभी वस्तुओं पर कितनी धनराशि खर्च की जा रही है; और

(घ) ताप विद्युत उत्पादन पर सिंगरौली की तुलना में प्रति मेगावाट कितनी लागत आने का अनुमान है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना को भारत सरकार तथा यू०एस० एस० आर० के बीच दिसम्बर, 1980 में हुए आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बन्धित करार के अनुसार सोवियत सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा मैसर्स टैक्नोप्रोमैक्सपोर्ट, यू०एस० एस० आर० के बीच जून, 1982 में हुए अनुबन्ध के अनुसार भाप जेनरेटर तथा सहायक सामग्री, भाप टरबाइन तथा सहायक सामग्री, पावर साइकिल पम्पिंग, संघनन तथा पोषण जल प्रणाली, कोयले से चलने वाले संयंत्र के लिए कुछ गौण सामग्री आदि सहित उपस्कर/सामग्री की सप्लाई तथा व्यापक परियोजना रिपोर्ट तथा कार्य का नक्शा तथा सोवियत विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति शामिल है। स्टेयर रेलिंग सहित उपस्करों तथा सामग्री की सप्लाई कुल पैकेजिज का एक हिस्सा है तथा मूल्यों का निर्धारण पूरे एक पैकेज के रूप में किया जाता है।

सिंगरौली सुपर ताप विद्युत परियोजना (2000 मेगावाट) तथा विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना (1260 मेगावाट) की प्रति मेगावाट अनुमानित लागत क्रमशः 0.559 करोड़ रुपये तथा 0.723 करोड़ रुपये है।

दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों की मंजूरी

8408. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों की मंजूरी के लिए किसी अन्य सरकारी एजेंसी से पूर्व प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ?

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टेलीफोन के कनेक्शन

[हिन्दी]

8409. श्री राम प्यारे सुमन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के अकबरपुर, टांडा और जलालपुर के शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्रत्येक टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है;

(ख) इनमें टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त स्थानों में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंज अच्छी हालत में नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन सभी क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) अकबरपुर और टांडा 200 लाइनों के करचल (मैनुअल) एक्सचेंज हैं, जबकि जलालपुर 100 लाइनों का एम० ए० एक्स०-III (स्ट्रोजर टाइप) एक्सचेंज है।

(ख) इन एक्सचेंजों में किसी में भी दिनांक 30-9-1987 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई भी आवेदन बकाया नहीं पड़ा है।

(ग) सभी एक्सचेंज संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) इनमें से किसी भी एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) स्वदेश में निर्मित इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की सीमित उपलब्धता के कारण।

सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा दिए गये दिशानिर्देश

[अनुवाद]

8410. डा० वी० वेंकटेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को मशीनरी, नागर विमानन कार्य, भर्ती, पदोन्नति और वेतन का प्रबन्ध करने के लिए दिए गये ठेकों के बारे में कोई दिशानिर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

8411. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री के० वी० थामस } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नये आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये आकाशवाणी केन्द्र कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान आकाशवाणी का केरल में कोचीन, कन्नानौर तथा इदुक्की में नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। कोचीन में भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और कन्नानौर में भवन निर्माण कार्य जून, 1988 में शुरू होने की उम्मीद है। जहां तक इदुक्की का संबंध है, राज्य सरकार द्वारा स्थान आकाशवाणी को अभी सौंपा जाना है। आगे की कार्रवाई स्थान सौंप दिये जाने के बाद ही की जा सकेगी। इन रेडियो स्टेशनों के मार्च, 1990 तक चालू होने के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद है।

विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयले की सप्लाई

8412. श्री बी० बी० रमैया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र के चरण-3 के लिए कोयले की सप्लाई का पता लगा लिया गया है तथा इसकी सप्लाई निर्धारित कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र चरण-3 की स्वीकृति देने की कब तक सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) विजयवाड़ा ताप बिजली घर की तीसरी और चौथी विस्तार यूनिटों (2×210 मे०वा०) को कोयला संयोजन के लिए पहले ही सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के साथ जोड़ दिया गया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान चालू की जाने वाली चरण-3 के लिए कोयला संयोजन करने पर तभी विचार किया जाएगा जब परियोजना को सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। परियोजना की तकनीकी-वार्षिक स्वीकृति के संबंध में यह स्थिति है कि राज्य विद्युत बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरणों का इंतजार किया जा रहा है।

राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्रियों का बन्द होना

[हिन्दी]

8413. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट फैक्टरियां अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं चल पा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका देश में सीमेंट की सप्लाई की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में कितनी सीमेंट फैक्टरियां बन्द कर दी गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं कि सीमेंट फैक्टरियां अपनी ईष्टतम क्षमता के अनुसार कार्य करें तथा बन्द फैक्टरियां पुन: खोलें ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) यह सत्य है कि सभी सीमेंट कारखाने (बड़े आकार के) अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप काम नहीं करते रहे हैं, क्योंकि वर्ष 1987-88 के दौरान ऐसे केवल 11 कारखानों ने 100% क्षमता उपयोग प्राप्त किया सूचित किया गया है।

(ख) देश में सीमेंट का उत्पादन कुल मिलाकर देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और क्षेत्रों (बस) (पॉकेटों) को छोड़कर, जहां पर कठिनाई मुख्यत: परिवहन सम्बन्धी समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई है, अन्य कहीं कमी होने की कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ग) राजस्थान राज्य में इस समय किसी भी बड़े सीमेंट कारखाने के बन्द पड़े होने की सूचना नहीं है। तथापि, मै० जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर अक्तूबर, 1987 से मार्च, 1988 के मध्य बन्द पड़ा रहा था।

(घ) क्षमता के उपयोग पर संयंत्र की अवधि, यांत्रिक खराबियों, श्रमिक समस्याओं, बिजली, कोयला और वैगन जैसी आवश्यक निविष्टियों की अनुपलब्धता जैसे कारकों से प्रभाव पड़ता है।

बिजली की भारी कटौती का सामना करने के लिए सीमेंट उद्योग को आन्तरिक विद्युत जनित्रण क्षमता स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि वे बिजली की अपनी आवश्यकता का कम से कम 40% भाग को पूरा कर सकें। लेवी दायित्व में कमी करके उचित राहत दी गई है ताकि डी० जी० कैप्टिव पावर की मदद से सीमेंट उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि की आंशिक रूप से प्रतिपूर्ति की जा सके।

सीमेंट के उत्पादन की सीमेंट उद्योग के विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा ध्यानपूर्वक निगरानी की जाती है और कोयला, बिजली तथा वैगनों जैसी विभिन्न निविष्टियों की उपलब्धता के मामले में राज्य विद्युत बोर्ड, रेल मंत्रालय, कोयला विभाग, कोयला संगठनों आदि जैसे संबंधित प्राधिकरणों से संपर्क करके आवश्यक सहायता दी जाती है।

गुजरात में खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों का आबंटन

[अनुवाद]

8414. **श्री दौलत सिंहजी जदेजा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1988-89 के दौरान खाना पकाने की गैस की कितनी एजेंसियां आबंटित करने का विचार है;

(ख) गुजरात में वर्ष 1988-89 के दौरान खाना पकाने की गैस के कितने नए कनेक्शन दिए जायेंगे; और

(ग) गुजरात के जामनगर जिले में खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिए जायेंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वर्ष 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजनाओं के अधीन तेल उद्योग की 57 एल०पी०जी० वितरण-शिपें गुजरात राज्य में विभिन्न चरणों में थीं। चूंकि एल०पी०जी० वितरणशिपों को वास्तव में चालू करने से पूर्व विभिन्न कदम उठाने होते हैं इसलिए यह निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है कि कब तक ये वितरणशिपें चालू हो जाएंगीं।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान गुजरात में लगभग 91,000 एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने का तेल उद्योग का प्रस्ताव है। इसमें लगभग 3300 एल० पी० जी० कनेक्शन जामनगर जिले में जारी किए जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे टेलीफोन बूथ

[हिन्दी]

8415. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे टेलीफोन बूथों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान विकलांग व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे टेलीफोन बूथों की संख्या में कमी आई है:

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन टेलीफोन बूथों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) दिल्ली में फिलहाल 91 सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को विकलांगों द्वारा चलाया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के जवाब के संदर्भ में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

(घ) विकलांग व्यक्तियों द्वारा चालित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को नि.शुल्क और निर्बाध मंजूरी दी जाती बशर्ते कि एक्सचेंज की क्षमता और तकनीकी सुसाध्यता हो।

दूरदर्शन द्वारा प्रयोग की गई फिल्म

[अनुवाद]

8416. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा प्रयोग की जाने वाली ब्लैक एण्ड व्हाइट तथा रंगीन फिल्म का आयात किया जाता है अथवा उसको देश में ही बनाया जाता है;

(ख) यदि इसका आयात किया जाता है तो इसका किस देश से आयात किया जाता है और नहीं, तो भारत में इसके सप्लायर का नाम क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में फिल्म का प्रयोग किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इस फिल्म पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ङ) फिल्म के आर्डर देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) 1982 से दूरदर्शन मुख्यतया वीडियो निर्माणों को टेलीकास्ट कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप कोरी फिल्मों का सीमित उपयोग हुआ है जिन्हें निम्नलिखित से प्राप्त किया गया था :

(1) 16 मिलीमीटर सादी — मैसर्स औरवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(2) 16 मिलीमीटर रंगीन — मैसर्स इंडिया फोटोग्राफिक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

(3) 35 मिलीमीटर रंगीन — मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी

(ग) और (घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ङ) कोरी फिल्में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा दर संविदा के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त की जाती हैं ।

विवरण

वर्ष	सादी (फुट में)	रंगीन (फुट में)	कुल (फुट में)	खर्च हुई राशि (रुपयों में)
1985-86	3,75,000	33,300	4,08,300	2,10,246.18
1986-87	1,97,500	12,000	2,09,500	1,00,973.96
1987-88	96,210	10,000	1,06,210	55,583.16
	6,68,710	55,300	7,24,010	3,66,803.30

पश्चिम बंगाल में कोयला, मालडिब्बों, बिजली की कमी से प्रभावित उद्योग

8417. **श्री विमलकान्ति घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विशेषत. गत तीन तिमाहियों के दौरान कोयला, मालडिब्बों, बिजली की कमी और कच्चे तथा निर्मित उत्पादों की आवाजाही न होने से विभिन्न उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार मासिक सूचकांक का संकलन नहीं करता है। यह मन्त्रालय भी औद्योगिक उत्पादन की राज्यवार सूचना नहीं रखता है। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 9.7% रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह दर 7.1% थी।

सरकार औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठा रही है कि अवस्थापना सम्बन्धी उद्योग, औद्योगिक उत्पादन में सहायता करने में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं।

कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का मुख्यालय अन्यत्र ले जाना

8418. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता का पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय पश्चिम बंगाल राज्य से बाहर अन्यत्र ले जाने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी गतिविधि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छोटा नागपुर में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत

[हिन्दी]

8419. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय स्तर पर तथा छोटा नागपुर में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत कितनी है;

(ख) छोटा नागपुर में और विशेषकर अलामू के आदिवासी क्षेत्रों में विद्युतीकरण तथा विद्युत खपत बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेषरूप से सामग्री विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने गांवों में बिजली पहुंचाई गई है तथा इन गांवों में बिजली की सप्लाई के लिए क्या व्यवस्था की गई है; और

(घ) इस क्षेत्र में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें बिजली के कनेक्शन दिये जाने के बावजूद प्रति दिन बिजली की सप्लाई नहीं की जाती है, इसके क्या कारण हैं तथा इस समस्या के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1986-87 के दौरान सम्पूर्ण देश की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 190.99 किलोवाट आवर (अनन्तिम) है। बिहार राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार छोटा नागपुर के लिए तुलनात्मक आंकड़े लगभग 288 किलोवाट आवर (अनन्तिम) है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पनबिजली संयंत्र की स्थापना

8420. **श्री कम्मोदी लाल जाटव** : क्या ऊर्जा मन्त्री मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पनबिजली अथवा ताप बिजली संयंत्र की स्थापना के बारे में 25 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलगढ़ के पास चम्बल नहर पर (3 × 310 किलोवाट) चम्बल लघु पनबिजली परियोजना का निर्माण कार्य अब तक शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक शुरू किया जायेगा;

(ग) क्या कुनों नदी, चम्बल की एक सहायक नदी पर, स्थित कुनों पन-बिजली परियोजना का जांच कार्य पूरा हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसे चम्बल लघु पनबिजली परियोजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) 3 × 600 किलोवाट की संशोधित प्रतिष्ठापित क्षमता वाली चम्बल मिनी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य, स्कीम के क्रियान्वयन के लिए टर्न की आधार पर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) कुन्नू जल विद्युत परियोजना को चम्बल मिली जल बिद्युत परियोजना में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों परियोजनाएं भिन्न-भिन्न नदी/नहर पर भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

कर्नाटक में मंगलौर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

[अनुवाद]

8421. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने कर्नाटक के मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) क्या सरकार ने व्यवहार्यता रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो मंगलौर में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या वहां तेल शोधक कारखाना स्थापित करने में पहले ही असाधारण विलम्ब हो चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ङ) सरकार ने मंगलूर में 3.0 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक पेट्रोरसायन रिफाइनरी संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी० पी० आर०) को तैयार करने के लिए अनुमोदन दे दिया है। संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी के निगमन के 12 महीनों के अन्दर डी० पी० आर० तैयार की जानी है और निवेश के निर्णय के लिए सरकार को प्रस्तुत की जानी है।

भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के सहायक एककों का वित्तीय पुनर्गठन

8422. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के सहायक एककों के वित्तीय पुनर्गठन का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

(ख) यदि हां, तो क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन योजना को संशोधित करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड ने अपेक्षित संशोधन कर दिये हैं और क्या सरकार द्वारा इसे स्वीकार किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अब्बासलम) : (क) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के आधार पर सहायक एककों को पहले ही कुछ वित्तीय राहत दी गई है।

(ख) और (ग) वित्तीय आवश्यकता की दीर्घकालिक बात पर विचार करते हुए बी० बी० यू० एन० एल० पूंजी पुनर्गठन तथा आगे और वित्तीय राहत देने के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सरकार, प्रस्ताव के प्राप्त होने पर सभी संगत कारणों को ध्यान में रखते हुए उसकी जांच करेगी।

बिहार में चन्द्रपुरा-बोकारो ताप बिजलीघर के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए मुआवजा देना

[हिन्दी]

8423. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चन्द्रपुर-बोकारो ताप बिजलीघर का निर्माण करते समय जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, क्या उन्हें मुआवजा दे दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो कब और किस दर से; और कुल कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जिन परिवारों की भूमि अधिगृहीत की गई थी उनके कितने व्यक्तियों को रोजगार दे दिया गया है और शेष ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें रोजगार नहीं दिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन समाचारों और कार्यक्रमों के लिए योजना

[अनुवाद]

8424. **श्री जी० एस० बसवराज**
श्री एस० एम० गुरुडी } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने संचार माध्यम के विशेषज्ञों से दूरदर्शन से समाचारों और अन्य कार्यक्रमों के प्रसारण में सुधार करने के बारे में कोई विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने दूरदर्शन समाचारों और कार्यक्रमों के बारे में क्या विचार व्यक्त किए;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निश्चित योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) से (घ) प्रधान मन्त्री ने दूरदर्शन की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए 22 फरवरी, 1988 को कुछ माध्यम विशेषज्ञों के साथ एक अनौपचारिक जलपान बैठक की थी। बैठक का उद्देश्य विचारों का आदान-प्रदान करना था। कोई निर्णय लिए जाने का प्रश्न नहीं था।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में संचार नेटवर्क

8425. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों ने इंसेट-एक बी के माध्यम से अपना संचार नेटवर्क बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उन एककों के नाम क्या हैं; और

(ग) उपग्रह पर आधारित नेटवर्क सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कब तक उपलब्ध कराया जा सकता है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उनके उपग्रह पर आधारित नेटवर्क के पूर्ण होने की प्रगति इस प्रकार है :—

क्र० सं०	उपक्रम यूनिट का नाम	समय जब तक कि उपग्रह पर आधारित नेटवर्क उपलब्ध होने की उम्मीद है।
1.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	ऊरान तथा बम्बई हाई में भू-केन्द्र पहले ही संस्थापित कर दिए गए हैं तथा कार्य कर रहे हैं।
2.	राष्ट्रीय उर्वरक निगम	बीजापुर (म० प्र०) में भू-केन्द्र पहले से ही संस्थापित है और कार्य कर रहा है।
3.	भारतीय टेलीफोन उद्योग	मनकापुर (उ० प्र०) और बेंगलूर (कर्नाटक) में भू-केन्द्र पहले से ही संस्थापित हैं और कार्य कर रहे हैं।
4.	कोल इंडिया लि० प्रथम चरण	कार्य चल रहा है। इसके अंशतः 1988-89 के दौरान कार्य शुरू किए जाने की उम्मीद है।
5.	नेशनल थर्मलपावर निगम	यह उपस्कर उपलब्ध होने तथा निगम द्वारा सिविल कार्य पूरा कराये जाने पर निर्भर करेगा। कोरबा (म० प्र०), डामागुंडम (आंध्र), संगरोली (उ० प्र०) से भू-केन्द्रों का संस्थापन कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। संगरौली तथा रामागुंडम उपग्रह सम्पर्क के लिए चालू कर दिए गए हैं।
6.	तेल तथा प्राकृतिक गैस कमीशन, हाजीरा (गुजरात भू-केन्द्र)	आयोग द्वारा भू-केन्द्र की संस्थापना स्वयं किया जा रहा है।
7.	गैस अथारिटी आफ इंडिया लि०	यहां का कार्य इस संस्थान द्वारा स्वयं सम्पन्न किया जा रहा है।
8.	कोल इंडिया लि० द्वितीय चरण	1990-91
9.	भारतीय आणविक पावर निगम लि०	1989-90
10.	आयल इंडिया लि०	प्रस्ताव व्यवहार्य पाया गया है। निश्चित मांग की प्रतीक्षा की जा रही है।
11.	नेशनल एयरपोर्ट अथारिटी	—वही—
12.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग डाटा नेटवर्क	—वही—
13.	भारतीय टेलीफोन उद्योग (द्वितीय चरण)	निश्चित मांग की प्रतीक्षा है।
14.	कम्प्यूटर अनुरक्षण निगम	प्रस्ताव विचाराधीन है।
15.	नेशनल डेरी विकास बोर्ड	व्यवहार्यता की जांच प्रगति पर है।

यह उल्लेखनीय है कि उपक्रम से निश्चित मांग प्राप्त हो जाने पर सामान्य रूप से इसमें $2\frac{1}{2}$ से

3 वर्ष का समय यह कार्य पूरा करने में लगता है।

गुजरात में छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

8426. श्री नरसिंह मकवाना : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में हाल ही में कितने छोटे टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं और यह एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या पुराने टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर नये टेलीफोन एक्सचेंज लगाने की कोई योजना तैयार की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अहमदाबाद जिले में धंधुका, राणापुर, बोटाद और बीरमगांव टेलीफोन एक्सचेंजों के कब तक बदले जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) 1987-88 के दौरान गुजरात में 25 नये छोटे एक्सचेंज चालू किये गये। इनके नाम हैं : खंभाल, टिक्कर (आर) बुटेडी, तापड़, मोडासा, टिम्बी, जंतराल, वनोडा, जासपुर, रोहीशेला, सादोदर, हानदोद, काडीपानी, हडाड, टिक्कर, जीवापुर, राधिकापुर, अनगाडी, चदेटिया, होलियाक, धंधालपुर, बातामान, सिबोली, मोती, इसेनपोर, मोटा और मिरोली।

(ख) जी हां, 77 एक्सचेंजों को नये एक्सचेंजों में बदला जाना है। इन 77 एक्सचेंजों में से 36 एक्सचेंज मध्यम और उच्च क्षमता के एक्सचेंज हैं तथा 41 एक्सचेंज छोटे आकार के हैं।

(ग) बोडाड को 1988-89 के दौरान बदलने का कार्यक्रम है, जबकि धांधुका, राणापुर और वीरन गांव एक्सचेंजों को 8वीं योजना में बदले जाने का कार्यक्रम है।

गैस से बिजली का उत्पादन

[अनुवाद]

8427. श्री सत्य नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना में गैस से 3000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए राज्यों से कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का गैस से बिजली के उत्पादन को देश के एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में विकसित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान गैस पर आधारित निम्नलिखित विद्युत संयंत्र कार्यान्वयनाधीन हैं/ कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं :—

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाएं		
(एक)	गैस पर आधारित अन्य संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (राजस्थान)	31 × 00 मेगावाट
(दो)	गैस पर आधारित औरैया संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (उत्तर प्रदेश)	4 × 100 मेगावाट
(तीन)	गैस पर आधारित कवास संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना (गुजरात)	4 × 100 मेगावाट
राजस्थान		
(चार)	रामगढ़ गैस टर्बाइन परियोजना	1 × 3 मेगावाट
त्रिपुरा		
(पांच)	बारामूरा गैस टर्बाइन संयंत्र	2 × 5 मेगावाट (पहले ही चालू किया जा चुका है)
(छः)	बारामूरा गैस टर्बाइन परियोजना (उत्तर-पूर्वी परिषद की प्रबन्धकीय परियोजना) यूनिट-3	1 × 5 मेगावाट
(सात)	रोखिया में गैस टर्बाइन परियोजना	2 × 5 मेगावाट
असम		
(आठ)	लकवा गैस टर्बाइन यूनिट-4	1 × 5 मेगावाट (पहले ही चालू किया जा चुका है)
(नौ)	लकवा गैस टर्बाइन सोपान-दो परियोजना यूनिट-5 से 8	4 × 15 मेगावाट
महाराष्ट्र		
(दस)	उरण गैस टर्बाइन	4 × 108 मेगावाट (पहले ही चालू किया जा चुका है)
	जोड़ :	1635 मेगावाट

आठवीं योजना अवधि में लाभ प्राप्त करने के लिए कुल 429 मेगावाट क्षमता की गैस पर आधारित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। रोखिया (त्रिपुरा) में गैस टर्बाइन परियोजना (10 × 7.5 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया गया है। गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुए अन्य प्रस्तावों पर, विद्युत उत्पादन के लिए गैस की उपलब्धता, विभिन्न क्षेत्रों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं

तथा अन्य संबंधित तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकेगा ।

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए नियत किए गए समयों का विवरण

8428. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, समाचार, वाणिज्यिक विज्ञापन, संस्कृति और कला, कृषि आदि के लिए औसत रूप से नियत किए गए रुपयों का विवरण क्या है; और

(ख) वाणिज्यिक कार्यक्रमों से दूरदर्शन को कितनी निवल आय होती है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान दूरदर्शन ने लगभग 136.3 करोड़ रुपए का सकल राजस्व अर्जित किया ।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किए गए विभिन्न कार्यक्रमों (राष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रातःकालीन प्रसारण सहित) को आबंटित समय ।

	(1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1987 तक)
1. समाचार	352 घंटे 12 मिनट
2. वाणिज्यिक विज्ञापन	87 घंटे 12 मिनट
3. कला और संस्कृति	1261 घंटे 24 मिनट
4. खेलकूद	695 घंटे 28 मिनट
5. कृषि	98 घंटे 47 मिनट
6. विविध	949 घंटे 06 मिनट

कोल इंडिया लिमिटेड में हानि पर नियंत्रण

8429. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान सरकार द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के लिए कितनी धनराशि मंजूर की;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्पादन लागत को नियन्त्रित करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) कोल इण्डिया लिमिटेड के भूमिगत खनिजों में हानि पर नियंत्रण के लिए क्या कदम

उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1988-89 के लिए सरकार ने कोल इण्डिया लि० के लिए 1314 करोड़ रुपए का योजना परिव्यय मंजूर किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि० उत्पादन की लागत और घाटों को कम करने के प्रयास कर रही है। इस संबंध में उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं :—

(क) (सभी खानों पर लागू कदम)

(1) प्रचालन कार्यों के निष्पादन में सुधार करने के लिए अनेक प्रणाली सुधार तथा प्रबंधकीय उपाय किए गए हैं।

(2) प्रक्रिया, कम्प्युटरीकरण, विक्रेता दरों, आदि के निर्धारण को सुप्रवाही बनाकर उपादान प्रबन्ध में सुधार।

(3) ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्रवाई योजना तैयार की गई है।

(4) संचार प्रणाली में सुधार तथा कुशल प्रबन्ध व्यवस्था के लिए प्रबन्ध सूचना प्रणाली का कम्प्युटरीकरण।

(ख) (विशेषरूप से भूमिगत खानों पर लागू कदम)

(1) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए मौजूदा खानों के पुनर्गठन के लिए प्रयास।

(2) नई भर्तियों पर नियंत्रण, जनशक्ति बजट, प्रशिक्षण आदि के जरिए प्रभावकारी जनशक्ति की योजना।

(ग) (विशेषरूप से ओपनकास्ट खानों पर लागू कदम)

(1) प्रति व्यक्ति प्रति पाली अधिक उत्पादन के साथ परियोजनाओं की योजना तथा निष्पादन।

(2) उपकरणों की उपलब्धता तथा उनके इस्तेमाल में सुधार।

सरणीकृत औषधियों के आयात संबंधी छावड़ा समिति

8430. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरणीकृत औषधियों के आयात संबंधी छावड़ा समिति ने वर्ष 1978 में सिफारिश की थी कि सरणीकृत औषधियों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को इस प्रकार की औषधियों का आयात और वितरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(ख) क्या समिति ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० द्वारा सरणीकृत औषधियों पर लिये लाभ को गम्भीरतापूर्वक लिया है और इस प्रकार के लाभ को वसूल करने की आवश्यकता महसूस की;

(ग) क्या 6 ए०पी०ए० निर्माताओं के वितरण के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०

को पेनिसिलीन 5 का आयात लाइसेंस स्वीकृत करते समय मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक द्वारा इन सिफारिशों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट में सल्फागुनाडाइन में केवल एक मामले का उल्लेख किया जिसमें यह बताया जाता है कि उन्होंने यह बात नोट की है कि आई० डी० पी० ए० द्वारा इस औषध के निर्माण के कारण हुए घाटे को समायोजित करने के लिए आई० डी० पी० ए० द्वारा लाभ कमाया गया है और सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं तत्काल रोकी जानी चाहिए। रिपोर्ट में लाभ की वसूली के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक आधार पर ज्वारीय ऊर्जा

8431. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्र तट के किन-किन ग्रामीण क्षेत्रों को प्रायोगिक आधार पर ज्वारीय ऊर्जा प्रदान की गई थी; और

(ख) इससे लघु उद्योगों को कितनी बिजली प्रदान की जा सकती है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) देश में विद्युत उत्पादन के लिए ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग करने के बारे में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अध्ययन किया जा रहा है जोकि अभी व्यवहार्यता अध्ययन की अवस्था में है।

तेल और गैस की खोज

8432. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक किन-किन राज्यों में तेल की खोज कर ली गई है और किन-किन राज्यों में तेल की खोज की जा रही है; और

(ख) गत तीन वर्षों में देश के जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया, उनका ब्यौरा क्या है और वहां क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) वे राज्य हैं :—

असम	नागालैंड	आन्ध्र प्रदेश	गुजरात
तमिलनाडु	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी अपतट	

(ख) निम्नलिखित बेसिनों के भागों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं :—

कैम्बे	ऊपरी असम	असम अरकन
राजस्थान	बंगाल	कृष्णा-गोदावरी
कावेरी	अंडमान	दक्खन सैनस्लाईस

विन्ध्यान और

गोंडवाना वेसिन अर्थात् सतपुड़ा, साऊथ रेवा, प्रानहिता—गोदावरी

बम्बई अपतट	केरल-कोंकण	हिमालय की तराई वाले क्षेत्र गंगा घाटी
उड़ीसा अपतट	नार्थ ईस्ट कास्ट	

इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों के भूविज्ञान/संरूपण के बेहतर जानकारी प्राप्त होने के अतिरिक्त खोदने योग्य अनेक स्थानों का निर्धारण किया गया है।

बालेश्वर और बलियापाल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करना।

8433. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने उड़ीसा राज्य के बालेश्वर और बलियापाल में चालू वर्ष के दौरान दो दूरदर्शन ट्रांसमीटर/प्रसारण केन्द्र शुरू करने के लिए सामग्री सहित दो टावर तथा दो ट्रांसमीटर एंटीनाओं और मास्टों के साथ सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने दूरदर्शन से हैदराबाद में कंचनबाग स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला से ट्रांसमीटर को बालेश्वर में स्थानांतरित करने के लिए तथा बालेश्वर और बलियापाल में दूरदर्शन प्रसारण केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन करने हेतु अपने प्रतिनिधियों को भेजने के लिए भी निवेदन किया था;

(ग) यदि हां, तो निवेदन कब प्राप्त हुआ था तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और इन दो दूरदर्शन केन्द्रों को कब तक शुरू किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। रक्षा मन्त्रालय ने उड़ीसा सरकार को इस प्रकार की पेशकश की थी।

(ख) और (ग) इस आशय का अनुरोध उड़ीसा सरकार से दिसम्बर, 1987 में प्राप्त हुआ था। उपकरण की उपयुक्तता अथवा अन्यथा की जांच दूरदर्शन के इंजीनियरों, रक्षा मन्त्रालय के अनुसंधान और विकास संगठन के अधिकारियों तथा डी० आर० डी० एल० हैदराबाद के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि पेशकश किया गया उपकरण न केवल अधूरा था अपितु वह दूरदर्शन की तकनीकी विशिष्टियों के अनुरूप भी नहीं था, अतः वह दूरदर्शन ट्रांसमीटर के रूप में प्रयोग करने हेतु उपयुक्त नहीं था।

(ख) बालासोर में शुरू में दूरदर्शन सेवा (देश के अनेक अन्य भागों में भी) सातवीं योजना के अन्तर्गत मौजूदा ट्रांसमीटर से बदलकर उसे स्थानांतरित करके उपलब्ध करने की परिकल्पना की गई थी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत बालासोर और इस प्रकार के अन्य स्थानों पर सातवीं योजना अवधि के अन्त तक ट्रांसमीटर स्थापित करना सम्भव होता। तथापि, बालासोर और इसी प्रकार के अन्य स्थानों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार उससे पहले, जो उपरिउल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत सम्भव होता, करने

की आवश्यकता को देखते हुए, इन स्थानों पर स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसमीटर खरीदने के लिए दूरदर्शन को सातवीं योजना में हाल ही में एक नई स्कीम शामिल की गई है। अपेक्षित उपकरणों के लिए निर्माताओं को क्रयादेश दे दिए गए हैं और बालासोर में प्रस्तावित दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1988-89 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। तथापि, बलियापाल में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए दूरदर्शन की सातवीं योजना में कोई स्कीम नहीं है।

हाजीरा में प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

8434 **श्री आर० एम० भोये** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजीरा में प्रतिदिन करोड़ों रुपये के मूल्य की प्राकृतिक गैस जलायी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) हाजीरा में कोई गैस नहीं जलाई जा रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खादी ग्रामोद्योग आयोग की शाखायें

[हिन्दी]

8435. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत इस समय कितनी शाखायें कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने निकट भविष्य में कुछ और अधिक शाखायें खोलने के लिए दिल्ली भवन को अपनी अनुमति दे दी है;

(ग) क्या यह सच है कि खादी भवन, दिल्ली ने रिवाड़ी में भी शाखा खोली थी और बाद में इसे बन्द किया गया;

(घ) यदि हां, तो रिवाड़ी शाखा कब खोली गई थी और यह कब बन्द की गई थी और शाखा को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह भी सच है कि कि रिवाड़ी शाखा के बन्द होने के बावजूद भी खोली दुकान खादी भवन के अधिकार में रही; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और खोली दुकान के किराये के लिए कौन जिम्मेदार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली में खादी ग्रामोद्योग भवन की दो शाखाएं हैं, इसके अलावा एक मुख्य शो-रूम रीगल बिल्डिंग नई दिल्ली में भी है। दो और शाखायें क्रमशः गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और फरीदाबाद

(हरियाणा) में खोलने के लिए अनुमति दे दी गई है।

(ग) से (च) खादी ग्रामोद्योग भवन ने नवम्बर, 1982 में एक शाखा रेवाड़ी में खोली थी जो मार्च, 1985 में बन्द कर दी गई थी क्योंकि यह घाटे में चल रही थी और इसके कार्य-निष्पादन में सुधार की कोई संभावना नहीं थी। क्योंकि वहां पड़े फर्नीचर और फिक्सचर का निपटान करना था इसलिए खाली दुकान का कब्जा 1-5-1987 को सौंपा गया। इस दुकान के किराये के लिए खादी ग्रामोद्योग भवन जिम्मेदार है।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में भर्ती

436. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग का एक बिक्री केन्द्र है, में स्थायी-अस्थायी पदों को भरने के लिए रोजगार कार्यालय से सहायता मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने व्यक्तियों को बुलाया गया और यदि उन्हें रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नहीं बुलाया गया है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसे सरकारी संस्थानों में प्रत्येक स्थायी अथवा अस्थायी पद को रोजगार कार्यालयों से अनिवार्य रूप से भरने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली की सभी रिक्तियों की सूचना रोजगार कार्यालयों को भेजी जाती है, तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालय द्वारा 17 उम्मीदवारों को भेजा गया था।

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में पहले ही निदेश जारी कर दिए हैं।

मैसर्स डब्ल्यू० एम० आई० क्रेन्स लिमिटेड, बम्बई को ठेके

[अनुवाद]

8437. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री डब्ल्यू० एम० आई० क्रेन्स लिमिटेड, बम्बई को ठेके के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4696 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 सितम्बर, 1987 को डब्ल्यू०एम०आई० क्रेन्स लिमिटेड बम्बई द्वारा पूरा किया जाने वाला ठेका पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) मैसर्स एम०ए०एम०-जी० एच० एच०/डब्ल्यू०एम०आई० क्रेन्स लि०, बम्बई को नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की दूसरी खान विस्तार परियोजना के लिए 20,000 टन प्रति घंटा क्षमता के दो नग स्प्रेडरों की सप्लाई से संबंधित ठेका दिया गया था जिसे पूरा करने की समय सूची क्रमशः प्रथम मशीन के लिए 10-4-1989 एवं दूसरी मशीन के लिए 10-8-1989 तय थी।

तेल और गैस का भंडार, उत्पादन तथा इस समय निकाली जा रही मात्रा

8438. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तटवर्ती और तट-दूर क्षेत्रों में तेल के कुओं तथा अन्य निपेक्षों में तेल और गैस का कितना भंडार उपलब्ध होने का अनुमान है;

(ख) 1 जनवरी, 1988 को देश में कच्चे तेल का कुल उत्पादन कितना था; और

(ग) इस समय ज्ञात भंडारों की कितने प्रतिशत मात्रा का उपयोग किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) एक जनवरी, 1987 को देश में तेल और गैस के बराबर तेल के लगभग 4649 मिलियन मीट्रिक टन भूमिगत भंडार होने का अनुमान है ।

(ख) दिसम्बर, 1987 तक कुल मिलाकर लगभग 317 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का उत्पादन किया गया ।

(ग) 3.6 प्रतिशत ।

कोयले पर पर्यावरण संरक्षण उपकर

8439. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो, जिसने पिछले वर्ष कोयला उद्योग के कार्यों की जांच की थी, ने सरकार से सिफारिश की है कि 210 रुपए प्रति टन औसत मुहाना मूल्य पर एक प्रतिशत कर लगाकर पर्यावरण संरक्षण उपकर के रूप में वूसल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कोयले पर पर्यावरण उपकर के रूप में प्रति वर्ष कितनी धनराशि वसूल किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को वर्ष 1985 में, कोयले के लिए उचित मूल्य का सुझाव देने की दृष्टि से, कोयला क्षेत्र में मानकीय लागत के अध्ययन का काम सौंपा गया था। इस ब्यूरो ने अक्तूबर, 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ, पर्यावरण-बचाव के संसाधन उत्पन्न करने के लिए 1% का एक उपकर लगाने की सिफारिश की है । कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की खान-मुहाना कीमत निर्धारित करने के संबंध में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर विचार किया गया तथा अन्य संबद्ध बातों पर विचार करते हुए जिसमें विशेष रूप से, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तथा समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोयले की कीमतों के ऊर्ध्वगामी संशोधन का प्रभाव शामिल है, कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों को 3-12-1987 से संशोधित किया गया । पर्यावरण-बचाव के लिए संसाधन उत्पन्न करने हेतु 1% का उपकर लगाने के सम्बन्ध में ब्यूरो की सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

खतरनाक उद्योगों का स्थानान्तरण

8440. **डा० वी० एल० शैलेज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वसम्मति से सिफारिश की है कि खतरनाक संसाधन में कार्यरत कारखानों के प्रारम्भिक स्थान का पता करने अथवा विस्तार करने के लिए आवेदनों की जांच "एक ही केन्द्र" (वन विंडो) धारणा के अन्तर्गत की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे खतरनाक उद्योगों का पता लगाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस, पूंजीगत माल अथवा एक सिंगल विन्डो के अन्तर्गत निपटान करने की जानकारी सम्बन्धी प्रस्तावों के आवेदनों पर विचार करना सरकार की स्वीकृत नीति है। ऐसे आवेदनों को एक परियोजना स्वीकृति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जो मिश्रित आवेदनों के विभिन्न पक्षों पर सिफारिशें देता है। ऐसे अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की एक सूची का पता लगाया गया है जिनमें से कुछ उद्योग खतरनाक हैं तथा ऐसे उद्योगों से सम्बन्धित आशय पत्रों में सख्त शर्तें लगाई जाती हैं और आशय पत्रों में लगाई गई शर्तों को पार्टियों द्वारा सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरी कर लेने पर ही आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदला जाता है।

प्रौद्योगिकी विकास सैल

8441. **डा० वी० एन० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का उद्योगों को, विशेष रूप से लघु क्षेत्र के उद्योगों की सहायता के लिए एक नियमबद्ध आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु प्रौद्योगिकी विकास सैल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की विस्तृत रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यदि कोई भूमिका सौंपने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से ग) सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने लघु उद्योग क्षेत्र की सहायता करने हेतु एक तकनोलोजी विकास प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव के ब्यौरों तथा उसमें राज्य सरकार की भूमिका, यदि कोई हो, को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

गणेश फैन यूनिट को स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड से पृथक करना

8442. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गणेश फैन यूनिट को स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड से पृथक किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या बजाज आटो लिमिटेड को इस यूनिट का प्रबन्ध ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी

और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगलराव) : (क) और (ख) दिल्ली में स्थित स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के पंखा निर्माण कार्य-संचालन का अधिग्रहण करने के लिए बजाज आटो लिमिटेड का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेंसिलिन-वी फ्रस्ट क्रिस्टल के मूल्य

8443. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंसिलिन-वी फ्रस्ट क्रिस्टल देश में उपलब्ध है;

(ख) क्या इस समय स्वदेशी पेंसिलिन-5 फ्रस्ट क्रिस्टल के मूल्य गत वर्ष के मूल्य की तुलना में बहुत अधिक है, यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान 6 एपीए के उत्पादन के लिए पेंसिलिन-5 फ्रस्ट क्रिस्टल कुल कितनी मात्रा में उपलब्ध रहा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पेंसिलिन-वी फ्रस्ट क्रिस्टल के उत्पादन के ब्यौरों को अलग से मॉनीटर नहीं किया जाता है।

जांच रिपोर्ट

[हिन्दी]

8444. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री खादी और ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में चोरी और सेंधमारी के बारे में 16 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिनके बारे में यह कहा गया था कि उनकी जांच की जा रही है, नियुक्त किए गए जांच अधिकारियों के नामों और जिन तारीखों को जांच के आदेश दिए गए उनके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनके बारे में जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	मामले का स्वरूप	जांच अधिकारी का नाम और नियुक्ति की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4
1.	काउंटर पर रेशमी साड़ी का लापता होना	श्री आर० सी० पन्त, तत्कालीन सहायक निदेशक, सूचना ब्यूरो, के० वी० आई० सी०, नई दिल्ली। —17-6-78	1981 तक जांच को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर प्रबन्धक ने हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। आयोग से अन्तिम निर्णय मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	3 छापे हुए रेशमी थानों की चोरी	चूंकि इस मामले में एक गैर-सरकारी व्यक्ति का हाथ था, इसलिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया था। —7-8-78	यह मामला अभी भी लम्बित है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्ति फरार है और उसका अता पता मालूम नहीं है। (पता न लगने योग्य है)
3.	रेशमी सामान के सन्दूक का लापता होना	श्री जे० सी० शाह तत्कालीन उप निदेशक (सतर्कता), के० वी० आई० सी०, बम्बई। —14-7-81	तीन कर्मचारी कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता के दोषी पाये गये थे जिसके कारण उक्त हानि हुई थी। जांच अधिकारी ने 2 वर्ष की अवधि के लिए उनकी एक वेतनवृद्धि तथा उनके 3 माह के वेतन के बराबर राशि वसूल करने की सिफारिश की थी। उनके

1	2	3	4
			द्वारा पुन: दिये गये अभ्यावेदन के आधार पर उनमें से एक व्यक्ति को दिये गये दण्ड, को वापिस लेने का निर्णय लिया गया था। शेष दो व्यक्तियों पर लगाये गये दण्ड को कार्यान्वित किया गया था।
4. और 5.	दो साड़ियां और लापता होना	कोई भी जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।	सम्बन्धित व्यक्तियों से प्राप्त हुए उत्तरों के आधार पर आयोग को यह पता लगा कि विशेष छूट अवधि के दौरान भीड़ होने के कारण उक्त हानि हुई थी और हानि को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया गया था।
6.	प्रदर्शनी स्थल आई० आई० टी० एफ० नई दिल्ली से रेशमी सामान का खो जाना	श्री ए० पी० शर्मा, तत्कालीन सहायक निदेशक, सूचना ब्यूरो, के० वी० आई० सी०, नई दिल्ली। —5-1-80	के० वी० आई० सी० के दो कर्मचारियों को चार्ज-शीट दी गई थी। जांच अधिकारी ने इनमें से एक कर्मचारी को आरोप के प्रति दोषी पाया और हानि की वसूली के आदेश दिये। तदनुसार हानि की वसूली की गई।
7.	रेशमी साड़ी का खो जाना	श्री ए० पी० शर्मा, तत्कालीन प्रबन्धक ग्रामशिल्प, नई दिल्ली। —27-3-1981	चार्ज-शीट प्राप्त व्यक्तियों द्वारा दिये गये उत्तरों के आधार पर प्रबन्धक खादी ग्रामोद्योग भवन ने उक्त हानि को बट्टे खाते में डालने के लिए आयोग से सिफारिश की थी। आयोग को इस मामले में अभी भी निर्णय लेना है।

1	2	3	4
8.	रेशमी साड़ी का खो जाना	कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।	उक्त हानि के कारण चार्ज शीट प्राप्त व्यक्तियों से मिले उत्तरों के आधार पर यह पता लगा था कि गांधी जयन्ती के अवसर पर बिक्रियों के समय भारी भीड़ होने के कारण उक्त हानि हुई थी। अतः प्रबंधक ने उक्त हानि को माफ कर देने की सिफारिश की थी जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया।
9.	रेशमी साड़ी की चोरी	इसमें चूंकि एक बाहरी व्यक्ति का हाथ था, इसलिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया था।	उक्त व्यक्ति को न्यायालय ने दोषी ठहराया था
10.	7 रेशमी साड़ियों का लापता होना	श्री आर० के० जोशी, तत्कालीन सहायक निदेशक, सूचना ब्यूरो, के० वी० आई० सी०, नई दिल्ली। —4-4-1983	कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता के लिए, जिसके कारण उक्त सामान खोया था, दो कर्मचारियों को चार्ज-शीट दी गई थी। जांच अधिकारी ने इन दोनों कर्मचारियों को दोषी पाया था और उनसे उक्त हानि की वसूली करने की सिफारिश की थी। अब हानि की राशि वसूल की जा चुकी है।

मध्य प्रदेश में एक शिक्षक द्वारा सौर ऊर्जा कुकर तथा घड़ी का आविष्कार

8445. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के एक शिक्षक ने एक नये सौर ऊर्जा कुकर और सौर ऊर्जा घड़ी का आविष्कार किया है;

(ख) क्या उक्त शिक्षक ने विज्ञान के क्षेत्र में अपना कार्य जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उसे वित्तीय सहायता दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसे कितनी धन राशि दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) मध्य प्रदेश के एक अध्यापक से सौर कुकर और इलेक्ट्रोनिक घड़ी के विकास करने सम्बन्धी दावे की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) चूंकि अध्यापक द्वारा विकसित सौर कुकर और इलेक्ट्रोनिक घड़ी के तकनीकी विवरण नहीं दिये गये हैं, इसलिए उनसे ये अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक सूचना भेजें।

राजस्थान में तनोट के निकट गैस तथा तेल के लिए ड्रिलिंग

8446. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा पश्चिमी राजस्थान में तनोट के निकट जो कि पाकिस्तान की सीमा से केवल डेढ़ किलोमीटर दूर है, गैस तथा तेल के लिए ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सीमा पर पाकिस्तान क्षेत्र में भी गतिविधियों में वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या पाकिस्तान को इसके बारे में पूर्व सूचना दी गई थी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) रक्षा मन्त्रालय से अपेक्षित सुरक्षा अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद आयल इंडिया लिमिटेड पाकिस्तान की सीमा से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर तनोट के पास एक कुंआ खोद रहा है। पाकिस्तान की ओर से गतिविधियों मे वृद्धि की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में जींस का निर्माण

8447. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं विदेशी जूता कम्पनियों तथा जीन्स कम्पनियों ने अब भारत में ही जीन्स बनाने के करारों पर हस्ताक्षर किये हैं और यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) इन कम्पनियों का वार्षिक उत्पादन क्या होगा; और

(ग) क्या स्वदेशी जूता कम्पनियों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार का औद्योगिकीकरण

[अनुवाद]

8448. **श्रीमती माधुरी सिंह**
डा० गौरी शंकर राजहंस } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए कोई संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं;

(ग) इसकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) बिहार औद्योगीकरण की गति को तीव्र करने के लिए किसी संयुक्त कार्यकारी दल का औपचारिक रूप से गठन नहीं किया गया है । तथापि, नवम्बर, 1987 में, बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु लम्बित आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए बिहार सरकार के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया था ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नाइलॉन-66 संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति

8449. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "ड्यू पोंट" के नाइलॉन-66 संयंत्र की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्वदेशी कृत्रिम फाइबर उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो "ड्यू पोंट" संयंत्र की स्थापना के लिए दी गई अनुमति सरकार की नीति के किस प्रकार अनुरूप है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) से (घ) नायलोन-6 अथवा नायलोन-66 औद्योगिक यार्न/टायरकार्ड के निर्माण के लिए गोवा, दमन और दीव के मे० इकोनोमिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन को एक आशयपत्र जारी किया गया है । इस परियोजना के लिए विदेशी सहयोग हेतु कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

नाइलान-66 का उत्पादन करने के लिये बल्लारपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को लाइसेंस देना

8450. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को नाइलॉन-66 का उत्पादन करने के लिये कोई लाइसेंस देने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित उत्पादन एक पुराने आयातित ड्यूपोंट संयंत्र पर आधारित होगा; और

(ग) क्या संयंत्र के लिए कच्चे माल का सदैव आयात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) से (ग) नायलान-66 के विनिर्माण के लिये मैं० बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि० से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि नायलांन 6/66 के विनिर्माण के लिए एक आशयपत्र मैं० इकोनोमिक डवलपमेंट कार्पोरेशन आफ गोवा, दमन एण्ड दीव को जारी किया गया है। विदेशी सहयोग अथवा पूंजीगत माल के लिए अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

उपभोक्ताओं के हितों के लिए एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का अधिकार क्षेत्र बढ़ाना

8451. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं के हित में एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का वर्तमान अधिकार क्षेत्र क्या है; और

(ग) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ उपभोक्ता हितों के संरक्षण से सम्बन्धित प्रस्ताव भी शामिल हैं।

बम्बई के उपनगरों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार के लिए धनराशि का आवंटन

8452. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में बम्बई के उप-नगरों की ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन विस्तार हेतु बम्बई और बम्बई के उप-नगरों के लिए आवंटित की गई धनराशि का अनुपात क्या है;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि बम्बई के उप-नगरों में टेलीफोन नेटवर्क के विस्तार

हेतु अधिक धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जहां तक टेलीफोन कनेक्शनों का सम्बन्ध है बंबई के उप-नगरों पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

(ख) सम्पूर्ण बम्बई के लिए आबंटित कुल धन की तुलना में बम्बई के उप-नगरों में टेलीफोन के विस्तार के लिए आबंटित धन का अनुपात, 1987-88 के लिए 75.4%, 1986-87 के लिए 52.5% और 1985-86 के लिये 51.2% है।

(ग) और (घ) कुल मिलाकर सारे देश के लिए विकास की योजना, टेलीफोन की मांग, सामग्री की उपलब्धता और वित्तीय संसाधनों पर आधारित है। इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए बम्बई उपनगरों के लिये धन के आबंटन का निर्णय लिया जाता है।

महाराष्ट्र में पन बिजली उत्पादन

8453. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान सूखे के कारण पन-बिजली के उत्पादन में कुल कितनी कमी हुई है;

(ख) इससे उद्योग और कृषि को कितनी हानि हुई है;

(ग) इस राज्य को ताप बिजली और परमाणु बिजली सप्लाई करके इसमें से कितनी हानि को पूरा किया जा सका है; और

(घ) वर्ष 1988-89 में कुल कितनी कमी रहेगी और केन्द्रीय ग्रिड की सहायता से इसकी पूर्ति किस प्रकार की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की तुलना में वास्तविक जल-विद्युत उत्पादन से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	कार्यक्रम	वास्तविक	कमी
1985-86	5725	5235	(—) 490
1986-87	5340	4902	(—) 438
1987-88	5330	4047	(—) 1283

(ख) विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई का निर्धारण सम्बन्धित राज्य में विद्युत की समग्र मांग तथा उपलब्धता के आधार पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। तथापि, राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे कृषि क्षेत्र तथा प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों को विद्युत की सप्लाई में प्राथमिकता दें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाराष्ट्र में ताप विद्युत केन्द्रों तथा परमाणु विद्युत केन्द्रों

के वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा निर्धारित लक्ष्यों से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

	1985-86		1986-87		1987-88	
	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक	कार्यक्रम	वास्तविक
ताप विद्युत	19935	21360	22908	24561	25890	28203
न्यूक्लीय	1750	1962	2022	2000	1860	1599

(घ) वर्ष 1988-89 के दौरान, महाराष्ट्र में विद्युत की 33010 मिलियन यूनिट की मांग की तुलना में सभी स्रोतों से इसकी उपलब्धता 32932 मिलियन यूनिट होने की संभावना है जोकि केवल 0.2% की मामूली कमी की सूचक है।

महाराष्ट्र में सौर बिजली एकक की स्थापना

8454. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में बिजली की उपलब्धि एवं मांग में अत्यधिक अन्तर को देखते हुए सौर बिजली उत्पादन को प्रोत्साहन देने पर समुचित ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए सरकार राज्यों को किस प्रकार के प्रोत्साहन देती है;

(ग) वर्ष 1988-89 में महाराष्ट्र के लिए मंजूर की गई परियोजनाओं तथा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र में 20 मेगावाट का एक सौर बिजली एकक स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न करने सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उसके उपयोग को प्रोत्साहन दे रही है। लघु क्षमता के कुछ सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत यूनिटों के प्रयोग तथा प्रदर्शन के लिए स्थापना की जा चुकी है। इनमें से अधिकांश यूनिट बिजली रहित ग्रामों में स्थापित किए गये हैं।

(ख) सौर विद्युत संयंत्र परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को तकनीकी निर्देश तथा परामर्श दिये जाते हैं। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता तथा अनुदान सहायता आधार पर उपस्कर प्रदान किये जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 1988-89 के लिए महाराष्ट्र को अभी कोई सौर विद्युत यूनिट की मंजूरी नहीं दी गई। महाराष्ट्र से 20 मेगावाट सौर विद्युत यूनिट का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। संसाधनों तथा अन्य घटकों के उपलब्ध होने पर ही ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रयोक्ताओं की जमाराशियों पर ब्याज

8455. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देते समय 1200 रुपये जमाराशि के तौर पर देने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो 15 अप्रैल, 1988 तक इस खाते में कुल कितनी राशि जमा हुई है;

(ग) प्रयोक्ताओं से जमा राशि किस कारण से ली जाती है;

(घ) क्या सरकार इस जमाराशि पर कोई ब्याज देती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) टेलीफोन की संस्थापना के समय सभी गैर-ओ०वाई०टी० श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक साल के किराये का भुगतान अग्रिम रूप से कराना पड़ता है ।

(ख) 1-4-86 से 15-4-88 तक (एम०टी०एन०एल० की स्थापना के बाद की अवधि) किराये के रूप में रखी गई अग्रिम की कुल राशि लगभग 8 करोड़ रु० है ।

(ग) अग्रिम किराया उपभोक्ता को जारी किये जाने वाले बिलों के अंतर्गत प्रतिभूति के बतौर रखा जाता है, क्योंकि स्थानीय काल तथा ट्रंक काल प्रभार बकायों में वसूल किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) चूंकि यह एक वर्ष का अग्रिम किराया होता है, अत: इस पर ब्याज नहीं दिया जाता ।

खाना पकाने की गैस की पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई

8456. **श्री उत्तम भाई ह० पटेल**
श्री सी० डी० गामित } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्वतीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को खाना पकाने की गैस की सप्लाई के लिए क्या ठोस कदम उठाए गये हैं;

(ख) गुजरात और अन्य राज्यों में ऐसे स्थानों के नाम और संख्या का ब्यौरा क्या है जहां 1 जनवरी, 1985 से अब तक गैस की सप्लाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1988-89 के दौरान खाना पकाने की गैस सप्लाई करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात के प्रत्येक जिले में चुने गये स्थानों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) तेल उद्योग पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश के उन कस्बों/शहरों को चरणबद्ध रूप से कवर कर रहा है जिनकी जनसंख्या लगभग 20,000 या इससे अधिक है तथा वहां एल०पी०जी० के व्यवहार्य विपणन के लिए आर्थिक रूप से पर्याप्त तत्व मौजूद है। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी वितरणशिपें राज्य सरकार के मण्डल विकास या ऐसे ही कारपोरेशनों के द्वारा भी स्थापित की जाती हैं इसके अतिरिक्त मुख्य वितरणशिपों के विस्तार पाइंटों द्वारा भी इस उत्पाद का विपणन किया जाता है। उपर्युक्त के अलावा इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों में एल०पी०जी० की सप्लाई का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) गुजरात में किसी भी क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र नहीं माना गया है।

विवरण

राज्यवार उन ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के नाम जहां 1-1-85 से 31-3-88 के दौरान एल०पी०जी० की सुविधा आरम्भ की गई है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान का नाम
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	1. रूपा	मेघालय	1. शिलांग
	2. पसीघाट		2. तूरा
	3 रोईंग		3. जवाई
	4. खुंसा	नागालैंड	1. कोहिमा
	5. तेजू		2. मोकोकचंग
	6. अलौंग		3. त्यूनसंग
असम	1. हफलौंग		4. मोन
मणिपुर	1. इम्फाल		5. जून्हेबोटो
	2. उखरुल		6. दीमापुर
	3. चुराचंधपुर	मिजोरम	1. आयजोल
	4. बिशनपुर	हिमाचल प्रदेश	1. कुल्लू
	5. थोबुल		2. परवानू

1	2	3	4
	3. रामपुर	कर्नाटक	1. कुद्रमुख
	4. पोंठासाहेब		2. करकल
	5. डलहौजी		3. सागर
	6. पालमपुर		4. थरट्याली
	7. हमीरपुर		5. बेलगाम (2 स्थान)
	8. सुन्दरनगर		6. शिमोगा (2 स्थान)
	9. नूरपुर		7. करवर
	10. रोहरु		8. गुंडलूपेट
	11. नालागढ़	केरल	1. मुंडाक्यम
	12. जोगिन्दरनगर		2. मुन्नार
	13. धर्मशाला		3. तेलीपरम्बा
	14. कसौली		4. पीरमांडे
	15. शिमला (3 स्थान)		5. क्यूलांडी
	16. सोलन		6. कसपेटा
जम्मू और कश्मीर		उत्तर प्रदेश	1. रामनगर
	1. ज्योतिपुरम		2. टनकपुर
	2. अनन्तनाग		3. खातिमा
	3. श्रीनगर (3 स्थान)		4. किच्छम
	4. ऊधमपुर (3 स्थान)		5. देहरादून (2 स्थान)
	5. साम्बा	पश्चिम बंगाल	1. कलिमपांग
	6. जम्मू (3 स्थान)		2. खुरसियांग
	7. राजोरी	महाराष्ट्र	1. नासिक (4 स्थान)
	8. लेह		2. स्वंतबाड़ी
	9. कलवा		3. गंधिगलज
	10. कुड		4. अकोला
	11. पहलगाम		5. कुदल
	12. दोडा		6. मुरबाद
	13. रियासी	तमिलनाडु	1. कोयम्बटूर
	14. अखनूर		2. केट्टागिरी
		गोवा	1. कोनाकोना

केरल में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

8457. **श्री के० मोहनदास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन-किन जिलों में खाना पकाने की गैस की नियमित सप्लाई नहीं है;

(ख) क्या सरकार का इन जिलों में खाना पकाने की गैस की नियमित सप्लाई उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) आवागमन, औद्योगिक संबंधों तथा अन्य परिचालन की रुकावटों के अतिरिक्त एल०पी०जी० की उपलब्धता में कमी के कारण केरल के त्रिवेन्द्रम, त्रिचूर, कालीकट कैन्नानौर, पालघाट, ऐलेप्सी, कोट्यम तथा एर्णाकुलम जिलों सहित देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल०पी०जी० रिफिलों की सप्लाई मे बैकलाग उत्पन्न हुआ।

(ख) और (ग) इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए पहले से उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप सप्लाई की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल०पी०जी० के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं तथा सम्भव सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई बढ़ाई जा रही है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से एल०पी०जी० की सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तेल उद्योग स्थिति पर सूक्ष्म नजर रख रहा है।

आंध्र प्रदेश में खम्मम और नालगोंडा में पेट्रोल पम्प चालू करना

8458. **श्री सी० सम्बु** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान आंध्र प्रदेश के खम्मम और नालगौंडा जिलों में कितने तथा किन-किन स्थानों पर पेट्रोल पम्प चालू करने की सम्भावना है;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान इन दोनों जिलों में कितने पेट्रोल पम्प चालू किये गये;

(ग) क्या वर्तमान पेट्रोल-पम्प इन जिलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में तीन खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) तथा नालगौंडा जिले में एक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की तेल उद्योग की योजना है। ये प्रस्ताव क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(ख) तेल उद्योग ने 1987-88 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के खम्मम तथा नालगोंडा जिलों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल की कमी के सम्बन्ध में इन जिलों से कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्रों के चालू हो जाने पर इस क्षेत्र के वाहनों की मांग को पर्याप्त रूप में पूरा किये जाने की सम्भावना है।

आटोवाहनों के मूल्यों में वृद्धि

8459. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आटोवाहन निर्माताओं ने हाल ही में अपने उत्पादों के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कार तथा दुपहिया वाहनों के निर्माताओं ने कितनी बार मूल्यों में वृद्धि की है;

(ग) क्या बार-बार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का निर्माताओं पर सांविधिक नियंत्रण रखने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कुछ निर्माताओं विशेषकर वाणिज्यिक वाहन निर्माताओं ने हाल ही में अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है।

(ख) यद्यपि इनमें से कुछ निर्माताओं ने 1985 से 1987 के दौरान अपने उत्पादों के मूल्यों में केवल एक बार वृद्धि की है जबकि कुछ अन्य निर्माताओं ने अपने मूल्यों में इसी अवधि में तीन और छः बार के बीच वृद्धि की है।

(ग) और (घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। निर्माताओं द्वारा मूल्य बढ़ाये जाने का मुख्य कारण वाहनों के निर्माण हेतु अपेक्षित विभिन्न निविष्टियों की मूल्यों में वृद्धि होना है।

प्लाईवुड उद्योगों की कठिनाइयां

8460. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लाईवुड उद्योग को कच्चे माल की ऊंची कीमतों और भारी शुल्क के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उद्योग की सहायता करने हेतु कौन से उपाय करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) देश में प्लाईवुड तथा लकड़ी पर आधारित उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे देश में प्रमुख जंगलों का काफी हद तक उन्मूलन कर दिया गया है। लकड़ी का आयात करने के विचार से सरकार ने लकड़ी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया है। देश में वन संसाधनों का संरक्षण करने के उद्देश्य से 1987 के बजट में मूल लकड़ी से बने हर प्रकार के प्लाईवुड पर उत्पाद शुल्क की दर 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई थी। सरकार मूल लकड़ी के स्थान पर लकड़ी अपशिष्ट तथा कृषि सम्बन्धी कच्चे माल के प्रयोग को भी बढ़ावा दे रही है।

बिजली के उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन पर आधारित नई ऊर्जा नीति

8461. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने हाल ही में लिये गये एक अध्ययन की रिपोर्ट में एक नई ऊर्जा नीति का सुझाव दिया है जिसमें बिजली के उत्पादन के लिए हाइड्रोकार्बन पर उत्तरोत्तर अधिक निर्भर होने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया है कि कोयले के स्थान पर ईंधन तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में अधिकाधिक समुपयोजन किए जाने की अनुकूल नीति बनाई जाए।

(ग) योजना आयोग ने दीर्घकालिक आधार पर ऊर्जा माडलिंग सम्बन्धी अध्ययन कार्य करने आरंभ किए हैं तथा योजना आयोग के अध्ययन से सम्बन्धित परिणाम उपलब्ध हो जाने के पश्चात् ही सरकार उपरोक्त मामले में निर्णय लेगी।

मारुति कारों और वैनों का निर्यात

8462. **श्री यशवन्त राव गड़ाख पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कितनी मारुति कारों और वैनों का निर्यात किया गया और किन-किन देशों को निर्यात किया गया; और

(ख) इसके निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढने के लिए क्या-क्या उपाय किए गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) 1987-88 के दौरान हंगरी, बांग्लादेश और श्रीलंका को 597 मारुति कार तथा बांग्लादेश और नेपाल को 26 वैनों का निर्यात किया गया था।

(ख) मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा निर्यात हेतु नये बाजार का पता लगाने के लिए किये गये उपाय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) विदेशी व्यापार मेला में भाग लेना।

(2) ई०सी०ई० मानदन्डों के अनुरूप करने के लिए प्रस्तावित अभिपुष्टिकरण जांच।

(3) पारस्परिक व्यापार प्रस्तावों के लिए मारुति वाहन प्रस्तुत करना।

(4) विभिन्न मध्य-पूर्व तथा अफ्रीकी देशों से पूछताछ की जा रही है।

इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को उड़ीसा में जैली फिल्ड कम्युनिकेशन केबल परियोजना के लिये आशय-पत्र

8463. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री चिंतामणि जेना } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडस्ट्रीयल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने उड़ीसा में चंडका औद्योगिक काम्पलेक्स में जैली फिल्ड कम्यूनिकेशन केबल परियोजना स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की क्षमता कितनी है तथा इसका अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो आशय-पत्र जारी करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड ने जैली फिल्ड कम्यूनिकेशन केबलों के निर्माण के लिए फरवरी, 1988 में आशय-पत्र और विदेशी सहयोग स्वीकृति जारी करने के वास्ते एक मिश्रित आवेदन प्रस्तुत किया है। यह प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में है। सरकार द्वारा लम्बित औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों के ब्यौरे इन आवेदनों पर अन्तिम निर्णय ले लिए जाने तक प्रकट नहीं किये जाते।

कृषि पर आधारित उद्योगों का विकास

8464. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कृषि पर आधारित और अन्य लघु उद्योगों के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार को दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय ने महाराष्ट्र राज्य में कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई है। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि औद्योगिक विकास की गति को तीव्र करने और औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति और कार्यविधि को सरलीकृत बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कृषि पर आधारित निम्नलिखित उद्योगों को कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है :—

(1) कागज और लुगदी : —

(क) कृषि अवशेष, रद्दी और खोई से लिखने, छापने और लपेटने का कागज।

(ख) बिनौलों पर के छोटे रेशे से लुगदी।

(2) डिब्बाबंद फल और वनस्पति उत्पाद, प्रोटीन और संसाधित खाद्य, वनस्पति पर आधारित दूध छुड़ाने का खाद्य और मवेशियों का चारा।

(3) वनस्पति तेल अर्थात :—

(क) बिनौलों को छोड़कर छोटे बीजों से तेल/खली को निचोड़ने का विलायक (साल्वेंट)।

(ख) धान की भूसी का तेल।

(4) रोलर फ्लोर मिलिंग।

यह भी उल्लेख है कि कृषि पर आधारित लघु उद्योगों के विकास के लिए सरकार अनेक राज-

कोषीय और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है । पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए निवेश राजसहायता और आयकर प्रोत्साहन दोनों उपलब्ध कराये जाते हैं । लघु क्षेत्रों में उत्पादन के लिए विशेष कर राहतें भी दी जाती हैं । अनेक वस्तुएं जो दक्षतापूर्वक लघु क्षेत्र में निर्मित की जा सकती हैं, उन्हें इस क्षेत्र के लिए आरक्षित भी कर दिया गया है । देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्थान रियायत सम्बन्धी सहायता भी प्रदान करते हैं । इसके अलावा कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास के लिए कर ढांचे में विशेष राहतें भी दी जाती हैं । खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए वित्तीय और अन्य संवर्द्धनात्मक सहायता दी जाती है ।

महाराष्ट्र के अहमदनगर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करना

8465. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वर्ष 1987-88 के दौरान कोई सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में वर्ष 1988-89 के दौरान विशेष रूप से अहमदनगर जिले में, कितने और कहां-कहां नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) महाराष्ट्र में 1987-88 के दौरान 349 लंबी दूरी के पी०सी०ओ० संस्थापित किए गए ।

(ग) महाराष्ट्र में 1988-89 के दौरान 29८ लंबी दूरी के पी०सी०ओ० संस्थापित किये जाने का प्रस्ताव है । इसमें से 20 पी०सी०ओ० अहमदनगर जिले में ही खोले जाएंगे । वर्ष के दौरान ऐसे स्थानों के नाम निर्धारित किए जाएंगे ।

ऊर्जा के पुन: प्रयोज्य स्रोतों का पता लगाना

8466. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री भद्रेश्वर तांती
डा० वी० वेंकटेश
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुन: प्रयोज्य स्रोतों का प्रयोग करके तैयार की गई ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे ढांचे का विकास करने के लिए कदम उठाए हैं जिससे देश में ऊर्जा के पर्याप्त पुन: प्रयोज्य स्रोतों का पूरी तरह प्रयोग किया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) यद्यपि नवीकरणीय अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की ठीक-ठीक लागत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है किन्तु औसत में सामान्य रूप से देश के अनेक भागों में अनेक प्रयोजनों के लिए परम्परागत

स्रोतों के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा की लागत समग्र राष्ट्रीय रूप से औसतन तुलना में सामान्यतः अनुकूल होगी। सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणाली की लागत फिलहाल पारम्परिक युक्तियों से अपेक्षाकृत सामान्यतः अधिक है किन्तु विद्युत-गृहों से दूरस्थ क्षेत्रों में लघु वित्तीय अनुप्रयोगों के लिए समग्र लागत के बराबर अथवा कम होगी। अपारम्परिक ऊर्जा प्रणालियों के बड़ी मात्रा में उत्पादन तथा इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के कारण निकट भविष्य में इनकी कीमत और कम होने की आशा है।

(ख) और (ग) जी, हां। नवीकरणीय स्रोतों के प्रचुर मात्रा में दोहन करने के लिए अधसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्र में एक विभाग की स्थापना करना, विशिष्ट रूप से स्थापित नोडल विभागों/एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकारों को तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को अपारम्परिक ऊर्जा उपयोग के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना, क्षेत्रीय कार्यालय/प्रबोधन सैलों की स्थापना, औद्योगिक अधसंरचना का विकास, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से उपभोक्ताओं के साथ-साथ विनिर्माताओं को कई मामलों में आर्थिक सहायता देने सहित विभिन्न राजस्व एवं वित्तीय प्रोत्साहन देना शामिल है। देश में इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उदार शर्तों पर ऋण की व्यवस्था करने के लिए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना भी की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तकनीकी विकास महानिदेशालय के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण उद्योग के लिए पैनल

8467. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तकनीकी विकास महानिदेशालय के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण उपकरण उद्योग के लिए एक विकास पैनल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इंजीनियरी उद्योग महासंघ ने हाल ही में तकनीकी महानिदेशालय को लिखा है कि उन्होंने प्रदूषण निगरानी व नियंत्रण उपकरण निर्माताओं के लिए एक अलग प्रभाग स्थापित कर लिया है और तकनीकी विकास महानिदेशालय में प्रदूषण, निगरानी व नियंत्रण उपकरण उद्योग का एक विकास पैनल स्थापित करने के लिए भी अनुरोध किया है।

(ख) इंजीनियरी उद्योग महासंघ द्वारा सुझाए गए विचारार्थ विषयों का प्रारूप निम्न प्रकार है :—

1. उद्योग की वर्तमान स्थिति और स्वरूपों पर विचार करना तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग के विकासार्थ उपायों की सिफारिश करना।
2. प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना तथा इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के बराबर करने के लिए उपायों की सिफारिश करना।
3. प्रदूषण निगरानी व नियंत्रण उपकरण उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए भावी संचालन पर ध्यान केन्द्रित करना।

4. निर्यात बढ़ाने हेतु उपायों की सिफारिश करना।

5. देश में उपलब्ध अनुसंधान व विकास संबंधी विद्यमान सुविधाओं का मूल्यांकन करना तथा प्रौद्योगिकी के अन्तर को दूर करने के लिए आवश्यक बातें शामिल करने का सुझाव देना।

6. उद्योग के विकास से संबंधित किन्हीं अन्य पहलुओं पर विचार करना।

ट्रैक्टर के पुर्जों का आयात

8468. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों के महत्वपूर्ण पूर्जों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हो रही है; और

(ख) क्या ट्रैक्टरों के पुर्जों का आयात पूर्णतया बन्द करने के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी में सुधार करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुण चलम) : (क) और (ख) वर्ष 1986 और 1987 में कुल मिलाकर क्रमश: 696.47 लाख रुपये और 406.8 लाख रुपये मूल्य के ट्रैक्टर पुर्जों के आयात की अनुमति दी गई थी जिसमें खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात की गई सामग्री भी सम्मिलित है। ये आयात 1986 और 1987 के दौरान देश में उत्पादित ट्रैक्टरों के कुल मूल्य का क्रमश: 1.27 प्रतिशत और 0.63 प्रतिशत है। अत: इसे नगण्य समझा जाता है।

कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा ठेके दिये जाना

8469. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड ने केवल वर्तमान कम्पनियों को ही ठेके देने का निर्णय लिया है नई कम्पनियों को नहीं;

(ख) यदि हां, तो निविदा आमंत्रित करके नई कम्पनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ठेका देने के लिए निविदा आमंत्रित किये जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके विशिष्ट विवरण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) कोल इण्डिया लि० ने केवल मौजूदा पार्टियों को ही ठेके देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

सरकारी उपक्रमों पर समिति ने अपनी 25वीं रिपोर्ट (आठवीं लोक सभा) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में भारी मिट्टी हटाने वाली मशीनों (हेम मशीनें) को निजी रूप में किराए पर लिए जाने के मामले की जांच की। सरकारी उपक्रम समिति द्वारा टिप्पणी किये जाने तथा उक्त समिति के निदेशानुसार नियुक्त किये गये एक विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के बाद जनवरी, 1988 में एक निर्णय लिया गया कि अगले तीन वर्षों की अवधि में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में चरणबद्ध रूप में "हेम मशीनों" को किराये पर लिए जाने की प्रणाली को बन्द कर दिया जाए। अत: इस अवस्था में, ई० को० लि० में "हेम मशीनें" किराये पर लिए जाने के लिए कोई निविदाएं आमन्त्रित नहीं की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार परियोजना स्थापित करने के लिए लाइन कर्मचारियों की कमी

8470. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार परियोजनाओं को स्थापित करने तथा उनका रख-रखाव करने वाले लाइन कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां ,तो 1 जनवरी, 1984 जबकि भर्ती पर रोक लगाई गई थी की स्थिति के अनुसार तत्कालीन टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन, धर्मशाला, की प्रत्येक सब-डिवीजन में लाइनमैनों, तकनीशियनों और नियमित मजदूरों की संख्या कितनी थी और एक्सचेंजों, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों और टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी थी;

(ग) 31 मार्च, 1988 की स्थिति के अनुसार एक्सचेंजों, सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों/टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी है तथा उनमें से (अब धर्मशाला और मण्डी टेलीफोन इंजीनियरिंग डिवीजन) प्रत्येक में इस तारीख को लाइनमैनों, तकनीशियनों तथा नियमित मजदूरों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में और अधिक कर्मचारी नियुक्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन बनाना

8471. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में कोई टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके सर्किलवार नाम क्या हैं, वे किन-किन तारीखों को बनाये गये हैं तथा बनाये जाने के समय प्रत्येक में कार्यभार कितना था;

(ग) क्या ये डिवीजन बनाते समय पर्वतीय क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों में स्थित क्षेत्रों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो उनका स्वरूप और ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल हिमाचल माइक्रोवेव परियोजना की स्थापना

8472. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धर्मशाला को हमीरपुर-निहरी (मंडी जिला) तथा शिमला के साथ जोड़कर अखिल हिमाचल माइक्रोवेव परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है तथा इसकी स्थापना का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी किस तारीख को दी गई तथा इसकी स्थापना का कार्य किस तारीख तक शुरू किये जाने तथा किस तारीख तक पूरा किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस परियोजना को किस तारीख तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है और इसे चालू करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सातवीं योजना अवधि में ऐसी किसी परियोजना का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी और शिमला पहले से ही विश्वसनीय यू०एच०एफ०/माइक्रोवेव संचारण माध्यम के जरिये जुड़े हुए हैं।

स्टोर एवं फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणाली लागू करना

8473. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री स्टोर एवं फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणाली लागू करने के बारे में 26 नवम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1403 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में से किसी राज्य में तार (टेलीग्राफ) के लाने ले जाने में होने वाले विलम्ब को कम करने और उसका शीघ्र पारगमन करने के लिए एक से अधिक स्थानों पर स्टोर एवं फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणाली भी लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चण्डीगढ़ और जम्मू के अतिरिक्त उपर्युक्त उत्तर में दिए गए किन-किन केन्द्रों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में किन-किन केन्द्रों पर यह प्रणाली वास्तविक रूप से लागू की गई है और यह प्रणाली किस तारीख से लागू की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों में स्टोर एवं फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणाली लागू न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर राज्यों के अन्तर्गत शिमला, चण्डीगढ़, अम्बाला और जम्मू में स्टोर और फारवर्ड तार प्रणालियां अभी शुरू की जानी हैं, चण्डीगढ़ और जम्मू के अतिरिक्त शिमला और अम्बाला ऐसे स्टेशन हैं जिन्हें स्टोर और फारवर्ड तार प्रणालियों के संस्थापन के लिए नियत किया गया है।

(ग) ये प्रणालियां अभी शुरू की जानी हैं।

(घ) हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्यों को एस० एफ० टी० प्रणालियों को शुरू करने की दृष्टि से शामिल किया गया है और इनके लिए प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आदेश जारी करने की प्रक्रिया चल रही है :

हायाघाट (बिहार) में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन-पत्र

8474. **श्री राम भगत पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दरभंगा जिले में हायाघाट में टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए अब तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक टेलीफोन कनेक्शन न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिये जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) केवल एक।

(ख) और (ग) एक टेलीफोन कनेक्शन ऐसे स्थान पर प्रदान किया जा सकता है जब वहां का टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहा हो। एक टेलीफोन एक्सचेंज न्यूनतम दत्त मांग के आधार पर स्थापित किया जाता है। मुख्यत: ग्रामीण/पिछले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में 9 लाइनों के कम क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के खोलने के बारे में नीति यह है कि वहां पर कम से कम 5 दत्त कनेक्शनों की रजिस्ट्री मांग होनी चाहिए।

क्योंकि न्यूनतम 5 कनेक्शनों की मांग प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए फिलहाल टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान नहीं किया जा सकता।

रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को बन्द करने का सुझाव

8475. श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जो रुग्ण औद्योगिक यूनिटों को बन्द करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) रुग्ण औद्योगिक एककों को बन्द करने के लिए कार्यविधि के सरलीकरण के सम्बन्ध में इस मन्त्रालय को कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल फिल्म विकास निगम द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन

[हिन्दी]

8476. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल फिल्म विकास निगम ने भारत में फिल्मों के निर्माण और तत्सम्बन्धी सरकारी नीति के बारे में इस वर्ष एक विचार गोष्ठी आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त विचारगोष्ठी में क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या इस विचार गोष्ठी में यह भी कहा गया था कि भारत में फिल्मों का निर्माण करना कठिन हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) केरल राज्य फिल्म विकास निगम द्वारा 17-18 जनवरी, 1988 को त्रिवेन्द्रम में "स्टेट पालिसी एण्ड इकानामिक्स आफ फिल्म प्रोडक्शन इन इण्डिया" पर एक दो-दिवसीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) गोष्ठी में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी :—

(1) फिल्म उद्योग को एक उद्योग के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(2) भारत सरकार को राष्ट्रीय फिल्म नीति बनानी चाहिए।

(3) फिल्म उद्योग एक उद्योग की विधा प्राप्त कर सके, इसके लिए 1951 की फिल्म जांच समिति या कुछ निकायों द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार फिल्म उद्योग के परामर्श से फिल्म परिषद की लाइन पर एक निकाय शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिए।

(4) सिनेमा मुख्यतया समवर्ती सूची में होना चाहिए और जहां तक क्षेत्रीय फिल्मों तथा क्षेत्रीय समस्याओं का सम्बन्ध है, इन्हें राज्य सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(5) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को फिल्म उद्योग को विभिन्न समस्याओं के बारे में तथ्य तथा आंकड़े देने हेतु अनुसंधान तथा सांख्यकीय विभाग की स्थापना करने की जिम्मेदारी हाथ में लेनी चाहिए। इस प्रकार के विभाग को विश्व भर के सिनेमा में नवीनतम तकनीकी विकासों पर तथा भारतीय स्थितियों के लिए प्रौद्योगिकी तथा उपकरण के निर्माण के बारे में अनुसंधान को हाथ में लेना चाहिए।

(ग) गोष्ठी में यह नहीं कहा गया था कि भारत में फिल्मों का निर्माण करना कठिन हो जायेगा। गोष्ठी में उद्योग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया था तथा उन पर काबू पाने के लिए उपाय सुझाए गये थे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों पर नियंत्रण

8477. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का उद्योगों पर कम नियंत्रण रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार की नीति यह रही है कि औद्योगिक विकास की द्रुत गति को बढ़ावा देने हेतु जहां भी संभव हो सके नियंत्रणों को ढीला किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय-समय पर औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति को उदार बनाने हेतु अनेक उपाय घोषित किये हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं - अनेक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना तथा उनका सीमा विस्तार करना, कुछ उद्योगों के मामले में विगत समय में किये गये उत्पादन और परिचालन के न्यूनतम आर्थिक माप के अनुसार क्षमता का पुन निर्धारण करना, विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता से ही अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने को

बढ़ावा देने हेतु नयी योजना लागू करना, अनेक उद्योगों के एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम से छूट देना, आधुनिक तकनोलोजी को प्रचलित क ना तथा इसके लिए विदेशी वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना।

इसके अलावा जहां कहीं संभव हो सके वहां औद्योगिक लाइसेंसीकरण प्रणाली की नीति और प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाने हेतु भी कार्यवाही की जा रही है।

औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ना

8478. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी को उत्पादकता से जोड़ने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मजूरी समझौतों के लिये परिनिश्चित नीति के अनुसार मजूरी वृद्धि की अधिकांश राशि उत्पादकता में हुई वृद्धि तथा लागत घटाने के अन्य उपायों में खपा दी जानी चाहिए और इस शर्त को पूरा करने के लिये मजूरी परिशोधन के प्रस्तावों में विशिष्ट उपाय एवं समय-बद्ध कार्यक्रम निहित होने चाहिएं।

किराये के भवनों में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

[अनुवाद]

8479. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के किन-किन उपक्रमों के कार्यालय दिल्ली में किराये के भवनों में स्थित हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कार्यालय द्वारा कितना मासिक किराया अदा किया जा रहा है;

(ग) क्या दिल्ली में काम कर रहे कार्यालयों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। उसे एकत्रित किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

कर्नाटक में भारतीय तेल निगम की भंडारण क्षमता

8480. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम का कर्नाटक स्थित अपने सभी डिपुओं में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादन की भंडारण क्षमता को वर्ष 1990 तक 80,000 किलोलीटर तक बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तेल निगम ने इस बारे में कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बात क्या है;

(घ) क्या भारतीय तेल निगम ने कर्नाटक के लिए खाना पकाने की गैस के कोटे में वृद्धि की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) इंडियन ऑयल कारपोरेशन ने कर्नाटक में अपने 7 डिपुओं में पेट्रोलियम उत्पादों की भंडारण क्षमता को लगभग 61,200 किलोमीटर और बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की हैं, इस कार्य को 1991-92 तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(घ) और (ङ) हालांकि कर्नाटक सहित किसी भी राज्य के लिए इस समय एल० पी० जी० का निर्धारित कोटा नहीं है फिर भी वर्तमान और नये उपभोक्ताओं की आवश्यकता को आमतौर पर पूरा किया जाता है बशर्ते इस उत्पाद की उपलब्धता हो।

पूर्वी राज्यों का औद्योगिक विकास

8481. **श्री एच० एम० नन्जे गौडा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी राज्यों में स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित उद्योगों के औद्योगिक विकास के लिए सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने औद्योगिक विकास की समस्याओं पर उस क्षेत्र के अधिकारियों से बातचीत की है;

(ग) फरवरी, 1988 के दौरान इम्फाल में राज्यों, केन्द्रीय सरकार और वित्तीय संस्थाओं के साथ हुए सम्मेलन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या इससे उक्त राज्यों में औद्योगिक स्थिति में सुधार होगा ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को बहुत महत्व देती है। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के मुख्य मन्त्रियों और उद्योग मन्त्रियों के बीच इम्फाल में 13-2-1988 को एक बैठक आयोजित की गयी थी। इस बैठक में, उक्त क्षेत्र की राज्य सरकारों से उद्योगों को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में विशेषकर लघु और कुटीर क्षेत्र में सम्मिलित प्रयास करने का आग्रह किया गया था और उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि केन्द्र सरकार उन्हें इस दिशा में हर सम्भव मदद करने के प्रयास करेगी। यह आशा की जाती है कि इन प्रयासों के फलस्वरूप औद्योगिक वातावरण में सुधार होगा और इस क्षेत्र के विकास में गतिशीलता आयेगी।

केरल के इडुक्की और पतनमतिट्टा जिलों के टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तन करना

8482. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान केरल के इडुक्की और पतनमतिट्टा जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने और उन्हें स्वचालित/इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री प्रशांत साठे) : (क) जी हां, वर्ष 1988-89 के दौरान इडुक्की जिले के 11 एक्सचेंज और पथनमथिट्टा जिले के 5 एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों। 1988-89 के दौरान उपर्युक्त जिलों में किसी भी एक्सचेंज को स्वचालित करने अथवा इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) संसद द्वारा वर्ष 1988-89 के बजट का अनुमोदन किया जाना है।

विवरण

(I) इडुक्की जिले में विस्तार के लिए प्रस्तावित एक्सचेंज

क्र०सं०	एक्सचेंज का नाम	किस्म	प्रस्तावित विस्तार
1.	काट्टपाना	मैक्स-II	200—300
2.	कल्लर	मैक्स-III	45—90
3.	वेलाथुवाल	,,	35—45
4.	अनचिरी	,,	45—90
5.	मिरका सूरी	,,	25—45
6.	अनाविलासम	,,	35—45
7.	चित्रापूरनी	,,	35—45
8.	अरीक्कुझा	,,	45—90
9.	चेलाचुवादू	,,	25—45
10.	पारथोड़ी	,,	45—90
11.	अनाकारा	,,	35—45
(II)	पथनमथिट्टा जिले में विस्तार के लिए प्रस्तावित एक्सचेंज		
1.	रानी	मैक्स-II	300—400
2.	कुम्बानद	मैक्स-II	200—600
3.	मुरिजाकल	मैक्स-III	45—90
4.	मलायालापुझा	,,	70—90
5.	चुंगापारा	,,	45—90

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों में शून्य अवलिंब सुविधा

8483. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने टेलीफोन एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधाओं की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या इस वर्ष सभी बकाया टेलीफोन एक्सचेंजों में इस सुविधा की व्यवस्था करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) केरल में 621 एक्सचेंज हैं। इनमें से 432 एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा उपलब्ध है। बाकी 189 एक्सचेंजों में ग्रुप डायलिंग सुविधा नहीं है। ग्रुप डायलिंग सुविधा 77 और एक्सचेंजों के लिए अनुमोदित की गई है। इसे स्विचिंग और पारेषण उपस्करों की उपलब्धता के अधीन क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जायेगा।

दूरदर्शन के रिले सिस्टम में परिवर्तन करना

8484. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के प्रातःकालीन और सायंकालीन कार्यक्रमों के रिले सिस्टम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, ताकि विद्यार्थी अपना समय पढ़ाई में लगा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन के कार्यक्रम विद्यार्थियों सहित विभिन्न वर्गों के दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होते हैं। केवल एक वर्ग के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शन के कार्यक्रमों के टेलीकास्ट समय में कोई परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। दर्शकों से कार्यक्रमों को अपनी सुविधा के अनुसार देखने की अपेक्षा की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को खाना पकाने की गैस की एजेन्सियां आबंटित करना

8485. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उन नगरों और शहरों के नाम क्या हैं जहां गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) उन नगरों और शहरों के नाम क्या हैं जहां आगामी दो वर्षों के दौरान ऐसी एजेंसियां आबंटित किये जाने की संभावना है;

(ग) इस प्रकार के आबंटन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई/अपनाने का विचार है;

(घ) क्या इस प्रकार के आबंटन का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश के उन कस्बों/शहरों के नाम जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को एल०पी०जी० वितरणशिपें दी गई हैं तथा उन शहरों के नाम जहां 1987-88 की विपणन योजना तक कवर किये गये स्थानों पर ऐसी वितरणशिपें स्थापित करने की संभावनायें इस प्रकार हैं :—

उन शहरों/कस्बों के नाम जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान एल०पी०जी० वितरणशिपें अलाट की गई हैं :—

1. सिद्दीपेट
2. पालकोंडा
3. विशाखापटनम
4. कोटावल्सा
5. पुट्टूर
6. सूयपिट
7. सुरंगावरा पुकोटा
8. हैदराबाद/सिकन्दराबाद (2 स्थान)
9. पुनगौंनूर
10. रायदुर्ग
11. सिरसिला
12. भौंगिर
13. पालमनेर
14. अदिलाबाद

उन शहरों/कस्बों के नाम जहां 1987-88 की विपणन योजना तक एल०पी०जी० वितरणशिपें स्थापित करने की संभावना है : —

1. बिकारावाद
2. विजयवाड़ा
3. नालगौंडा
4. कोयलागुडम
5. नेलौर
6. हैदराबाद
7. पैडापल्ली
8. त्रिचूर
9. अवानीगाडा
10. गोपालपटनम
11. हैदराबाद—ए
12. हैदराबाद—सी

पिछड़े वर्गों के लिए कोई अलग से आरक्षण नहीं है इसलिए इनके अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते ।

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के अन्तर्गत एल०पी०जी० वितरणशिपों की अलाटमेंट के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही है जो अन्य श्रेणियों के लिये है, इसमें पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन देना, तेल चयन बोर्ड (जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवा निवृत्त न्यायाधीश होता है) इंटरव्यु लेना तथा चयन बोर्ड द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल के आधार पर संबंधित तेल कम्पनी द्वारा नियुक्ति शामिल है।

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति की श्रेणी के लिए वर्तमान 25% के आरक्षण को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) वर्तमान आरक्षण पर्याप्त समझा गया है।

एस०टी०डी० की कालों को समय-सीमा में वृद्धि करना

8486. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एस० टी०डी० कालों की समय-सीमा में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी वृद्धि की जाएगी; और

(ग) जनता के लिए यह सुविधा कितनी उपयोगी होगी और इससे सरकारी राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय लागू आधी दर के बजाय 2200 बजे से 0600 बजे के बीच सामान्य दर का लगभग 1/3 दर पर एस०टी०डी० कालों का प्रभार वसूल करने के बारे में प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) इस अवधि के दौरान एस०टी०डी० परियात कम होने के कारण यह संभावना होती है कि उपभोक्ता एस०टी०डी० का अधिक प्रयोग करेंगे जिससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

खुले मुहाने से खनन के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय बैठक

8487. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खुले मुहाने से खनन के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो ड्रिलिंग तथा विस्फोट सम्बन्धी लागत को कम से कम करने के लिए खुले मुहाने से खनन के प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) आंध्र प्रदेश में इन प्रमुख क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा इसके लिए कौन सी प्रौद्योगिकी उपलब्ध की जाएगी; और

(घ) राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस नई प्रणाली से किस सीमा तक बिजली का अधिक उत्पादन किया जा सकेगा ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) "ओपेनकास्ट खानों में इष्टतम विखण्डन-ड्रिलिंग और विस्फोट के परिमाप" विषय पर केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि०, रांची में हाल ही में एक वर्कशाप हुई। इस वर्कशाप में कोयला खानों में ड्रिलिंग तथा विस्फोट और उनके निष्पादन में सुधार के पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों के कुछ प्रमुख क्षेत्रों का भी सुझाव दिया गया।

दक्षिणी क्षेत्र में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, ने, जो आंध्र प्रदेश में खनन-क्रियाकलाप कर रही है, नई कोयला खनन परियोजनाएं शुरू की हैं। ओपेनकास्ट खानों में से एक ओपेनकास्ट खान में अर्थात रामागुंडम ओपेनकास्ट-II में जो रामागुंडम सुपर ताप बिजली केन्द्र से संयोजित है, इनपिट क्रेशरों तथा कन्वेयरों का इस्तेमाल करके भारत में पहली बार एक नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत की जाएगी।

वर्ष 1994-95 में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में कोयला उत्पादन 16.41 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 33.70 मि० टन तक पहुंच जाने की आशा है। कोयला उत्पादन की इस वृद्धि से दक्षिणी राज्यों में कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

मारुति उद्योग लिमिटेड में सुजुकी के शेयर

8488. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की आटोमोबाइल फर्म सुजुकी ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपने इक्विटी शेयर 26 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवेदन किया है;

(ख) क्या सरकार का किसी विदेशी बहुराष्ट्रीय फर्म को शेयर स्थानांतरित करने का विचार है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में लाभ स्थायी आधार पर बाहर जाएगा;

(ग) चालू और अगले दो वर्षों में यदि अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो कितना लाभ बाहर जाने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त उद्यम करार की शर्तों के अनुसार सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड ने मारुति उद्योग लिमिटेड में अपनी इक्विटी को बढ़ाकर 40% करने के अपने विकल्प का प्रयोग किया है।

(ग) सुजुकी मोटर कम्पनी लिमिटेड को भेजी जाने वाली अनुमानित राशि घोषित लाभांश की राशि पर निर्भर करेगी। मारुति उद्योग लिमिटेड ने अब तक कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

(घ) विदेशी इक्विटी हिस्सेदारी फैरा के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार है।

उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टांडा अथवा अकबरपुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

[हिन्दी]

8489. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो इसका प्रसारण क्षेत्र कितना है, जिले के कितने भाग को इस सुविधा का लाभ प्राप्त है और कितना भाग प्रसारण के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ग) क्या सरकार का फैजाबाद जिले के टांडा अथवा अकबरपुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय फैजाबाद जिले के मुख्यालय नगर में अल्प शक्ति (100 वाट) का एक टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहा है जिसकी सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है।

(ग) और (घ) समूचा फैजाबाद जिला लखनऊ और गोरखपुर के उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर तथा फैजाबाद के अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर की सेवा परिधि के अन्दर आता है। तथापि, मध्यवर्ती दूरी के कारण, टांडा और अकबरपुर सहित जिले के कई भागों में पहुंचने वाले टी०वी० सिगनल कमजोर हैं। सीमित साधनों के कारण इस जिले में दूरदर्शन सेवा को सुदृढ़ करने की सातवीं योजना में कोई स्कीम नहीं है।

कर्नाटक में बिजली की बचत

[अनुवाद]

8490. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को कर्नाटक में बिजली की बचत करने की संभावना का पता लगाने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निगम द्वारा किये गये अध्ययन की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1985-86 के दौरान कर्नाटक सहित 6 राज्यों में पाइलट अध्ययन के रूप में सीमित स्तर पर पम्पसैटों में ऊर्जा के संरक्षण तथा नेटवर्क में ऊर्जा के संरक्षण सम्बन्धी एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था। सरकार द्वारा 2.5 करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किये गये थे जिन्हें बाद में परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर अनुदान सहायता के रूप में बदल दिया गया।

(ख) इस परियोजना के अन्तर्गत, कर्नाटक में विद्यमान 5625 पम्पसैटों में सुधार करने संबंधी एक परियोजना कार्यान्वित की गई थी और इसके फलस्वरूप पानी की समान मात्रा निकालने में लगभग 28% ऊर्जा की बचत हुई।

कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को ऋण

8491. **डा० वी० वेंकटेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को कोई ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले

[हिन्दी]

8492. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान राजस्थान के कितने जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित किये जाने की संभावना है;

(ख) चित्तौड़गढ़ जिले को अब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) चित्तौड़गढ़ को कब तक औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला घोषित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 1.4.1983 से लागू पिछड़े जिलों के वर्गीकरण के अनुसार, राजस्थान के 16 जिलों को पिछड़ा हुआ माना गया है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा 1968 में वित्तीय संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके जो मानदन्ड निर्धारित किये गये थे, उनके अनुसार, चित्तौड़गढ़ जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने योग्य नहीं पाया गया।

टाइटेनियम डाइऑक्साइड का उत्पादन

[अनुवाद]

8493. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टाइटेनियम डाइऑक्साइड के राज्यवार कितने कारखाने हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या देश में निर्मित टाइटेनियम डाइऑक्साइड आवश्यकता को पूरा करता है;

(ग) क्या सरकार का देश में अधिक टाइटेनियम डाइऑक्साइड के कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) देश में टिटेनियम डाइआक्साइड का विनिर्माण करने वाले केवल दो एकक हैं अर्थात् मै० केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लि० और मै० ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट्स लि० ये दोनों एकक केरल में क्रमश: त्रिवेंद्रम और क्विलोन में स्थित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) देश में टिटेनियम डाइ आक्साइड संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने टिटेनियम डाइआक्साइड के विनिर्माण को पहले ही लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

केरल में एस० टी० डी० सुविधा

8495. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुछ नगरों में एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने के प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति देने का विचार है तथा वर्ष 1988-89 में किन-किन नगरों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी जायेगी; और

(घ) इनके कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1988-89 के दौरान केरल मे निम्नलिखित स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव है।

चित्तूर, हरीपद, कांजीरापल्ली, कोलेनचेरी, करूंगापल्ली, मन्नारघाट, मुन्नार, नेदुमंगार, नीलेश्वर, नीलांबूर, शोरानुर और बड़क्कनचेरी।

(घ) मार्च, 1989 तक। यह उपस्करों के समय पर उपलब्ध कराए जाने पर निर्भर है।

खाड़ी के देशों में मलयालियों के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण

8495. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के देशों में काम करने वाले मलयालियों के लिए केरल से आकाशवाणी के किसी स्टेशन से विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सातवीं योजना में पूर्णरूपेण खाड़ी सेवा शुरू की जा रही है और तकनीकी तथा अन्य विचारों से स्टूडियो को बम्बई में और ट्रांसमीटर को पणजी में स्थित किया जायेगा। इस सेवा में मलयालम, हिन्दी और अरबी में कार्यक्रम होंगे और इनको सऊदी अरब, ओमन, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, कुवैत, जोर्डन और ईरान तथा ईराक के भागों को निदेशित किया जाएगा।

सोवियत संघ द्वारा खंभात की खाड़ी और कावेरी में भू-बेधन कार्य करना

8496. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ खंभात की खाड़ी कावेरी में दूसरे पैरामीट्रिक कुएं में भू-बेधन कार्य आरम्भ करने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ग) इन कुओं का भू-बेधन कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा; और

(घ) इससे भारत को कितना लाभ मिलेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) कैम्बे और कावेरी बेसिन में गहन एकीकृत अन्वेषण के वर्तमान ठेकों के अन्तर्गत उत्तरी कैम्बे बेसिन में दूसरा पैरामीट्रिक कुंआ 5 मार्च, 1988 को खोदा गया और कावेरी बेसिन में दूसरा पैरामीट्रिक कुंआ शीघ्र खोदे जाने की सम्भावना है।

(घ) उप-भूतल की भूमिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए पैरामीट्रिक कुंए खोदे जाते हैं जिनका प्रयोग अन्वेषण का निर्णय लेने के लिए किया जाता है।

गैस पाइप लाइनें बिछाने के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता देना

8497. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग प्राकृतिक गैस का अधिकतम उपयोग करने तथा आयात कम करने के किए कांक्षी योजना के एक भाग के रूप में भारत के तटदूर गैस क्षेत्रों में मुख्य भूमि तक पाइप लाइनों का एक नेटवर्क बनाने की योजना तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) विश्व बैंक किस सीमा तक सहायता देने को सहमत हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) से (ग) ओ० एन० जी० सी० की पश्चिमी अपतट और तटवर्ती गैस विकास परियोजनाओं के लिए हाल ही में 295 मिलियन अमरीकी डालर के एक विश्व बैंक ऋण को अन्तिम रूप दिया गया है।

ऋण को निम्नलिखित स्कीमों पर खर्च किये जाने की सम्भावना है :—

(i) साऊथ बेसिन क्षेत्रों का विकास

(ii) गंधार क्षेत्र का विकास

(iii) हीरा अपतट क्षेत्र से उरान तक गैस पाइप लाइन का निर्माण

(iv) ताप्ती और हाजीरा क्षेत्र में भू-कम्पीय सर्वेक्षण और पश्चिमी क्षेत्र के विकास और पारेषण के आधारभूत ढांचे के लिए कम लागत के विवेश को खोजने के लिए तथा गैस के प्रयोग के लिए अध्ययन।

पश्चिमी तटदूर पन्ना क्षेत्र का विकास

8498. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी तटदूर पन्ना क्षेत्र का विकास करने के लिए साठ करोड़ रुपये की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस क्षेत्र का वर्ष 1976 में पता लगा था लेकिन अभी तक इस बारे में कोई कार्य-

वाही नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) और (ख) जुलाई, 1985 में सरकार ने 61.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर पश्चिम अपतट में पन्ना क्षेत्र के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणाली की ओ० एन० जी० सी० परियोजना को अनुमोदित किया। इस परियोजना में एक प्लेटफार्म की स्थापना क्षति ग्रस्त जैक-अप "सागर विकास" का उत्पादन प्लेटफार्म के रूप में इसमें कार्य करने के लिए इसमें संशोधन तथा 4 कुएं खोदने आदि की परिकल्पना की गई है।

(ग) परियोजना नवम्बर, 1986 में पूरी हुई।

(घ) और (ङ) हालांकि पन्ना क्षेत्र में तेल और गैस 1976% में मिले, फिर भी इस दिशा के विकास में काम को हाथ में लेने से पूर्व विस्तृत अध्ययन करने आवश्यक समझे गए। शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर 571.43 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 7 वैल प्लेटफार्म तथा 1 प्रोसेस प्लेटफार्म आदि बनाकर इस क्षेत्र का विकास करने का ओ० एन० जी० सी० का अब प्रस्ताव है।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा परियोजनाओं की स्थापना

8499. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने उपयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) इन पर कुल कितना व्यय होगा; और

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं जिनसे आठवीं योजना अवधि में लाभ प्राप्त किए जाने हैं :—

क्र० सं०	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-तीन (पश्चिम बंगाल)	496.37

1	2	3
2.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो (उत्तर प्रदेश)	1304.68
3.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-दो (मध्य प्रदेश)	1409.60
4.	दादरी संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन संयंत्र (उत्तर प्रदेश)	493.63
5.	चन्द्रपुर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (महाराष्ट्र)	1424.27
6.	यमुना नगर ता० वि० परियोजना (हरियाणा)	1309.70

सभी आवश्यक निवेश सुनिश्चित किये जाने तथा विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त हो जाने के बाद इन परियोजनाओं पर कार्यान्वयन हेतु विचार किया जा सकता है।

कम्पनियों के वार्षिक प्रतिवेदनों में कर्मचारियों के वेतन के विवरण से सम्बन्धित उपबन्ध

8500. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में 3000/- रुपये प्रति माह तथा इससे अधिक वेतन लेने वाले अपने अधिकारियों का विवरण देना होता है;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस विवरण के कारण कम्पनियों को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करने में बहुत धनराशि व्यय करनी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कम्पनी अधिनियम, 1956 में इस उपबन्ध को हटाने का प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 31 अगस्त, 1987 को राज्य सभा में प्रस्तुत कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1987 के खंड 30 द्वारा धारा 217 में विनिर्दिष्ट निर्बाध आर्थिक सीमाओं को ऐसी सीमाओं द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जैसी कि कर्मचारियों के विवरणों को प्रकट करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाए।

कर्नाटक में बायो-गैस संयंत्र

8501. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में बैंक ऋणों से कितने बायो-गैस संयंत्र लगाये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने बेकार हो गये हैं;

(ग) उनमें कितनों की मरम्मत करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि मरम्मत निरर्थक सिद्ध हुई, तो क्या सरकार का ऋण माफ करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एस० टी० डी० सुविधा बन्द कराने के लिए शुल्क

8502. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में एस० टी० डी० सुविधा बन्द कराने के लिए प्रयोक्ताओं से इस समय कितना शुल्क लिया जाता है;

(ख) एस० टी० डी० सुविधा को पुन: प्रारम्भ करवाने के लिए प्रयोक्ता की कितने शुल्क की अदायगी करनी पड़ती है;

(ग) क्या जब नये कनेक्शन दिये जाते हैं और प्रयोक्ता एस० टी० डी० सुविधा न लेने को चुनता है तब भी एस० टी० डी० सुविधा बन्द कराने के लिए शुल्क लिया जाता है; और

(घ) क्या सरकार का एस० टी० डी० सुविधा बन्द कराने का शुल्क न लेने का विचार है और केवल एस० टी० डी० सुविधा पुन: प्रारम्भ करने पर ही शुल्क लेने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) टेलीफोन संस्थापन के पश्चात यदि एस० टी० डी० सहित सुविधा के लिए अनुरोध किया जाता है तो उसके लिए 50 रुपये लिए जाते हैं।

(ख) एस० वी० डी० सुविधा में बाद के परिवर्तन के लिए 50 रुपये का प्रभार वसूल किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

बंगलौर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दुरुपयोग

8503. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि 50 पैसे के सिक्के में छेद कर उसमें धागा डाल-कर कालों का भुगतान किये बिना कालकर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर नगर में इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) बंगलौर शहर में लगभग 1,400 सार्व-

जनिक टेलीफोन हैं।

(ख) जी, हां। कुछ अवसरों पर।

(ग) असेवित (अनएटेन्डेड टाइप) सार्वजनिक टेलीफोनों के स्थान पर सेवित (एटेन्डेड टाइप) सार्वजनिक टेलीफोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

दक्षिणी राज्यों में बिजली का उत्पादन

8504. **श्री बी० बी० रमैया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 में दक्षिणी राज्यों में बिजली के उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) इन राज्यों में वस्तुतः कितनी मात्रा के बिजली का उत्पादन हुआ; और

(ग) क्या सरकार ने बिजली उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों को पर्याप्त सहायता दी है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :

विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)

राज्य का नाम	लक्ष्य	वास्तविक
	1987-88	1987-88
आन्ध्र प्रदेश	18015	18123
कर्नाटक	9945	7526
केरल	4875	4087
तमिलनाडु	17810	17833

(ग) जल विद्युत केन्द्रों से विद्युत का उत्पादन मुख्य रूप से जलाशयों में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में सुधार करने के लिए राज्यों को सहायता करने हेतु विभिन्न उपाय किए गये हैं, जिनमें कुछ केन्द्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करना, कल पुर्जे प्राप्त करने, समुचित गुणवत्ता वाला तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने आदि के साथ-साथ संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों की सहायता करना।

विविध भारती कार्यक्रमों का प्रसारण

[हिन्दी]

8505. **श्री शांति धारीवाल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी आकाशवाणी केन्द्र विविध भारती कार्यक्रम प्रसारित नहीं करते हैं;

(ख) क्या सरकार को देश के कई भागों से वहां के आकाशवाणी केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार को किन-किन स्थानों से ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार का किन-किन आकाशवाणी केन्द्रों से विविध भारती कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विविध भारती कार्यक्रम देश में 30 आकाशवाणी केन्द्रों से अलग चैनल पर प्रसारित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) अजमेर, भागलपुर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, इम्फाल, सेलम और विशाखापत्तनम से विविध भारती कार्यक्रम शुरू करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विविध भारती सेवा का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धारचूला, डीडीहाट और लोहाघाट के टेलीफोन एक्सचेंजों को पिथौरागढ़ एस०टी०डी० चैनल द्वारा जोड़ना

8506. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में धारचूला, डीडीहाट और लोहाघाट के टेलीफोन एक्सचेंजों को एस०टी०डी० चैनल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) धारचूला-डीडीहाट और लोहाघाट में छोटे मैनुअल एक्सचेंज हैं और ट्रंक परियात पर्याप्त न होने के कारण इन एक्सचेंजों से एस०टी०डी० सेवा प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता।

दूरदर्शन धारावाहिक "रामायण" और महाभारत

[अनुवाद]

8507. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकप्रिय धारावाहिक "रामायण" का अन्तिम भाग कब प्रसारित किया जाएगा;

(ख) इस धारावाहिक के दोनों प्रायोजकों में से प्रत्येक द्वारा, रविवार को प्रसारित होने वाले प्रत्येक भाग के लिए कितनी धन-राशि का भुगतान किया जाता है तथा अब तक कुल कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या "महाभारत" धारावाहिक को मंजूरी दे दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कितने भागों में प्रसारित किया जायेगा तथा इसका प्रसारण कब तक आरंभ होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) धारावाहिक रामायण की अन्तिम कड़ी 31-7-1988 को टेलीकास्ट किए जाने की संभावना है।

(ख) दो प्रायोजकों ने 52 कड़ियों के अंत तक 1.50 लाख रुपये प्रति कड़ी की दर से तथा उसके बाद 2.25 लाख रुपये प्रति कड़ी की दर से भुगतान किया। 31-3-988 तक भुगतान की गई कुल राशि 96.00 लाख रुपये थी।

(ग) और (घ) प्रस्तावित धारावाहिक "महाभारत" की संकल्पना सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। इसका निर्माण एक निजी निर्माता श्री बी० आर० चोपड़ा द्वारा किया जायेगा। प्रस्तावित कड़ियों की संख्या 50-50 मिनट की 52 होगीं। इसके टेलीकास्ट की सभावित तारीख अभी निश्चित नहीं की गई है।

राजस्थान में तेल और गैस के लिए ड्रिल्लिंग कार्य

[हिन्दी]

8508. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर जिले के घोटारु क्षेत्र में मार्च, 1988 के महीने से अपने मरुस्थल रिग के साथ तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग कार्य आरम्भ किया है;

(ख) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भी पश्चिम जर्मनी की ट्यूटैग कम्पनी के सहयोग से जैसलमेर जिले के टनोट क्षेत्र में तेल और गैस के लिए ड्रिलिंग कार्य आरम्भ किया है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) जैसलमेर जिले में तेल और गैस मिलने की संभावनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में ड्रिलिंग के लिए पश्चिम जर्मनी के मैसर्स ड्यूटेग को रिग के चार्ट हायर के लिये ठेका दिया है। नोट में पहले कुएं की ड्रिलिंग का काम 8 मार्च, 1988 को आरम्भ हुआ और जुलाई 1988 में पूरा कर लिये जाने की संभावना है।

(घ) राजस्थान में मनहेरा टिब्बा और घोटारु में पहले से ही गैस मिली है तथा इस क्षेत्र में और हाइड्रोकार्बन मिलने के आसार हैं।

आतिशबाजी के रूप में विस्फोटकों का वर्गीकरण

[अनुवाद]

8509. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्फोटक मदों का आतिशबाजी और पटाखों के रूप में वर्गीकरण करने में अपनाये गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है, और इनका वर्गीकरण कब किया गया था;

(ख) क्या सरकार का वर्तमान वर्गीकरण में परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आतिशबाजी सहित विस्फोटक सामग्री के विस्फोटक सामग्री नियम 1983 की अनुसूची-I के अधीन संरचना, जोखिम की मात्रा और अन्तिम प्रयोग के आधार पर, विभिन्न श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) से (घ) सरकार का विद्यमान वर्गीकरण को बदलने का प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि यह वर्गीकरण ऊपर भाग (क) में स्पष्ट किए गये आधार पर किया गया है।

कोचीन में ताप विद्युत परियोजना

8510. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में तेल (एल०एस०एच०एस०) पर आधारित 100 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) कोचीन (ब्रह्मापुरम) में एल० एस०एच०एस०/ईंधन तेल/प्राकृतिक गैस पर आधारित 90 मेगावाट के एक संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के बारे में एक संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट केरल प्राधिकारियों से अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुई है। जबकि पहले तेल (एल०एस०एच०एस०) पर आधारित 100 मेगावाट के एक ताप विद्युत केन्द्र को स्थापित करने का प्रस्ताव था।

मलेशिया में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

8511. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मलेशिया में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है और उसे किस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित किया जायेगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) से (ग) मलेशिया में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि एच० एम० टी० (इटरनेशनल) लिमिटेड जो एच०एम०टी लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, को 16.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत में एक उन्नत प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिये मलेशिया से एक ठेका मिला है। यह केन्द्र हाई स्किल्ड मेटल वर्किंग ट्रेड विशेषकर औजार बनाने और, औद्योगिक इलेक्ट्रानिक्स में गहन उत्पादन उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। परियोजना दो वर्षों में कार्यान्वित की जानी है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशी सहयोग

8512. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा कितने विदेशी सहयोग समझौते किये गये हैं;

(ख) उन विदेशी सहयोग-समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के चालू विदेशी सहयोग समझौतों की संख्या में कमी करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) बी०एच०ई०एल० के चालू विदेशी सहयोगों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

बी० एच० ई० एल० के चालू विदेशी सहयोगों की सूची
(1 अप्रैल, 1988 की स्थिति)

क्रमांक	सहयोगी का नाम	उत्पाद
1	2	3
1.	प्रोमाशएक्सपोर्ट, यू०एस०एस०आर०	थर्मल तथा हाइड्रो सेट, मोटर
2.	कम्बश्चन इंजी० इंक०, यू०एस०ए०	बायलर
3.	न्योवो पिगनॉन, इटली	सैन्ट्रीफ्यूगल कम्प्रेशर्स
4.	क्राफ्टवर्क यूनियन ए०जी०, प० जर्मनी	टी०जी० सेट-100 मेगावाट तक के
5.	ड्रेसर इंडस्ट्रीज, इंक०, यू०एस०ए०	सेफ्टी, सेफ्टी रिलीफ तथा फोर्ज्ड स्टील वाल्व
6.	हितैची लिमिटेड, जापान	रिसिबल पम्प टर्बाइन
7.	वीर पम्प्स लिमिटेड, यू०के०	बायलर फीड पम्प्स तथा बूस्टर पम्प्स, कूलिंग वाटर तथा कंडेन्सेट पम्प्स।
8.	सीमेंस ए०जी०, प० जर्मनी	एम०एफ० 6 तथा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
9.	सीमेंस ए०जी०, प० जर्मनी	इलेक्ट्रिकल मोटर्स
10.	जनरल इलेक्ट्रिक कं०, यू०एस०ए०	नॉन-पी०सी०बी० पावर कैपेसिटर्स।
11.	यूबा हीट ट्रांस्फर कारपो०, यू०एस०ए०	एच०पी० फीड-वाटर हीटर्स।
12.	सीमेंस ए०जी०, प० जर्मनी	इलेक्ट्रानिक आटोमेशन सिस्टम स्टीम टरबाइनों तथा जनरेटरों के लिए
13.	टोआ वाल्व कम्पनी लि०, जापान	हाई प्रेशर वाल्व्स।
14.	ब्रान्हम इण्डस्ट्रीज इंक०, यू०एस०ए०	ढांचे तथा उप-ढांचे।
15.	नेशनल सप्लाई कम्पनी, यू०एस०ए०	क्रिसमस ट्रीज तथा वैलहैड असेम्बलीज

1	2	3
16.	हारको कारपोरेशन, यू०एस०ए०	कैथोडिक प्रोटैक्शन सिस्टम ।
17.	सीमेंस ए०जी०, प० जर्मनी	कैमशाफ्ट कन्ट्रोलर्स तथा ट्रैक्शन करेंट कन्ट्रोल यूनिट ।
18.	ए०एस०ई०ए०, स्वीडन	हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट
19.	बी०बी०सी० ब्राउन बोवेरी एण्ड कम्पनी, स्विटजरलैंड	प्रोग्रामेबल कन्ट्रोल्स
20.	जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, यू०एस०ए०	गैस टरबाइन
21.	स्टॉक इक्विपमेंट कम्पनी, यू०एस०ए०	ग्रेविमेट्रिक फीडर्स
22.	जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी, यू०एस०ए०	ए०सी० वैरिएबल स्पीड कन्ट्रोल ड्राइव्स
23.	कैनेडियन जनरल इलेक्ट्रिक कं० लि० कनाडा	फ्रांसिस टाइप हाइड्रो टरबाइनें
24.	बाल्के दूर ए०जी०, प० जर्मनी	मोयस्वर सैपरेटर रीहीटर्स ।

कर्नाटक में रुग्ण उद्योग

8513. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बड़ी संख्या में उद्योग रुग्ण हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कितने उद्योग रुग्ण हो गये हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ग) उक्त उद्योग कब से रुग्ण हैं और उनके रुग्ण होने के क्या कारण हैं;

(घ) उन्हें पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ङ) उन उद्योगों को पुनः अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(च) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों से सम्बन्धित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उस परिभाषा के अनुसार एकत्रित किये जाते हैं जो इसने अपनाई हुई है । भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त नवीनतम सूचना के आधार पर दिसम्बर, 1986 के अन्त में कर्नाटक में 43 बड़ी और 3077 छोटी रुग्ण इकाइयां थीं ।

तथापि, बैंकरों के मध्य चल रही प्रथाओं और व्यवहारों के अनुसार और राष्ट्रीयकृत बैंकों को लागू उपबन्धों के अनुरूप बैंकों से सहायता प्राप्त रुग्ण एककों के नाम बता पाना सम्भव नहीं होगा ।

सामान्यतया आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण औद्योगिक रुग्णता के लिए उत्तरदायी हैं । इनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं—दोषपूर्ण आयोजन, प्रबन्धात्मक कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का विविधीकरण अनुसंधान तथा विकास पर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी

और मशीनरी की गत प्रयोगता, घटिया औद्योगिक सम्बन्ध अपर्याप्त मांग, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी बाधाएं।

(घ) से (च) रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुत्थान करने के लिए भारत सरकार की पूरे देश के लिए एक समान नीति रही है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नानुसार हैं :—

1. सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 बनाया है। इस अधिनियम के अधीन औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) नामक एक अर्ध-न्यायिक निकाय की स्थापना की गयी है। जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से देखना है। इसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

2. भारतीय रिजर्व बैंक ने सुदृढ़ मानीटरी प्रणाली हेतु और प्रारम्भिक अवस्था में औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक कदम उठाये जा सकें।

3. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्य-क्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापन पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को निदेश दिये गये हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्य क्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही, राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

5. लघु क्षेत्र में रुग्णता कम करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयत्नों में सहायता करने के विचार से भारत सरकार ने एक "सीमांत धन योजना" शुरू की है। इस उदारीकृत योजना के अन्तर्गत पुनःस्थापना हेतु रुग्ण लघु एककों को उपलब्ध प्रति एकक सहायता की अधिकतम राशि को 20,000/-रु० से बढ़ाकर 50,000/-रु० कर दिया गया है।

कर्नाटक राज्य में मैसूर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

8514. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1987 की स्थिति के अनुसार मैसूर में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने आवेदकों को वर्ष 1988 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन मिलने की संभावना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) 31-12-1987 को मैसूर में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 2004 थी।

(ख) 1988 के अन्त तक लगभग 1600 आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने की उम्मीद है।

(ग) हालांकि ओ० वाई० टी० श्रेणी के अन्तर्गत मांग किये जाने पर टेलीफोन दिये जा सकेंगे परन्तु सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत 31-10-1987 तक दर्ज आवेदकों को 1988 के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकेंगे ।

दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

8515. श्री एस० एम० गुरुडी
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने के लिए किसी परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब की जायेगी;

(ग) यह परियोजना दूरसंचार सुविधाओं के विस्तार में किस सीमा तक सहायक होगी; और

(घ) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त की जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) देश में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार दूरसंचार सेवाओं के लिये अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है । योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान नेटवर्क में 9.04 लाख टेलीफोन कनेक्शन जोड़कर इसका विस्तार किया गया और इस प्रकार इसकी कुल संख्या 38.02 लाख लाइनों तक पहुंच गई । योजना प्रस्तावों के अनुसार, सातवीं योजना के दौरान कुल 16 लाख टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी हां ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली उत्पादन

[हिन्दी]

8516. **श्री सरफराज अहमद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं द्वारा कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रत्येक राज्य को कितनी और किस दर पर बिजली सप्लाई की जा रही है; और

(ख) क्या बिजली की सप्लाई राज्यों और दामोदर घाटी निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हाइड्रोकार्बनों से ऊर्जा का उत्पादन

[अनुवाद]

8517. **श्री विजय एम० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के स्थान पर हाइड्रोकार्बनों (ईंधन तेल और/अथवा प्राकृतिक गैस) से ऊर्जा का उत्पादन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन गैस विकसित देश अभी भी कोयले से बिजली का उत्पादन पर राज सहायता दे रहे हैं जबकि भारत कोयले के स्थान पर अन्य स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करने का विचार कर रहा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) हमारे देश में ताप विद्युत उत्पादन के लिये उपयोग किये जाने वाला ईंधन मुख्यत: कोयला है जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है; गैस तथा ईंधन तेल जैसे अन्य ईंधन भी उनकी उपलब्धता, उनमें निहित लागत आदि के आधार पर उपयोग किये जाते हैं। विद्युत के उत्पादन हेतु कोयले के स्थान पर हाइड्रो-कार्बन्स का उपयोग किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग भवन के लिए प्लाट की खरीद

[हिन्दी]

8518. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा प्लाट की खरीद के बारे में 22 मार्च, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के लिए प्लाट की खरीद में शामिल अधिकारी के विरुद्ध जांच करने के लिये किस तारीख को आदेश जारी किये गये थे;

(ख) जांच में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किन कारणों से खादी ग्रामोद्योग आयोग से 12.80 लाख रु० की मांग की है और इस मांग के सम्बन्ध में आयोग ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) क्या सरकार ने यह राशि भुगतानकर्त्ता को दे दी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) ने खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने हेतु 19-10-1987 को अपने मुख्य सतर्कता अधिकारी को कार्यवाही करने के लिये निदेश दिये थे, जो इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही कर रहे हैं।

(ग) नीति और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त भूखंड में रहने वाले 128 झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को बसाने के लिये पुनर्वास प्रभार के रूप में 12.8 लाख रुपये मांगे हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने दि० वि० प्राधिकरण को उक्त राशि का भुगतान करने का निर्णय कर लिया है।

(घ) जी, नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अंशदान

[अनुवाद]

8519. **डा० ए० के० पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र और राज्यों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा

"संसाधनों" के रूप में कितना अंशदान किया जाना अपेक्षित था;

(ख) इस सम्बन्ध में वर्षवार कितना लक्ष्य रखा गया था और अब तक वास्तविक उपलब्धियां क्या रही हैं और चालू वर्ष के दौरान तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो अब तक लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) सातवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से निबल आन्तरिक संसाधनों के रूप में 23013 करोड़ रुपये का अंशदान किया जाना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दिशा में उनसे 11490 करोड़ रुपये पैदा करने की भी अपेक्षा की गई थी। भारत सरकार राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ख) सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1985-86 एवं 1986-87 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुल मिलाकर क्रमश: 3438.64 करोड़ रुपये एवं 3785.57 करोड़ रुपये के निबल आन्तरिक संसाधन जुटाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। इसकी तुलना में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन वर्षों के दौरान वास्तविक (अनन्तिम) उपलब्धि क्रमश: 3185.32 करोड़ रुपये एवं 3790.51 करोड़ रुपये हुई थी। वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से आन्तरिक संसाधन के रूप में क्रमश: 3956.01 करोड़ रुपये एवं 5480.96 करोड़ रुपये का अंशदान किया जाना अपेक्षित है।

(ग) चूंकि सातवीं योजना अवधि के दौरान निवल आन्तरिक संसाधनों के उत्पादन के बारे में वास्तविक उपलब्धि सम्बन्धी जानकारी सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों से उपलब्ध नहीं है, इसलिए उसे एकत्र किया जा रहा है और सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

कर्मचारियों को निजी टेलीफोन कनैक्शन

[हिन्दी]

8520. **श्री राज कुमार राय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय के कर्मचारियों को निजी टेलीफोन कनैक्शन की मंजूरी देने में कोई प्राथमिकता दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का अपने कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर निजी टेलीफोन कनैक्शन मंजूर करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मन्त्रालय के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर निजी टेलीफोन प्रदान करना, उस जनता के साथ न्याय नहीं होगा जो कि प्रतीक्षा सूची के अनुसार अपने टेलीफोन की इंतजार में हैं। ऐसा करने पर, केन्द्रीय सरकार के उन अन्य कर्मचारियों में भी असन्तोष फैलेगा जिन पर वही नियम एवं शर्तें लागू होती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क विटामिनों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटाना

[अनुवाद]

8521. **श्री मुरलीधर माने** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बल्क विटामिनों के मूल्यों पर से नियंत्रण हटा लिया है तथा मल्टी-विटामिनों के मूल्यों पर नियंत्रण लागू कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो मल्टी-विटामिन दवाओं के मूल्यों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है जबकि मल्टी विटामिन दवाओं के निर्माण में काम आने वाले बल्क ड्रग विटामिनों को मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) और (ख) केलकर समिति ने सिफारिश की थी कि सभी विटामिनों को जब इनका उपयोग सूत्रयोग के मिश्रण में किया जाये, मूल्य नियंत्रण की श्रेणी-II में आना चाहिए। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए प्रपुंज औषधों के रूप में सभी विटामिन मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखे गये हैं।

औषधियों को उत्पाद-शुल्क में छूट

8522. **श्री मुरलीधर माने** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अगस्त, 1988 के "इकनामिक टाइम्स" में "ड्रग्स प्राइसिस गो अप बाई 15 परसेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बजट घोषणा से पूर्व उत्पाद शुल्क में छूट दी गई तैयार औषधियां कौन-कौन सी हैं तथा बजट प्रस्तावों के कारण प्रत्येक औषधि पर कितना-कितना उत्पाद शुल्क लगाया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) श्रेणी-2 औषध के सभी एकल घटक सूत्रयोगों पर 10.5 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगेगा। श्रेणी-2 और गैर मूल्य नियंत्रित औषधों के सभी मिश्रणों पर 15.75 प्रतिशत उत्पादन शुल्क होगा। सभी श्रेणी-I औषध और संलग्न विवरण के अनुसार अन्य 26 विनिर्दिष्ट औषधों पर कुछ भी उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा।

विवरण

1. डेक्सामेथासोन
2. डिपाइराडामोल
3. हाइड्रालेजाइन
4. आइसोसोरबाइड
5. मिथाइलडोपा

6. नेफीडीपाइन
7. निकेथामाइड
8. प्रोप्रानोलोल
9. रेसरपाइन
10. वीरापेनिल
11. क्लोरप्रोपामाइड
12. ग्लीपीजाइड
13. ग्लाइनक्लेमाइड
14. इन्सुलिन
15. फिनफोरमिन
16. टालबुटामाइड
17. इथीनामाइड
18. साइक्लोसीरीन
19. मोरफाजिनामाइड
20. प्रोथीनामाइड
21. पाइराजिनामाइड
22. प्रिमाक्वीन
23. टोटक्वीन और सिनकोना फेब्रीफ्यूग
24. मेपाक्रेना
25. बिनब्लेस्टिन
26. बिनक्रेस्टिन

लघु औषध निर्माता यूनिट

8523. श्री मुरलीधर माने : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे अनेक औषध निर्माता यूनिट हैं जिनका कुल कारोबार 25 करोड़ रुपये और 100 करोड़ रुपये के बीच होता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे यूनिटों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इन यूनिटों की औषधों को श्रेणी दो का होने के कारण तैयार औषधों पर साबू मूल्य नियंत्रण से छूट दी गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इनमें से अधिकांश यूनिटों का कुछ तैयार औषधों के उत्पादन के सम्बन्ध में एकाधिकार और प्रभुत्व है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी श्रेणी-दो की औषधों और तैयार औषधों के नाम क्या हैं तथा ऐसे लघु औषध निर्माता यूनिटों के नाम क्या हैं जो एकाधिकार की स्थिति में हैं और इनमें से प्रत्येक का बाजार के कितने अंश पर नियंत्रण है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क), (ख), (घ) और (ङ) प्रत्येक सूत्रयोग का बिक्री-कारोबार और औषध कम्पनियों का सकल बिक्री कारोबार मानीटर नहीं किया जाता है। अतः अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

(ग) जी, हां। श्रेणी-II औषधों के मामले में सभी लघु उद्योग एकक, कुछ शर्तों के अन्तर्गत, मूल्य नियंत्रण से मुक्त हैं। इस सम्बन्ध में दिनांक 16 अक्तूबर, 1987 के जारी किए गए एक आदेश की प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

भारत सरकार
उद्योग मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

(नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 1987

का० आ० 924(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसी प्रत्येक औषधि विनिर्माणकारी यूनिट को जो किसी केन्द्रीय तकनीकी प्राधिकरण या राज्य उद्योग निदेशालय या किसी अन्य समुचित प्राधिकरण के साथ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन लघु यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, उक्त आदेश के पैरा 9, 10, 11 और 22(2) के प्रवर्तन से, जहां तक उनका संबंध उक्त आदेश की तीसरी अनुसूची के प्रवर्ग II में विनिर्दिष्ट सूत्रयोगों से है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है :—

1. यह एक स्वतन्त्र यूनिट/कंपनी है और ऐसे किसी अन्य उपक्रम की जिसे औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987, के उपबंधों से इस प्रकार छूट नहीं दी गई है, समनुषंगी नहीं है या किसी तरह उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन नहीं है;

2. सूत्रयोग संबंधित यूनिट/कंपनी द्वारा अपने निजी ब्रांड नाम में विपणित किए गए हैं और किसी अन्य कम्पनी के ब्रांड नाम और/अथवा ट्रेड मार्क में विपणित नहीं किए गए हैं;

3. लघु यूनिट के रूप में रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र की प्रति के साथ ऊपर (I) और (II) शर्तों के अनुपालन में घोषणा, विद्यमान यूनिटों की दशा में इस अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर और नई यूनिटों की दशा में उत्पादन के प्रारम्भ की तारीख से 60 दिन के भीतर सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

टिप्पणी :—किसी लघु यूनिट/कंपनी को उपरोक्त छूट उसके लघु यूनिट/कंपनी न रहने पर देय नहीं होगी।

4(8)/87-पी आई II)
आर० एस० माथुर, संयुक्त सचिव

ऊर्जा के विकास और विस्तार की योजनाएं

8524. **श्री मुरलीधर माने** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में ऊर्जा के विकास और विस्तार के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं के राज्यवार नाम क्या हैं; और

(ख) विभिन्न राज्यों में किन-किन स्थानों पर नये बिजली संयंत्र लगाये जा रहे हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विद्युत उत्पादन स्कीमें जिनसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है, उन स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न **विवरण** में दिया गया है ।

विवरण

विद्युत उत्पादन स्कीमें जिनसे सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभ (मेगावाट)
1	2	3
	हरियाणा	
1.	पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत स्कीम	48
2.	दादूपुर जल विद्युत स्कीम	10
3.	पानीपत ताप वि० केन्द्र चरण—दो	220
4.	पानीपत ताप वि० केन्द्र चरण—तीन	210
	हिमाचल प्रदेश	
5.	आन्ध्रा जल विद्युत स्कीम	17
6.	राणटाग जल विद्युत स्कीम	2
7.	भाभा जल विद्युत स्कीम	120
8.	थिराट जल विद्युत स्कीम	4.5
9.	चमेरा जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	180
	जम्मू व कश्मीर	
10.	अप्पर सिंध जल विद्युत स्कीम चरण—दो	70
11.	करनाह जल विद्युत स्कीम	2
12.	स्टाकना जल विद्युत स्कीम	4
13.	सलाल चल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	345

1	2	3
	पंजाब	
14.	मुकेरियन जल विद्युत स्कीम	162
15.	यू०बी०डी०सी० जल विद्युत स्कीम चरण—दो	45
16.	दोघार मिनी जल विद्युत स्कीम	1.6
17.	धारीवाल जल विद्युत स्कीम	2.4
18.	तूही जल विद्युत स्कीम	0.8
19.	रोहती जल विद्युत स्कीम	0.8
20.	निदामपुर जल विद्युत स्कीम	0.8
21.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण—दो	420
22.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम	134
	राजस्थान	
23.	कोटा ता०वि० केन्द्र विस्तार	210
24.	रामगढ़ गैस टर्बाइन केन्द्र	3
25.	माही जल विद्युत स्कीम	140
26.	मंगरौल जल विद्युत स्कीम	6
27.	बरनवाला जल विद्युत स्कीम	2
28.	सूरतगढ़ जल विद्युत स्कीम	4
29.	पुगल जल विद्युत स्कीम	2.1
30.	अनूपगढ़ नहर जल विद्युत स्कीम	9
31.	जक्खप जल विद्युत स्कीम	9
	उत्तर प्रदेश	
32.	मनेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण—तीन	304
33.	अनपारा "ए" ता०वि० केन्द्र	630
34.	टांडा ता० वि० केन्द्र	440
35.	उच्चाहार ता०वि० केन्द्र	420
36.	सिंगरौली सुपर ता०विद्युत केन्द्र चरण—एक सोपान—दो (केन्द्रीय सरकार)	1000
37.	रिहन्द सुपर ता०वि० केन्द्र } : केन्द्रीय क्षेत्र	1000
38.	नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना }	470

1	2		3
	गुजरात		
39.	उकई बायां तट नहर जल विद्युत स्कीम		5
40.	कड़ाना पम्पड स्टोरेज जल विद्युत स्कीम		120
41.	वानकबोरी ता०वि० केन्द्र विस्तार		630
42.	सिक्का ता०वि० केन्द्र		120
43.	गांधी नगर ता०वि० केन्द्र विस्तार		210
	मध्य प्रदेश		
44.	हासदेव जल विद्युत स्कीम		120
45.	बारगी जल विद्युत स्कीम		90
46.	कोरबा प० ताप० वि० केन्द्र विस्तार		210
47.	संजय गांधी (बीरासिंहपुर) ता०वि० केन्द्र		210
48.	बानसागर जल विद्युत स्कीम		210
49.	कोरबा सुपर ता०वि० केन्द्र	केन्द्रीय क्षेत्र	500
50.	कोरबा सुपर ता०वि० केन्द्र	केन्द्रीय क्षेत्र	1000
51.	विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र	केन्द्रीय क्षेत्र	1260
	महाराष्ट्र		
52.	भीरा तेल रेस जल विद्युत स्कीम		80
53.	तिल्लारीजल विद्युत स्कीम		60
54.	पावन जल विद्युत स्कीम		10
55.	भण्डारदारा जल विद्युत स्कीम		10
56.	कडकवासला जल विद्युत स्कीम		16
57.	भटसा जल विद्युत स्कीम		15
58.	चन्द्रपुर ता०वि० केन्द्र विस्तार		420
59.	उरण गैस केन्द्र विस्तार		324
60.	खाप्परखेड़ा ता० वि० केन्द्र विस्तार		420
61.	पारली ता०वि० केन्द्र विस्तार		210
62.	उज्जैनी पम्पड स्टोरेज जल विद्युत स्कीम		12
63.	उरण गैस टर्बाइन केन्द्र यूनिट—सं० 8		108
64.	वैटरान जल विद्युत स्कीम		1.5

1	2	3
65.	पैंच जल विद्युत स्कीम (एम०पी०/महाराष्ट्र)	160
	आंध्र प्रदेश	
66.	बालीमेला जल विद्युत स्कीम	60
67.	नागार्जुनसागर जल विद्युत स्कीम चरण—दो	100
68.	श्रीसैलम जल विद्युत स्कीम चरण—दो	330
69.	पैन्ना एहोबिलम जल विद्युत स्कीम	20
70	नागार्जुनसागर एल०बी० नहर जल विद्युत स्कीम	60
71.	नागार्जुनसागर आर०बी० नहर जल विद्युत स्कीम	30
72.	पोचमपाद जल विद्युत स्कीम	27
73.	विजयवाड़ा ता०वि० केन्द्र विस्तार	210
74.	काकटिया नहर जल विद्युत स्कीम	1.5
75.	रामागुंडम सुपर ता०वि० केन्द्र विस्तार (केन्द्रीय क्षेत्र)	1000
	कर्नाटक	
76.	वरांही नहर जल विद्युत स्कीम	239
77.	सूपा हैम जल बिद्युत स्कीम	100
78.	घाटप्रभा जल विद्युत स्कीम	32
79.	रायचूर ता०वि० केन्द्र	210
80.	मल्लापुर जल विद्युत स्कीम	9
81.	कैलमलाईजनकाल जल विद्युत स्कीम	0.75
82.	सिरवार जल विद्युत स्कीम	1
83.	मदुर शांच जल विद्युत स्कीम व दूसरी मिनी/माइक्रो	1.5
	केरल	
84.	इदमलायर जल विद्युत स्कीम	75
85.	कक्कड़ जल विद्युत स्कीम	15
86.	इदुक्की जल विद्युत स्कीम चरण—दो	390
87.	कल्लाड़ा जल विद्युत स्कीम	15
	तमिलनाडु	
88.	सरवालर जल विद्युत स्कीम	20
89.	कदमपराई जल विद्युत स्कीम	400

1	2		3
90.	कुन्डाह् जल विद्युत स्कीम चरण—पांच		20
91.	लोअर मैट्टूर जल विद्युत स्कीम		120
92.	वैगाई माइक्रो जल विद्युत स्कीम		6
93.	पाइकारा माइक्रो जल विद्युत स्कीम		2
94.	लोअर भवानी जल विद्युत स्कीम		8
95.	मैट्टूर ता०वि० केन्द्र		420
96.	मैट्टूर ता०वि० केन्द्र विस्तार		210
97.	टूटीकोरिन ता०वि० केन्द्र विस्तार		210
98.	नेवेली दूसरा माइनकट ता०वि० केन्द्र	केन्द्रीय क्षेत्र	210
99.	नेवेली दूसरा माइनकट ता०वि० केन्द्र विस्तार	केन्द्रीय क्षेत्र	210
100.	कलपाक्कम परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट	केन्द्रीय क्षेत्र	235
	बिहार		
101.	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट—10		110
102.	नार्थ कोयल जल विद्युत स्कीम		24
103.	सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत स्कीम		6.6
104.	पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत स्कीम		15
105.	मुजफ्फरपुर ता०वि० केन्द्र यूनिट—2		110
106.	तेनूघाट ता०वि० केन्द्र		210
107.	सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत स्कीम		3.3
108.	पंचेत हिल्ल जल विद्युत परियोजना (डी०वी० सी०)		40
109.	बोकारो "बी" ता०वि० केन्द्र (डी०वी०सी०)		210
110.	बोकारो "बी" ता०वि० केन्द्र विस्तार (डी०वी०सी०)		420
111.	गैस टर्बाइनें (डी०वी०सी०)		90
	उड़ीसा		
112.	अप्पर कोलाब जल विद्युत स्कीम		240
113.	हीराकुड जल विद्युत स्कीम चरण—तीन		37.5
114.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम		100
115.	पोटेरू जल विद्युत स्कीम		6
116.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम विस्तार		100

1	2	3
	सिक्किम	
117.	रांगनीचू जल विद्युत स्कीम चरण—दो	2 5
118.	रिम्बी जल विद्युत स्कीम	1
	पश्चिमी बंगाल	
1 9.	रमन जल विद्युत स्कीम	50
120	कोलाघाट ता०वि० केन्द्र	420
121.	कोलाघाट ता०वि० केन्द्र विस्तार	210
122.	डी०पी०एल० ता०वि० केन्द्र विस्तार	1 0
123.	तिस्ता नहर जल विद्युत केन्द्र	22.5
124.	रिछींगटान जल विद्युत केन्द्र आगमेंटेशन	1
125.	फाजी जल विद्युत स्कीम आगमेंटेशन	1 2
126.	फरक्का सुपर ता०वि० केन्द्र चरण—एक (केन्द्रीय क्षेत्र)	630
	अण्डेमान निकोबार द्वीप समूह	
127.	डीजल स्कीमें	12
	असम	
128.	लोअर बोरपानी जल विद्युत स्कीम	100
129.	लकवा गैस स्टेशन विस्तार	15
130.	चन्द्रपुर ता०वि० केन्द्र विस्तार	30
131.	बोंगायगान ता०वि० केन्द्र	60
132.	लकवा ता०वि० केन्द्र सोपान—दो	60
133.	धानसीरी जल विद्युत स्कीम	20
	मणिपुर	
134.	लोकछाओ जल विद्युत स्कीम	0.4
135.	कैथालमन्बी जल विद्युत स्कीम	0.6
136.	लायमखांग जल विद्युत स्कीम	1
137.	नंगसुंगखांग जल विद्युत स्कीम	1.5
138.	गेनल माइक्रो जल विद्युत स्कीम	0.4
139.	थूनिम जल विद्युत स्कीम	1

1	2	3
140.	डीजल सेटस	2
	नागालैण्ड	
141.	डिक्खू जल विद्युत स्कीम	1
	त्रिपुरा	
142.	महारानी जल विद्युत स्कीम	1
143.	बारामूरा गैस ता०वि० केन्द्र	10
144.	न्यू गैस टर्बाइन	10
	अरुणाचल प्रदेश	
145.	टागो जल विद्युत स्कीम	4.5
146.	सैरसा जल विद्युत स्कीम	1.5
147.	स्माल हाइडल्स	3.60
	मेघालय	
148.	कोपिली जल विद्युत स्कीम (केन्द्रीय क्षेत्र)	100
	मिजोरम	
149.	स्माल हाइडल	0.9
150.	स्माल डीजल्स	5
	कुल (यूटिलिटीज)	22245.25

इसके अतिरिक्त, गैस/तरल ईंधन पर आधारित निम्नलिखित विद्युत उत्पादन स्कीमों को भी सातवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिए सम्मिलित की गई है।

गुजरात	
गैस पर आधारित कवास कम्बाईन्ड साइकिल परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	300
उत्तर प्रदेश	
गैस पर आधारित औरैया कम्बाईन्ड साइकिल परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	400
राजस्थान	
गैस पर आधारित अंटा गैस टर्बाइन परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	
दिल्ली	
आई०पी० के निकट "डेसू" गैस टर्बाइन्स	180

कर्नाटक में औद्योगिक विकास

8525. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में औद्योगिक विकास की गति बहुत ही असन्तोषजनक रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में औद्योगिक विकास की गति धीमी होने के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारण क्या हैं;

(ग) उक्त राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार मासिक सूचकांक का संकलन नहीं करता है। उद्योग मन्त्रालय भी औद्योगिक उत्पादन की राज्यवार सूचना नहीं रखता है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1987 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 9.7% रही जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह दर 7.1% थी।

सरकार ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किये हैं।

माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण

8526. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन सिस्टम का निर्माण करने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड इस दिशा में संयुक्त प्रयास कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 6 जी० एच० जैड० तथा 13 जी० एच० जेड० फ्रिक्वेंसी बैंड वाली डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों के विनिर्माण के लिये मै० मैसर्स एन० ई० सी० जापान के साथ तकनीकी सहयोग के लिए दो कम्पनियों ने एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

भारत एवं जापान सरकारों ने विदेशी सहयोग का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

दोनों कम्पनियों द्वारा संयुक्त दो बैंड के 400 ट्रांस रिसीवरों का वार्षिक तौर पर विनिर्माण करने का प्रस्ताव है।

उत्पादन 1989 के दौरान शुरू होने की सम्भावना है।

उच्च प्रौद्योगिकी से तैयार की जाने वाली औषधियों का आयात

8527. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बहुराष्ट्रीय औषध निर्माता कम्पनियां उच्च प्रौद्योगिकी से तैयार की जाने वाली औषधों को, भारतीय कम्पनियों द्वारा भारत में इनके निर्माण पर आने वाली लागत की अपेक्षा अधिक मूल्यों पर आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन औषधों को देश में इनकी उत्पादन लागत से अधिक मूल्यों पर आयात करने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री वे० वेंगल राव) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए पूंजी निवेश की सीमा में वृद्धि

8528. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए पूंजी निवेश की सीमा में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है तथा क्या सरकार द्वारा उनके मन्त्रालय के तत्संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(ग) पूंजीनिवेश की सीमा में वृद्धि किन परिस्थितियों में की गई है; और

(घ) इस मामले में निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) औद्योगिक लाइसेंसीकरण के उद्देश्य के लिए छूट की सीमा 23-4-83 को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई थी। लाइसेंसीकरण प्रणाली को उदार बनाने के हिस्से के रूप में इस सीमा को बढ़ाने हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की गई है और इसके ब्यौरे अभी तैयार किये जा रहे हैं। अतः, इस समय यह बता पाना कठिन होगा कि इस विषय में अन्तिम निर्णय लेने में कितना निश्चित समय लगेगा।

एकीकृत ऊर्जा विकास योजना

8529. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में ऊर्जा की मांग के बढ़ने की जानकारी है;

(ख) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कोई एकीकृत ऊर्जा विकास योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक समन्वित ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

ऊर्जा की दृष्टि से मितव्ययी एक समन्वित माडल तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा कार्यवाही आरम्भ की गई है जिसकी सहायता से ऊर्जा के विकास सम्बन्धी विकल्पों का इष्टतम मिश्रण तैयार किये जाने की सम्भावना है ताकि विद्युत की मांग को पूरा किया जा सके।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचारपत्रों को विज्ञापन देना

8530. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा समाचारपत्रों को किस दर पर विज्ञापन दिये जाते हैं;

(ख) क्या भाषा के अनुसार दरों में अन्तर होता है;

(ग) क्या किसी विशेष समाचारपत्र में विज्ञापन देने का अन्तराल उसकी प्रामाणिक बिक्री के आधार पर निर्धारित किया जाता है; और

(घ) 31 दिसम्बर, 1987 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अनुसूची में दी गई विभिन्न भाषाओं में दिये गये विज्ञापनों का मूल्यानुसार ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विभिन्न समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को प्रस्तावित विज्ञापन दरें दर ढांचे के उपबन्धों के अनुसार उनकी प्रसार संख्या पर आधारित होती हैं जो समाचार-पत्रों/नियतकालिक पत्रों की विभिन्न श्रेणियों पर समान रूप से लागू होती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विज्ञापनों को समाचारपत्रों/नियतकालिक पत्रों को प्रचार आवश्यकताओं तथा धनराशि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रिलीज किया जाता है। समाचारपत्रों की प्रचार संख्या और उनके लक्षित पाठकों का भी ध्यान रखा जाता है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 1987-88 (अप्रैल-दिसम्बर, 1987) के दौरान विभिन्न अनुसूचित भाषाओं के समाचारपत्रों/नियतकालिकपत्रों को दी गई धनराशि

क्र०सं०	भाषा	धनराशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	उर्दू	29,70,768.00
2.	पंजाबी	12,64,136.00
3.	मराठी	35,75,688.00
4.	गुजराती	27,38,384.00
5.	सिंधी	1,68,5[illegible]9.00
6.	असमिया	5,61,074.00
7.	बंगला	31,40.930.00

1	2	3
8.	उड़िया	10,07,300.00
9.	तमिल	22,53,168.00
10.	तेलुगु	7,66,012.00
11.	मलयालम	20,24,598.00
12.	कन्नड़	9,32,884.00

दिल्ली में "मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम" प्रारम्भ करना

8531. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परीक्षण के तौर पर "मोबाइल रेडियो टेलीफोन सिस्टम" प्रारम्भ करने के पश्चात सरकार दिल्ली में एक सम्पूर्ण प्रणाली की स्थापना के लिए एक परियोजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उपकरण का देश में ही निर्माण किया जा रहा है और अथवा आयात किया जाएगा;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) परियोजना की प्रति लाइन अनुमानित गैर-आवर्ती लागत क्या है;

(ङ) परियोजना की प्रति लाइन अनुमानित आवर्ती लागत क्या है; और

(च) उपभोक्ता को वार्षिक कितना प्रभार अदा करना होगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। एन० सी० आर० क्षेत्र वाली एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) फिलहाल इस उपस्कर का विनिर्माण देश में नहीं किया जा रहा है। बम्बई से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आयात करने स्थानीय विनिर्माण के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(ग) प्रस्तावित योजना के लिए अभी तक किसी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) बम्बई के लिये प्रस्तावित दरें इस प्रकार हैं :—

(एक)	पंजीकरण कराते समय जमा की जाने वाली राशि	5,000 रु०
(दो)	कनेक्शन देते समय की जमा राशि	45,000 रु०
(तीन)	मासिक किराया	10,00
(चार)	काल प्रभार	एयर कनवर्शेशन समय (आवक और जावक दोनों कालें) के लिए प्रति मिनट 1.50 रु० सामान्य प्रभार के अतिरिक्त।

उपकरण उपभोक्ता के अपने होंगे। वैसे, उपर्युक्त शुल्क दरों की पुनरीक्षा की जा रही है।

राज्यों में जल-विद्युत संयंत्रों की स्थापना करना

8532. श्री राधाकांत डिगाल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में कितने जल-विद्युत संयंत्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) ऐसे जल-विद्युत संयंत्रों की संख्या कितनी है जिनमें इस बीच उत्पाद शुरू हो गया है;

(ग) प्रत्येक जल-विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (घ) 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान रोटेट की गई/चालू की गई जल-विद्युत उत्पादन यूनिटों तथा इनकी क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। देश के विभिन्न राज्यों में कुल 2785 31 मेगावाट क्षमता की 104 जल-विद्युत यूनिटों में से 1411.56 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की 92 यूनिटें चालू की जा चुकी हैं जबकि कुल 374.25 मेगावाट की 12 यूनिटें रोटेट की गई हैं। चालू की गई 92 यूनिटों में से 2380.95 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की 44 वृहत्/मध्यम यूनिटें हैं जबकि 30.61 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता की 48 माइक्रो/मिनी/लघु जल-विद्युत केन्द्रों वाली यूनिटें हैं। ऐसे वृहत् तथा मध्यम जल-विद्युत केन्द्र जिन्होंने अब तक विद्युत का उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है, इनकी संख्या 43 है माइक्रो/मिनी/लघु जल-विद्युत केन्द्रों के बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1985-86, 1986-87 तथा 1987-88) के दौरान रोटेट/चालू किये गये जल विद्युत उत्पादन यूनिट

जल विद्युत केन्द्रों के नाम	यूनिटों का संख्या × प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	कुल प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
क. चालू किए गए जल विद्युत केन्द्र/यूनिटें		
(1) मुख्य और मध्यम		
उत्तरी क्षेत्र		
रा० ज० वि० निगम		
सलाल	3×116	345
हरियाणा		
पश्चिमी यमुना नहर		
(क) सोपान "क"	2×8	16
(ख) सोपान "ख"	2×8	16

1	2	3
हिमाचल प्रदेश		
आंध्रा	3×5.65	16.95
पंजाब		
आनन्दपुर साहिब	4×33.5	134
राजस्थान	2×5	
माही बजाज सागर सोपान-1	2×25	50
उप जोड (उत्तरी क्षेत्र)	16 यूनिटें	577.95
पश्चिमी क्षेत्र		
महाराष्ट्र		
भंडारधारा	1×10	10
पेंच (मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	1×80	80
का सांझा)	1×80	80
टिल्लारी	1×60	60
भीरा टेल रेस	2×40	80
उप जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	6 यूनिटें	310
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश		
नागार्जुनसागर पम्प स्टोरेज स्कीम	1×100	100
श्रीसेलम चरण-दो	1×110	110
	2×110	220
पोचमपाद	2×9	18
कर्नाटक		
कालीनदी चरण-1 (सुपा)	2×50	100
केरल		
इदामलयार	2×37.5	75
इदुक्की चरण-दो	2×130	260
	1×130	130

1	2	3
तमिलनाडु		
सरवालर	1 × 20	20
कदमपराई पम्प स्टोरेज स्कीम	2 × 100	200
लोअर मैत्तूर	2 × 15	30
उप जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	18 यूनिटें	1763
पूर्वी क्षेत्र		
उड़ीसा		
रेंगाली	2 × 50	100
अपर कोलाब	1 × 80	80
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
नीपको		
कोपिली	1 × 50	50
उप जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1 यूनिट	50
जोड़ अखिल भारत (1)	44 यूनिटें	2380.95 मेगा०
(II) **मिनी/माइक्रो/लघु**		
उत्तरी क्षेत्र		
हिमाचल प्रदेश		
रोगटोंग	2 × 0.5	1
	2 × 0.5	1
जम्मू और कश्मीर		
सतकना	1 × 2	2
	1 × 2	2
लंकेरची	1 × 0.025	0.025
पंजाब		
निदामपुर	2 × 0.5	1.0
दोघर	3 × 0.5	1.5
राजस्थान		
अनूपगढ़	6 × 1.5	9.0

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
सुरिनगेड	1 × 0.4	0.4
	1 × 0.4	0.4
चमोली विस्तार	1 × 0.2	0·2
केदारनाथ	4 × 0.005	0 020
तपोवन	2 × 0.4	0.8
उप जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	27 यूनिटें	19.345
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
उकई बायां तट नहर	2 × 2.5	5
महाराष्ट्र		
वैतरणा बांध-दो	1 × 1.5	1.5
योकेश्वर	1 × 0.075	0.075
उप जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	4 यूनिटें	6.575
दक्षिणी क्षेत्र		
आंध्र प्रदेश		
ककतिया नहर के दसवें मील पर	2 × 0.22	0 44
ककतिया नहर के 18वें मील पर	3 × 0.22	0.66
ककतिया नहर के 19वें मील पर	3 × 0.23	0.69
उप जोड़ (दक्षिण क्षेत्र)	8 यूनिटें	1.79
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
मणिपुर		
नंग सुंग खंग	3 × 0.5	1.5
अरुणाचल प्रदेश		
टिसु	4 × 0.1	0.4
त्रिपुरा		
महारानी	2 × 0.5	1.0
उप जोड़ (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र)	9 यूनिटें	2.9
जोड़ अखिल भारत (II)	48 यूनिटें	30.61
जोड़ (क) = (I) + (II)	92 यूनिटें	241·1.56

1	2	3
वे यूनिटें जिन्हें 1987-88 में रोल किया गया परन्तु चालू नहीं किया गया		
(I) वृहत्/मध्यम		
मध्य प्रदेश		
बारगी	1×45	45
महाराष्ट्र		
पवाना	1×10	10
आंध्र प्रदेश		
पोचमपाद	1×9	9
तमिलनाडु		
कटमपराई पम्प स्टोरेज स्कीम	1×100	100
लोअर मैत्तूर	4×15	60
कुंडाह फेज-पांच	1×20	20
उड़ीसा		
अपर कोलाब	1×80	80
मेघालय		
कोपिली	1×50	50
उप जोड़ (I)	10 यूनिटें	374
(II) माइक्रो/मिनी/लघु		
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
नागालैंड		
दिखू	1×0.25	0.25
उप जोड़ (II)	1 यूनिट	0.25
जोड़ (ख) = (I)+(II)	12 यूनिटें	374.25
जोड़ (क)+(ख)	104 यूनिटें	2785.81

प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार योजना

8533. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत उत्पादन में प्रशंसनीय उत्पादकता पुरस्कार योजना अभी भी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में इस योजना से क्या लाभ हुए हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, हां।

(ख) इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य ताप विद्युत केन्द्रों के बीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहित करके और उपयुक्त नकद प्रोत्साहनों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करके अधिकतम ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त करना है।

(ग) और (घ) विशेष रूप से इस स्कीम के परिणामस्वरूप ताप विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि की मात्रा बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि ताप विद्युत उत्पादन में सुधार कई पहलुओं पर निर्भर करता है। तथापि, ताप विद्युत उत्पादन, 1985-86 के 114119 मिलियन यूनिट की तुलना में 1987-88 में बढ़कर 149350 मिलियन यूनिट हो गया।

सोवियत संघ के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही बिजली परियोजनायें

8534. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ के सहयोग से देश में कितनी बिजली परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) ये परियोजनाएं किन स्थानों पर स्थित हैं तथा इनकी क्षमता कितनी है;

(ग) क्या कुछ ताप बिजली केन्द्रों के लिये सोवियत संघ ने समस्त धन-राशि देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) सोवियत संघ की सहायता से फिलहाल निम्नलिखित विद्युत उत्पादन परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है :

(एक) मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-एक (6×210 मेगावाट)

(दो) बिहार में कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगावाट)

(तीन) उत्तर प्रदेश में टिहरी जल विद्युत काम्पलैक्स (2400 मेगावाट)

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिये कार्यक्रम

8535. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान सौर और पवन ऊर्जा के लिये कुल कितनी धनराशि क

नियतन किया गया है;

(ख) क्या केरल में इस वर्ष उन ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिये बड़े पैमाने पर कोई कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में 1988-89 के दौरान सौर प्रकाशवोल्टीय, सौर तापीय तथा पवन ऊर्जा के लिये कुल आवंटन क्रमशः 9.5 करोड़ रुपये, 7 करोड़ रुपये तथा 5 5 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग) ये कार्यक्रम केरल राज्य सहित पूरे देश में चलाए जा रहे हैं। सम्बन्धित राज्य सरकार/नोडल एजेंसियों के परामर्श से केरल सहित विभिन्न राज्यों में इस वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाये गये हैं ।

केरल में विद्युत क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा निवेश

8536. श्री बी० एस० विजयराघवन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा केरल में विद्युत क्षेत्र में अब तक कितना निवेश किया गया है;

(ख) अन्य राज्यों की तुलना में यह कितना है;

(ग) क्या केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में और अधिक निवेश करने का कार्यक्रम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) विद्युत क्षेत्र में निवेश किसी विशेष राज्य के लिये नहीं किया जाता है अपितु समग्र क्षेत्र के लिए किया जाता है क्योंकि केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाएं क्षेत्रीय स्कीमें होती हैं । केन्द्रीय निवेश के बारे में राज्यवार समुचित आंकड़े योजना आयोग द्वारा नहीं रखे जाते हैं ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने केरल की 2×210 मेगावाट की कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है । पर्यावरण की दृष्टि से तथा जल की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधन जैसे आवश्यक निवेश सुनिश्चित किये जाने के पश्चात् निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जा सकेगा । केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाए । राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रस्ताव के बारे में और सूचना प्रस्तुत करें, जिसकी प्रतीक्षा है ।

दोषपूर्ण भार-प्रबन्ध के कारण ऊर्जा के उत्पादन में हानि

8537. श्री विजय एन० पाटिल : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दोषपूर्ण भार-प्रबन्ध के कारण ऊर्जा के उत्पादन में होने वाली हानि को रोकने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रणाली तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इन दोषों को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) उपलब्ध ऊर्जा उत्पादन का इष्टतम समुपयोजन करने के लिए भार प्रबन्ध सम्बन्धी विभिन्न

उपाय किये जाते हैं। इनमें ये शामिल हैं : उपभोक्ताओं को अलग-अलग समूहों में विभक्त करना, व्यस्ततमकालीन घंटों को छोड़कर बाकी अवधि के दौरान विद्युत का अधिक उपयोग किए जाने को प्रोत्साहन देना, फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई करना आदि। फालतू विद्युत वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रिड बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को आपस में सम्बद्ध किया गया है जिसके आधार पर अन्ततः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड बनाने का उद्देश्य है।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए मैसर्स मोदीपान लि०, मैसर्स सेंटुरी ऐका लि० और मैसर्स पेट्रो-फिल्स कोआपरेटिव लि० की लाइसेंस क्षमता

8538. **श्री सीताराम जे० गावली** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83, 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान मैसर्स मोदीपान लि०, सेन्टुरी मैसर्स ऐका लि० और मैसर्स पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि० की पालिस्टर फिलामेंट यार्न की लाइसेंस क्षमता कितनी थी;

(ख) क्या उपर्युक्त लाइसेंस क्षमता को पालिस्टर फिलामेंट यार्न के डेनियरों के उत्पादन से संबद्ध किया गया था;

(ग) इन वर्षों में इन कम्पनियों का पालिस्टर फिलामेंट यार्न का वास्तविक उत्पादन कितना रहा;

(घ) क्या किसी वर्ष विशेष में वास्तविक उत्पादन लाइसेंस क्षमता से 125 प्रतिशत अधिक हुआ; और

(ङ) क्या इस प्रकार अधिक उत्पादन सरकार की विकासोन्मुख उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० बेंगल राव) : (क) से (ङ) लाइसेंसशुदा क्षमता और उत्पादन के बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :

(टनों में)
लगभग

वर्ष	मै० मोदीपोन लि०		सेंचूरी इंका लि०		मै० पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०	
	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन
1982-83	576	2,010	1,500	2,780	7,000	4,890
1983-84	1,723	3,690	1,500	4,950	7,000×	6,570
1984-85	1,723	3,720	6,540	5,800	9,000	8,150
1985-86	1,723	3,270	6,540	6,360	9,000	8,160

×सितम्बर, 1984 में क्षमता पुनः अनुमोदित करके 9,000 टन प्रति वर्ष कर दी गई।

विवरण से यह देखा जा सकता है कि कुछ वर्षों तक कुछ मामलों में, मुख्यतया डेनियोर में परिवर्तित प्रक्रिया में सुधार आदि के कारण उत्पादन लाइसेंसशुदा क्षमता के 125 प्रतिशत से अधिक है।

उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार समय समय पर एकक द्वारा प्राप्त अधिकतम उत्पादन के आधार पर क्षमता के पुन: अनुमोदन के बारे में सरकार नीति की घोषणा करती रही है।

पंजाब को राजसहायता

8539. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में औद्योगिक जोनों में शामिल जिलों के नाम क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब तथा विशेषत: होशियारपुर जिलों को कितनी सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) संभवतया माननीय सदस्य पंजाब में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के बारे में पूछ रहे हैं। पंजाब के होशियारपुर, संगरूर, भटिन्डा, फिरोजपुर और गुरदासपुर जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले माना गया था। एक विशेष मामले के रूप में 1 अप्रैल, 1985 से वर्ग "ग" के पिछड़े जिलों को उपलब्ध सुविधायें अमृतसर जिले को भी दी गई थी। 1971 में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के प्रारंभ होने से 1987-88 तक की अवधि में पंजाब सरकार को 20.27 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की गयी है। केन्द्रीय राजसहायता के प्रतिपूर्ति संबंधी ब्यौरे राज्य-वार तथा उद्योग-वार नहीं रखे जाते।

नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारी

8540. **श्रीमती एन० पी० झाँसी लक्ष्मी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड के केरल और पश्चिम बंगाल से बाहर कार्यरत कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो केरल और पश्चिम बंगाल में कार्यरत कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) नारियल जटा बोर्ड के केरल और पश्चिम बंगाल से बाहर कार्यरत कर्मचारियों के लम्बे समय से लम्बित पड़े चिकित्सा दावों को निपटाने के लिए तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) कॅयर बोर्ड ने केरल में तथा केरल से बाहर कार्यरत अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवा (चिकित्सा सेवा) नियम, 1944 के अधीन प्राप्त होने वाली चिकित्सा सेवा सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं। तथापि, दिल्ली तथा बम्बई जैसे स्थानों में इन नियमों को लागू करने में कुछ कठिनाइयां सामने आई हैं। कयर बोर्ड को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गये हैं।

बिहार में अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित किए गये उद्योग

8541. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अनिवासी भारतीयों द्वारा अथवा उनके सहयोग से स्थापित किए गये उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) 31 मार्च, 1980 की स्थिति के अनुसार बिहार में इन औद्योगिक एककों की स्थापना के कितने प्रस्ताव विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) के समक्ष लम्बित पड़े हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) नवम्बर, 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (अनिवासी भारतीय) के गठन के बाद से बिहार में फल एवं सब्जी के रस व खाद्य-उत्पादों के विनिर्माण हेतु इकाई की स्थापना करने के लिये केवल एक अनिवासी भारतीय प्रस्ताव का 1987 में अनुमोदन किया गया है। इस उद्योग के लाइसेंस-मुक्त होने के कारण आवेदक को औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (एस०आई०ए०) रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है।

(ख) बिहार में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, औद्योगिक विकास विभाग के निर्णयार्थ औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए कोई अनिवासी भारतीय प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

बिहार में कहलगांव में सुपर ताप विद्युत संयंत्र का पूरा होना

8542. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कहलगांव में सुपर ताप संयंत्र के कार्य को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या मूल निर्धारित समय की तुलना में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है और मूल अनुमानों की तुलना में कितना और अधिक व्यय होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) से (ग) कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। परियोजना के लिए अपेक्षित कुल 3352 एकड़ भूमि में से लगभग 1370 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। कार्य-स्थल को समतल करने संबंधी कार्य का लगभग 60 प्रतिशत भाग पूरा किया जा चुका है और अस्थाई टाउनशिप का निर्माण कार्य पूरा होने की उन्नत अवस्था में है। मुख्य उपस्कर पैकेजेस हेतु आर्डर दे दिए गये हैं और शेष पैकेजेस के सम्बन्ध में भी आर्डर देने से पहले की जाने वाली कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए प्लेटफार्म का निर्माण

8543. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए प्लेटफार्म का निर्माण करने का ठेका सिंगापुर की एक कम्पनी को दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्लेटफार्म कहां स्थापित किया जावेगा और परियोजना पर आने वाली लागत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में गांवों का विद्युतीकरण

8544. श्री एच० जी० रामुलु : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में केन्द्रीय सरकार की सहायता से अब तक जिलेवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या जिन गांवों के विद्युतीकरण की मांग की गई थी उन सबका विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त-पोषित ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत 31-3-1987 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में विद्युतीकरण किये गये गांवों की जिलेवार संख्या को दर्शाने वाली उपलब्ध सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जिलेवार लक्ष्यों तथा गांवों के विद्युतीकरण करने से सम्बन्धित प्राथमिकता के बारे में निर्णय राज्य प्राधिकारियों द्वारा लिया जाता है। 1987-88 के दौरान कर्नाटक में 700 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कर्नाटक बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि 1987-88 के दौरान 31-3-1988 तक 746 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

विवरण

31-3-1987 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव—ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमें

राज्य : कर्नाटक

क्रम सं०	जिला	विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	बंगलौर	414
2.	बेलगाम	589
3.	बेलारी	110
4.	बिदार	234
5.	बिजापुर	757
6.	चिकमंगलूर	117

1	2	3
7.	चित्रादुर्गा	243
8.	कोरग (कोडागू)	127
9.	दक्षिण कन्नदा	101
10.	धरवार	432
11.	गुलबर्ग	581
12.	हसान	790
13.	कोलार	467
14.	मंडया	294
15.	मैसूर	350
16.	रायचूर	570
17.	शिमोगा	527
18.	तमकूर	442
19.	उत्तर कन्नाद	646

केरल में डाकघर खोलना

8545. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वर्ष 1988-89 के दौरान नये डाकघर खोलने तथा वर्तमान डाकघरों का दर्जा बढ़ाने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल में कितने डाकघर कहां-कहां खोले जाने हैं ?

ऊर्जा मंत्री तथा संचार मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी नहीं, अभी तक नहीं।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करना

8546. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान केरल में नये उद्योगों की स्थापना के लिए कोई नये लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को अलग-अलग कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान केरल राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिए सात औद्योगिक

लाइसेंस दिये गये थे। इनमें से दो "नये उपक्रमों" की स्थापना करने के लिए थे।

(ख) उपर्युक्त सात औद्योगिक लाइसेंसों में से राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को चार और गैर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/पार्टियों को तीन औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे।

केरल में ब्रहमपुरम में गैस पर आधारित ताप बिजली संयंत्र की स्थापना

8547. **श्री टी० बशीर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ब्रहमपुरम में गैस पर आधारित ताप बिजली संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) ब्रहमपुरम, कोचीन में एल०एस०ए०पी०एस० ईंधन तेल प्राकृतिक गैस पर आधारित 90 मेगावाट के एक संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के सम्बन्ध में एक संभाव्यता रिपोर्ट केरल प्राधिकारियों से अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुई है। प्रस्तावित परियोजना पर 107 करोड़ रु० लागत आने का अनुमान है।

उड़ीसा में कांच और चीनी मिट्टी औद्योगिक काम्प्लैक्स

8548. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सम्बलपुर जिले में झारसूगुडा में कांच और चीनी मिट्टी औद्योगिक काम्प्लैक्स के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए सामान्य सेवा और सुविधा केन्द्र हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय कांच और चीनी मिट्टी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से कांच और चीनी मिट्टी काम्प्लैक्स के उत्पादों का अभिनिर्धारण और परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कौन से कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने सम्बलपुर जिले में झारसुगुडा में प्रस्तावित कांच और चीनी मिट्टी औद्योगिक काम्प्लैक्स के लिए सामान्य सेवा और सुविधा केन्द्र हेतु बाह्य धन का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

नागर विमानन में गुणवत्ता नियंत्रण पर गोष्ठी

8549. **श्री एच० ए० डोरा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नागर विमानन में गुणवत्ता नियन्त्रण पर काठमांडू में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) क्या भारतीय प्रतिनिधियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्र में सुरक्षा उपाय बढ़ाने और उत्तम सेवाओं के लिए और अन्य देशों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री रफीक आलम) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन ने नेपाल आयल कारपोरेशन के सहयोग से 10 और 11 मार्च, 988 को विमानन ईंधन में किस्म नियंत्रण पर एक सेमिनार काठमांडू में आयोजित किया।

(ख) विमानन ईंधन की उत्पादन, विपणन और उपयोग में सम्बन्ध विभिन्न देशों की विभिन्न एजेंसियों में तकनीकी अन्तर कार्यवाही करने में अतिरिक्त उत्पादों की किस्म पर विशेष जोर दिया गया, भाग लेने वाले देशों को उनकी विमानन सुविधाओं तथा विमानन ईंधन की किस्म आदि को बढ़ाने में तकनीकी सहयोग की आफर की गई।

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने निम्नलिखित क्षेत्रों में सेवाएं आफर की :

(1) विमानन में कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा गैर विमानन ईंधन को उठाना-धरना।

(2) विकासात्मक प्रशिक्षण स्रोतों तथा सेमिनारों के द्वारा मानक साधनों का विकास।

(3) जानकारी और सूचना में सहयोग करने तथा उसे अद्यतन बनाने के लिए उनके प्रतिष्ठानों पर हमारे विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर दौरा।

(4) ऊर्जा संरक्षण में सहयोग।

(5) ईंधन परीक्षक सुविधाएं स्थापित करना।

(6) पी० ओ० एल० को उठाने-धरने से सम्बद्ध कोई अन्य सहायता।

कम्पनियों का परिसमापन

8550. **डा० वत्सा सामन्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1987 को राज्य-वार कितनी कम्पनियां परिसमापन में थीं; और

(ख) इन कम्पनियों के परिसमापन के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस बारे में एक विवरण संलग्न है।

(ख) प्रत्येक कम्पनी के परिसमापन के कारणों को संकलित करने में लगने वाला समय और प्रयास प्राप्त किये जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 433 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा किसी कम्पनी को उक्त धारा में वर्णित एक या एक से अधिक आधारों पर परिसमाप्त किया जा सकता है।

विवरण

परिसमापनाधीन कम्पनियों के राज्यवार आंकड़े

क्रम सं०	राज्य का नाम	परिसमापन में जाने वाली कम्पनियों की संख्या
1	2	3
1.	गुजरात	195
2.	महाराष्ट्र	673

1	2	2
3.	कर्नाटक	258
4.	पश्चिम बंगाल	971
5.	उड़ीसा	35
6.	दिल्ली	365
7.	मध्य प्रदेश	37
8.	आन्ध्र प्रदेश	78
9.	राजस्थान	81
10.	पंजाब	82
11.	उत्तर प्रदेश	136
12.	तमिलनाडु	531
13.	बिहार	36
14.	गोवा	2
15.	पांडिचेरी	13
16.	असम	14
17.	जम्मू एवं कश्मीर	12
18	केरल	231
	योग	3750

कम्पनियों के विरुद्ध न्यायालयों में मामले

8551. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31 दिसम्बर, 1987 से पहले विभिन्न न्यायालयों में कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत कुल कितने मामले दायर किये गये;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 में कितनी कम्पनियों पर अभियोग चलाया गया; और

(ग) उन अपराधों का स्वरूप क्या है, जिनके लिए इन कम्पनियों पर अभियोग चलाये गये थे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-12-1987 को कम्पनियों एवं उनके निदेशकों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में 34,559 अभियोग के मामले लम्बित पड़े हुए थे।

(ख) कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोजित कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1984-85	1985-86	1986-87
6,500	6,039	5,727

(ग) विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है।

विवरण

उन अपराधों का स्वरूप जिनके लिए 1984-85, 85-86 तथा 86-87 के दौरान अभियोग दायर किये गये

क्र० सं०	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा	चूकों का स्वरूप
1	2	3
1.	22 (2)	कम्पनी का नाम परिवर्तन करने के विर्देशों का कम्पनी और उसके अधिकारियों द्वारा अनुपालन न करना
2.	58क	निक्षेपों की स्वीकृति एवं आमंत्रण का बनाये गये नियमों की शर्तों आदि के अनुरूप न होना।
3.	नियम 10/11	निक्षेपी की वार्षिक विवरणियां आदि दायर न करना।
4.	60	प्रकाशन से पूर्व विवरण पत्रिकाओं (प्रोस्पेक्ट्स) के पंजीकरण से संबंधित अपेक्षाओं का उल्लंघन
5.	70(4)	कुछ मामलों में उस दशा में आवंटन का वर्जन जब तक कि रजिस्ट्रार को दिए गए प्रोस्पेक्ट्स के बदले विवरण पत्र दायर न किया गया हो
6.	41/150	सदस्यों का रजिस्टर रखने में चूक
7.	146	कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय का रख-रखाव न करना।
8.	147(2)	कम्पनी द्वारा नाम का प्रकाशन न करना।
9.	159/162	रजिस्ट्रारों के पास वार्षिक विवरणियां दायर न करना।
10.	165	कम्पनी का व्यापार आरम्भ होने के बाद सांविधिक बैठक आयोजित न करना।
11.	166/168	वार्षिक साधारण बैठक सम्पन्न न करना

1	2	3
12.	198	प्रबन्धकीयकार्मिकों के न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान
13.	205क	अदत्त लाभांश को विशेष लाभांश लेखा और सामान्य राजस्व लेखा में स्थानान्तरित न करना
14.	207	42 दिन के अन्दर लाभांश न बांटने के लिए दंड
15.	209/209क	लेखा बहियों का उचित रूप में न रखा जाना
16.	210(5)	वार्षिक साधारण बैठकों में वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत न करना
17.	211	तुलनपत्रों तथा लाभ और हानि लेखाओं के फार्म और विषय वस्तु का सही और स्वच्छ रूप से न दिखाना/निर्धारित फार्म में न होना
18.	218	तुलनपत्र या लाभ-हानि लेखा के अनुचित रूप से जारी करने, परिचालन या प्रकाशक के लिए दंड
19.	233(ख) (ii)	कुछ मामलों में लागत लेखाओं की लेखापरीक्षा न कराना।
20.	220 (3)	कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास तुलनपत्र दायर न करना
21.	295 (4)	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बगैर निदेशकों आदि को ऋण
22.	303 (3)	निदेशकों के परिवर्तन की विवरणी प्रस्तुत न करना
23.	234 (1) (4)	कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा मांगी गई सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करना
24.	374	धारा 372 या 373 के उल्लंघन के लिये दंड
5.	483क	कम्पनी द्वारा पूर्णकालिक सचिव का न रखा जाना
26.	5 1	लम्बित पड़े समापन से सम्बन्धित सूचना का विवरण प्रस्तुत न करना
27.	473	निर्णायक साक्ष्य होने के लिए अंशदायी पर आदेश
28.	614क	रजिस्ट्रारों के पास दस्तावेज दायर करने के लिए निदेश देने हेतु अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की सुनवाई करने वाले न्यायालय की शक्तियां

1	2	3
29.	628	झूठे वक्तव्य के लिए दंड
30.	252	निदेशकों की न्यूनतम संख्या न बनाये रखना
31.	445 (1)	रजिस्ट्रारों के पास परिसमापन आदेशों को दायर करने में चूक
32.	17	धारा 17 की अपेक्षाओं का अनुपालन न करना
33.	43क	कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 43-क का अनुपालन न करना
34.	कम्पनी (निक्षेपों का अधिग्रहण) नियम 1975 के नियम 11	निक्षेपों की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करना
35.	68	लोगों को पैसों के निक्षेप के लिए कपटपूर्ण फुसलाना
36.	77 (4)	अपनी स्वयं की कम्पनी द्वारा खरीद के लिए ऋण या धारित कम्पनी के शेयरों को खरीदने पर प्रतिबन्ध का उल्लंघन
37.	95क	पूंजी शेयरों के संकलन को अधिसूचित करने में चूक और 30 दिन के अन्दर शेयरों को स्टाक में परिवर्तन करना
38.	212	तुलन-पत्र के साथ उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित कागजातों को संलग्न न करना
39.	217	उपधारा (1) से (3) तक बोर्ड की रिपोर्ट का अनुपालन नहीं करना
40.	252	निदेशकों की कम से कम संख्या बनाये रखना
41.	594	सोल सेलिंग एजेन्ट की नियुक्ति के संबंध में नियमों का उल्लंघन
42.	370	केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के बगैर उसी प्रबंध के अन्तर्गत कम्पनियों को ऋण आदि
43.	371	धारा 369, 370 और 370-क के उल्लंघन के लिये दंड
44.	372	शेयरों की खरीद के संबंध में अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन न करना

1	2	3
45.	445 (1)	रजिस्ट्रार के पास परिसमापन आदेशों को प्रस्तुत करने में चूक
46.	598	विदेशी कम्पनियों को लागू अधिनियम के उपबंधों को अनुपालन न करने के लिए दंड
47.	629क	अधिनियम में या भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 में जहां विशेष रूप से दंड का प्रावधान नहीं है, के लिए दंड
48	297	कतिपय अनुबन्धों के लिए, जिनमें निदेशक विशेष रूप से इच्छुक हैं, बोर्ड की स्वीकृति न लेना
49.	299 (4)	निदेशकों द्वारा हितों को प्रगट न करना
50.	300 (4)	बोर्ड की कार्यवाही में इच्छुक निदेशकों द्वारा भाग लेना तथा मत देना
51.	631	लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्द का अनुचित प्रयोग भारतीय कम्पनी अधिनियम 1913 के अन्तर्गत
52.	944	लेखा विवरणियां न प्रस्तुत करना

कर्नाटक में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

8552. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुछ और इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ कर्नाटक के रायचूर जिले का चयन किया गया है; और

(ग) वहां इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

ऊर्जा मन्त्री तथा संचार मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक के रायचूर जिले में फिलहाल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में कार्यान्वयन हेतु लंबित ताप विद्युत और पनबिजली संयंत्र परियोजनाएं

8553. **श्री एच० जी० रामुलु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्र और पनबिजली संयंत्र परियोजनाएं किस-किस अवस्था में कार्यान्वयन के लिए लंबित हैं; और

(ख) कर्नाटक में लंबित विद्युत परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी : (क) कर्नाटक के प्रस्तावित ताप विद्युत तथा जल विद्युत संयंत्र जो कि कार्यान्वयन (जांच किए जा रहे) के लिए लंबित पड़े हैं। उनकी स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र०सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	स्थिति
1.	मदुर शाखा नहर	1.5	अनुमोदन किए जाने के लिए निहित अन्तर्राज्यीय पहलुओं का समाधान किया जाना है।
2.	बृन्दावन जल विद्युत परियोजना	2 × 6	आयोजना तथा लागत पहलुओं के बारे में टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	शिवासमुन्द्रम जल विद्युत परियोजना-मौसमी स्कीम	2 × 135	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा रहा है। इसमें अन्तर्राज्यीय पहलू निहित हैं जिनका समाधान किया जाना है।
4.	मंगलौर ताप विद्युत केन्द्र	2 × 210	विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1945 की धारा 29 के उपबंधों का अनुपालन किया जाना है।

(ख) परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, परियोजना रिपोर्टों की व्यापकता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न टिप्पण/प्रेक्षण के बारे में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र उत्तर दिया जाना तथा निधियों के आबंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को प्रदान की गई सम्बन्धित प्राथमिकता पर निर्भर करता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किये जाते हैं।

(व्यवधान)

2.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप हमें अनुमति क्यों नहीं दे सकते ?

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैं आपके नियमों से बंधा हूं। तथा नियम यह कहता है कि चुनाव

आयोग एक स्वायत्त संस्था है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा। चुनाव आयोग स्वयं ही शिकायत कर सकता है। मैं इसे नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले विधान में तब्दीली करें, फिर मेरे पास आएं। मैं विधान में तब्दीली नहीं कर सकता। ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है तथा मैं ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये लोग भी शिकायत करते हैं। आप भी शिकायत करते हैं। मैं इसे सही समझता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी जी आप हमेशा पूरे जोर से चिल्लाते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है। अनुमति नहीं है। कुछ नहीं होगा। मैंने किसी को भी अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसी के लिए तो चुनाव आयोग का गठन किया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ तिवारी जी को अनुमति दी है अन्य किसी को नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : कृपया सुनिए। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है। यह एक अलग बात है।

समाचार पत्रों में हमने पढ़ा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पंजाब के लिए एक अलग दर्जे की मांग की है। इसका अभिप्राय यह है कि पंजाब को स्वायत्तता का दर्जा दे दिया जाए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने इस पुराने मत को दोहरा रही है कि भारत बहुत सी राष्ट्रीयताओं का देश है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : 59वां संविधान संशोधन भारत के संविधान का एक अंग

है। बाहर कहीं 59वें संशोधन को अवैध करने के लिए तथा संविधान को नष्ट करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शपथ ली जा रही है। चुने हुए प्रतिनिधि कहीं पर संविधान को खत्म करने की शपथ ले रहे हैं। यहां पर हमने 59वें संशोधन को पारित किया है तथा यह संविधान का अंग है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अहफूज अली खां (एटा) : बिहार के गवर्नर···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिहार गवर्नमेंट करेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं सभा का संरक्षक हूं तो मैं भी तो नियमों के कारण ही संरक्षक हूं। मैं किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय। आप बात क्यों नहीं सुनते ?

[अनुवाद]

पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। जब हरियाणा के चुनाव हुए तब इन लोगों को शिकायत थी। अब आपको शिकायत है। यह तो एक ही प्रश्न है। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्ष 1986-87 का प्रतिवेदन-खंड सरकार (रेल); वर्ष 1986-87 के लिए विनियोग लेखे (रेल, भाग—एक—समीक्षा; भाग—दो—विस्तृत विनियोग लेखे और वर्ष 1986-87 के लिए रेलवे के अलाक लेखे; आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1986-87 के प्रतिवेदन —संघ सरकार (रेल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—5999/88]

(2) वर्ष 1986-87 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग - एक - समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6000/88]

(3) वर्ष 1986-87 के लिए विनियोग लेखे, रेल, भाग -दो —विस्तृत विनियोग लेखे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6001/88]

(4) वर्ष 1986-87 के लिए ब्लाक लेखे (पूंजी विवरण, जिनमें ऋण लेखे शामिल हैं) तुलन-पत्र और लाभ और हानि लेखे, रेल की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6002/88]

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): मैं, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 1 सीए (7)/160/87, जो 5 मार्च, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट विनियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6003/88]

— —

12.07 म०प०

प्राक्कलन समिति

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय पांच के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग)—उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के सम्बन्ध में समिति के इक्तीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का अड़तीसवां प्रतिवेदन)।

[श्री हुकम वल्लभाई]

(दो) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग—अनुदानों की मांगों के ग्रन्थ तथा विषय-वस्तु की पुनरीक्षा के सम्बन्ध में समिति के सैंतीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का उनचासवां प्रतिवेदन।

(तीन) शहरी विकास मंत्रालय—भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवास के सम्बन्ध में समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति (आठवीं लोक सभा) का पचासवां प्रतिवेदन।

———

12.07½ म०प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

43वां प्रतिवेदन

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : मैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 25वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 43वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

12.08 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

34वां, 35वां और 36वां प्रतिवेदन

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) कल्याण मंत्रालय हिमाचल प्रदेश राज्य में समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के कार्यकरण के संबंध में समिति के बाईसवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कल्याण मन्त्रालय—लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं के संबंध में समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग—बैंकिंग प्रभाग)—बैंक आफ बड़ौदा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा नियोजन तथा

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को बैंक द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं के बारे में समिति का छत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

12.08½ म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

(एक) अठारहवां प्रतिवेदन

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 18वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(दो) बैठकों के कार्यवाही-सारांश

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के 18वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे। श्री सोरेन। उपस्थित नहीं हैं। श्री जेना।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री जेना के वक्तव्य को ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

12.09 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) धान का खरीद मूल्य नियत करना

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सारे देश में सरकार द्वारा धान के नियत मूल्य का राष्ट्रीयकरण करना, अनेक क्षेत्रों में धान उत्पादकों के लिए एक अभिशाप बन गया है क्योंकि प्रत्येक स्थान पर धान की उत्पादन लागत अलग-अलग है।

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, कृषि प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों द्वारा एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया और उन्होंने अपनी विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि आदिवासी जिलों और फूलबनी, कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में धान की उत्पादन लागत उड़ीसा राज्य में पुरी, गंजम कटक और बालासौर के मैदानी और तटवर्ती जिलों से प्रति क्विन्टल 20 रुपये अधिक है जो कि केवल एक उदाहरण है। इससे पता चलता है कि इन जिलों के धान उत्पादक जोकि अधिकांशतः गरीब आदिवासी और पिछड़े लोग हैं को प्रत्येक वर्ष भारी हानि उठानी पड़ रही है। अध्ययन रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इसके कारण धान उत्पादक धान उगाने के क्षेत्र

[श्री चिन्तामणि जेना]

को या तो कम करते जा रहे हैं या "झूम" खेती का सहारा ले रहे हैं जिससे वनों की कटाई को बढ़ावा मिल रहा है और गंभीर पर्यावरण संबंधी समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं।

अतः मैं, माननीय कृषि मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस गंभीर समस्या पर ध्यान दें और भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रों का निर्धारण करके उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए धान का वसूली मूल्य घोषित करें जिससे इस प्रकार के क्षेत्रों के धान उत्पादकों को यदि लाभप्रद मूल्य न मिल सके तो कम से कम समर्थन मूल्य तो सुनिश्चित हो सके। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, स्वयं मैंने निर्वाचन विधियों में सुधार करने के लिए विशेष रूप से गढ़वाल के संदर्भ में एक सामान्य चर्चा आरंभ की थी···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, कल भी बात हुई थी, मैं क्या कर सकता हूं।

[अनुवाद]

इसे मैं नहीं ले सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे प्यारे मित्र मैंने इसकी अनुमति दे दी है। अब यह कार्य मंत्रणा समिति पर निर्भर है। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बी० ए० सी० में कर देना, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कल, प्रश्न काल के बाद मैंने भूतपूर्व वित्त मंत्री के वक्तव्य के संबंध में अपने स्थगन प्रस्ताव के बारे में एक मुद्दा उठाया था जिसे आपने कहा था कि आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

(व्यवधान)

बाद में दोपहर के समय जब रक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों पर वाद विवाद चल रहा था तो अचानक गृह मंत्री खड़े हुए और एक वक्तव्य दिया। गृह मंत्री अध्यक्षपीठ से पहले इजाजत लिये बगैर वक्तव्य कैसे दे सकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उसका फैसला कल किया गया है। आप मेरे पास आइये। मैं इसे अब नहीं ले सकता हूं।

(दो) निर्वलीय उम्मीदवारों और साम्प्रदायिक दलों पर चुनाव लड़ने से रोक लगाने के लिए निर्वाचन विधियों में संशोधन करना

श्री हुसैन दलवाई (रत्नागिरि) : पिछले 40 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए चुनाव कानूनों में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों

की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए अब समय आ गया है कि इस बारे में समुचित कानून बनाया जाये और इस गलत प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाये, जैसे कि हमने राजनैतिक दल-बदल जैसी बुराई को दल-बदल विरोधी कानून पारित करके समाप्त किया है। इसी प्रकार राज्य स्तर के सभी क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, धार्मिक और संकीर्ण दृष्टिकोण वाले राजनैतिक दलों पर रोक लगा देनी चाहिए। केवल उन्हीं राष्ट्रीय राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए जो क्षेत्रीय तथा संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते हैं और देश की एकता और अखण्डता में विश्वास रखते हैं। ऐसे किसी राजनैतिक दल को कोई भी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसको चुनाव आयोग द्वारा मान्यता न दी गई हो। लोकतन्त्र दो दलों के अस्तित्व को स्वीकार करता है और किसी भी चुनाव में मतदाता किसी उम्मीदवार को वोट न देकर राजनैतिक पार्टी की नीतियों और उसके कार्यक्रमों को वोट देते हैं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि कानून में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।

(तीन) दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति में सुधार करने के लिए उपाय करना

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। डी० डी० ए० ने काफी फ्लैट बनाए हैं। हाउसिंग सोसायटीज ने भी काफी घर बनाये हैं। प्राइवेट अनएथोराइज कालोनियों, झुग्गी-झोपड़ियों, पुनर्वास जे० जे० कालोनियों में काफी आबादी है। पीने के पानी की कमी है। हैदरपुर में म्युनिसीपल कारपोरेशन का एक ही प्लांट है। उस वक्त 40 लाख की दिल्ली की आबादी थी। आज 80 लाख की आबादी हो गई है। इसलिए हैदरपुर में दूसरा प्लांट लगाना जरूरी है जिससे यमुना का कच्चा पानी लेकर पीने के लिए साफ किया जाए। पानी की जरूरत ज्यादा है इसलिए हरियाणा से पीने का पानी बढ़ाया जाए और हरियाणा को फसल के लिए गंदे नाले का पानी बदले में दिया जाए। अनएथोराइज कालोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में ट्यूबवैल बोर करा कर पीने के पानी का साधन दिल्ली स्लम डिपार्टमेंट की तरफ से कराया जाए। सूखे के कारण कई जगह दिल्ली प्रशासन ने ट्यूबवैल लगाए हैं परन्तु यह थोड़े हैं। यू० पी० से गंगा का पानी पीने के लिए दें और पानी की कमी को पूरा करें। जिन गांवों में खारा पानी है, वहां अच्छा साफ मीठा पानी दें जिससे बीमारी न हो और अच्छा पानी मिल सके।

(चार) सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु सीमा बढ़ाई जाना

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा वर्ष 1987 में 28 वर्ष से कम करके 26 वर्ष कर दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवार चाहे वे सामान्य वर्ग के हों अथवा आरक्षित वर्ग के, परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सभी वर्गों के ग्रामीण उम्मीदवारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और वे उम्मीदवार जो चिकित्सा और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के बाद परीक्षा में बैठते हैं, उनकी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को बढ़ाकर 28 वर्ष कर देना चाहिए, जैसा कि वर्ष 1987 से पहले था, ताकि सभी वर्गों के उम्मीदवारों को अच्छा अवसर मिल सके।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के दौरान कांग्रेस ने हमेशा सिविल सेवा परीक्षार्थियों की आयु सीमा कम करने का विरोध किया था। इसलिए स्वाधी-

[श्री डालचन्द्र जैन]

नता सैनानियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए आयु सीमा को फिर से 28 वर्ष किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी बैठ जाइए।

[हिन्दी]

अगर आप जोर से बोलेंगे तो मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल नहीं डरता और न मेरे दिमाग में कभी डर आया है। मैंने कल भी आपसे कहा था और प्रोफेसर साहब ने भी आपसे कहा है कि तरीके से डिसकस हो सकता है। वह तरीका आपको मालूम है और मुझे भी मालूम है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति दे दी है। प्रस्ताव को स्वीकार करना मेरे ऊपर निर्भर करता है। समय का निर्णय आपको करना है। मैंने उसकी अनुमति दे दी है।

[हिन्दी]

डिसकस करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन तरीके से डिसकस होना चाहिए, ऐसी धींगामुश्ती से नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

इतनी साधारण सी यह बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री निर्मल खत्री —नियम 377 के अधीन मामले।

(पांच) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद और बाराबंकी जिलों का औद्योगीकीकरण करना

[हिन्दी]

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उ०प्र० के पिछड़े जनपद, जोकि मेरा लोक सभा क्षेत्र भी है, फैजाबाद व जनपद बाराबंकी में औद्योगीकीकरण कराये जाने की तरफ कराना चाहता हूं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यदि जनपद फैजाबाद के सोहावल क्षेत्र व मिल्कीपुर क्षेत्र तथा जनपद बाराबंकी के रूदौली क्षेत्र के मध्य में कहीं स्थापित हो या कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए तो इस पिछड़े इलाके का विकास हो सकता है। इन दोनों की सम्भावनाओं पर सर्वे कार्य तत्काल कराया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बुला लूंगा, कौन सा तूफान उठ रहा है। आज कोई नई बात नहीं है। बुला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किस बात की दिक्कत है। गरम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने कब इंकार किया है। आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

मैंने कभी किसी बात के लिए इंकार नहीं किया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अमल दत्ता जी, कोई चीज तरीके से होगी। आपकी धींगामुश्ती से नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : हमने इस पर एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आप मुझे निवेदन करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप जिद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। रूल्स अलाऊ नहीं करते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप अपना 377 पढ़िए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम जानना चाहते हैं कि क्या आप श्री सैफुद्दीन चौधरी को बोलने की अनुमति देंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, क्या हम यह समझें कि आप हमें निवेदन करने की अनुमति नहीं देंगे ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री रामूवालिया। नियम 377 के अन्तर्गत मामले।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(छः) ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए कदम उठाना

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, विश्व क्षेत्रफल की 2.4 प्रतिशत भूमि संसार की 17 प्रतिशत जनसंख्या वाले भारत देश में भूमि पर जनसंख्या का कितना दबाव है उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में तो लगभग 80 प्रतिशत से ऊपर जनसंख्या कृषि पर ही आधारित होकर आजीविका उपार्जन कर रही है किन्तु अब धीरे-धीरे स्थिति बदलती जा रही है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 1986 को हमारे प्रदेश पंजाब में कुल बेरोजगारों की संख्या 6,55,430 रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत थी जिनमें 3,68,629 उन बेरोजगार लोगों की संख्या है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब धीरे-धीरे शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि अब भूमि से उत्पादन की क्षमता उस स्तर पर पहुंचती जा रही है जहां और अधिक लोगों को काम नहीं दिया जा सकता। फलतः अब नवजवान अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए विवश हो रहे हैं। अभी पी० एच० डी० चैम्बर ऑफ कामर्स तथा इंडस्ट्रीज ने पंजाब की अर्थव्यवस्था पर एक अध्ययन दल की रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में पंजाब की विकास दर देश की विकास दर से काफी कम है। यद्यपि, पंजाब में औद्योगिक क्षेत्र में विकास की पर्याप्त सम्भावना है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित कुटीर धंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करे। एक समयबद्ध योजना तैयार करे कि प्रत्येक ग्राम जहां सौ परिवारों का निवास है को जिले के मुख्यालय से सड़क द्वारा जोड़ा जाए और जब तक यह योजना क्रियान्वित नहीं होती तब तक जैसे शहरों में आम उपभोक्ता के लिए मार्केट ऑन व्हील की व्यवस्था की गई है वैसी ही ग्रामीण क्षेत्र में आम कुटीर उत्पादक के हित को ध्यान में रखकर परचेज ऑन व्हील अर्थात ड्योढ़ी पर सरकारी खरीद की व्यवस्था की जाए। इससे ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी पर अंकुश लग सकेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : महोदय, क्या यह आपका विनिर्णय है ? क्या आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति नहीं देंगे ? हमें सजा दी गई है।

12.18 म० प०

इस समय श्री वसुदेव आचार्य और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

(व्यवधान)**

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, इस पहलू के बारे में निर्णय आपको लेना है। हर बार वे आपके विनिर्णय के विरुद्ध सदन से बाहर चले जाते हैं। इस पहलू के बारे में आपको निर्णय लेना है। आप सजा दिए बिना उन्हें सदन से बाहर जाने की अनुमति नहीं दें।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गायकवाड़ जी। नियम 377 के अन्तर्गत मामला।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(सात) बड़ौदा और उसके आसपास रहस्यमयी गैस के प्रभाव को रोकने के लिए पूर्वोपाय करना

[हिन्दी]

श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27-3-88 शुक्रवार को दिन में दोपहर गुजरात के मेरे मत विस्तार क्षेत्र एवं मेरे राज्य बड़ौदा शहर में एक अत्यन्त गंभीर एवं करूपामय दुर्घटना होते-होते रह गई वरना भय था कि हजारों लोग दो वर्ष पूर्व भोपाल में हुई घटना की तरह मौत के मुंह में चले जाते। हालांकि भोपाल की दुर्घटना मानव सर्जित थी जबकि बड़ौदा की होने वाली यह दुर्घटना कुदरती थी। ब्यौरा इस प्रकार है कि दिनांक 27-3-88 शुक्रवार को दिन में दोपहर को बड़ौदा शहर के एक घनी बस्ती के मुख्य बाजार सयाजीगंज की एक गली में पानी निकालने के लिए जमीन में कुएं में मजदूर बोरिंग कर रहे थे तब इस कुएं से यकायक कुदरती गैस बड़े पैमाने पर बाहर आने लगी और एक समय तो ऐसा आया कि गैस का दबाव छत्तीस प्वाइंट अड़तालीस मीटर तक पहुंच गया और भारी खतरा बन गया और उसके बाद सायं 7 बजे घटते-घटते अपने आप गैस निकलना बन्द हो गया।

इस तरह यकायक गैस निकलने की सूचना मिलते ही आग बुझाने वाले अग्नि शमन को सूचना दे दी गई और फौरन वे घटना स्थल पर सब पहुंच गये और उन्होंने तेल एवं कुदरती गैस के मुख्यालय के बड़ौदा मुख्यालय को सूचना दे दी थी। हालांकि गैस निकलने के सात घंटे बाद अपने आप बन्द हो गई थी लेकिन सावधानी के तौर पर उस खुदे हुए कुएं में अग्निशमन ने करीब दस हजार लीटर (10,000 लीटर) पानी डाला जिससे गैस निकलने एवं दुर्घटना होने न पावे। सरकार को मेरी विनती है कि सरकार एवं तेल एवं प्राकृतिक गैस टिपार्टमेंट इस बारे में बड़ौदा एवं आसपास के क्षेत्र एवं गुजरात में जहां-जहां गैस निकलती है और गैस है वहां इस तरह की खुदाई के समय पहले से ही सावधानी बरतें एवं सब उपकरण तैयार रखें क्योंकि बड़ौदा एवं गुजरात की धरती में बहुत जगह गैस विद्यमान है और कोई दुर्घटना न होने पावे।

12.20 म०प०

अनुदानों की मांगें, 1988-89

(एक) खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय -- जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा और मतदान करेगा। श्री अण्णानम्बी

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कल अध्यक्षपीठ की पूर्व अनुमति या किसी पूर्व नोटिस दिए बिना गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने की अनुमति दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ख्याल से अध्यक्षपीठ ने हर बात को ध्यान में रखा होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्हें अनुमति कैसे दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : मालूम नहीं। जो भी उस समय अध्यक्षपीठ पर होगा उसने दी होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के वक्त सरदार बूटासिंह

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

उठकर वक्तव्य नहीं दे सकते।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं पिछली कार्यवाही को नहीं देखूंगा। जो उस समय अध्यक्षपीठ पर होगा उसने अनुमति दी होगी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब काम करिए बैठिये सब लोग, आधा घंटा जाया कर दिया।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा 377 अभी खत्म नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब तो निकल गया।

[अनुवाद]

कल मैंने अगली मद को ले लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे सभा पटल पर रखा जा सकता है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) सभा पटल पर सब कुछ रखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

[हिन्दी]

चौबे जी के हाथ लगेंगे तो यही कुछ होगा।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : पनडुब्बी सौदे पर चर्चा के बारे में क्या स्थिति है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हर दफा बोलता हूं, आप कर लीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए, डिस्कशन के मामले में कोई चिन्ता नहीं है, जो मर्जी हो आप करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : मैं खड़ा हुआ हूं कि···

प्रो० मधु दंडवते : व्यवस्था का आपका क्या प्रश्न है ?

श्री सोमनाथ रथ : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर अध्यक्ष महोदय विनिर्णय देंगे न कि आप।

मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। देश के कुछ भागों में बाढ़ और कुछ में सूखे के कारण अनिवार्य वस्तुओं की कमी है लेकिन सरकार ने इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक किया।

वर्ष 1986-87 में खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 1440 लाख टन हुआ जो 1985-86 से 4.2% कम है। चावल और गेहूं के उत्पादन में क्रमश: 5.3% और 3.1% कमी हुई है। दिनांक

1-.2-86 को खाद्यान्न का भंडार 23.85 मिलियन टन था जबकि 1-12-87 को 14.96 मिलियन था। अप्रैल से दिसम्बर 1986 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में 8.5% की वृद्धि हुई जिनका फुटकर कीमतों पर असर पड़ा। गेहूं और चावल की कीमत में तेजी से हुई वृद्धि को सार्वजनिक उपयोग के लिए भंडार को उपयुक्त समय पर जारी करके खासकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए भंडार को जारी करके नियंजित किया गया।

सूखा राहत कार्यक्रम, खासकर एकीकृत आदिवासी विकास क्षेत्र-गैर आदिवासी बहुल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज सहायता प्राप्त खाद्यान्न से गेहूं और चावल की कीमतों को बढ़ने से रोकने में बहुत सहायता मिली। उत्पादन के कारण चीनी के मूल्य लगभग स्थिर रहें।

12.25 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लेकिन खाद्यान्न की आपूर्ति आगे भी अपर्याप्त होगी इसलिए खाद्यान्न और नागरिक आपूर्ति विभाग को सजग रहना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस अवधि से लेकर फसलों की कटाई तक के दौरान जनता को अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई मिलती रहे और उन्हें उनकी कोई कमी न हो। इसलिए सरकार को कीमतों, अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता, काला बाजार को रोकने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनिवार्य वस्तुओं के वितरण तथा नाप-तोल और गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित मामलों पर नजर रखनी चाहिए।

सरकार की नीति में अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने और साल भर उसकी सप्लाई बनाए रखने पर जोर दिया गया है ताकि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमन्द लोगों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न की सप्लाई की जा सके।

कुछ राज्यों में खासकर उड़ीसा में चावल और मिट्टी के तेल की आपूर्ति कम है। राज्य भयंकर सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है। उड़ीसा की राज्य सरकार और उड़ीसा के सांसदों ने भी माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वह इस बात का सुनिश्चय करें कि राज्य को चावल और मिट्टी के तेल की पर्याप्त सप्लाई हो। मुझे आशा है कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे।

प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अनिवार्य वस्तुओं के वितरण के लिए चलती-फिरती वैन दी गई हैं। लेकिन उड़ीसा में, खासकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र गंजम जिले में मुझे कोई ऐसी वैन नहीं दीखी।

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल खासकर उड़ीसा में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए या उस कार्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए वे दी जाती हैं। प्रबंधकीय राज सहायता भंडार और बिक्री के लिए मकानों के किराए और कम ब्याज पर ऋण को आमतौर पर आरम्भिक समिति से शीर्ष विपणन समिति को हुए घाटे में समायोजित कर लिया जाता है। इसका उपयोग उपभोक्ताओं के लाभ के लिए किया जाना चाहिए इसलिए इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि ये लाभ उपभोक्ताओं को मिलें। केन्द्र को इस बात का सुनिश्चय करने के लिए जांच तथा निरीक्षण करना चाहिए कि सहकारी समितियां केन्द्र द्वारा प्राप्त राज सहायता और ऋण को उपयुक्त ढंग से उपभोक्ताओं के लाभ के लिए इस्तेमाल करे।

उड़ीसा में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हरिजनों, आदिवासियों और अन्यों को खाद्यान्न की सप्लाई के लिए भंडार एजेंटों की नियुक्ति की जाती है पर अधिकतर निजी व्यक्तियों की नियुक्ति की

[श्री सोमनाथ रथ]

गई है। जिला या क्षेत्रीय स्तर पर अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई के लिए निजी व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है पर खंड स्तर पर भंडार एजेंट नहीं है। जरूरी बात है कि फुटकर व्यापारी को एजेन्ट से इन वस्तुओं को उठवाने के लिए ढुलाई पर अधिक खर्च करना पड़ता है। उन्हें दिए जाने वाले ढुलाई प्रभार बहुत कम है। भारतीय खाद्य निगम और न ही भंडार एजेन्ट इस बात की चिंता करते हैं कि वे अनिवार्य वस्तुएं तौल कर दें। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि फुटकर व्यापारियों को जिस स्थान पर माल मिलता है वे उसी स्थान पर उसे बेचना शुरू कर देते हैं। खाद्य तेल गांव वालों को पहुंचना चाहिए पर वहां वह कभी नहीं पहुंचता। जरूरत इस बात की है, जैसा कि सरकार भी कहती है, कि उपभोक्ता आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बनाया जाए जिसमें स्वैच्छिक संगठन और जनता शामिल हो।

आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जिन राज्यों में संसद सदस्य इन समितियों में शामिल हैं उन राज्यों को इस आशय का परिपत्र जारी किया जाना चाहिए कि समितियों की बैठक इस प्रकार बुलाई जानी चाहिए कि संसद सदस्य उसमें भाग ले सकें और उस समय सदन सत्र में न हो क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इस समय नागरिक समिति की बहरामपुर में बैठक बुलाई गई है पर मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता।

महोदय, जरूरत इस बात की है कि निजी व्यक्तियों को प्रोत्साहित न किया जाए और जहां तक सम्भव हो सके अनिवार्य वस्तुओं के भंडारण और वितरण के लिए सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि छापों से करोड़ों रुपये की लागत की अनिवार्य वस्तुएं जब्त की गई हैं। यह तो एक अंश मात्र है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि कुछ छापों से कालाबाजार से इतनी बड़ी मात्रा में अनिवार्य वस्तुएं बरामद हुई है तो उपयुक्त और कारगर ढंग से कदम उठाने से कितनी बड़ी मात्रा में कालाबाजार का पता चलेगा।

सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन के लिए कदम उठाए हैं। यह जनता का आन्दोलन होना चाहिए परन्तु इसे गति नहीं मिल पाई। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया। यह अति मंद गति से प्रगति कर रहा है।

बीस राज्यों ने उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन किया है। केवल 7 राज्यों ने ही "राज्य उपभोक्ता" आयोग बनाए हैं और कहीं भी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण समिति नहीं बनाई गई है। अतः यह उचित समय है जबकि सरकार को उपभोक्ता संरक्षण पर बल देना चाहिए, क्योंकि सरकार की नीति यही है।

गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों से यह कहा जाना चाहिए कि वे देखें कि उत्पादन की गुणवत्ता बनाई रखी जाए। उत्पादको को लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिए, ताकि उत्पादन में वृद्धि की जा सके। चीनी की भांति तिलहनो और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिए जाने चाहिए, ताकि उसे उत्पादन बढ़ाने और मांग के अनुरूप उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिले। जनसंख्या मे वृद्धि एक दूसरा घटक है।

इन सबको ध्यान में रखते हुए, जैसा कि सरकार ने कहा है एक जन आंदोलन होना चाहिए।

मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने का मौका दिया। कार्यान्वयन एकमात्र मानदण्ड है जिसे पूरा करना होगा। अधिनियमों में कोई कमी नहीं है। सरकार की नीति

एकदम स्पष्ट है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि उपभोक्ताओं के लाभ के लिए निचले स्तर से इसका कार्यान्वयन किया जाए। इस पर निगरानी रखना और इसकी देख-रेख आवश्यक है।

*श्री आर० अण्णामलै (पोल्लाची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम की ओर से खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बोलने का जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं खाद्य विभाग के लिए किए गए 2563 करोड़ रुपये के आवंटन का स्वागत करता हूं। नागरिक पूर्ति विभाग के लिए 57 करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है। यदि यह आवंटन राशि 100 करोड़ रुपये होती तो मुझे बहुत खुशी होती। नागरिक पूर्ति विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के नेटवर्क के माध्यम से देश के हर कोने में निर्धन लोगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया जाता है।

वर्ष 1985-86 के दौरान, देश में 1504.4 लाख टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ। अगले वर्ष यह उत्पादन कम होकर 1447 लाख टन रह गया। देश में खाद्य उत्पादन की समुचित योजना बनाने में सरकार की अकुशलता के अतिरिक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाएं थीं। विशेष रूप से तमिलनाडु में, सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में काफी कमी आई है। पिछले वर्ष इस सम्मानित सभा में बोलते समय मैंने सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए 500 करोड़ रुपये का आबंटन किए जाने की मांग की थी। परन्तु केन्द्र सरकार ने 125 करोड़ रुपये की अल्प राशि आवंटित की थी। सूखे की इस ज्वलंत समस्या के प्रति केन्द्र सरकार के इस उदासीन दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप देश में खाद्य उत्पादन में कमी आई है।

अधिकांशतः सभी राज्यों में यह स्थिति है। सरकार की उदासीनता के कारण देश खाद्यान्नों के उत्पादन में पिछड़ जाएगा। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सूखे के कारण होने वाले विनाश से बचने के लिए समय पर कदम उठाये। हमारे कृषकों को उर्वरक और कीटनाशकों जैसे सामान निःशुल्क सप्लाई किए जाने चाहिएं।

भोजन, कपड़ा और मकान मानव की तीन मूलभूत जरूरतें हैं। इन तीन जरूरतों में से सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। अतः सरकार को किसानों का, जो खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, समर्थन करना चाहिए। हमारे कृषकों को उर्वरक और कीटनाशक निःशुल्क वितरित किये जाने चाहिए। यदि किसानों को ऐसे प्रोत्साहन दिए जाएंगे तो वे उत्पादन बढ़ायेंगे। उससे भी हम विश्व के देशों में खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह देश में खाद्य उत्पादन कम होने के मामले में जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करे। समिति को सभी राज्यों में जाकर खाद्य उत्पादन में रुकावट डालने वाले विभिन्न घटकों के बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए। इसे खाद्य उत्पादन बढ़ाने के तरीकों और साधनों की भी सिफारिश करनी चाहिए।

सरकार को उचित मूल्य की दुकानों में रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। उचित मूल्य की दुकानों में रोजगार के मामले में अनुसूचित जातियों को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मंत्री महोदय कृपया इस ओर ध्यान दें। इन उचित दर की दुकानों में विधवाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विधवाओं को उचित दर की दुकानों में नियोजित करके सरकार निर्धन उपभोक्ताओं को

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० अण्णामलै]

आवश्यक वस्तुओं का प्रभावी रूप से उचित वितरण सुनिश्चित कर सकती है। महिलाएं भी इन दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में होने वाले कदाचारों को कम करने में सहायता कर सकती हैं। अत: उचित दर की दुकानों में महिलाओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिससे वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार न हो। प्रत्येक गांव में उचित दर की दुकानें बनाई जानी चाहिए।

तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय डा० एम० जी० आर० ने ठीक ही नीति बनाई थी जिसके अन्तर्गत उचित दर की दुकानें केवल सरकार और सहकारी एजेंसियों को ही सौंपी गई थीं। इस नीति से आवश्यक वस्तुओं के वितरण होने वाले कदाचारों में कमी आई थी। लेकिन दिल्ली और अन्य बहुत से राज्यों में उचित दर की दुकानें प्राइवेट लोगों द्वारा चलाई जाती है और वितरण प्रणाली में कई कदाचार होते हैं। अत: सरकार को प्राइवेट लोगों को उचित दर की दुकानें सौंपने के मामले में एक दृढ़ नीति बनानी चाहिए।

तमिलनाडु में चावल मुख्य भोजन है। तमिलनाडु में घरों में अधिकतर खाद्य पदार्थ चावल से बनाए जाते हैं। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस राज्य के लिए चावल का कोटा बढ़ाया जाए। इस राज्य को केन्द्रीय पूल से कम से कम 10 लाख टन चावल का आवंटन किया जाना चाहिए। उत्तर भारत में गेहूं प्रमुख भोजन है, इसलिए उत्तरी राज्यों में गेहूं का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए। जब यहां खाद्यान्न की कमी है तो सरकार को इसका आयात करना चाहिए। सरकार को बर्मा तथा अन्य देशों से चावल का आयात करके तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों, जहां चावल की खपत ज्यादा है, में चावल का आवंटन करना चाहिए। इसी भांति अमरीका तथा आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात करके गेहूं की खपत वाले राज्यों में इसका आवंटन करना चाहिए।

अन्त में, सरकार से मेरा यह अनुरोध है कि सरकार देश में खाद्यान्नों के वितरण और उत्पादन के सम्बन्ध में एक दृढ़ नीति, एक राष्ट्रीय नीति बनाए, विशेषकर उस समय जबकि खाद्य उत्पादन कम हो रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री आर० जीवरत्नम (आर्कोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1988-89 की अनुदानों की मांगों के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

इस वर्ष खाद्य उत्पादन कम हुआ है। इस कमी का मुख्य कारण वर्षा का कम होना है। अत: हमें अपने जल संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। तमिलनाडु में विशेष रूप से कई झीलें सूख गई हैं। मैं सरकार का ध्यान काफी अर्से से इस समस्या की ओर आकर्षित कर रहा हूं। इन झीलों से गाद निकाली जानी चाहिए, ताकि वर्षा के दिनों में इन झीलों में पुन: पानी भर सके। बाद में सूखे के समय उस जल का उपयोग किया जा सकता है। कम से कम इस वर्ष तो एक सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए तथा इन सूखी झीलों से गाद निकालने का काम शुरू करना चाहिए। आर्कोनम में कावेरीपक्कम और मधानडुर नाम की दो बड़ी झीलें हैं। इन झीलों से 20,000 एकड़ भूमि में सिंचाई होती है। इन झीलों से अविलम्ब गाद निकाली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन किसानों के पास 2-3 एकड़ भूमि है, उन्हें बोर कुओं की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जानी चाहिए।

सरकार खाद्यान्नों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राजसहायता दे रही है। लेकिन मेरे विचार

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

से यह राजसहायता किसानों को नहीं मिल रही है। सरकारी को इसकी जांच करनी चाहिए।

किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना चाहिए तभी उन्हें अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलेगा। किसान अधिक उत्पादन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अत: उन्हें अपनी उपज का समर्थन मूल्य के रूप में अधिक लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 146 रुपये रखा है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसी तरह गन्ने के समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाना चाहिए गन्ने और गुड़ के भाव एक से हैं। अत: किसान गुड़ बनाने के लिए अपना गन्ना भेज देते हैं। चीनी मिलें वर्ष में 3-4 महीने बन्द रहती हैं। वे घाटे में चल रही हैं और सरकार को इन रुग्ण चीनी मिलों को पुन: चलाने के लिए कदम उठाने चाहिएं। सरकार को गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ाना चाहिए, ताकि किसानों को चीनी बनाने के लिए गन्ना भेजने के लिए प्रोत्साहन मिले। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

महोदय, देश में पर्याप्त भंडार सुविधाएं न होने के कारण बहुत सा अनाज बेकार हो जाता है। अत: सरकार को अन्न भांडागारों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

लोगों को उचित मूल्य की दुकानों से सस्ती दरों पर चावल, दाल और तेल मिलना चाहिए। यदि देश में इन वस्तुओं की कमी है तो इनके आयात के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्बाध रूप से चल सके।

सरकार को फलों की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में काफी बंजर भूमि है। इस भूमि का उपयोग बाग लगाने और काजू जैसी वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए। सरकार इस परती भूमि पर आम के बाग भी लगा सकती है। सरकार इन योजनाओं में विधवाओं और अपंगों को नियोजित कर सकती है ताकि कुछ हद तक बेरोजगारी दूर की जा सके। किसानों को नकदी फसलें तथा फलों वाले पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

सरकार को मक्का तथा बाजरा की खेती पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग इन खाद्यान्नों के बारे में भूल गए हैं। किसानों को अधिक भूमि पर मक्का और बाजरा के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

वनस्पति का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। लोग खाने में मूंगफली के तेल के स्थान पर वनस्पति तेल को अधिक इस्तेमाल करने लगे हैं। वनस्पति के न मिलने से महिलायें नाराज हो जाती हैं। देश में वनस्पति की मांग बढ़ रही है। अत: इसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

चावल और गेहूं को छोड़कर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ रहे हैं। इनके मूल्य कम किये जाने चाहिएं। सब्जियों की खपत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए क्योंकि सब्जियां अधिक पौष्टिक होती हैं।

सहकारी उचित मूल्य की दुकानों के कर्मचारियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने यह घोषणा की है कि सरकार 25,000 महिलाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। इन कृषि सहकारी उचित दर की दुकानों पर इन महिलाओं को लगाना ठीक है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। बहुत से गांवों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं 8 या 9 गांवों में उचित दर की एक ही दुकान है। प्रत्येक एक हजार व्यक्तियों के पीछे कम से कम एक उचित दर की दुकान होनी चाहिए।

अन्य क्षेत्रों की भांति किसानों को भी उन्हें उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने के अलावा कृषि उत्पादन के लिए विशेष बोनस भी दिया जाना चाहिए।

[श्री आर० जीवरत्नम]

यदि व्यापारियों के पास से तीन महीने के भीतर सारा अनाज उठा लिया जाए तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत से व्यापारी पैसे के लिए सारा भंडार बैंकों के पास गिरवी रख देते हैं। इससे जमाखोरी बढ़ती है और फिर मूल्यों में वृद्धि होती है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत काम के बदले अनाज दिया जाता है। अब भी इस बात में सन्देह है कि द्रविड़ दलों के शासनकाल में ये खाद्यान्न निर्धनों में उचित रूप से वितरित किए भी जाते थे या नहीं। निहित स्वार्थी लोग इस अनाज को खुले बाजार में बेचकर धन हजम कर जाते हैं। इसकी जांच की जानी चाहिए। कर्मकारों को अनाज की बजाय नकद भुगतान किया जाना चाहिए।

अंडों में बहुत पौष्टिकता होती है। प्रत्येक गांव में मुर्गीपालन फार्म खोले जाने चाहिएं। मुर्गी-पालन फार्म खोलने के लिए राजसहायता दी जानी चाहिए। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता कि अण्डे शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी। लोगों का कहना है कि यह सेहत के लिए अच्छे हैं।

पौष्टिक भोजन योजना के अन्तर्गत 170 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यह धनराशि काफी है। जो बीत गया उसे भूल जाना चाहिए। कम से कम भविष्य में योजना को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसमें कदाचार न हो, और इसके लिए प्रभावी देख रेख की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल देश में बाढ़ और सूखाड़ का प्राकृतिक प्रकोप हुआ, इसने देश के सामने कई समस्यायें पैदा कर दी हैं। अनाज और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कमी हुई है और इसकी वजह से मंहगाई को बढ़ने का मौका मिला है। वैसे सरकार जिन आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है, उससे पहले से भी महगाई बढ़ रही है उन नीतियों के कारण। सरकार का जो बजैटरी सिस्टम है, जिससे आय का सारा बोझ आम जनता पर डालने की नीति सरकार ने अपना रखी है। ऐसी नीति से स्वाभाविक है कि मंहगाई बढ़ेगी और बाढ़ और सूखाड़ ने स्थिति को काफी भयंकर बना दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि चीजों के दाम काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसी स्थिति में जिसकी आमदनी सीमित है या जिसके पास आमदनी की व्यवस्था कोई खास नहीं है, उनके सामने रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को खरीदना मुश्किल हो गया है और उनके सामने काफी संकट है। यह ऐसी परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में मुल्क के असामाजिक तत्वों, मुनाफाखोरों और चोर-बाजारियों के लिए एक तरह से बहुत ही सुनहरा मौका आया है। अफसोस की बात है कि सरकार जिन कार्यक्रमों की घोषणा करती है आम जनता को रिलीफ पहुंचाने के लिए, कन्ज्यूमर मूवमेंट पर जितने लम्बे-चौड़े वायदे किए जा रहे हैं, वास्तव में आम जनता को उससे राहत नहीं मिल रही है। हमारे देश के अन्दर वैसे तो जन-वितरण-प्रणाली का जाल बिछा हुआ है, लेकिन सच्चाई यह है कि जन-वितरण-प्रणाली के ऊपर चोर-बाजारियों और भ्रष्ट-आफिसरों का कब्जा हो गया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : आपके राज्य की कमजोरी है।

श्री विजय कुमार यादव : हमारे राज्य की कमजोरी, बिहार की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं आपके राज्य में आम जनता को सभी आवश्यक वस्तुएं जन-वितरण-प्रणाली के माध्यम से मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि आपके राज्य में भी ऐसा नहीं हो रहा होगा।

एक माननीय सदस्य : जनता राज में क्या हुआ था।

श्री विजय कुमार यादव : जनता राज से हमारा मतलब नहीं रहा है। मैं जनता राज का विरोधी रहा हूं हमारी पार्टी ने जनता राज का समर्थन कभी नहीं किया और उसके साथ हमारी पार्टी कभी नहीं रही।

उपाध्यक्ष महोदय, आम जनता का शोषण, मैं समझता हूं, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिये से हमारी स्टेट बिहार में हो रहा है। दूसरी स्टेट्स की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन बिहार में जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, वे एक तरह से बाजार भाव को बढ़ाने का जरिया हो गई हैं क्योंकि जो चीजें सरकार देती है, केन्द्रीय सरकार राज्यों को देती है और राज्य की सरकार जन वितरण प्रणाली की दुकानों में देती है, जिन सारी वस्तुओं की सूची सरकार ने बनाई है जन वितरण प्रणाली की दुकानों से देने के लिए, वे वहां पर नहीं मिलती हैं। पर्याप्त मात्रा में चीनी नहीं मिलती है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, खाद्य तेल नहीं मिलता है, कपड़ा नहीं मिलता है और गल्ला भी उस समय मिलता है, जब ओपन मार्केट में रेट कन्ट्रोल रेट के बराबर आ जाए। उस वक्त गल्ला मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। जन वितरण प्रणाली की दुकानें इस तरह से एक जरिया हो गई हैं दाम बढ़ाने का। सरकार की योजना या समझ क्या है। जन वितरण प्रणाली की समझ यह है कि अगर ओपन मार्केट में दाम बढ़ते हैं, तो उसका मुकाबला जन वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिये से किया जाए सारी आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करके और आम जनता को मंहगाई से छुटकारा दिलाया जाए और सस्ते दामों पर उनको आवश्यक वस्तुएं मुहैया की जाएं।··· (व्यवधान) ···बेहरहाल बोल रहा हूं, हो कुछ नहीं रहा है, यह स्पष्ट बात है लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है और मैं कहे जा रहा हूं। तो मेरा कहना यह है कि इस मामले में यह जरूरी है कि सरकार का जो कमिटमेंट है, वह कमिटमेंट सरकार पूरा करे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में और आबादी के मुताबिक, जिस स्टेट की जितनी आबादी है, उस स्टेट में जो उसका एलोटमेंट हर माह होता है, पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुएं उस स्टेट को देने की गारन्टी करे। आम तौर पर यह होता नहीं है। स्टेट में तो गड़बड़ होती है, सेन्टर में भी गड़बड़ होती है और सेन्टर से जो एलोटमेंट स्टेट को जाना चाहिए, वह नहीं दे पाती है।

इस सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो दुकानें खुली हुई हैं देहातों के अन्दर, खास तौर पर सरकार इस बात का बहुत रोना रोती है कि वह आदिवासी, गरीबों और हरिजनों की बहुत पक्षधर है लेकिन सच्चाई इस मामले में यह है कि देहातों के अन्दर जो गरीब बसते हैं, जो हरिजन हैं, उनको एक छटांक चीनी भी नहीं मिल पाती है, मिट्टी का तेल नहीं मिल पाता है और जो मुट्ठी भर सफेदपोश लोग हैं, उनको ही सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, उनसे सुविधा मिलती है। आम जनता को, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो बेचारा लाचार और बेबस है, उन लोगों को इन दुकानों से फायदा नहीं पहुंचता है और उनको वे चीजें नहीं मिल पाती हैं। आवश्यकता इस बात की है आप ऐसी मशीनरी इवोल्व करें, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर सके। आप कहते हैं कि कन्ज्यूमर मूवमेंट को हम तेज करेंगे और उपभोक्ताओं को राहत देंगे लेकिन ये जो गड़बड़ियां हैं, उनको आप दूर नहीं करते हैं। बिहार में कोई किसी की नहीं सुनता है। नीचे से लेकर ऊपर तक, मुख्य मंत्री तक शिकायत की जाये, तो उस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई इफेक्टिव मशीनरी आप इस मामले में तैयार करें, जो लोगों को आवश्यक वस्तुएं दिलाने में अपना योगदान कर सके और सक्षम हो सके। इसके लिए सर्वदलीय निगरानी समिति होनी चाहिए।

1.00 म० प०

हमारे यहां बिहार में जो जन वितरण प्रणाली की दुकानों पर सामान इकट्ठा होता है उसके भंडारण की व्यवस्था, मैं समझता हूं, बहुत अपर्याप्त है और इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता

[श्री विजय कुमार यादव]

हूं कि निचले स्तर तक ऐसे गोदाम बनाए जाएं जिन गोदामों में इन सामानों को रखा जा सके और फिर वहां से वितरण प्रणाली की दुकानों में ले जाया जा सके। अभी होता यह है कि जिला स्तर पर ही इस तरह के गोदाम नहीं है, मेरी कांस्टीट्वेंसी नालन्दा में, नालन्दा जिले में जिला स्तर पर भी इस तरह के गोदामों की व्यवस्था नहीं हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको देखेगी और इस तरह की व्यवस्था करेगी।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

माननीय सदस्य ने, जो मुझसे पहले बोले थे और बहुत से वक्ताओं ने मदों की कमी पर प्रकाश डाला है। (व्यवधान)

चूंकि आपने केवल 5 से 7 मिनट दिये हैं, मैं नागरिक पूर्ति की एक मद पर अवश्य ही प्रकाश डालना चाहूंगा जिस पर समूचे देश का ध्यान आकर्षित हो रहा है। आपने समाचार पत्रों में भी दूध की कमी के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा जिसे पूरे भारत में विभिन्न दुग्ध योजनाओं द्वारा भेजा जा रहा है। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में भी यह खबर आई है।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : यह विषय कृषि मंत्रालय का है।

श्री अजय मुशरान : दूध की सप्लाई सिविल सप्लाई है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि यूरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी देशों ने नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड को आइरिश मक्खन और तेल दिया है। यह सात देशों को दिया गया था और यह पाया गया कि इसमें रेडियो धर्मी तत्व हैं। इसकी जांच की गई थी और मामला बम्बई में उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय ने मामला बरकरार रखा। फिर, यह मामला उच्चतम न्यायालय में गया। उसी समय उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा रिपोर्ट दी गई थी जो उसे परमाणु वैज्ञानिकों से प्राप्त हुई थी जो खाद्य वैज्ञानिक नहीं है। पूरे देश में खाद्य प्रयोगशालायें हैं लेकिन उनमें से एक से भी सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया। उन्हें आयरिश बटर के बारे में एक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है जिससे वे परिष्कृत दूध बनाते हैं, उसे पुनर्निर्मित करते हैं जिसे विभिन्न सहकारी दूध योजनाओं द्वारा पूरे देश में भेजा जा रहा है। लेकिन नेशनल डेरी विकास बोर्ड एक शीर्ष निकाय है। रिपोर्ट से पता चलता है कि इसमें रेडियो धर्मी तत्व हैं। उस रिपोर्ट के आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने आइरिश बटर से पुनःनिर्मित दूध की पूर्ति जारी रखने के पक्ष में निर्णय दिया है। यह आयरिश बटर यूरोपियन इकनोमिक देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों को—भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और अन्य देशों को निःशुल्क दिया था। सभी देशों ने इसे अपनी खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा जांच करवाई और इसे लेने से इन्कार कर दिया। उन्होंने आयरिश बटर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। केवल हमारे देश ने जहां पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने इसके इस्तेमाल करने पर प्रतिबन्ध भी नहीं लगाया है, अपितु इसे इस्तेमाल करना जारी रखा है। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड आयरिश बटर बेच रहा है। यह एक बड़ा धोखा है। मेरे पास समाचार पत्रों की कतरनें हैं और मैं इसे माननीय मंत्री को देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते वह इसकी छानबीन करने का वचन दें। जैसा कि आज कल है। रिपोर्ट से पता चलता है कि रेडियो धर्मी तत्व अनुमेय सीमा में हैं। लेकिन क्या यह आवश्यक है कि वे तत्व, जो बच्चों के, सिपाहियों के, बालिगों के और देश के प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं, उन लोगों को पुनःनिर्मित दूध के रूप में दिया जाए और इसे अनुमेय

सीमा में लिया जाए। इसे सेना में भी दिया जा रहा है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस भी दिया था। मैं नहीं जानता कि इसे लिया क्यों नहीं गया ? लेकिन तथ्य यह है कि सेना में भी इसे पुनःनिर्मित दूध के रूप में लिया जा रहा है। पहले भी सेना में डेरी फार्म का दूध का इस्तेमाल किया जाता था। जब दूध कम होता था और जब सैनिक फार्मों को पर्याप्त धन देने की अनुमति नहीं दी गई और जब सेना में बढ़ोत्तरी हो गई तो दूध की आवश्यकता भी बढ़ गई। तब ठेकदारों द्वारा भी दूध दिया जाता था जो सभी उत्तरी और पूर्वी भारत के सैनिकों को जो वहां तैनात थे, ताजा दूध देते थे। अब राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सेना को भी इन केन्द्रों में रेडियो धर्मी तत्व वाला दूध दे रहा है जहां सहकारी दूध योजनायें चल रही हैं। लगभग 3 : या अतिरिक्त केन्द्र हैं जहां यह दूध भेजा जा रहा है। दिन में दो बार ठेकेदारों और सैनिक फार्मों द्वारा ताजा दूध दिया जा रहा है। यह दूध दिन में एक बार दिया जाता है। माननीय मंत्री रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। मुझे लद्दाख में नियुक्त किया गया था। दूध का पाउडर जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सहकारी समितियों द्वारा दिया जाता था, बाली बाल, बास्केट बाल और बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको देश के स्वास्थ्य के लिए जरा भी रुचि है तो इन नमूनों की, जो परमाणु अनुसंधान केन्द्र को भेजे जाते हैं, खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा दुबारा जांच करनी चाहिए। आपने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि बहुत सी खाद्य प्रयोगशालायें बनने जा रही है। हैदराबाद में खाद्य प्रयोगशाला है जो इस पाउडर और तेल की जांच करने के लिए पूर्णतया सक्षम है। इस दूध की जांच की जानी चाहिए; वहां पर आयरिश बटर की जांच होनी चाहिए। अगर वे कहते हैं तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ठीक है। लेकिन अभी तक इसे किसी खाद्य विशेषज्ञ ने नहीं देखा है। इसे हमारे खाद्य विशेषज्ञों की बजाय परमाणु आयोग द्वारा देखा गया है। यह कुछ ऐसी ही बात है। जब मेरी टांग टूट जाए तो इसे किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाये, यह उचित नहीं है।

माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि आयरिश बटर पर हमारे देश में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए जैसाकि अन्य सभी देशों ने प्रतिबंध लगाया है। यूरोपियन इकनामिक कम्यूनिटी देशों द्वारा राष्ट्र संघ के तत्वावधान में यह मुफ्त में दिया जाता है।

दूसरे, देश की रक्षा में जवानों के स्वास्थ्य का सर्वोच्च महत्व है और उन्हें इस प्रकार का दूध नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरे, आयरिश बटर को "वापिस भेज दिया जाना चाहिए। जहां कहीं भी इसका इस्तेमाल हो रहा है।

मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं कि कम से कम सेना में उन्हें सैनिक फार्मों से या पहले की तरह ठेके का दूध दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि लगभग तीन सप्ताह पूर्व 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक कार्टून आया था। कहीं पर विस्फोट हुआ था और लोगों का कहना है यह परमाणु विस्फोट नहीं है। किसी व्यक्ति ने अवश्य ही आयरिश बटर गिराया है।

रेडियो धर्मिता, स्वास्थ्य और सेना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब दूसरे देशों ने सप्लाई रोक दी है तो हमें भी इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका भंडाफोड़ किया जाना चाहिए। अगर माननीय मंत्री की इच्छा है तो मैं सुझाव दूंगा कि इस विशेष मद की खाद्य व नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अधीन जांच कराई जानी चाहिए। यह दूषण, मिलावट और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के कारण आपके मंत्रालय के अधीन आता है। आपूर्ति कृषि मंत्रालय के अधीन आ सकती है। रक्षा मंत्रालय के अधीन स्वीकृति दी जा सकती है। लेकिन यह आपका कर्तव्य है और सदन में बैठे हम सब लोगों का कर्तव्य है कि दूषित दूध नहीं दिया जाए चाहे यह अनुमेय सीमा में हो या न हो। इसे देश के किन्हीं भी

[श्री अजय मुशरान]

लोगों को और सेना को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यह देश के बच्चों, बालिगों, रोगियों और प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी इस मुद्दे पर पुन विचार करेंगे और उचित कदम उठायेंगे।

[हिन्दी]

श्री सुखराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में चर्चा में भाग लिया और जो सुझाव उन्होंने दिए उनको मैंने नोट किया है। कुछ आलोचना भी है, मगर वह भी इस दृष्टि से मैं समझता हू कि हमारे मंत्रालय के काम में कुछ सुधार हो। जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि पिछला वर्ष हमारा बड़ा चुनौती का वर्ष था और ऐसी प्राकृतिक विपदा शायद कभी इस शताब्दी में नहीं आई। अगर आठ-दस साल पहले हमें इतने बड़े प्रकोप का सामना करना पड़ता तो शायद हम बड़े-बड़े देशों के सामने अनाज मांगने के लिए जाते ताकि करोड़ों लोगों का हम पेट भर सकते। इतना बड़ा सूखा और बाढ़ की विपदा आई जिससे बहुत सी जगहों पर परेशानी हुई, लेकिन एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। यह हो सकता है कि कहीं देर से पहुंचा और कहीं पर अनियमितताए हो सकती हैं, मगर मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी चुनौती का मुकाबला मेरे मंत्रालय तथा फूड कारपोरेशन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने किया, उसके लिए इस माननीय सदन को उन्हें बधाई देनी चाहिए। बहुत से लोगों ने इसका अहसास नहीं किया क्योंकि हर चीज मिलती रही। यह ठीक है कि दिक्कतें भी आई। मगर जहां तक अनाज का ताल्लुक है, वह इस तरह से लोगों को मिला कि कहीं कमी महसूस नहीं हुई। इसका श्रेय हमारे महान नेता श्री राजीव जी को जाता है, जिन्होंने हर सूबे में जाकर चाहे वह सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त था, लोगों से मिले और मैं दावे से कह सकता हूं कि यह पहली दफा है कि सभी सूबों को एडवांस प्लान असिसटेंस बाढ़ या सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए मिली। इतनी जल्दी आज तक कभी नहीं मिली थी। एक वर्ष पहले सूखा पड़ता था तो एक वर्ष के बाद प्रान्तों को रुपया मिलता था। लेकिन इस बार यह रुपया एक दो महीने के बाद ही मिल गया। यह बात ठीक है कि कहीं-कहीं उन राज्यों ने जिन्होंने इसका हिसाब नहीं दिया उनको कहीं देरी हुई होगी। यहां से देरी का प्रश्न पैदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि भारत भारत सरकार और देश की जनता के लिए सबसे बड़ा योगदान पहले तो योजना के माध्यम से है जिससे कि सभी प्रान्तों को भारत सरकार मदद देती है ताकि लोग तरक्की करें। उसके बाद मैं समझता हूं कि कोई सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार का भारत की जनता के प्रति है तो यह अनाज के वितरण का है। मैं समझता हूं कि चीन के बाद अगर संसार में कोई देश है जहां इतनी बड़ी मिकदार में अनाज एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाया जाता है, वह भारतवर्ष है। यहां एक बात और भी है अनाज का सारा प्रोक्योरमेंट उत्तरी भारत से होता है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से क्रमश: 65, 20 और 15 प्रतिशत के करीब खरीद होती है। जबकि थोड़ा सा हिस्सा मध्य प्रदेश से है आंध्र से 15 लाख टन धान लेते हैं। इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में पूरब कोने से हम अनाज प्रोक्योर करते हैं और कहां तामिलनाडु, केरल, असम इन सभी राज्यों को अनाज पहुंचाने और भण्डारण करना कोई आसान बात नहीं है। मैं मानता हूं इसमें कुछ अनियमितताएं भी होंगी, कुछ लोग इसमें फायदा भी उठाते होंगे। मैं उसके लिए माननीय सदन के सदस्यों से दरख्वास्त करता हूं कि आप जहां समझते हैं कि खर्चा ज्यादा है उसको हम कम कर सकते हैं तो मैं आपका सुझाव मानूंगा और उस पर अमल करूंगा, बशर्ते कि वह कोई ऐसा सुझाव हो जिससे खर्चा कम हो सके। यह जो वितरण प्रणाली है यह खास तौर पर हमारे गरीब वर्ग के लिए है। अगर हम इसमें एक रुपया, दो रुपये प्रति क्विन्टल भी कम कर सकें तो गरीबों को राहत मिलती है। वैसे तो जो जन वितरण प्रणाली है उसमें भारत की

सारी आबादी आती है। मगर आमतौर पर इसका ज्यादा फायदा गरीब वर्ग को देने की मंशा से है। 1985 में हमारे प्रधान मंत्री जी ने ट्राइबल एरिया का टूर किया तो वह वहां से प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी मदद करने को कहा और घोषणा की कि जितने ट्राइबल के ब्लाक्स हैं करीबन 57 लाख मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको आज हम सस्ता अनाज देते हैं। आज गेहूं की कीमत जो हमारा प्राइस है, जन वितरण प्रणाली के लिए है वह 204 रुपये है, उसके ऊपर राज्य अपना खर्चा डालकर आगे लोगों को देते हैं। मगर 139 रुपये इश्यू प्राइस हैं, जबकि हमारे पी०डी०एस० के लिए 204 रुपये है। इतना बड़ा अन्तर गरीबों को राहत देने के लिए है। यह मैं मानता हूं कि इसमें अनियमिततायें हैं, कहीं-कहीं गरीबों तक माल नहीं पहुंचता। उसके लिए कायदे भी हैं और कानून भी हैं। उसके लिए वक्तन-फक्तन लगातार मानिटरिंग होती है, मगर मैं समझता हूं जब तक हम जनता के प्रतिनिधि चाहे प्रधान से लेकर संसद सदस्य तक अपने आपको शामिल नहीं करेंगे तब तक यह अनियमिततायें कम होना मुश्किल हैं। इसलिए हमने कोशिश की है और सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि वह जिला स्तर के ऊपर ही नहीं, बल्कि हर फेयर प्राइस शाप के स्तर के ऊपर उपभोक्ताओं की विजिलेंस कमेटी बनाये जो यह देखे कि कितनी मात्रा में उनको अनाज मिलता है, कब मिला वह मिला या नहीं मिला···वह कहां चला गया। जब तक वहां के उपभोक्ता जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश करें। इसलिए प्रान्तीय सरकारों को हमारी जन-वितरण प्रणाली में ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात ठीक है कि इसको सुचारु रूप से कार्यान्वित करने का काम राज्य सरकारों का है। भारत सरकार तो सिर्फ अनाज इकट्ठा करके वितरित करती है। यदि आप देखें तो पिछले वर्ष हमने इसी कार्य हेतु 2,200 करोड़ रुपये सबसिडी में खर्च किए। इतनी बड़ी राशि से आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार की नीति बड़ी स्पष्ट है। हमने यह नीति सभी राज्य सरकारों से परामर्श करके, उनकी मुश्किलातों को देखकर, बनाई है। अब उसे सुचारु रूप से क्रियान्वित करना राज्य सरकारों का काम है। इस सैशन के बाद मेरी यह कोशिश होगी कि सभी राज्यों के सिविल सप्लाईज मिनिस्टर्स और वहां के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाकर आपस में सलाह-मशवरा किया जाए कि कहां क्या कमियां हैं। इस सदन में माननीय सदस्यों ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया है, हम उसे ध्यान में रखेंगे। यह बिल्कुल ठीक है कि हमारी नीतियों के बावजूद अगर गरीब लोगों को आवश्यकता की चीजें न मिलें, जिनके लिए हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग या दूसरे चैनल के माध्यम से उसका दुरुपयोग हो तो उससे बढ़कर हमारे लिए कोई दूसरी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती।

कु० ममता बनर्जी (जादवपुर) : माननीय मंत्री जी, क्या आपने हमारे स्टेट का एलोकेशन कम कर दिया है, क्योंकि अखबारों में ऐसी खबरें आई हैं।

श्री सुख राम : जब मैं पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा करूंगा तो आपको सारी स्थिति से अवगत करूंगा।

मेरी व्यक्तिगत राय भी है और जैसा अभी प्रधान मंत्री जी ने तमिलनाडु में कहा कि हमें देश से बेकारी दूर करने के लिए काम करना है, कार्यक्रम बनाने हैं और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ी गुंजाइश भी है क्योंकि आज जितनी फेअर प्राइस शाप्स हमारे यहां हैं, उनमें से ज्यादातर बड़े दुकानदारों के पास हैं। दुकानदार कोई भी बेकार नहीं है, उनकी तो पहले से दुकानदारी चली हुई है। मेरी भी मान्यता है कि इस मामले में कोआपरेटिव्ज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, और वितरण का कार्य कोआपरेटिव्ज के माध्यम से कराया जाए। राज्य सरकारों को उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। वैसे तो स्टेट्स के प्लान में प्रति वर्ष 45-46 करोड़ रुपया स्टेट्स में कोआपरेटिव्ज को बढ़ावा देने के लिए दिया

[श्री सुखराम]

जाता है, जन वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए वह रुपया आबंटित किया जाता है, जिससे लोगों को उसका लाभ मिले परन्तु हमारे नोटिस में कुछ शिकायतें आयी हैं और हम उन खराबियों को दूर करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सभी खराब हैं परन्तु कहीं खराबी अवश्य है और उसे दूर किया जाएगा।

कु० ममता बनर्जी : महिलाओं को भी आप इस कार्यक्रम में शामिल कीजिए।

श्री सुख राम : हां, महिलाएं भी आयेंगी और बेकार नौजवानों को भी शामिल किया जाएगा। परन्तु हमें यह भी सोचना होगा जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें मार्जिन बहुत थोड़ा है जो इकोनोमिक दृष्टि से लाभकर नहीं। इन दुकानों के माध्यम से वैसे तो हम 6-7 वस्तुएं ही देते हैं परन्तु राज्य सरकारों को खुली छूट है कि वे अपने यहां उपभोक्ताओं को जो चीज आवश्यक समझते हैं, इनके जरिए उपलब्ध करायें, किसी भी चीज को शामिल करने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं ताकि वे इन्हें इकोनोमिकल बना दें।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो चीजें अति आवश्यक हैं उन्हें तो आप जन वितरण प्रणाली में शामिल करें परन्तु उनमें लाभ की मात्रा इतनी कम है कि कोई भी प्राथमिक सोसायटी इस वितरण प्रणाली के माध्यम से 200 रुपये से ज्यादा फायदा नहीं ले सकती और ग्रामीण अंचलों, दूरदराज के इलाकों में स्थित दुकानों तक सामान लाने ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है और उनका मार्जिन तो और भी कम होकर 150 या 180 रु० रह जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से हमारी जन वितरण प्रणाली सक्सेसफुल नहीं हुई है।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) सर, यह बहुत इम्पोर्टेंट प्वाइंट है।

श्री अजय मुशरान : लोग कहते हैं कि हमारे देश में सहकारिता फेल हो गयी है परन्तु सहकारिता फेल नहीं हुई है। सहकारिता के माध्यम से जन वितरण प्रणाली इसलिए सफल नहीं हुई है क्योंकि उसमें फायदे की मात्रा बिल्कुल नगण्य है।

श्री सुखराम : मैंने खुद इस बात को माना है और मैंने कहा है कि इसमें सोच-विचार करेंगे, कैसे उसको ज्यादा लाभप्रद बनाया जा सकता है। सब बातें देखेंगे। अभी जो पिछले वर्ष अनाज वितरण किया है उसमें बी०डी०एस० के लिए 18.37 लाख मिलियन टन था और 1987-88 के लिए 15.06 मिलियन टन था। इस प्रकार 22 प्रतिशत की वृद्धि पिछले वर्ष हुई, उसके पिछले वर्ष के बनिस्बत और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 23.1 लाख टन अनाज वितरित हुआ जो कि उससे पिछले साल 18.34 लाख टन था और इसी तरह से आई०टी०डी०पी० के लिए 2.37 लाख टन अनाज वितरित हुआ जो उससे पिछले 18.21 लाख टन वितरित हुआ था, तो इस तरह से करीब 21-22 लाख टन अनाज सभी राज्यों को दिया है और किसी राज्य से कोई शिकायत नहीं आई। हमारे भण्डार भी भरे हुए थे और इतनी बात तो जरूर है कि हम इस बात को देखेंगे कि इसका मिसयूज न हो।

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : जहां पर एन०आर०एल०जी०पी० और एन०आर०ई०पी० के लिए जो अनाज देते हैं उसका बंटवारा नहीं होता है, उसको बिचौलिया ले जाता है।

श्री सुख राम : उपाध्यक्ष जी, इन्होंने अपनी बात कह दी, अब मेरी बात भी ये सुन लें। आप भी मैम्बर पार्लियामेंट हैं, आप भी किसी हलके का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी किसी स्टेट से हैं। अपनी स्टेट की गवर्नमेंट को कहिए कि वह देखे।

इसी तरह से यहां पर भण्डारण क्षमता की बात उठी है। भण्डारण क्षमता के बारे में भी हमारे पास 27 मिलियन टन की भण्डारण क्षमता सारे देश में है जिसको हम 1990 तक के लिए काफी समझते हैं। इसके अलावा 5.98 लाख टन की क्षमता हम महज हिली एरियाज के लिए और बैकवर्ड एरियाज के लिए पैदा करेंगे इस प्लान पीरियड में। जैसा आपको मालूम है, इस वर्ष रबी की प्रक्योरमेंट कर रहे हैं, इसमें 7 रुपया प्रति क्विंटल हमने इजाफा किया है ताकि किसानों को अच्छी पैदावार का हिस्सा मिले और उसमें थोड़ा हमको बढ़ाना भी पड़ा है और उसी तरह से धान का, चावल का कुछ इजाफा हुआ है जिसकी वजह से कृषकों को फायदा हुआ है और अभी हमारे पास वितरण-प्रणाली के अन्तर्गत 3.45 लाख दुकानें हैं और ड्राउट तथा फ्लड के दौरान हमने सभी प्रान्तीय सरकारों से कहा था कि जहां-जहां दुकानें नहीं हैं वहां-वहां वे दुकानें खोलें, तो उसके अन्तगत भी 4325 दुकानें खुली है और इसके अलावा हमने और मदद की प्रान्तीय सरकारों की और करीबन 4 करोड़ रुपया कुछ प्रान्तीय सरकारों को हमने और मदद के रूप में दिया है ताकि वह गाड़ियां खरीदें और मोबाइल वैन खरीदें : जहां स्टैटिक शाप्स नहीं हो सकती हैं वहां··· (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : वह दिल्ली के सिवाय और कहीं नहीं हैं।

श्री सुख राम : यू० पी०, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और चंडीगढ़ आदि राज्यों को मिली हैं। अब यह राज्यों का काम है और मैम्बर-पार्लियामेंट का काम है कि वह यह पता करें कि कहां-कहां उसका इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके क्षेत्र में यह नहीं है तो यह आपका काम है। हमने तो राज्य सरकारों की पूरी मदद की है। हमने पिछले वर्ष 2200 करोड़ रुपये का खर्चा सबसिड़ी पर किया है। इससे सारे राज्यों को फायदा हुआ है और कुछ राज्यों को तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर आप इस बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं आपको आंकड़े देकर बता सकता हूं। हम आन्ध्र प्रदेश को 158 करोड़ रुपये की सबसिड़ी दे रहे हैं, असम को 50-51 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 78.34 करोड़ रुपया कर्नाटक में खर्चा कर रहे हैं, केरल में 119.70 करोड़ रुपया सबसिड़ी का खर्चा है और महाराष्ट्र में 115 करोड़ रुपये का है।

श्री नारायण चौबे : यू० पी० और बिहार का बताइए।

श्री सुख राम : यू० पी० में 108 करोड़ रुपये का और वैस्ट बंगाल में 158.40 करोड़ रुपये का खर्चा हम कर रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राजस्थान का भी बता दीजिए।

श्री सुख राम : वह 74 करोड़ रुपये के करीब है। यह मैं इस वास्ते कह रहा हूं क्योंकि भारत सरकार अनाज के मामले में राजनीति को बीच में नहीं लाती है। हम सबसे ज्यादा अनाज विरोधी राज्यों को दे रहे हैं। हमने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही आगे देंगे क्योंकि यह अनाज से संबंधित है और यह गरीब आदमियों से ताल्लुक रखता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि राज्यों को भी इसके बीच में राजनीति नहीं लानी चाहिए। कहीं-कहीं तो यह बात वहां की पार्टी के लोगों तक ही सीमित रह गई। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : वैस्ट बंगाल में फूड मूवमेंट के बारे में कोई रीस्ट्रिक्शन है या नहीं।

श्री सुख राम : मैं अभी इस पर आ रहा हूं। आपने जो-जो प्वाइंट उठाये हैं, मैं उनका पूरा जवाब दूंगा। मैं महज एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। वेस्ट बंगाल गवर्नमैन्ट से बात करते-करते हम तो थक गये। एक ओ०जी०एम०, ओ०जे०एम० डिपो अक्टूबर, 1986 से बन्द है और उसमें 20000 मीट्रिक

[श्री सुख राम]

टन चावल है। हमने मुख्य मंत्री को भी लिखा, सभी को लिखा मगर उसमें चूंकि एक बात है कि वहां पर जो यूनियन है वह उसको खोलने नहीं देती···

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वहीं की रिकग्नाइज यूनियन आई० एन० टी० यू० सी० है जिसका लीडर सुव्रतो मुकर्जी है, आप उसकी बात बोलिये।

(व्यवधान)

श्री सुख राम : मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं। वहां पर वह यूनियन उसको चलने नहीं देती, वह सी० पी० एम० से ताल्लुक रखती है। चैक-अप कर लीजिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : सी० आई० टी० यू० की है, आपको मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : सुव्रतो मुकर्जी क्या सी० पी० एम० का हो गया ? वहां की जो रिकग्नाइज्ड यूनियन है, आप वहां जाकर दोनों को बुलाकर फैसला कर दीजिए।

श्री सुख राम : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने फैसला कर दिया। यह डिपो वेस्ट बंगाल के लिए है और वहां का चावल वेस्ट बंगाल के लोगों को जायेगा। मैं आपसे सिर्फ मदद ले रहा हूं कि आप जरा उनको समझाइये, वह चावल सड़ जायेगा तो लोगों को सड़ा हुआ चावल खाना पड़ेगा। वह एफ० सी० आई० का डिपो तो आपके सूबे के लिए है और सूबे के लिए नहीं है इस वास्ते मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि इसमें 20 करोड़ से भी ज्यादा रुपया इन्वाल्व है, यह किसका रुपया है, यह देश का रुपया है और एक यूनियन उसको चलने न दे तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। क्या केन्द्र सरकार उसमें फौज ले जाये ? क्या केन्द्र सरकार उसमें कोई पैरा-मिलिटरी फोर्सेज ले जाये ? यह तो राज्यों के देखने की बात है। हम इतना रुपया वहां सब्सिडी का खर्च कर रहे हैं लोगों को अनाज देने के लिए और वेस्ट बंगाल के बारे में मिस ममता बनर्जी ने पहले एक वक्तव्य किया था कि वहां यह कह दिया कि वहां अनाज कम कर दिया भारत सरकार ने, इस वास्ते वहां परेशानी हो गई तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स एण्ड फीगर्स हैं वह मेरे बनाये हुए नहीं हैं, मैं आपसे बात करता हूं कि वेस्ट बंगाल की डिमाण्ड थी उसमें 7 लाख 30 हजार हमने एलॉट किया था जिसमें से ऑफ टेक किया, उठाया 5 लाख 36 हजार, उन्होंने कम उठाया। दूसरे सारा फूडग्रेन्स जो अप्रैल 1987 से मार्च 1988 तक हमने एलॉट किया वह 39 लाख 46 हजार मीट्रिक टन किया और आपने वहां पर ऑफ टेक किया, जो उठाया वह 17 लाख 69 हजार है तो अब मैंने यह फैसला किया है कि हर राज्य का जो ऑफ टेक है उसके बेसिस पर उनको अब एलॉटमैण्ट किया जायेगा और इसमें आपको भी इतना हुआ कि एक लाख 25 हजार आपका एलॉटमैण्ट था इतना उठता नहीं था इसलिए 85 हजार कर दिया तो यह जो बात है कि हमको कम कर दिया···

श्री सैयद मसूदल हुसैन : आपका एलोकेशन तो ठीक है, जो डिमाण्ड है उतना तो एलॉट नहीं करते हैं और जितना एलॉट करते हैं उतना गोडाउन में माल नहीं रहता है इसको साबित करने के लिए हम गोडाउन से बार-बार खबर लेते हैं और आपके डिपार्टमैण्ट में मैंने बार-बार तार भेजा है कि आपका इतना एलॉटमैण्ट है और गोडाउन में इतना गेहूं नहीं है, चावल नहीं है। आप भेजते नहीं हैं, वह साबित करने के लिए मैं तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री सुख राम : इसमें चार पैसे प्रति किलो एफ० सी० आई० का इस्टैबलिशमेंट का खर्चा आता है, प्रोक्योरमेन्ट और डिस्ट्रिब्यूशन मिलाकर। इसमें हमने अभी एक फैसला किया है कि इसके जो इंसीडेंटल चार्जेज हैं, प्रोक्योरमेंट के या दूसरे, उनको बी० आई० सी० पी० देखेगा ताकि अगर कहीं किसी को शक हो कि ज्यादा पैसा लिया जा रहा है तो वह दूर हो सके। हमने इसके लिए उनको लिख दिया है और वे इसको देखेंगे।

यहां पर स्टोरेज और ट्रांजिट लासेज की बात भी आई है। पहले यह 2.5 प्रतिशत था जोकि मैं मानता हूं काफी ज्यादा था लेकिन अब हम इसको '.63 प्रतिशत तक ले आए हैं। हालांकि मैं अभी खुद इससे संतुष्ट नहीं हूं, हम उसको और भी कम करना चाहते हैं। अगर उसमें कहीं गुंजायश हुई तो हम इसको और भी कम करना चाहते हैं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : 16 साल में 1,123 करोड़ का घाटा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सुख राम : 11 हजार के टर्न-ओवर में यह 1.63 परसेन्ट बनता है। यह ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज लासेज हैं। लेकिन जो स्टोरेज लास है वह 1982-83 में 0.65 परसेन्ट था और अब वह कम होकर 0.48 परसेन्ट रह गया है। तो उसमें भी कमी आई है। मैं तो रेल मन्त्रालय का भी आभारी हूं। जिस तरह से उन्होंने पिछले वर्ष काम किया उसमें डेली 2 हजार वैगन्स की लोडिंग-अनलोडिंग होती थी। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान उनका भी है। और भी जहां कमी हो सकती है, आप लोग हमें बतायेंगे तो उसको भी हम जरूर देखेंगे।

एडिबल आयल्स के बारे में भी यहां पर चर्चा हुई। एडिबल आयल्स के बारे में तो हमारी आत्म-निर्भरता की नीति है जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने बहुत सारे कार्यक्रम चलाये हुए हैं ताकि यहां पर एडिबल आयल्स की ज्यादा पैदावार हो सके। अभी हमारे देश में एडिबल आयल की जो रेक्वायरमेंट है वह 52 लाख मी० टन की है जबकि हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी 30 से 35 लाख मी० टन की है। अब यह जो बीच का अन्तर है इसको अगर हम इम्पोर्ट न करें तो शोर मचेगा कि यहां तो तेल नहीं मिलता। वनस्पति के बारे में भी बड़ी चर्चा होती है। वनस्पति का जो सारा उत्पादन है वह करीब साढ़े 9 लाख मी० टन है। चूंकि 52 लाख मी० टन की सारी रिक्वायरमेन्ट है इसलिए हम इन्टरवीन करते हैं मार्केट में ताकि उसकी कीमत ज्यादा न बढ़ने पाए। इसमें भी हमारे यहां जो तेल के बीज पैदा होते हैं, जो तेल पैदा होता है, हमारी प्राथमिकता है कि सारी वनस्पति की जो इण्डस्ट्री है वह हमारे यहां पैदा हुए तेल को भी इस्तेमाल करें ताकि पैदावार ज्यादा बढ़े। उसके लिए बहुत सी स्कीमें भारत सरकार ने बनाई हैं। मैंने पिछले वर्षों का लेखा-जोखा देखा है, इन वर्षों में हमारी अभी तक जितनी रिक्वायरमेंट है, उस पर नहीं आ सके हैं। यदि इम्पोर्ट न करें तो माननीय सदन में चर्चा होती है कि मिलता नहीं है, वनस्पति नहीं मिलता है। इसलिए कीमत के बढ़ने की भी परेशानी है। जो वालन्टियर हैं, उनकी प्राइस एग्रीमेंट की बात थी। हालांकि वे इस बात को नहीं जानते हैं, आज हम 50 फीसदी इम्पोर्टेड आयल देते हैं और 15 हजार मिट्रिक टन देते हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा है। जो कार्मशियल रेट है 30 परसेंट, वह हम देते हैं। हमने उनको इस बात पर रजामन्द किया कि 15 किलो का वनस्पति 335 रु० का देगा। जब वे मान गए तो जो प्राइस लिखी जाती है, उस पर उनको देना पड़ता है। अभी उस पर बातचीत चल रही है, कितना उनको देना है, नहीं देना है या कीमत बढ़ानी है। सारी बातें चल रही हैं। मैं यह कहता हूं कि कम से कम इस कीमत की एक सीमा तो रखी है कि उस कीमत को बढ़ने नहीं दिया जाएगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मंत्री जी आपको मेरा एक सुझाव है। जिस प्रकार चीनी में आपने 45 परसेंट लैवी इम्पोज किया है, उसी प्रकार इसमें भी कर दीजिए। लैवी वनस्पति और उसको

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वितरित कीजिए। कम से कम आप इस बारे में सोचिए।

श्री सुख राम : मैंने आपकी बात सुन ली है। हर चीज को यहां तो नहीं किया जा सकता। सारी चीजों को एग्जामिन करना पड़ता है और उस के प्रॉन्स-एंड-कॉन्स देखने पड़ते हैं। यहां ऐसे तो एनाउन्स नहीं कर सकते हैं। मैंने आपका सुझाव देखा है और उस पर सदन की क्या प्रतिक्रिया है।

चीनी के उत्पादन के बारे में यहां चर्चा हुई है। चीनी का उत्पादन तो पिछले वर्ष काफी अच्छा रहा है। 1986-87 में करीबन 85 लाख मिट्रिक टन रहा है। हमने जब से, 1980 में सत्ता संभाली है, तब से धीरे-धीरे उत्पादन में वृद्धि हुई है, नहीं तो एक वर्ष तो 61 44 लाख मिट्रिक टन हो गया। अब इस वर्ष हमारा अन्दाजा है कि ड्राउट की वजह से चीनी का उत्पादन कम होगा। हमारी उम्मीद है कि 85-86 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन होगा। एक-दो-तीन महीने के बाद इसको रिव्यू करेंगे कि आया हमको इम्पोर्ट करना है या नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष चीनी के आयात की आवश्यकता नहीं होगी।···(व्यवधान)···

एक केरल के माननीय सदस्य ने एक मिल के बारे में कहा था, वह मिल सिक है या उसमें कुछ परेशानी है। चूंकि उसमें कुछ कमियां थीं, स्टेट गवर्नमेन्ट को लिखा है, वह रिकमैंड होकर आया है और हमारा जो शुगर डवेलपमेन्ट फण्ड है, उससे मदद करने की कोशिश करेंगे। बिहार के बारे में कल एक प्रश्न उठाया गया था। तीन केसेज आये थे, तीनों केस में लोन वगैरह सैंक्शन हुआ है और हमारे पास कोई केस पैंडिंग नहीं है पिछले वर्ष जब ड्राउट की स्थिति आई तो हमने ख्याल किया कि शायद मुनाफाखोरी वगैरह में जनता को परेशानी होगी और लोग उसमें होर्डिंग करेंगे। उसमें भी हमारे मन्त्रालय ने सभी प्रान्तीय सरकारों को लिखा है, जिसमें करीबन 55,074 रैड्स किये गये फैयरप्राइस शोप्स वगैरह के और जिसमें 2,297 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 21.49 करोड़ रुपये के गुड्स कन्फिस्केट किये गये। इस तरह से डेटेरेन्ट इफेक्ट होता है, जिससे स्थिति में सुधार आता है।

एक यहां प्रश्न उठा था कि बड़ी भारी कीमतें बढ़ी हैं। इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जरिये हम अनाज हर जगह नहीं पहुंचाते, तो क्या हालत होती, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। 1979-80 में जो सूखा पड़ा था, उस मौके जो इन्फ्लेशन रेट था, वह 22 प्रतिशत के करीब था और आज वह 10 प्रतिशत हुआ था और 10 प्रतिशत से फिर वह 9.3 प्रतिशत पर आ गया हुआ है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं है सरकार की, कि इतनी बड़ी प्राकृतिक विपदा के बाद भी इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया। फूडग्रेन्स में 0.6 पर सेन्ट पिछले छः हफ्तों में बढ़ा है जबकि सीरियल्स में 0.8 पर सेन्ट बढ़ा हुआ है और पल्सेज में 4.7 प्रतिशत बढ़ा है और व्हीट में तो कमी आई है 6.9 प्रतिशत की और चावल में थोड़ा 1.8 प्रतिशत बढ़ा है और वेजीटेबिल्स वगैरह में 4.7 प्रतिशत बढ़ा है। आप जानते हैं कि जब लीन पीरियड आता है, तो कीमतें थोड़ा बढ़ती हैं लेकिन हमने कोशिश की है, मेरे मन्त्रालय ने व्यापारियों से निगोशियेसन्स करके, बातचीत करके, कोशिश की है कि कीमतें न बढ़ें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : आप दाल खरीदते हैं। अरहर और मूंग की दाल की कितनी कीमतें बढ़ गई हैं।

श्री सुख राम : दालों के बारे में मैं आऊंगा। मैंने व्होलसेल प्राइस बताई है।···(व्यवधान)··· यहां पर एक प्रश्न उठता था कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। एक बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में इस देश में उठाया गया है और एक्ट पास हुआ है और उसमें सभी राज्यों

में कमीशन वगैरह की स्थापना होनी है। कुछ राज्यों ने मंजूरी ले ली है और उसको अभी काम में लाना है। कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन कौंसिल नेशनल लेबिल पर है, जिसकी दूसरी मीटिंग परसों होने जा रही है मगर एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि इसको महज इसी में सीमित नहीं रख सकते।

अभी मुशरान जी ने प्रश्न उठाया था आइरिश बटर का। हमारा मन्त्रालय उससे सीधा ताल्लुक नहीं रखता। यह तो भजन लाल जी के मन्त्रालय से ताल्लुक रखता है। ये जो कमीशन वगैरह बन जाएंगे, तो कोई भी उपभोक्ता अपनी कम्पलेंट उस कमीशन के सामने रख सकता है और वह कमीशन जो है, वह उसका, फैसला कर सकता है। कन्ज्यूमर्स प्रोटेक्शन के बारे में वैसे बहुत से लाज हैं मगर उपभोक्ता को जो कम्पेंसेशन दिलाता है, वह यह नेशनल लेबिल का कमीशन है। वह 10 लाख के ऊपर कितने ही एमाऊन्ट का कम्पेंसेशन दिला सकता है। इस तरह से केस उनके सामने आयेंगे। मैं तो एक बात कहता हूं।

श्री अजय मुशरान : यह जो आयरिश बटर है, इस पर सारी दुनिया में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। हमारे देश में क्यों नहीं यह लगाया जाता? क्या यह बटर हमारे देश में पैदा नहीं हो सकता? आप उस बटर को सब जगह वितरण प्रणाली के माध्यम से दे रहे हैं, फौज को, सेना को दे रहे हैं। सैकड़ों अखबारों में निकला है। तकरीबन सभी अखबारों में निकला है।

कृषि मन्त्री (श्री भजन लाल) : एक मिनट के लिए, उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी इजाजत चाहता हूं। इन्होंने खतरा जाहिर किया कि बाहर से जो बटर आता है वह ठीक नहीं है। उसमें कोई नुक्स है, वह हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। मैं माननीय सदस्यों और हाऊस को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी बाहर से बटर आयेगा वह हमारे हिन्दुस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक आयेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी, कोई नुक्स नहीं होगा। बाकायदा टेस्ट करके वहां से चलेगा और हिन्दुस्तान में पहुंचेगा।

श्री अजय मुशरान : आदरणीय मन्त्री जी मैं भविष्यकाल की बात नहीं कह रहा हूं, मैं भूतकाल की बात कह रहा हूं।

श्री भजन लाल : जो भी बटर आया है, वह बाकायदा हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक आया है, टेस्ट हो करके आया है। (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : आदरणीय मन्त्री जी, 6 देशों में···

श्री भजन लाल : उन मुल्कों का स्टैंडर्ड अलग होगा। हमारा जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक सही बटर हमको भेजा जाता है। हमारे मुल्क में किसी भी जिंदगी के साथ, किसी भी इन्सान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक देखना है। उसको हम अपने नार्म के मुताबिक देखेंगे जो वह बटर सही होगा जो कि खाने और दूध में मिलाने के लायक होगा वह बटर हमारे देश में आयेगा। जो हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगा, वह बटर हमारे देश में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अजय मुशरान : श्रीमान् जी, आपकी जो फूड लेबोरेट्रीज हैं, उनमें उसको टेस्ट कराइये। आपका एटोमिक रिसर्च इंस्टीच्यूट है, वह उसको टेस्ट करे। वे ठीक कहे तो ठीक है।

श्री नारायण चौबे : आप ऐसा करो कि जल्दी-जल्दी आदमी मरे ताकि पापुलेशन प्राब्लम खत्म हो जाये। (व्यवधान)

श्री बुध राम : शूगर मिल्स के मोडरेनाइजेशन रिहेबलीटेशन के बारे में यहां बात कही गई

[श्री सुख राम]

मैं मोडरेनाइजेशन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। इस वक्त तक 116 करोड़ रुपया 10। शूगर मिल्स को 9 स्टेटों में दिया गया है जिससे एक बहुत बड़ी मदद शूगर मिल्स को मोडरेनाजेशन में मिलती है। (व्यवधान)

अभी वेस्ट बंगाल की बात आई। (व्यवधान) वेस्ट बंगाल में एडीबल आयल के बारे में बात उठाई गई। वेस्ट बंगाल के लिए 1986-87 में जो अलोटमेंट थी वह 1,48,700 मीट्रिक टन थी उसमें से उनका ओफ टेक 1,25,00 मीट्रिक टन था। बाकी दूसरे साल भी मार्च तक 17,700 टन था। इसमें भी उनका आफ टेक कम हुआ। हो सकता है कि कुछ परेशानी रेलवेज की हो, मूवमेंट की हो मगर उस पर आठ करोड़ रुपये का डेमरेज इस वास्ते पड़ा कि वहां पर लिफ्टिंग नहीं हुआ। इसलिए आप वहां कोशिश कीजिए कि उसका वहां लिफ्टिंग हो। वहां के खाद्य मन्त्री जी ने भी कहा है कि हमें संतोष हुआ जो सप्लाई हुई है उससे।

केरल के बारे में माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मगर केरल में भी जितना आपको आलोटमेंट किया है। उससे कम लिफ्टिंग हुआ है। इसव रास्ते अभी जो हमारा सारा टोटल राईस और व्हीट है···केरल को जो अलाट किया 20.95 लाख टन, उसमें से 18.11 लाख टन आफ टेक किया गया। इसलिए ऐसी कोई शिकायत नहीं हो सकती है कि हमने किसी को कम एलोकेशन किया है।

2.00 म० प०

एक बात और कल एक माननीय सदस्य ने उठाई थी प्रधान मन्त्री जी के बारे में कि जो 2 रुपये प्रति किलो चावल देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी आंध्र में आई० टी० डी० पी० को 1.85 रुपये प्रति किलो इशू प्राइस पर चावल सप्लाई किया गया, उसमें भी उन्होंने मुनाफा लगाकर दो रुपये प्रति किलो लेना शुरू कर दिया। आई० टी० डी० पी० को कहा गया था कि सस्ते भाव से गरीबों को चावल दिया जाए, उन्होंने उसमें भी मुनाफा ले लिया। हमने इस मामले को उठाया है और अब वहां पर 1.85 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ही चावल दिया जाएगा। कोई सरकार अपनी आमदनी से किसी स्कीम में खर्च करे तो कोई बात नहीं है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो सहायता गरीब लोगों के लिए दी गई है, उस पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट करके कोई स्कीम चलाई जाएगी तो यह भारत सरकार के लिए मुश्किल है।

एक बात मैं और माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यहां पर वे बात को उठाते हैं, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं, हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और हमको जनता की बात यहां पर उठानी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ प्रान्तीय सरकारों में भी आप लोगों को बात उठानी चाहिए, क्योंकि इंप्लीमेन्टेशन वहीं होना है, इसलिए उन पर भी दबाव डाला जाना चाहिए।

एक बात और माननीय सदस्यों के नोटिस में लाना चाहता हूं और वह बफर स्टाक के बारे में है। बफर स्टाक अनाज का अभी हमारे पास कुछ कम है। (व्यवधान) हालांकि अभी कोई परेशानी नहीं है और अनाज के मामलें में किसी सूबे में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, बस कोई राज्य सरकार इसमें राजनीति न लाए, इतना ही मेरा निवेदन है। अभी 1 मिलियन टन, 10 लाख टन गंदम हमने अमरीका से मंगवाने का एग्रीमेन्ट किया है। यह गेहूं आएगा। (व्यवधान) ऐसी कोई बात नहीं है, चाइना जो कि एक्सपोर्ट करता था, अत: कई चीजों का इंपोर्ट कर रहा है। (व्यवधान)

हमारे यहां सूखा पड़ा, इस वजह से यह मंगाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में तो 1 मिलियन

टन क्या यह मात्रा 3-4 मिलियन टन तक भी पहुंच सकती थी। यह बात भी है कि अभी तो आप कहेंगे कि इम्पोर्ट क्यों कर रहे हैं और कल को अगर अनाज की कमी होगी तो आप लोग ही सबसे ज्यादा शोर मचाएंगे। इसलिए हमको आपकी बात में नहीं आना है, हमें यह देखना है कि जनता को ठीक तरह से अनाज मिलता रहे, यही हमारा सबसे बड़ा दृष्टिकोण है।

इतना कहकर मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं एक शंका का समाधान चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वह एक शंका का समाधान चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने शंका का समाधान पहले ही कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री सैयद मसूदल हुसैन : कुछ प्रतिबन्ध आदेश हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए।

जब तक कोई सदस्य यह न चाहे कि उसका कटौती प्रस्ताव अलग से रखा जाये मैं सदन के मतदान के लिए अब,सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा स्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की मांग संख्या 37 और 38 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०	राजस्व रु०	पूंजी रु०
37.	खाद्य मन्त्रालय	406,37,00,000	20,81,00,000	2,031,93,00,000	104,04,00,000
38.	नागरिक पूर्ति मन्त्रालय	8,10,00,000	71,00,000	40,51,00,000	3,52,00,000

2.07 म०प०

(घ) उद्योग मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 50 से 53 पर चर्चा और मतदान करेगी। इसके लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, कि शेष मांगों के सम्बन्ध में 'गिलोटिन' आज 6.00 म०प० पर होगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में उद्योग मंत्रालय की मांग संख्या 50 से 53 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च,1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांग राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
उद्योग मंत्रालय					
50.	औद्योगिक विकास विभाग	82,40,00,000	29,91,00,000	266,97,00,000	149,55,00,000
51.	कम्पनी कार्य विभाग	1,19,00,000	—	6,00,00,000	1,00,000
52.	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	1,58,00,000	19,34,00,000	7,87,00,000	96,66,00,000
53.	सरकारी उद्यम विभाग	4,08,00,000	77,92,00,000	20,40,00,000	339,93,00,000

208 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

श्री भद्दम श्रीराम मूर्ति (विशाखापत्तनम) : मैं सीधे उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण के बारे में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। यदि आप मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों के उत्पादन को देखें तो आप देखेंगे कि उनमें वर्ष-प्रतिवर्ष उत्पादन कम होता जा रहा है। वर्ष 1980-81 में 188.15 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1987-88 में यह घटकर 125 करोड़ रुपये का रह गया। यह प्रथम मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूं।

इसी प्रकार, यदि आप वित्तीय कार्यनिष्पादन को देखें, तो उन 24 यूनिटों में से जिनका इस मंत्रालय से सीधा सम्बन्ध है, इन सभी यूनिटों में घाटा हो रहा है। सभी इन्जीनियरी यूनिटों में घाटा हो रहा है। सभी उपभोक्ता यूनिटों में घाटा हो रहा है। परामर्शदात्री और ठेके वाली फर्मों में घाटा हो रहा है। वर्ष 1985-86 में सरकारी उद्यम विभाग में सार्वजनिक घाटा 65 करोड़ रुपये था। अगले वर्ष यह बढ़कर 103 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 1987-88 में यह और बढ़कर 704 करोड़ रुपये तक हो गया। यह वित्तीय कायनिष्पादन है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान कुल 1663 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए जाने की आशा थी। उसमें से 1300 करोड़ रु० प्रथम तीन वर्षों में पहले ही खर्च किये जा चुके हैं। इसके बावजूद कोई अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। लगभग हर जगह, हर स्तर पर, हम प्रत्येक औद्योगिक यूनिट में लगातार और बार बार घाटा ही देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारी इंजीनियरी निगम में वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक घाटा बढ़ता ही रहा है। वर्ष 1986-87 में यह घाटा 53.9 करोड़ रु० था और वर्ष 1987-88 में यह घाटा लगभग 57 करोड़ रुपये था। सीमेंट के क्षेत्र में घाटा बढ़ रहा है। वर्ष 1987-88 में यह घाटा 57 करोड़ रुपये था। अतः यह घाटा जो पहले 53 92 करोड़ रुपये था, बढ़कर 57 83 करोड़ रुपये हो गया है। भारतीय सीमेंट निगम में, वर्ष 1986-87 में घाटा लगभग 21.02 करोड़ रुपये था, वर्ष 1987-88 में यह 25.33 करोड़ रुपये था। वर्ष 1988-89 में, उन्होंने इस घाटे को लगभग 34.05 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। यह उनका लक्ष्य है..... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसके लिए लक्ष्य ?

श्री भद्दम श्रीराम मूर्ति : घाटे को बढ़ाने के लिए लक्ष्य।

इसके बाद भारतीय साइकिल निगम में, वर्ष 1984-85 में घाटा 8.50 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1987-88 में यह घाटा लगभग 11.8 करोड़ रुपये था। वर्ष 1988-89 में यह अनुमान लगाया गया था कि इस बार भी इतना ही घाटा होगा।

इसी प्रकार, स्पोर्ट्स इंडिया एक और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। कुछ समय पहले मंत्री ने स्वयं यह कहा था कि वह निजी क्षेत्र के उद्योगों को इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। यहां भी वही बार-बार होने वाले घाटे की दुखद कहानी देखी जा सकती है। वर्ष 1985-86 में यह घाटा 16 42 करोड़ रुपये था। वर्ष 1987-88 में यह बढ़कर 26 करोड़ रुपये हो गया था जबकि कुल घाटा 105.26 करोड़ रुपये था।

पुनर्वास उद्योग निगम, जिसके द्वारा कुछ रुग्ण उद्योगों के पुनर्वास किये जाने की आशा थी।

[श्री महत्तम श्रीराम मूर्ति]

वह स्वयं भी ऋणग्रस्त हो गया है। वर्ष 1986-87 में उसमें लगभग 905.56 लाख रुपये का घाटा था, इससे पहले वर्ष में यह घाटा लगभग 636 लाख रुपये था। इस प्रकार यह घाटा बढ़ता जा रहा है।

यही बात हिन्दुस्तान कागज निगम के साथ है। उदाहरण के लिए, यदि हम हिन्दुस्तान न्यूज-प्रिंट को लें, वर्ष 1985-86 में उनका घाटा 1 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1987-88 में यह 7.57 करोड़ रुपए था और वर्ष 1988-89 में इसमें और वृद्धि करके 7.23 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

इसके बाद नागालैंड लुगदी और कागज कम्पनी में, वर्ष 1985-86 में वहां 23 करोड़ रुपये का घाटा था, वर्ष 1987-88 में यह घाटा 25.65 करोड़ रुपये था और वर्ष 1988-89 में इसमें और वृद्धि होकर यह घाटा 27.82 करोड़ रुपये हो जाएगा। यह लक्ष्य है।

नागांव पेपर मिल्स में, वर्ष 1985-86 में घाटा 22.47 करोड़ रुपये था, वर्ष 1988-89 में घाटे में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया है यह 55.22 करोड़ रुपये बैठता है।

यह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की कहानी है जो कि सीधे ही उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

अब मैं उनकी क्षमता उपयोग के विषय पर आता हूं। यहां भी मैं विभिन्न तथ्यों को देखने के बाद उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, भारी इंजीनियरी निगम को लीजिए। उसकी क्षमता उपभोग 47 प्रतिशत से 55 प्रतिशत के बीच में है। केवल एक वर्ष में बढ़कर वह लगभग 66 प्रतिशत तक हो गया है। अत: क्षमता के कम उपयोग की स्थिति लगातार चल रही है। नेशनल साइकिल कार्पोरेशन में, वर्ष 1984-85 में, 75 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया था और वर्ष 1986-87 में क्षमता का उपयोग कम होकर 36 प्रतिशत हो गया। यह सुधार है। इसी प्रकार, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को लीजिए, वर्ष 1984-85 में इसमें 25.8 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया जो वर्ष 1986-87 में घटकर 8 प्रतिशत तक रह गया। साइकिल कार्पोरेशन में, क्षमता उपयोग 71 प्रतिशत था जो घटकर 51 प्रतिशत रह गया। मैं ऐसे बहुत से मामलों का उदाहरण दे सकता हूं। इस विशेष पहलू के लिए इतना अधिक समय लेने का कोई लाभ नहीं है, लेकिन इतना ही पर्याप्त होगा यदि मंत्री भी इस विशेष पहलू की ओर अपना ध्यान देते हैं और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न यूनिटों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मैं एच०एम०टी० के बारे में संक्षेप में उल्लेख करूं, तो वह बिल्कुल कोई भी विस्तार कार्यक्रम शुरू नहीं कर रहा है। उन्हें ट्रेक्टर निर्माण क्षमता का विस्तार करना है परन्तु उसके लिए धन नहीं है। अत: वे उसका विस्तार नहीं कर रही हैं। लैम्प डिवीजन में भी घाटा हो रहा है। अत: उसको फिर से चलाने और उसके नवीकरण करने के लिए कुछ न कुछ करना होगा।

जहां तक 'भेल' का सम्बन्ध है, उसमें लगभग 700 करोड़ रुपये मूल्य की पुरानी मशीनों का बड़ा भण्डार है। यदि इनके स्थान पर नई मशीनें बदली जाएं तो उसके लिए सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जोकि उनके पास इस समय उपलब्ध नहीं है और इसलिए उन्हें इन पुराने उपकरणों के साथ काम चलाना पड़ता है।

अब मैं बी०एच०पी०वी० के बारे में संक्षेप में कहूंगा। इसको लगभग पांच अन्य घाटे वाली यूनिटों के साथ जोड़ दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या उद्देश्य है। यह बहुत ही अप्रिय और

निन्दनीय कार्य है और इसे किसी भी आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। जब इसका मुख्यालय किसी जगह जैसे इलाहाबाद ले जाया गया था, यह लगातार लाभ-अर्जित करने वाली यूनिट थी और अब जब इसे अन्य यूनिट के साथ जोड़ दिया गया तो इसमें लगातार घाटा हो रहा है। अत: इस सम्बन्ध में कुछ करना होगा। अत: मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया ···(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : बी०एच०पी०वी० आज भी एक लाभ अर्जित करने वाली यूनिट है।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : गत वर्ष उसमें लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। लेकिन इसको दूसरे के साथ जोड़ना स्वयं ही आपत्तिजनक है। यही मेरा विवेचन है। उसमें घाटा हुआ था और उसे सिद्ध भी किया जा सकता है। मैं इन्हें आपको दिखा सकता हूं कि यहां तक इस सदन में इस प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं।

महोदय, अब जहां तक इन यूनिटों में सुधार का सम्बन्ध है, एक कारण स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात, किसी परियोजना को पूरा करने के लिए ली जाने वाली अवधि में पर्याप्त कमी करनी होगी। अन्यथा उसकी लागत बढ़ जाएगी और कठिनाई पैदा हो जाएगी; और उस पर आपने जो धनराशि खर्च की है उसके अनुरूप आपको परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, तंदुर सीमेंट परियोजना को लीजिए। शुरू में इसकी अनुमानित लागत लगभग 56.76 करोड़ रुपये थी और यह बढ़कर 154 करोड़ रुपये हो गई। यह लगभग तीन गुना अधिक है। यही बात हिन्दुस्तान कागज निगम के साथ है। उदाहरण के लिए, यदि हम नागांव पेपर मिल्स को लें, इसकी अनुमानित लागत केवल 114 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 310 करोड़ रुपये हो गई। कछार पेपर मिल्स के मामले में, इसकी मूल लागत 114 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर 317 करोड़ रुपये हो गई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित अखबारी कागज परियोजना के लिए अनुमानित लागत 217.7 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 319 करोड़ रुपये हो गई। इन सभी में घाटे की भारी धनराशि का पता चलता है। मंत्री स्वयं इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से भी अच्छी तरह जानते हैं। इसी तरह, येर्रागुन्टला (आन्ध्र प्रदेश) विस्तार कार्यक्रम के लिए, मूल अनुमान लगभग 78.52 करोड़ रुपये था और बाद में यह बढ़कर 177.25 करोड़ रुपये हो गया। अत: यह कहनी है। पूरे देश में सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए खर्च की गई लगभग 62,000 करोड़ रुपये की कुल धनराशि में से, लगभग 20,000 से 22,000 करोड़ रु० की धनराशि, इन परियोजनाओं को लगाने में देरी के कारण लागत और मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण खर्च करनी पड़ी है। इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना चाहिए। अत: मैं इसको और भी बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस दिशा में स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से जब तक कुछ कदम नहीं उठाये जाते, कुछ भी होने नहीं जा रहा है।

अब मैं उन पुरानी खामियों के बारे में बहुत ही संक्षेप में दोहराऊंगा जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हैं। ये खामियां निम्नलिखित हैं :

कम उत्पादकता;

क्षमता के कम प्रतिशत का उपयोग;

घटिया किस्म के उत्पाद;

लिए गए पूंजी निवेश से पर्याप्त लाभ प्राप्त न होना;

कोई आन्तरिक विधि सृजित न करना;

[श्री मद्दटम श्रीराम मूर्ति]

पुरानी प्रौद्योगिकी;

उच्च परिचालन लागत ।

ये सभी विभिन्न कठिनाइयां हैं । क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या उन्होंने इनमें से किसी दृष्टि से स्थिति में सुधार करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है, और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए समझौता भी है ।

श्री मद्दटम श्रीराम मूर्ति : जी हां, इसके लिए वहां समझौता भी है और उसमें बाद में काफी गलतफहमी पैदा हो जाएगी । मेरे विचार में कुछ समय पहले, वास्तव में, उद्योग मंत्रालय ने नहीं वित्त मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उद्योगों के कार्यकरण के सम्बन्ध में एक श्वेत पत्र प्रस्तुत किया जाएगा । मान लो वह हमें अब उपलब्ध करा दिया जाता है, तो इस वाद-विवाद को जारी रखने के लिए वह हमारे लिए बहुत लाभदायक हो सकता है । लेकिन वह उपलब्ध नहीं है । मेरा मंत्री जी से विनम्र सुझाव है कि वह एक निगमित योजना तैयार करें और उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक एकल निजी उद्यम के बारे में विशेष लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित हो, और इसके साथ-साथ आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम को भी शुरू किया जाए, अन्यथा इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि पुरानी और अप्रचलित यूनिटों से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे ।

इसी के साथ-साथ मैं एक और मुद्दे के बारे में भी बताना चाहता हूं । जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उनके उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है और ये उसमें अच्छी प्रकार से दिये गए हैं । उनमें से एक उद्देश्य आय और धन का उत्पादन और वितरण है ।

यह देखना आपका काम है कि आर्थिक शक्तियों एवं सम्पदा का एक स्थान पर जमाव न होने पाये । सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक उद्देश्य यह भी है । यह सीधे ही वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है न कि उद्योग मंत्रालय में । मुझे सरसरी तौर पर एक टिप्पणी करनी है क्योंकि एक दफे मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया था वह बहुत ही उलझन में डालने वाला एवं अत्यन्त घृणित था । लेकिन एक बार मैंने पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े घरानों द्वारा अर्जित सकल एवं शुद्ध लाभ के बारे में पूछा था । उत्तर कुछ इस प्रकार दिया गया था ।

"तथाकथित बड़े घरानों के नामों का पता नहीं लगाया गया है ।"

महोदय, सरकार नहीं जानती कि बड़े व्यापारिक घराने क्या होते हैं और माननीय मन्त्री जी आप उत्तर में दिये गये वाक्य पर ध्यान दीजिये :

> "···कि बड़े औद्योगिक घरानों के अधीन कार्यरत प्रत्येक कम्पनी और फर्म के सकल मुनाफे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती । इस संबंध में किये गये प्रयासों में जो पैसा और समय लगेगा, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे ।"

अब उसका कोई फायदा नहीं है । महोदय, उनका मुनाफा क्या है ? सरकार इसे जानना नहीं चाहती । सच तो यह है यदि मैं 'बिजनेस इण्डिया' के ताजा अंक का हवाला दूं, उसमें एक लेख छपा है जिसमें निजी क्षेत्र की 100 सर्वोच्च कम्पनियों की सूची है तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा अर्जित मुनाफा भी दर्शाया गया है । सरकार समझती है कि जो कुछ उसने बताया है आज वह बेकार है । इससे सरकार की मनोवृत्ति का पता चलता है । मैं यही मुद्दा उठाना चाहता

हूं और इसके लिये मैं मन्त्री को उत्तरदायी नहीं ठहराना चाहता। और ना ही मैं उन्हें बीच में लाना चाहता हूं। महोदय, मैं व्यक्तिगत तौर पर और विशेष रूप में इसके लिये उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। यह स्थिति है उदाहरण के लिये रिलायन्स कम्पनी ने अपनी आस्तियों को बढ़ाकर तिगुना कर लिया है अर्थात 1986-87 से 600 करोड़ रुपये से 2000 करोड़ रुपये, अर्थात उन्होंने तिगुने से ज्यादा कर ली है। सर्वोच्च 15 व्यापारिक घरानों ने अपनी सम्पदा 18,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 31,000 करोड़ रुपये कर ली है, अर्थात पिछले तीन वर्षों में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वृद्धि की है। प्रत्येक बड़े व्यापारिक घराने में तीन करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। यह एकदम साफ है ये आंकड़े 'बिजनेस इण्डिया' में प्रकाशित हुए हैं। परन्तु सरकार इस बात पर विचार करने एवं इस पर ध्यान देने से इन्कार करती है। यह खेदजनक स्थिति है। माननीय मन्त्री जी कृपया अपने प्रभाव का सदुपयोग कर यह सब क्यों हुआ है इसे जानने की कोशिश करें। क्योंकि वे उद्योग के प्रभारी मन्त्री हैं उनसे भी एक प्रकार की समानता लाने एवं कुछ ही हाथों में सम्पदा का जमाव एवं असमानता को कम करने की आशा की जाती है।

महोदय, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के दूसरे उद्देश्य अर्थात रोजगार के अवसर पैदा करने की बात पर आता हूं। यह एकदम आवश्यक है कि रोजगार के अवसर उत्पन्न किये जायें अन्यथा, यह निरर्थक होगा। आप किस प्रकार रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे? लगभग 1.45 लाख इकाइयां रुग्ण हो गई हैं। इनमें से लगभग 714 बड़ी इकाइयां हैं एवं 1250 के लगभग मध्यम स्तर की हैं। निश्चित ही, देश में 1.5 लाख इकाइयों के बन्द हो जाने से रोजगार के अवसर कम ही हुए हैं बढ़े नहीं हैं। आप किस प्रकार रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहे हैं? निश्चय ही ए० आई० सी० सी० ने इस आशय का संकल्प पारित किया है। लेकिन इसका परिणाम कहां निकलेगा जबकि हर रोज मिलें बन्द हो रही हैं। अप्रैल नवम्बर, 1987 में औसतन मासिक नियोजन 29,000 से कम होकर 28,000 हो गया है। संगठित इकाइयों में रोजगार के अवसरों में कुछ मामूली वृद्धि हुई है। यह बात इकोनामिक सर्वे रिपोर्ट में दी गई है जो कि बजट सत्र के दौरान वितरित की गई थी। समस्या की विशदता कुछ इस प्रकार की है। शताब्दी के अन्त तक लगभग 1100 लाख व्यक्ति श्रम क्षेत्र में आ जायेंगे तथा अधिकतर कृषि क्षेत्र में काम करना पसंद करेंगे जो कि नामुमकिन है? आपको उन्हें शहरों में काम देना होगा इसलिए औद्योगीकरण करना होगा और यदि आप औद्योगीकरण नहीं करते तो सब कुछ समाप्त हो जायेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपको उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है और इसके लिए आपको उद्योगों की संख्या में वृद्धि करनी है। कम से कम सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को तो इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। अन्य उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना है। और वह भी उनसे संबंधित मामला है। मैं जानता हूं कि जिस समय वे मुख्य मंत्री थे तो वे उस समय आंध्र प्रदेश के लिए इस बारे में बहुत ही चिन्तित थे। जो हमें मिलना है वह हमें मिलना ही चाहिए। यदि वह हमें नहीं मिलता तो हम संतुष्ट नहीं हो सकते और इसलिए, जहां तक क्षेत्रीय असंतुलन का सम्बन्ध है, आंध्र प्रदेश के बारे में क्या किया गया है? मैं इस विषय पर विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन यह उन पर निर्भर करता है कि इसकी जांच करें और यह मालूम करें कि आंध्र प्रदेश में असंतुलन को कम करने के बारे में उनका या उनके विभाग का क्या योगदान रहा है। जैसा कि मैंने हाल ही में बताया है आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व तक एक प्रणाली थी, एक नीति लागू की गई थी। कुछ चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में, कुछ इलाकों में, केन्द्रीय राजसहायता योजना के अधीन योजना आयोग जिलों तथा इलाकों का चयन करता था और फिर कतिपय बुनियादी सुविधाओं आदि के लिए किये जाने वाले कुल खर्च का लगभग 15 प्रतिशत सरकार वहन करती थी तथा यह व्यवस्था सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। अब आप इसे समाप्त क्यों कर रहे हैं। वह तो सिर्फ उसकी अवधि बढ़ा रहे हैं। यह योजना जल्दी ही बन्द होने जा रही है।

श्री जे० वेंगल राव : यह तो पहले ही समाप्त हो चुकी है।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : यह बन्द की जा चुकी है और ऐसा करने का कारण, मापदण्ड, उद्देश्य, मूल आधार एवं औचित्य क्या है ? यदि आप पिछड़े क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर करिये। आप पिछड़े क्षेत्र के लिए कुछ नहीं करना चाहते, आप देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते, आप देश को नहीं बचाना चाहते। और इनके लिये आप विकास केन्द्र बनाना चाहते हैं। विकास केन्द्र की अवधारणा पूर्णत: भिन्न है। यदि आप विकास केन्द्र चाहते हैं तो आपको एक स्थान विशेष का औद्योगीकरण करना होगा यदि आपको पिछड़े क्षेत्र का विकास करना है तो आप इसका विकास करेंगे। पिछड़े क्षेत्र का विकास करना उद्योग स्थापित करने से पूर्णत: भिन्न है। तथा इन दोनों को किस प्रकार से सम्बद्ध किया जाये ? मूल रूप में तो ये एक-दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं और इन्हें एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं है। में आपको विनम्रतापूर्वक बताऊंगा कि दक्षिण भारत में एक भावना है। विकास केन्द्रों के बारे में, मैं जहां तक समझता हूं, राज्य सरकारों के साथ परामर्श नहीं किया गया है। उनकी राय जानने के लिए क्या आपने उनसे सलाह ली है ? तथा दक्षिण भारत के लिए कौन से विकास केन्द्रों का चयन किया गया है ? आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से विकास केन्द्र हैं ? आपने किसी से भी सलाह नहीं ली है।

श्री जे० वेंगल राव : अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति : इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन बात यह है इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ किये जाने की जरूरत है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, यह बहुत ही मुश्किल है तथा और कुछ भी नहीं होने वाला है।

महोदय, मुझे कुछ मिनट का समय और लेने दीजिये चूंकि इस पर चर्चा मैं ही आरम्भ कर रहा हूं।

एक बात महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र के बारे में मैंने एक प्रश्न काफी समय पहले मन्त्री जी से किया था और उन्होंने उत्तर दिया था। मैंने पूछा था : "क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे (क) 1970 से कितनी सरकारी कम्पनियां, गैर-सरकारी कम्पनियां बनी है ?" मेरा कहने का मतलब है उनमें से कितनी है ? मेरा प्रश्न यह था। प्रश्न स्पष्ट है। उत्तर दिया गया था :

> "जब कभी भी केन्द्र सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप में अथवा एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से या फिर सरकारी कम्पनी की अनुषंगी कम्पनी आदि द्वारा धारित प्रदत्त पूंजी किसी भी कम्पनी में 51 प्रतिशत से कम रह जाती है तो वह कम्पनी गैर-सरकारी कम्पनी में बदल जाती है।"

क्योंकि यह 51 प्रतिशत से कम है यह स्वत: ही गैर सरकारी कम्पनी बन जाती है। यह तो ठीक है। परन्तु गैर-सरकारी कम्पनियों के बारे में मैं यह नहीं कह रहा हूं। आजकल गैर-सरकारी कम्पनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं 50 प्रतिशत से ज्यादा पूंजी निवेश कर रही हैं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं ? लोग जानते हैं कि वे मात्र निजी देशी घराने हैं। उदाहरण के लिये एस्कार्ट्स में 54.04 प्रतिशत सरकारी वित्तीय संस्थाओं आदि का पूंजी निवेश है आंध्र वैली पेपर मिल, बंगुर में 59.87 प्रतिशत, किर्लोस्कर न्यूमेटिक में 60.42 प्रतिशत, आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कम्पनी (टाटा) में 51.18 प्रतिशत, हिन्दुस्तान ब्राउन बोवरी में 63.93 प्रतिशत, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स में 74.12 प्रतिशत, नागार्जुन स्टील लिमिटेड में 68.36 प्रतिशत, बांसवाड़ा सिन्टेक्स लिमिटेड में 82.15 प्रतिशत तथा विक्रान्त टायर्स में 71.31 प्रतिशत सरकारी पूंजी निवेश है। आपने इनमें इतनी

पूंजी लगा रखी है। क्या आप चाहते हैं कि प्राइवेट व्यक्ति इन कम्पनियों को चलायें ? आप उन्हें पैसा देते हैं और प्रबन्धन भी उन्हें ही देते हैं और यह कैसे है कि आप उनमें इतनी अच्छी कम्पनी पाते हैं। आप इतनी अच्छी कम्पनी में हैं और उसी में रहना चाहते हैं। जब आपने इसे घटाकर 51 प्रतिशत कर दिया तो एक मामले में तुरन्त ही आपने इसे गैर-सरकारी कम्पनी में बदल दिया। लेकिन आपका पैसा अभी भी वहीं है, अभी भी उनके प्रबन्ध के अधीन है। यह मूल रूप में गलत है। इसमें मूल रूप से ही गलती है। मूल रूप से वे सभी कुछ ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए सरकार को गैर-सरकारी कम्पनियों को पैसा नहीं देना चाहिए। यह कोई अच्छी छवि नहीं है।

मैं एक और मुद्दा उठाऊंगा। बड़े व्यापारिक घराने लघु क्षेत्र के उद्योग लगा रहे हैं। बड़े व्यापारिक घराने लघु उद्योग स्थापित कर रहे हैं। मन्त्री जी लघु क्षेत्र में इसके संरक्षण, इसके उत्थान एवं विकास में काफी रुचि दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में काफी विश्वस्त हूं। वार्षिक प्रतिवेदन में एक पृथक पैरा भी दिया गया है। लेकिन तथ्य भिन्न हैं। बड़े व्यापारिक घरानों का लघु क्षेत्र में प्रवेश बिना किसी रुकावट या बाधा के जारी है यहां तक कि सरकार की उदघोषित नीति के बावजूद ये लोग नये लघु उद्योग स्थापित करते जा रहे हैं और इन्हें सम्बन्धित घरानों का हिस्सा भी घोषित करते जा रहे हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मफतलाल समूह के बच्चों ने मेगाबाइट कम्प्यूटर्स की शुरूआत की है और वे बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि यह मफतलाल समूह का हिस्सा है। यह स्थिति है।

सिलाई मशीन का उत्पादन लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित है। तो फिर क्यों राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इसको बनाने के लिये बहु-राष्ट्रीय निगम के साथ सहयोग कर रहा है ? क्या यह काम करने के लिये उनके पास पर्याप्त तंत्र नहीं है ? क्या देशी बाजार में सिलाई मशीन के निर्माण एवं बिक्री के लिये हमें बहु-राष्ट्रीय कम्पनी की आवश्यकता है ? आप देशी बाजार में सिलाई मशीन बेचने एवं बनाने के लिए लघु उद्योगों को प्रोत्साहित क्यों नहीं करते ? आप सिंगर को आई० बी० एम० एवं कोकाकोला की तरह वापस जाने को क्यों नहीं कहते ? सबसे खराब बात तो यह है कि सरकार अपनी इच्छा से इन कम्पनियों के प्रबन्धन एवं नियन्त्रण का कार्य बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के जिम्मे छोड़ देती है। लेकिन किसके लाभ के लिये यह किया गया था ?

इसी प्रकार, बाटा कम्पनी, कोलगेट, ब्रिटेनिया और कई दूसरी वस्तुओं का उदाहरण लीजिये। लघु उद्योग क्षेत्र में बड़े-बड़े घराने और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आती हैं और काम करती हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को दिये जाने वाले सभी लाभों और रियायतों का फायदा ये उठा लेते हैं। और इस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है। मैं इस स्थिति की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : सभापति महोदय, मैं इन अनुदानों की मांग का इस आशा के साथ समर्थन करती हूं कि माननीय मन्त्री मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो इसकी औद्योगिक क्षमता बहुत सीमित थी। औद्योगिक क्षेत्र सिर्फ छोटा ही नहीं था बल्कि इसका दायरा बहुत कम था, औसत औद्योगिक विकास सिर्फ 2 प्रतिशत प्रति वर्ष था। परन्तु अब हमारा औद्योगिक विकास बढ़कर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गया है। इसलिए, मन्त्रालय को इस सफलता के लिए मैं बधाई देती हूं। इससे अधिक प्रोत्साहन की बात हमारे आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में मिली उत्तरोत्तर सफलता है।

मैं इस मांग का समर्थन इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उस राज्य से हूं जिसको रुग्ण उद्योग के सम्बन्ध में सबसे अधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों के बारे में भी बोलने में मेरी रुचि है। परन्तु, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे राज्य में बहुत अधिक समस्यायें हैं और समय

[कुमारी ममता बनर्जी]

बहुत कम है । इसीलिए, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती ।

हमारे देश में संघीय ढांचा है और केन्द्रीय सरकार एक मां की तरह है तथा राज्य सरकार एक बच्चे की तरह है । इसलिए, मां का यह फर्ज बनता है कि वह उन बच्चों की देखभाल करे जो अपंग हैं, जो सही ढंग से चल नहीं सकते और जो अच्छी तरह पचा भी नहीं सकते । मैं नहीं जानती कि इन दस वर्षों में मेरी राज्य सरकार ने क्या किया । परन्तु, महोदय, यदि आप मेरे राज्य की औद्योगिक स्थिति देखें तो आप पायेंगे कि 80 प्रतिशत उद्योग बन्द पड़े हैं और 20 प्रतिशत उद्योग बन्द होने वाले हैं । यदि प्रत्येक चीज बन्द हो जायेगी तो हम जीयेंगे कैसे ? आजकल हम पूरी तरह बीमार हैं इसलिये हमें कुछ सही दवाई दी जाये ताकि हम स्वयं को बचा सकें ।

यदि आप देश की औद्योगिक स्थिति पर नजर डालें तो भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, दिसम्बर, 1983 में रुग्ण मिलों की संख्या 80, 110 थी । वार्षिक बकाया राशि 3,10!.29 रुपये थी । दिसम्बर, 1984 में रुग्ण इकाइयों की संख्या 93,282 थी । दिसम्बर, 1985 में यह संख्या 1 19,606 थी । और जून, 1986 में यह संख्या 1,30,606 थी ।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन के लिये आपने पहले ही एक बोर्ड का गठन किया है । हम आपके उपाय का स्वागत करते हैं । कुछ उद्योग बंगाल में आ रहे हैं । इनका नाम पंजीकृत कब किया जा रहा है मुख्यतया कलकत्ता में मशीनरी एण्ड मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन कुछ समय बाद बी० आई० एफ० आर० ने एक बैठक बुलाई और उन्होंने एक निर्णय लिया है कि वह इस उद्योग को बन्द कर देंगे । इस बी० आई० एफ० आर० की स्थापना रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान के लिये की गई है । यदि वे रुग्ण इकाई को बन्द करने जा रहे हैं तो इस बी० आई० एफ० आर० की क्या आवश्यकता है ? मशीनरी एण्ड मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन की अन्तिम सुनवाई की बैठक अगले महीने की 25 तारीख को हो रही है । मेरा अनुरोध है कि इस इकाई को बन्द करने वाले बी० आई० एफ० आर० के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये । श्रमिकों के हितों को देखा जाना चाहिए । बी० आई० एफ० आर० को प्रभावकारी ढंग से कार्य करना चाहिए । (व्यवधान)

बी० आई० एफ० आर० को प्रभावकारी होना चाहिए और इसके श्रमिकों के हितों के लिये कार्य करना चाहिए न कि प्रबन्धक वर्ग के हितों के लिये । 1985 में, जब मैं औद्योगिक परामर्श समिति की सदस्य थी तब श्री एन० डी० तिवारी वित्त मन्त्री थे और मैंने यह मामला कई बार उठाया था । मैंने मन्त्री जी से कुछ रुग्ण इकाइयों के पुनरुत्थान पर विचार करने के लिये, सिर्फ बंगाल के सांसदों की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था । तब उद्योग मन्त्री ने उस बैठक में मुझे आश्वासन दिया था कि कुछ रुग्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के संबंध में विचार करने के लिए वह सिर्फ बंगाल के सांसदों की बैठक बुलायेंगे । इसको दो वर्ष हो गये हैं, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला है । कोई भी लाभदायक परिणाम नहीं निकला है । इसीलिए, मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि बंगाल के लोगों के हितों के लिए, सिर्फ बंगाल के सांसदों की एक बैठक बुलाई जाये क्योंकि यह बहुत महत्व-पूर्ण है ।

डो. जहां तक मेरी जानकारी है, आपके उद्योग मन्त्री के कार्य काल में कोई भी निगरानी समिति नहीं बनाई गई है । श्रमिकों की शिकायतों को कौन सुनेगा ? इसीलिए, अनुरोध है कि उद्योग मन्त्रालय के अन्तर्गत एक निगरानी सैल होना चाहिए जो श्रमिकों की शिकायतों को सुनेगा और वे उद्योग की सहायता करने में उपयुक्त निर्णय ले सकते हैं ।

सीमा. 'कम्पनी ला बोर्ड' एक अधिसूचित संस्था है। परन्तु कभी-कभी यह 'कम्पनी ला बोर्ड' एक आदमी से दूसरे आदमी को शेयर हस्तांतरण कर देता है। समाचार-पत्रों में यह पहले से ही आ चुका है कि पीयरलैस जनरल इनवेस्टमेन्ट कारपोरेशन के पास 600 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन है परन्तु वह इस धन को एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में भेज देते हैं। मैं नहीं जानती कि क्या कम्पनी ला बोर्ड उनका धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता अथवा नहीं। परन्तु मैं यह अनुरोध करती हूं कि शेयर हस्तांतरण के मामले में कम्पनी ला बोर्ड को सख्त होना चाहिए।

चार. महोदय, प्रबन्धक वर्ग के दृष्टिकोण के बारे में आप जानते हैं। मैं सारे प्रबन्धक वर्गों के बारे में नहीं बता रहा हूं। परन्तु वास्तव में होता यह है कि कभी-कभी प्रबन्धक वर्ग यह कहता है कि यह कंपनी रुग्ण होने जा रही है और वे इकाइयों को बन्द करने जा रहे हैं। इसके बाद, श्रमिकों का क्या होता है? श्रमिकों के मरने की नौबत आ जाती है और वे भूखों मरने लगते हैं। उनको प्रबन्धकों से और अधिक प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। परन्तु, प्रबन्धक वर्ग क्या कर रहा है? कम्पनी एक विशेष उद्योग में पांच वर्ष से कार्य कर रही है। उसके पश्चात् वे धन का दुरुपयोग करते हैं और सामर्थ्य तथा कार्यकुशलता के अभाव की वजह से कम्पनी को बन्द कर दिया जाता है। इसके पश्चात्, वे दूसरी कम्पनी में चले जाते हैं। तब यह होता है कि इनको इनाम मिलता है और श्रमिकों को सजा मिलती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश कैसे बचेगा? मेरा कहने का अर्थ यह नहीं है कि हमारी औद्योगिक स्थिति खराब है। वास्तव में, किसी भी अन्य देश की तुलना में हमारी औद्योगिक स्थिति अच्छी है। मैं उसका स्वागत करती हूं। आधुनिकीकरण और नवीनीकरण इत्यादि के सम्बन्ध में, सरकारी उपायों का भी मैं स्वागत करती हूं। परन्तु, क्या आधुनिकीकरण के नाम पर श्रमिकों और कर्मचारियों की छंटनी की जानी चाहिए। यदि किसी फैक्टरी का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तो यह सिर्फ श्रमिकों के हित में होना चाहिए। सिर्फ फैक्टरी के आधुनिकीकरण के नाम पर कोई छंटनी नहीं होनी चाहिए। श्रमिकों का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी इकाई को सक्षम बनाने के लिए श्रमिकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए श्रमिकों की छंटनी नहीं की जानी चाहिए। निस्संदेह मैं आधुनिकीकरण का स्वागत करती हूं परन्तु इसका श्रमिकों के हितों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।

मैं एक समस्या और उठाना चाहती हूं। मैं कई बार श्री अरुणाचलम जी से मिली हूं। मैं श्री एन० डी० तिवारी जी से भी मिली हूं। मैं प्रधान मन्त्री को भी 100 पत्र लिख चुकी हूं। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि० नाम का एक उद्योग है। यह राज्य का एक अग्रणीय उद्योग है। वर्ष 1976 में इसको स्वर्ण का पदक मिला था। इसका कार्यनिष्पादन अच्छा था। परन्तु कुप्रबन्ध और अकार्यकुशलता तथा अकार्यकुशल श्रमिक संघ के आन्दोलन की वजह से, यह कम्पनी रुग्ण हो गई और 1980 से बंद है। हम अपने प्रधान मन्त्री के आभारी हैं क्योंकि उन्होंने पत्र में आश्वासन दिया था कि संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जायेगी और विभाग इस मामले की ध्यानपूर्वक जांच करेगा। दो और तीन दिन पहले मुझे यह पत्र मिला है। जब श्री एन०डी० तिवारी मन्त्री थे, तो परामर्श समिति में उन्होंने आश्वासन दिया था कि बी० एफ० आई० आर० ने इस कम्पनी को दर्ज करवाने के लिये वह विचार करेंगे। परन्तु दो वर्ष बीत गये हैं और अब यह स्थिति है कि कम्पनी दिवालिया होने की हालत में आ गई है।

श्री जे० वेंगल राव : उस कम्पनी का नाम क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : कम्पनी का नाम 'स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०' है। इसके पश्चात मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अब यह कम्पनी दिवालिया होने जा रही है। लगभग 2000 श्रमिक

[कुमारी ममता बनर्जी]

इस कम्पनी में लगे हुये हैं। आई० आर० बी० आई० ने पहले ही कह दिया है कि एक नम्बर इकाई सक्षम होनी चाहिए। यदि आप इस पर विचार करें तो मैं आपकी बहुत आभारी हूंगी। स्थिति बहुत गम्भीर है। भूख की वजह से 10 श्रमिक पहले ही मर चुके हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यह एक बहुत भावुक और उत्तेजक मामला है। मैं बार-बार अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में नहीं कहना चाहती। मैं एक सांसद हूं और मैं हमेशा अपने दिमाग में अपने राज्य और देश का हित रखती हूं। एक बार मैं जोरदार ढंग से इस बारे में आपसे अनुरोध कर रही हूं। जहां तक मेरा संबंध है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

जहां तक बंगाल पाटरीज का संबंध है, आज सुबह भी मैंने एक प्रश्न पूछा था। परन्तु माननीय मन्त्री ने उत्तर नहीं दिया। मैं नहीं जानती कि मुझे उनकी सहानुभूति क्यों नहीं मिली। बंगाल की जनता काफी दिनों से मांग कर रही है कि सरकार बंगाल पाटरीज को कार्य चालन पूंजी स्वीकृत करे जिससे कम्पनी अपना काम जारी रख सके। यदि आप इन इकाइयों को बन्द करते हैं तो उसे 60 करोड़ रुपये का घाटा होगा और यदि आप इसे चालू रखना चाहते हैं तो सरकार को केवल 15 करोड़ रुपये ही निवेश करने पड़ेंगे। इस प्रकार, सरकार को क्या स्वीकार्य होगा; 15 करोड़ रुपये का निवेश अथवा 60 करोड़ रुपये का घाटा। जो कुछ भी सकारात्मक उपाय करने हैं कृपया तुरन्त किये जायें ताकि श्रमिकों को बचाया जा सके।

जहां तक मेटल बाक्स कम्पनी का संबंध है, इसे भी पांच महीने पहले बन्द कर दिया गया था क्योंकि प्रबन्धकों ने कहा है कि श्रमिकों को प्रबन्धकों के आदेशों का पालन करना होगा और उनको मजदूरी में 25 प्रतिशत कटौती माननी पड़ेगी और सिर्फ तभी प्रबन्धक इस कम्पनी में काम चलने देंगे।

कम्पनी ऋण भी है। मेंटल बाक्स कंपनी ने पहले से ही बी०एफ०आई०आर० में अपना नाम पंजीकृत करवा दिया है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाये और बी०एफ०आई०आर० को निदेश दिये जायें कि इस कंपनी को कार्य संचालन पूंजी मिले; इस कंपनी में फिर से जीवन का संचार किया जाना चाहिए और इन इकाइयों को बन्द नहीं किया जाना चाहिए।

मैं यह इसलिए बता रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरे राज्य में 52 लाख शिक्षित बेरोजगार युवक पंजीकृत हैं। मुझे अशिक्षित युवकों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। मुझे असंगठित क्षेत्र में भी इनकी संख्या का पता नहीं है। बेरोजगारी हमारे देश की पुरानी समस्या है। इसीलिए मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अन्यथा जो अब कार्यरत हैं, वो भी बेरोजगार हो जायेंगे।

जहां तक नये उद्योगों का सम्बन्ध है, जब श्री बी०सी० राय पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए काफी कुछ किया था। उनके शासनकाल मे हमें दुर्गापुर, चितरंजन लोको-मोटिव तथा और भी अनेक योजनायें और परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं। किन्तु श्री ज्योतिबसु के शासन काल में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है···(व्यवधान) मैं यह नहीं कहना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार भेदभाव बरत रही है। मैं यह नहीं जानती कि हमारी राज्य सरकार कुशल है अथवा नहीं, इसका निर्णय जनता करेगी।

हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स के बारे में मैं आपका ध्यान इस सम्माननीय सभा में आपके वक्तव्य की ओर दिलाना चाहती हूं। आपने कहा था कि आपने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। किन्तु साथ ही वित्त मंत्री ने समाचार पत्रों में यह वक्तव्य दिया कि वित्त मंत्रालय से इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। कृपया स्थिति स्पष्ट कीजिये। हल्दिया पेट्रोकैमिकल्स की वास्तविक स्थिति

क्या है क्योंकि अपने राज्य के आर्थिक विकास के लिए तथा बेरोजगारी की समस्या सुलझाने के लिए हमें इस कम्पनी की अत्यधिक आवश्यकता है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि बंगाल में कुछ नये लघु उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, इलैक्ट्रोनिक उद्योग तथा और भी अन्य उद्योग लगाने के लिए आप कुछ विशेष ध्यान देने की कृपा करें। महिला उद्यमियों को कृपया अधिक महत्व दीजिये। अब हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं, अत: ऐसे समय में हमें बेरोजगार युवकों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और साथ ही महिलाओं को उद्यमी के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि महिलायें अधिक दक्ष, अधिक निष्ठावान और अधिक लगनशील होती हैं। मेरे विचार से वे देश तथा राज्य के लिये कुछ अधिक कार्य कर सकती हैं।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये ।

कु० ममता बनर्जी : मैं कुछ और नहीं कहना चाहती हूं क्योंकि सभापति महोदय ने कृपा करके मुझे इतना अधिक समय दिया ।

अन्त में मेरा आपसे अनुरोध है कि बंगाल के संसद सदस्यों की एक बैठक आमन्त्रित कीजिये तथा हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स, बंगाल पोटरीज, स्टील एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लि०, मशीनरी एण्ड मैन्युफैक्चर्स कारपोरेशन, एम० एम० सी० एण्ड मेटल बाक्स कम्पनी के विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अपने देश में उद्योग की स्थिति वास्तव में चिन्ताजनक है तथा उसकी तस्वीर धुंधली है ।

श्री जे० बेंगल राव : इस मामले में कांग्रेस संसद सदस्य और सी०पी०एम० के संसद सदस्य एक समान हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : हम लोगों की स्थिति एक सी है ।

बहुत सारे एककों के बन्द हो जाने और रुग्ण हो जाने के कारण ऐसा हुआ है । वर्ष 1980 में रुग्ण और बन्द एककों की संख्या 24550 थी। अब उनकी संख्या बढ़कर 1,47,44० हो गई है। और स्थिति यह है कि वर्ष 1980 में इन रुग्ण और बन्द एककों की तरफ 1,808.66 करोड़ रुपया बकाया था जो दिसम्बर, 1986 तक बढ़कर 4,874.40 करोड़ रुपए हो गये हैं। सरकार की गलत नीति के कारण ऐसा हुआ है। सरकार द्वारा उदार आयात नीति अपनाने के कारण ऐसी स्थिति हुई है। इस वर्ष जो आयात-निर्यात नीति घोषित की गई है उससे विदेश से विभिन्न वस्तुओं का आयात और आसान हो जाएगा और इस उदार आयात नीति के कारण उन वस्तुओं को भी आयात किये जाने की अनुमति दे दी गई है जो हमारे यहां के कारखानों में और एककों में निर्मित की जा रही हैं। इस उदार आयात नीति के कारण और सरकार द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाने के कारण आयात का द्वार खुल जाने के परिणामस्वरूप हमारे यहां के अधिकांश एकक, जो सक्षम थे, रुग्ण हो गये हैं तथा उनमें से अधिकांश बन्द हो गये हैं और अनेक श्रमिक जो वहां वर्षों से काम कर रहे थे करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ बेरोजगार हो गये हैं ।

सरकार की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक सरकार की नीति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उद्योग रुग्ण होने अथवा बन्द होने से नहीं बच सकते ।

अगला महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम न केवल विभिन्न वस्तुएं आयात कर रहे हैं अपितु हम प्रौद्योगिकी भी आयात कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी नीति के सम्बन्ध में यह बात औद्योगिक विकास विभाग

[श्री बसुदेव आचार्य]

की रिपोर्ट में कही गई है :

"यह एक संतोषप्रद तथ्य है कि पिछले वर्षों के दौरान प्रौद्योगिकीय कुशलता और क्षमताओं के साथ-साथ देश में एक विविधतापूर्ण और अत्याधुनिक औद्योगिक आधार तैयार हो चुका है। अब औद्योगिक क्षेत्र की वर्तमान आवश्यकताएं औद्योगीकरण की प्राथमिक अवस्था से बहुत भिन्न हैं और अब तकनोलोजी के आयात के सम्बन्ध में सरकार की बुनियादी नीति विदेशी संसाधनों की अनावश्यक निर्भरता को कम करना और विद्यमान देशी साधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।"

ऐसा नहीं किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी आयात की जा रही है। अपनी स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा रही है। केवल पेच-कसने वाली प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। अपने देश में आयात किये गये विभिन्न पुर्जों को जोड़ने और अपनाने का काम किया जा रहा है। यह आत्म-निर्भरता नहीं है। यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं है। हम विदेशी प्रौद्योगिकी पर अधिक से अधिक निर्भर होते जा रहे हैं और विदेशी प्रौद्योगिकी के इस आयात को और उदार बना दिया गया है।

अब प्रश्न आता है विदेशी निवेश का। प्रधान मंत्री ने हाल ही में कहा है कि पूर्णतः निर्यातोन्मुख एककों के लिए हाल के वर्षों में विदेशी निवेश बढ़ाया जाएगा। यहां तक कि शत-प्रतिशत विदेशी इक्यूटी के बारे में भी विचार किया जा सकता है। यह बहुत ही गंभीर बात है कि निर्यातोन्मुख एककों में अब शत प्रतिशत इक्यूटी की अनुमति दी जा रही है

श्री जे० बेंगल राव : यह शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिये है।

श्री बसुदेव आचार्य : "···विदेशी इक्यूटी के निर्यातोन्मुख एककों के बारे में विचार किया जा सकता है···" मेरा तात्पर्य केवल विदेशी इक्यूटी से है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : अब चीन में भी इसकी अनुमति दी जा रही है।

श्री बसुदेव आचार्य : चीन के साथ तुलना मत कीजिये।

उद्योगों के प्रसार के बारे में भी यहां चर्चा की गई थी। श्री भट्टम श्रीराममूर्ति ने पिछड़े क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिये प्रोत्साहन और राजसहायता देने की बात की थी। उद्योगों के प्रसार के बारे में एक समिति बनाई गई थी और उद्योगों के प्रसार के बारे में, विशेषकर पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े जिलों में प्रसार के बारे में विविध सुझाव दिये गये थे। मुझे नहीं पता कि इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है। यह एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। उद्योगों के प्रसार के बारे में इस समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। यह प्रोत्साहन योजना अथवा राज सहायता योजना वर्ष 1983 में आरम्भ की गई थी। यह योजना पांच वर्ष के लिये थी और इसकी अवधि मेरे विचार से दिसम्बर, 1987 में समाप्त हो गई है···

श्री जे० बेंगल राव : 31 मार्च, 1988 को।

श्री बसुदेव आचार्य : ठीक है, 31 मार्च, 1988 को। किन्तु इसकी अवधि बढ़ाई नहीं गई है—मानो यह औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाके अब औद्योगिक रूप से अग्रणी हो गये हैं और इसीलिये अवधि नहीं बढ़ाई गई है। किन्तु वास्तविकता यह है कि···

श्री जे० बेंगल राव : 31 मार्च, 1988 को ही तो इसकी अवधि समाप्त हुई है। हम वैकल्पिक

योजना के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आप विकास केन्द्र की बात सोच रहे हैं किन्तु यह सही योजना नहीं होगी और इससे औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों को लाभ नहीं होगा। मेरा प्रस्ताव यह है कि इस प्रोत्साहन योजना को जिसकी अवधि पांच वर्ष की थी, उन सभी पिछड़े जिलों में, चाहे वह जिला 'क' श्रेणी या 'ख' श्रेणी अथवा 'ग' श्रेणी का हो, तब तक चालू रखा जाये, जब तक औद्योगिक रूप से वे विकसित नहीं हो जाते हैं।

श्री जे० बेंगल राव : इस योजना के अन्तर्गत भी 75 प्रतिशत लाभ धनी लोगों को मिला था और केवल 25 प्रतिशत लाभ निर्धन लोगों को मिला था। इन योजनाओं से 75 प्रतिशत लाभ या फायदा बड़े घरानों के लोगों को मिला था।

श्री वसुदेव आचार्य : इसीलिए आपको पुनरीक्षा करनी पड़ रही है।

श्री जे० बेंगल राव : हम किसी वैकल्पिक योजना के बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : आप योजना की अवधि बढ़ायें या उसकी पुनरीक्षा करें ताकि छोटे उद्यमियों को, न कि मुरली देवरा जैसे लोगों को, इस योजना का लाभ मिले।

इसके अतिरिक्त उद्योग विहीन जिले की परिभाषा भी बदली जानी चाहिए। जहां कहीं केवल एक ही छोटा उद्योग है, उसे 'ख' श्रेणी या पिछड़ा जिला कह दिया जाता है। उद्योग विहीन जिले की इस परिभाषा को बदला जाना चाहिये। हमें उद्योग विहीन प्रखण्ड के बारे में भी सोचना चाहिये। हमें जिला स्तर से नीचे प्रखण्ड स्तर की बात, अर्थात् उद्योग विहीन प्रखण्ड की बात भी सोचनी चाहिए जिससे कि प्रखण्ड का औद्योगीकरण किया जा सके।

अब मैं अधिगृहीत किये गये एककों अथवा राष्ट्रीयकृत एककों की बारे में कहना चाहूंगा। राष्ट्रीयकरण ही समस्या का समाधान नहीं है। जब तक कार्य पूंजी नहीं लगाई जाती, जब तक उन एककों को सक्षम नहीं बनाया जाता, जब तक प्रबन्ध सुदृढ़ नहीं किया जाता, तब तक क्या वे राष्ट्रीयकृत एकक सक्षम कैसे बन सकते हैं ?

3.00 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

महोदय, जहां तक साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मामले का सम्बन्ध है, आज मेरे पूरक प्रश्न का उत्तर देते समय मंत्री जी ने कहा था कि साइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल तथा बम्बई, घाटे में चल रहे हैं। वे घाटे में क्यों चल रहे हैं ? क्या ऐसा श्रमिकों के कारण है ? साइकिल कॉरपोरेशन आफ इंडिया के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों के बीच कोई समझौता हुआ था। श्रमिक प्रतिदिन 150 साइकिलों का उत्पादन करने के लिए सहमत हो गये थे। यह समझौता हुआ था परन्तु जब समझौते को अन्तिम रूप दिया गया था तो उस समय, जो कच्चा माल तथा कार्यगत पूंजी दी जानी थी वह नहीं दी गई। अब आप श्रमिकों पर आरोप लगा रहे हैं कि चार श्रमिक एक दिन में एक साइकिल बना रहे हैं। यदि आप कच्चा माल तथा पूंजी नहीं देंगे तो श्रमिक साइकिल कैसे बना सकते हैं। इस वर्ष आपने केवल 4 करोड़ रुपये दिये हैं। पिछले वर्ष 3.5 करोड़ रुपये दिये थे। जब तक आप आवश्यक चल पूंजी नहीं देते और जब तक इन इकाइयों को सक्षम बनाने का प्रस्ताव नहीं हो तो ये सक्षम कैसे बन सकती हैं।

फिर वर्न स्टैंडर्ड का प्रश्न आता है। इस इकाई ने लाभ कमाया है। इस इकाई ने प्राकृतिक

[श्री बसुदेव आचार्य]

तेल एवं गैस आयोग से समुद्र में प्लेटफार्म बनाने के आदेश प्राप्त किये तथा एक वर्ष में 7 करोड़ रुपये कमाये हैं। इस इकाई को 100 करोड़ रुपये के आदेश मिले थे। यह इकाई दो वर्ष पूर्व बनाये गये भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की एक सहायक इकाई है। मैं नहीं जानता कि इस नियंत्रक कंपनी को बनाने का क्या उद्देश्य था। क्या उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं ? इसका उद्देश्य विभिन्न सहायक इकाइयों में सामंजस्य स्थापित करना था।

अब 'भारत प्रासेस एण्ड मैकनीकल इंजीनियर्स लिमिटेड' को लीजिये। हाल ही में मंत्री जी ने दूसरे सदन के एक सदस्य, श्री गुरुदास दासगुप्त को एक पत्र लिखा है। मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड विकास अवस्था में है। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की सहायक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्यवाही योजनाएं बनाने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की इकाइयां अपने कर्मचारियों को भुगतान कर रही हैं। भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड ने अपनी विभिन्न सहायक कम्पनियों की कार्य योजनाओं के समन्वय तथा उन पर निगरानी रखने के लिए एक उपयुक्त आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है।"

अब इस 'भारत प्रासेस एण्ड मैकनीकल इंजीनियर्स लिमिटेड' को बन्द करने का प्रस्ताव है। उन्होंने सदस्यों को पत्र लिखे हैं यह विकास की अवस्था में है। वे इन इकाइयों को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि अध्यक्ष प्रबन्ध निदेशक, श्री एस० आर० चौधरी, इसे बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं जो भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड की एक सहायक इकाई है।

जहां तक 'इंजीनियर्स प्रॉजेक्ट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड' का सम्बन्ध है तो कल उन्होंने कहा था कि इस कंपनी को बन्द करने का फैसला कर लिया गया है परन्तु यदि इसे बन्द कर दिया जाता है तो छंटनी का मुआवजा देना होगा तथा यह राशि लगभग 92 करोड़ रुपये होगी। यदि आप 92 करोड़ रुपये से कहीं कम धनराशि दें तो इस कंपनी को सक्षम बनाया जा सकता है। कारखाने निजी ठेकेदारों को आगे किराये पर दिये जा रहे हैं। प्रबन्ध को सुदृढ़ नहीं बनाया गया है। जब तक एक अच्छा और कुशल प्रशासन नहीं होगा तब तक आप राष्ट्रीयकृत इकाइयों के सक्षम बनने की आशा कैसे कर सकते हैं ? जब तक आप पैसा तथा व्यक्तिगत पूंजी नहीं देते तब तक आप इन इकाइयो के सक्षम बनने की आशा कैसे कर सकते हैं ?

महोदय, ए०बी०एल० पश्चिम बंगाल और कर्नाटक की एक बहुत महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित इकाई है। परन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि भारत सरकार ने निर्णय लेने में 18 महीने का समय लिया। देखिए सरकार कैसे कार्य कर रही है। शीला जी, यह सबसे निकम्मी सरकार है। यह साधारण सा निर्णय लेने में भारत सरकार ने 18 महीने का समय लिया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उनके पास समय नहीं है। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : श्री सोमनाथ चटर्जी एक मशहूर अधिवक्ता हैं। बम्बई उच्च न्यायालय में यह एक परिसमाप्ति का मामला है। अब हमने एक अनुकूल निर्णय लिया है। मन्त्रालय को बधाई देने के बजाय आप इसकी आलोचना कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपको विलम्ब से की गई कार्यवाही के लिए बधाई दे रहे हैं। कुछ करने लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री जे० बेंगल राव : आप एक वकील हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : विद्युत उत्पादन का हमारा लक्ष्य 22,000 मेगावाट का है। हमें बायलरों की जरूरत है क्योंकि हमें नई ताप और जल विद्युत परियोजनायें बनानी होंगी। कुछ परियोजनायें तैयार की जा रही हैं। परन्तु इन ताप विद्युत परियोजनाओं में अब देरी की जा रही है। हम 22,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कैसे करेंगे ? श्री एडुआर्डो फैलीरो ने हमें बताया था कि जब तक मूलभूत ढांचा नहीं होगा तब तक हम औद्योगीकरण के लिए पैसा कैसे दे सकते हैं ? जब हमने क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न उठाया, जब हमने ऋण और जमा अनुपात का प्रश्न उठाया, जब हमने सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण का प्रश्न उठाया तब हमें बताया गया था कि जब तक मूलभूत ढांचा नहीं होगा तब तक औद्योगीकरण के लिए हम पैसा नहीं दे सकते। जब तक विद्युत, रेल तथा ऐसी ही अन्य आधारभूत सुविधायें नहीं होंगी, तब तक औद्योगीकरण नहीं हो सकता। अत:, महोदय, केन्द्र सरकार की अकर्मण्यता, जिसने हमारे देश को बायलर बनाने वाली इकाईयों को पुन: चालू करने के लिए निर्णय लेने में 18 महीने का समय लिया, के कारण सभी विद्युत परियोजनाओं में देरी हुई है।

फिर आप जानते हैं कि पिछले वर्ष एच० ई० सी० के श्रमिकों ने हड़ताल कर दी थी। फिर यह समझौता हुआ था कि जब श्रमिकों का मजदूरी समझौते को अन्तिम रूप दिया जायेगा तो उन्हें अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर पारिश्रमिक दिया जायेगा। अन्तरिम राहत की घोषणा की गई थी। इस समझौते के बावजूद भी एच० ई० सी० के श्रमिकों को अन्तरिम राहत नहीं दी गई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके विरुद्ध वर्न कम्पनी, एम० ए० एम० सी० इत्यादि के मामले में मुझे न्यायालय के आदेश लेने पड़े थे।

श्री बसुदेव आचार्य : अब मैं एच० ई० सी० में ठेके के मजदूरों की समस्या पर आता हूं। वे 10—15 वर्षों से स्थाई नौकरी पर ऐसा कार्य कर रहे हैं। जिसका स्वरूप स्थाई नौकरी में नहीं लिया जा रहा है।

बंगाल पॉट्रीज का अधिग्रहण 11 वर्ष पूर्व किया गया था। राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव था। कई बैठकें हुई थी, कई बार हम श्री एन० डी० तिवारी, श्री वेंगलराव तथा अन्य उद्योग मन्त्रियों से मिले। जब श्री वीरेन्द्र पाटिल उद्योग मन्त्री थे तब हम श्रमिक संघ के नेताओं तथा विधायकों से भी मिले थे।

श्री जे० वेंगल राव : कब मिले थे ?

श्री बसुदेव आचार्य : कल हम उनसे मिले थे। इस सम्बन्ध में मैं आपसे 20 बार मिला हूं। अत: बंगाल पॉट्रीज का अधिग्रहण किया गया था। यह बहुत अच्छी इकाई है जिसका 11 वर्ष पूर्व अधिग्रहण किया गया था। इसके राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव था। टाटा कंसल्टेंसी को इस कार्य में लगाया गया था। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और उनकी रिपोर्ट यह है कि यदि सरकार 12 करोड़ रुपये का निवेश करती है तो यह इकाई सक्षम बन सकती है और यहां तक कि श्रमिक भी छंटनी के लिए तैयार हो गये थे। श्रमिक छंटनी के लिए तैयार नहीं होते परन्तु बंगाल पाट्रीज के मामले में आई० एन० टी० यू० सी० से लेकर सी० आई० टी० यू० तक सभी श्रमिक संघ श्रमिकों की छंटनी के लिए तैयार हो गये थे। इसके बावजूद भी राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव—राष्ट्रीयकरण की तो बात ही छोड़िये, परन्तु मंत्रिमण्डल ने इस इकाई को निराधि सूचित कर दिया। श्री वेंगलराव समिति को मनवाने में असफल रहे। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह फिर कोशिश करेंगे और श्री सोमनाथ चटर्जी इसके लिये कलकत्ता उच्च-न्यायालय में लड़ रहे हैं।

श्री जे० वेंगल राव : मैं उनकी सलाह भी लूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : इन इकाईयों को सक्षम बनाने के लिए इन इकाईयों में परिवर्तन लाने के

[श्री वसुदेव आचार्य]

लिये कई वर्षों से एक भी पैसा खर्च नहीं किया, केवल श्रमिकों को वेतन दिया गया था।

फिर हल्दिया पैट्रो-केमीकल्स आता है। उन्होंने बताया था कि आशय-पत्र जारी किया गया था और कुछ नहीं किया गया।

श्री जे० बेंगल राव : अब नहीं, 11 वर्ष पूर्व।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह बहुगुणा ने किया था।

श्री वसुदेव आचार्य : परन्तु वित्त मन्त्रालय ने सक्षमता रिपोर्ट की स्वीकृति नहीं दी है और जब तक सक्षमता रिपोर्ट नहीं दी जाती। तब तक पश्चिम बंगाल सरकार या कम्पनी औद्योगिक लाईसेंस के लिए आवेदन कैसे कर सकती है? आई० पी० सी० एल० के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री गांगुली की रिपोर्ट यह है कि हल्दिया पैट्रोकेमिकल इकाई को सक्षम बनाया जायेगा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 'परियोजना मैसर्स हल्दिया पैट्रो केमीकल्स लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से प्रतिवर्ष एक लाख टन' इथीलीन तथा अन्य उत्पाद बनाने के लिये संयुक्त क्षेत्र में शुरू की जायेगी। इस काम्पलैक्स में अनुमानित लागत 1400 करोड़ रुपये है। औद्योगिक लाईसेंस जारी करने तथा इसकी सक्षमता के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया है। अतः मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उन्हें व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल के संसद सदस्य ही नहीं परन्तु बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर राज्यों के संसद सदस्यों ने भी संयुक्त रूप से प्रधान मंत्री से तत्काल हल्दिया पैट्रोकेमिकल्स को स्वीकृति देने के लिये कहा है। औद्योगिक लाईसेंस तथा आशय पत्र जारी करने में देर की जा रही है। अतः सुझाव यह है कि एक ही जगह (वन विंडो पालिसी) से सारे कार्य होने चाहिये।

श्री जे० बेंगल राव : मैं आपको आश्वासन देता हूं, पहले वह इस तरह की टिप्पणी कर सकते थे। अब, जहां तक सम्भव हुआ, 45 दिन के भीतर हम आशय पत्र के आवेदन निबटा रहे हैं, चाहे इसे स्वीकृति दें अथवा अस्वीकृत करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अस्वीकृत करने की बात कैसे सोच सकते हैं?

श्री जे० बेंगल राव : जब कोई पर्याप्त सूचना न हो, जब लाईसेंस देने की जरूरत न हो तो हम इसे अस्वीकृत कर देते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा मत कहिए। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : अब पैट्रो-रसायन विभाग पर आते हुए, एक नई औषध नीति की घोषणा की गई थी। इस पर यहां कभी चर्चा नहीं की गई और इस नई औषध नीति के कारण आवश्यक औषधियों की कीमतें 20% से 40% बढ़ गई हैं। अब बहुराष्ट्रीय औषध बनाने वाली कम्पनियां औषध बनाने में स्वतन्त्र होंगी। औषध मूल्य समकरण निधि को समाप्त कर दिया गया है। यह सब बहुराष्ट्रीय औषध निर्माण कम्पनियों के हितों के लिये किया गया है। अतः इस औषध नीति की समीक्षा की जानी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने के बारे में है। उन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया है। हाल ही में भोपाल जिला न्यायालय के जिला न्यायाधीश ने एक फैसला दिया था, यानि भोपाल त्रासदी से पीड़ित लोगों को 250 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि मुआवजा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; उस भयावह

बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कार्बाइड से पैसा लेने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है। महोदय जिम्मेदारी भी ठहराई गई है। यह कहा गया है कि वे जिम्मेदार हैं और उन्हें मुआवजा देना होगा। अतः यह बेहतर है इस मामले को तत्काल उठाया जाये।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को बेचने पर यहां चर्चा की गई थी। सरकार ने इस स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को बेचने का फैसला कर लिया है परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र अधिकारी संघ ने भूतपूर्व उद्योग सचिव तथा अन्य विशेषज्ञों की एक समिति बना दी है। हमने भी संयुक्त रूप से

श्री जे० बेंगल राव : यदि वे आगे आते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : वे संयत्र देखकर स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं परन्तु आपको उन्हें वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी। इस सहायता की जरूरत है। आप उस सहायता को बढ़ा रहे हैं।

महोदय, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के बारे में बहुत कहा जा चुका है। उद्योग मन्त्री ही नहीं बल्कि प्रधान मन्त्री ने भी कहा है कि सरकारी क्षेत्र के बारे में श्वेत पत्र लाया जायेगा। एक साल पहले जब मैंने यह मुद्दा उठाया तो इस सभा में प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया था कि सरकारी क्षेत्र के बारे में यह श्वेत पत्र प्रकाशित किया जायेगा और सभा के समक्ष रखा जायेगा और सदस्यों को श्वेत पत्र पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में यह श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाये और सभा पटल पर रखा जाये जिससे कि हम इसी सत्र में इस पर चर्चा कर सकें।

हमें लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को बचाना पड़ेगा क्योंकि इनमें से अधिकांश उद्योग रुग्ण हैं या बन्द पड़े हैं। सरकार की उदार आयात नीति के कारण ये उद्योग रुग्ण हुए हैं। जब तक इस नीति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा इन उद्योगों को बन्द होने या रुग्ण होने से नहीं बचाया जा सकता।

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : महोदय, मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याएं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री जे० बेंगल राव : अतः आप सम्पूर्ण देश के बारे में नहीं केवल केरल के बारे में बातें कर रहे हैं।

श्री टी० बशीर : मैं माननीय मन्त्री और इस सभा का ध्यान केवल सामान्य मामलों की ओर ही आकर्षित करता हूं।

मेरे साथियों ने बहुत सी बातें कही हैं मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इसलिए मैं अपनी बातों को उन समस्याओं तक ही सीमित रखूंगा जो कि मेरे राज्य के सामने हैं।

विगत वर्ष आप केरल गये थे। आपको मेरे छोटे और सुन्दर राज्य की समस्याओं का पता है। मेरे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बड़ी विकट है। केरल औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। मैं इस अवसर पर सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल राज्य के लिए अधिक योजनायें या परियोजनायें बनाई जाएं और केरल के औद्योगिक क्षेत्र में अधिक केन्द्रीय निवेश किया जाए।

मुझे कहते हुए दुख है कि विगत दो वर्षों से केरल के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश कम हो रहा है इसके बारे में मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। ये राज्य योजना बोर्डों के अध्ययन पर आधारित हैं।

1973-74 में केरल के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश 3.28 प्रतिशत था। 1980-81 में

[श्री टी० बशीर]

यह घटकर 2.27 प्रतिशत हो गया। 1983-84 में यह फिर घटकर 1.84 प्रतिशत हुआ। और 1984-85 में यह 1.76 प्रतिशत था। इसलिए आप इन आंकड़ों से यह भली-भांति पता लगा सकते हैं कि केरल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश घट रहा है।

1984 में सभी राज्यों के औद्योगिक क्षेत्र में कुल केन्द्रीय निवेश 38,848 करोड़ रुपये का हुआ। 1984 में यह धनराशि बढ़कर 47,323 करोड़ रुपये हो गयी। यह वृद्धि 21.82 प्रतिशत की थी।

मेरा प्रश्न है कि इस वृद्धि से या केन्द्रीय निवेश में कुल वृद्धि का केरल को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरी ओर अन्य बहुत से राज्य लाभान्वित हुए है। मुझे खुशी है कि अन्य राज्यों को लाभ मिला है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि अन्य राज्यों को अधिक मिला है। मेरा प्रश्न है कि केरल को पर्याप्त हिस्सा नहीं मिल रहा है।

महोदय, इस वर्ष तक केरल में कुल निवेश केवल 831 करोड़ रुपये का हुआ है। यह उससे बहुत कम है जो कि अन्य राज्यों में हुआ है। अन्य राज्यों को अधिक मिलने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु हमें अधिक मिलना चाहिए और केरल के औद्योगिक क्षेत्र में विशेषत: केरल की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय निवेश अधिक होना चाहिए।

आप समस्याओं को अच्छी तरह जानते हैं। केरल में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या तीस लाख है जो कि देश में सबसे अधिक है। केरल में कोई रेल उद्योग नहीं है। राज्य सरकार का प्रस्ताव था कि वहां केन्द्रीय सरकार को इस उद्योग की स्थापना करनी चाहिए।

श्री जे० बेंगलराव : कोच फैक्ट्री मेरा विषय नहीं है।

श्री टी० बशीर : मैं राज्य के औद्योगिकीकरण के बारे में कह रहा हूं। दरअसल केरल में कोई रक्षा उद्योग भी नहीं है। मैं राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन के बारे में कह रहा हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध सरकार ने निश्चय कर लिया है। इसलिए आप व्यर्थ ही चिल्ला रहे हैं।

श्री टी० बशीर : दूसरा पहलू है। इस वर्ष तीन लाख से अधिक केरल के निवासी खाड़ी देशों में गये हैं। वे खाड़ी देशों में अपने कठिन परिश्रम से इस देश के लिए बहुत अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं। मेरा अनुमान है कि दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली कुल भारतीय बचत का लगभग 35 प्रतिशत ये श्रमिक हमारे देश को भेजते हैं।

अब खाड़ी के देशों में भी रोजगार मिलना बन्द हो गया है। यह बात मैंने अपने बजट भाषण के दौरान बताई थी। परन्तु इसे विस्तार से बताना पड़ेगा। अब खाड़ी देशों में रोजगार मिलना बन्द हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में केरल के लोग, जो खाड़ी देशों में श्रमिकों के सबसे बड़े दल हैं, वापस आने शुरू हो गये हैं। यह वापसी शुरू हो गई है और इसका केरल जैसे छोटे राज्य की अर्थ व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा।

केरल में बड़ी बेरोजगारी है। बड़े पैमाने पर खाड़ी देशों से वापसी के कारण हमारी बेरोजगारी की समस्या और जटिल हो जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे सरकार को हमारे राज्य का औद्योगिकीकरण के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आपने हमारे नारियल, हथकरघा और काजू जैसे परम्परागत उद्योग को देखा है। केरल में परम्परागत उद्योगों का ह्रास हो रहा है। लाखों लोग इन परम्परागत उद्योगों से

अपनी रोजी कमा रहे हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इन परम्परागत उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए ।

1986 में केरल की सरकार ने एक प्रस्ताव रखा जिसका शीर्षक नारियल उद्योग के पुनरुद्धार के लिए केरल के लिए सुधार/आधुनिकीकरण कोष था । हम प्रधान मन्त्री के बड़े अभारी हैं कि 1987 में वहां अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने उस उद्योग के सुधार के लिए अनेक कार्यक्रमों की घोषणा की थी । केरल के लिये हथकरघा उद्योग और नारियल उद्योग बड़े महत्वपूर्ण हैं । मैं अब इन बातों की विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा ।

मैं इन उद्योगों को पड़ौसी राज्यों को स्थान्तरित करने की समस्या के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । नारियल उद्योग और हथकरघा उद्योग को पड़ौसी राज्यों को स्थान्तरित किया जा रहा है क्योंकि वहां पर न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है । स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों के बाद भी हम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति बनाने में सफल नहीं हुए हैं । परन्तु कम से कम क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति बनाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए । केरल के औद्योगिक हित की रक्षा के लिए इसकी जरूरत है जो कि वहां नहीं है । इसलिए ये उद्योग पड़ौसी राज्यों को स्थान्तरित हो रहे हैं ।

मैं उन माननीय मन्त्री से पुनः अनुरोध करता हूं, जो केरल को अच्छी तरह जानते हैं तथा केरल की समस्याओं से भली-भांति परिचित हैं, क्योंकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में केरल की तरफ अधिक ध्यान देने के लिए वे व्यक्तिगत रूप से वहां गये हैं । मुझे उम्मीद है कि सरकार केरल राज्य की तरफ और अधिक ध्यान देगी ।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : श्री जगदीश अवस्थी ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें अनुपूरक कार्य सूची में बताया गया है कि बोफोर्स सौदे की रिपोर्ट आज सभा पटल पर रखी जायेगी । यह किस समय रखी जायेगी ? क्या हमें अनिश्चित काल तक इन्तजार करना पड़ेगा ?

सभापति महोदय : आज की सभा की कार्यवाही समाप्त होने से ठीक पहले । आज के लिए सभा स्थगित होने से पहले इसे रखा जायेगा ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : संसदीय कार्य मन्त्री हमें बतायें कि यह किस समय रखी जायेगी । यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है हम कुछ बातें पूछना चाहेंगे ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप क्यों चाहते हैं कि सदस्य बेचैनी से इस रिपोर्ट के लिए इन्तजार करते रहें ? क्या उद्देश्य है ?

प्रो० मधु दंडवते : सभापति महोदय, उसके अलावा रिपोर्ट को पेश करते समय प्रक्रिया संबंधी कुछ बातें पूछनी हैं और हममें से अधिकांश सदस्य सभा में उपस्थिति रहना चाहते हैं । इसलिए संसदीय कार्य मन्त्री हमें बतायें कि रिपोर्ट किस समय रखी जा रही है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : आज की सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व । आपको मालूम है कि आज लागू करने के लिए हमारे पास गिलोटिन है । तत्पश्चात हमारे पास प्रस्तुत करने के लिए···

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह गिलोटिन का भाग है ।

श्रीमती शीला दीक्षित : नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा।

श्रीमती शीला दीक्षित : नहीं, नहीं यह उसका अंग नहीं है। आप इसका समर्थन करना चाहते हैं। वह अलग मामला है परंतु यह उसका अंग नहीं है। इसे आज की सभा की कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व सभा के समक्ष रखा जायेगा और वह लगभग 6 बजे समाप्त होगी तथा ठीक 6 बजे म० प० होगी।

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : सभापति महोदय, सदन में मंत्री जी द्वारा जो उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगें पेश की गई है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे देश में खेती के धन्धे के अतिरिक्त इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ग्रामीण अंचलों में उद्योग धन्धे खोले जायें, ताकि गांवों में जो बेकारी फैली हुई है, उसका कुछ निराकरण हो सके। हम देख रहे हैं कि छोटे-मोटे जो ग्रामीण उद्योग हैं, उनमें जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी नहीं हो पा रही है। खास तौर से हमारे उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिसमें 57 जिले हैं। 57 जिलों में से 52 जिले बहुत ही पिछड़े हुए हैं और ग्यारह जिले ऐसे हैं, जिनको आपने उद्योग शून्य जिले घोषित किया है। जहां अभी भी उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। उद्योग शून्य जिलों में उद्योग स्थापित करने का आपका कार्यक्रम है, उनको सुविधाएं प्रदान की हैं, लेकिन उन सारी सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर प्रदेश में 11 जिले उद्योग शून्य घोषित किए हैं, उनमें एक कानपुर देहात उद्योग शून्य जिला है। इस उद्योग शून्य जिले में जो भी आपने सुविधाएं दी हैं, उनका ठीक-ठीक प्रयोग, उनका ठीक-ठीक लाभ छोटे उद्योगपतियों को नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा था कि उद्योग शून्य जिलों में, जिनको आपने उद्योग शून्य घोषित किया है, उनमें संचार की व्यवस्था या बिजली की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, ताकि उद्योगपति उद्योग चला सकें। तब उद्योग चल सकते हैं लेकिन अभी राज्य सरकारें उनको सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस द्रुत गति से उद्योग शून्य जिलों में उद्योग लगने चाहिए, वे नहीं लग पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में 11 उद्योग शून्य जिले हैं और देश में 95 उद्योग शून्य जिले घोषित किये गये हैं। उनका सर्वे कराया जाए और देखा जाए कि वहां पर क्या-क्या कमियां हैं, जिससे उद्योग पनप नहीं रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है।

इसके साथ ही साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गांव में बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, वहां पर स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता है। वहां के नौजवानों को काम न देने से वे लोग बेकार रहते हैं। यह कहा जाता है कि ये अकुशल लोग हैं और अकुशल लोगों को उद्यमपति काम नहीं देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो उद्योग शून्य जिले है, उनमें जो अकुशल लोग हैं, उनको काम दिलाया जाए और यह कानून बन जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को एक निश्चित प्रतिशत पर काम मिलेगा। उसका प्रतिशत निश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उद्योग शून्य जिलों में अधिक से अधिक उद्योग प्रशिक्षण संस्थान (आई०टी०आई०) खोली जाएं, ताकि वहां के नौजवानों को प्रशिक्षित किया जा सके और उनको काम दिया जा सके। मैंने गत वर्ष भी कहा था कि कानपुर देहात उद्योग शून्य जिला है। वहां पर काफी लोग बेकार हैं और वे बेकार घूमा करते हैं और उनको काम नहीं मिलता है। उन नौजवानों को काम मिलना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी ने मद्रास में कांग्रेस रोशन में बेकारी हटाओ का नारा दिया है। उस नारे के अन्तर्गत जो उद्योग शून्य जिले हैं, उनका आप सर्वे कराइए कि कितने लोग बेकार हैं और कैसे उनको काम दिया जा सकता है। इस बात की बहुत आवश्यकता है।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े महानगरों में औद्योगिक संस्थान खुले हैं और शहरों में ही उद्योगपति और उद्योग-धंधे खोलना चाहते हैं। अगर आप महानगरों की आबादी को कम करना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन यह है कि नये लाइसेंस जो आप दें, वह बड़े शहरों में न देकर ग्रामीण अंचलों के लिए दें ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके और गांवों से शहरों में आना लोगों का रुक सके।

जो उद्योग शून्य जिले हैं, वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र में वृहत उद्योग लगाए जाएं ताकि लोगों को काम मिल सके। यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न राज्यों में जो खादी तथा ग्रामीण उद्योग स्थापित हैं, उनके माध्यम से हर विकास खंड के स्तर पर छोटे-छोटे ग्रामीण धंधे खोले जाएं ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके। ये अपने कार्यक्रम को जिला स्तर से ब्लाक स्तर पर ले जाएं ताकि वहां के लोगों को काम मिल सके।

एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग धंधे लगे हैं, वे घाटे पर चल रहे हैं। प्रबंध की अकुशलता के कारण वे घाटे पर चल रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। वही उद्योग धंधे जो निजी क्षेत्र में चलते हैं, उसमें लाभ होता है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में नुकसान होता है। कानपुर महानगर में एन०टी०सी० की कई मिलें चल रही हैं और सब घाटे में चल रही हैं। निजी क्षेत्र में जो कारखाने चलते हैं, वे लाभ में चलते हैं जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ नहीं होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ क्यों नहीं हो रहा है, इसकी आप जांच कराइए। इसकी बहुत आवश्यकता है।

ग्रामीण अंचलों में जो नये उद्योग खोलने के लिए जमीन अर्जित की जाती है, उसमें किसानों को मुआवजा कम मिलता है और समय से नहीं मिलता है। कृषि उपजाऊ भूमि जो अधिग्रहण की जाती है, इससे किसानों में असंतोष फैलता है। मेरा कहना यह है कि कृषि योग्य भूमि न ली जाए। और जमीन ली जाए तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। देखा जाता है कि उद्योगों के नाम पर कृषि योग्य भूमि ले ली जाती है और उसका किसानों को समय पर उचित मुआवजा नहीं मिलता है। हम चाहेंगे कि केन्द्र सरकार इस बात को देखे कि जहां कहीं भी उद्योगों के नाम पर भूमि ली जाए वह बंजर, ऊसर भूमि ली जाए। कृषि योग्य भूमि न ली जाए और उसका समय पर और उचित मुआवजा किसान को दिया जाए।

एक बार मैं फिर जो मांगें आपने पेश की है, उसका स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय उद्योगों के प्रदर्शन से थोड़ा खुश हो सकते हैं क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है तथा औद्योगिक वृद्धि की दर 7.2 प्रतिशत रही है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक छोटी अवधि की वृद्धि है। औद्योगिक क्षेत्र की सम्पूर्ण स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसके प्रति हम आश्वस्त हो सकते हैं। निःसन्देह औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे थे; हड़ताल के कारण नष्ट हुए कार्य-दिवसों की क्षति में भी कमी थी तथा औद्योगिक क्षेत्र में आमतौर से कामगारों ने सहयोग दिया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मुख्य तबदीली वर्तमान सरकार ने औद्योगिक नीति में की है उससे लम्बे अन्तराल में देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ अब हो रहा है उसके लिए हमें आने वाले वर्षों में कष्ट झेलने होंगे।

पंडित जी तथा देश के अन्य नेता देश को समाजवादी दृष्टिकोण की ओर ले गए और अब इस

[श्री तम्पन थामस]

नीति को औद्योगिक क्षेत्र में पूंजीवादी निजीकरण में तबदील कर दिया गया है। महोदय, अभी भी यदि आप तथ्यों को देखें तो औद्योगिक स्वरूप की जो तस्वीर आपके सामने आती है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का काफी योगदान है। मैं सत्ताधारी पक्ष में अपने मित्रों से इस बारे में काफी आलोचना सुनता रहता हूं, वे हमेशा ही सार्वजनिक क्षेत्र के कामगारों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था की भर्त्सना करते रहते हैं। यहां तक कि प्रधान मंत्री महोदय ने भी मद्रास में यह घोषणा की है कि हमारे यहां समाजवाद नहीं चल सकता क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र काफी मात्रा में खर्चे कर रहा है तथा इसको मजबूत किया जाना है। (व्यवधान)

श्री तम्पन थामस : यह प्रैस में भी छपा है। (व्यवधान)

फिर उन्होंने इस कथन को बम्बई में ठीक किया क्योंकि यह संवैधानिक स्थिति के प्रतिकूल था। (व्यवधान)

अब इसके विपरीत बात हो रही है। इस बारे में उन्हें सिर्फ आज ही नहीं कहा गया।

लगभग दो महीने पहले जब वह मद्रास पधारे तब उन्होंने कहा कि : 'भारत में समाजवाद नहीं चल सकता' बिल्कुल यही शब्द उन्होंने उपयोग किए थे। यह सभी अखबारों में छपा था। अब वह कहते हैं कि 'बेकारी हटाओ'। बम्बई में उन्होंने कुछ और ही कहा था। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को ताक पर रखकर निजीकरण तथा विदेशों से प्रौद्योगिकी आयात करने की इस तबदीली से हमारा देश एक सौ वर्षों के लिए विदेशों के अधीन हो जाएगा। इस वर्तमान स्थिति से निकलने में हमें कम से कम एक सौ वर्ष लगेंगे। इसमें कोई सन्देह नहीं है क्योंकि आज जो कुछ हो रहा है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आंकड़ों में भी वास्तव में ऐसा ही है। सार्वजनिक क्षेत्र ने 2,000 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है तथा कुल उत्पादन 69,000 करोड़ रुपये के बराबर जा पहुंचा है। केवल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग में तेईस लाख लोगों को नियुक्त किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र ही मुख्य रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है जबकि निजी क्षेत्र मे तो रोजगार में गिरावट आई है। विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत आने तथा इस देश को अपने लिए एक प्रकार से चरागाह बना कर शोषण करने के लिए सरकार इन कम्पनियों को पूरी छूट दे रही है। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : शोभा बढ़ाने के लिए या शोषण करने के लिए।

श्री तम्पन थामस : शोषण का स्थल। यहां खुला बाजार है; लोग हैं; संसाधन हैं; इटली वालों समेत हरेक को आमंत्रित किया जाता है कि उर्वरक का कारखाना आरम्भ करने के लिए यहां आएं, जो कुछ भी वे चाहें वे कर सकते हैं वे देश के संसाधनों का शोषण कर सकते हैं तथा इन्हें अन्य देशों में ले जा सकते हैं। पहले अंग्रेजों तथा अन्य विदेशी ताकतें अपने यहां आने पर ऐसा करती थीं, वे इस देश पर राज्य करते हुए ऐसा करते थे। लेकिन अब सरकार ऐसे शोषण, विदेशों से आ रहे ऐसे लोगों का सम्मान करती है। हर जगह ऐसा हो रहा है। कोई भी व्यक्ति यहां आ सकता है, कुछ भी शुरू कर सकता है तथा इस देश के गरीब लोगों की कीमत पर चीजों को बाहर ले जा सकता है। यदि माननीय मंत्री महोदय स्थिति से संतुष्ट हैं तथा यह कहते है कि उन्होंने औद्योगिक उत्पादन में 7.2% की दर से वृद्धि प्राप्त कर ली है तो मैं आपको यह कहूंगा कि सारे संसाधन किन्हीं अन्य देशों में चले जाएंगे और तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तथा इसके लिए खेद प्रकट करेंगे।

मुझे अपने लघु उद्योग क्षेत्र पर गर्व है। लेकिन अब, देश में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के उपयोग के लिए क्या कोई समुचित योजना है? यद्यपि यह क्षेत्र उपेक्षित है फिर

भी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस देश के कुल निर्यात का 21 प्रतिशत भाग लघु उद्योगों के क्षेत्र से है तथा पिछले साल में लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत में लाभ में से 18 प्रतिशत लघु उद्योग क्षेत्र अर्जित करता है जबकि औद्योगिक उत्पादन की औसत वृद्धि दर केवल 72. प्रतिशत की है। लघु उद्योग क्षेत्र की जरूरतों का ध्यान रखने तथा इसके द्वारा उत्पादित सामान के बचाव के लिए सरकार क्या कर रही है ? लगभग 5000 प्रकार के सामान का उत्पादन करके निर्यात करते हुए यह क्षेत्र देश के लिए आमदनी अर्जित कर रहा है। इस देश में लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की रक्षा में आपने कौन से रक्षात्मक उपाय किए हैं तथा उन्हें सुविधाएं किस प्रकार से दी हैं ?

मेरे मित्र श्री बशीर जी हमारे देश में परम्परागत उद्योगों की अवस्था के बारे में बता रहे थे। क्या आप यह जानते हैं कि सिर्फ मेरे राज्य में ही 4 करोड़ रुपये के मूल्य का हथकरघे का सामान निर्यात के लिए पड़ा हुआ है ? बाजार में इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं लेकिन नारियल के उत्पाद, निर्माताओं के गोदामों में ही पड़े हैं। इसका निर्यात करके इस परम्परागत उद्योग की सुरक्षा का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी प्रकार आप जो आयात करेंगे उससे केरल का उद्योग बुरी तरह प्रभावित होगा। आप कहेंगे कि यह आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है; यह किसी अन्य मंत्रालय के अन्तर्गत है। मैं कहता हूं कि नारियल आपके अन्तर्गत ही है और यदि नारियल उद्योग की कीमत पर आयात नीति बनाई जाती है तथा आपके उद्योगों की कीमत पर हथकरघा उद्योग को नुकसान हो रहा है तो आपको इस औद्योगिक क्षेत्र तथा इसमें लगे लोगों का बचाव करना होगा। मेरे मित्र श्री बशीर जी यह बात बिल्कुल सही कहते हैं कि लाखों लोगों को उनकी आजीविका देने वाले परम्परागत उद्योग को धक्का लगा है।

श्री मुरली देवरा (बम्बई दक्षिण) : यही सब कांग्रेसजन ने भी कहा है।

श्री तम्पन थामस : मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। रोजगार के अधिकार के लिए मैंने एक संविधान (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है। कल प्रधानमंत्री महोदय ने 'बेकारी हटाओ' के बारे में कुछ कहा था। यदि आप ईमानदार हैं तथा सभी लोग इसका समर्थन करते हैं तथा यदि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि लोगों को रोजगार तथा आजीविका मिले तो क्या आप इसे सरकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत करेंगे ? मैं जानता हूं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूं कि आप चुनावों के उद्देश्य से एक बात कहते हैं तथा करते कुछ और ही हैं। आप उद्योगों के हित में कुछ कहते हैं लेकिन चीजों का आयात करते हैं तथा इटलीवासियों अथवा अमरीकियों अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों अथवा 'पेप्सी कोला' या फिर जर्मन, जापानी आदि जो भी हो उसका आप पक्ष लेते हैं।

श्री जे० वेंगल राव : यह आधारहीन आरोप है। पेप्सीकोला को अभी तक अनुमति नहीं दी गई है आपने यह अक्षम्य टिप्पणी की है।

श्री तम्पन थामस : आपके पास औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम है। कामगारों तथा देश के प्रति आपकी निष्ठा है। महोदय, अपने मंत्रालय का उपयोग करते हुए क्या उन लोगों से औद्योगिक इकाइयों का अधिग्रहण करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग करेंगे जो लोग कामगारों को मुआवजा न देते हुए प्रबन्ध पर नियन्त्रण किए हुए हैं तथा उद्योग को अपने कुप्रबन्ध से छिन्न-भिन्न कर रहे हैं। मुझे याद आता है कि केरल में एक मवूर लोहा तथा इस्पात की एक इकाई थी। उस समय के मुख्यमंत्री और अब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुख्य सचिव श्री ए०के० एटोनी ने इसका अधिग्रहण किया था। वह एक कानून लाए थे। लेकिन वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल स्वयं श्री सिद्धार्थ शंकर राय उच्च न्यायालय में गए तथा सरकार के खिलाफ पैरवी की और बिरला के पक्ष में निर्णय करवाया। यह कारखाना अभी भी बन्द पड़ा है। मुझे बताया गया है कि कारखाने के बन्द रहने के कारण चौदह लोग या तो मर गए हैं या फिर उन्होंने आत्म हत्या कर ली है। इसी तरह डालमिया

[श्री तम्पन थामस]

ने भी बहुत सी ऐसी···(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आप एक वकील हैं तथा क्योंकि आप पैसा चाहते हैं इसलिए आपने भी अपनी पार्टी के हितों के खिलाफ अनेकों केस लड़े हैं।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के रूप में उनके पास एक शस्त्र है। क्या वह इस शस्त्र का उपयोग उन पूंजीपतियों के कुप्रबन्ध के विरुद्ध करेंगे जो उद्योग का अपने व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उपयोग कर रहे हैं तथा कामगारों की कीमत पर इन्हें छिन्न-भिन्न कर रहे हैं?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं मंत्री महोदय को उद्योगों के प्रबन्ध के रूप को भी देखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके पास जो पैसा है उसको वह किस प्रकार अत्यधिक खर्च करते हैं। मैंने वे स्थान देखे हैं जहां पर प्रबंधक लोग रहते हैं। 2000 रुपये वेतन लेने वाला प्रबन्ध-निदेशक प्रतिदिन के 2500 रुपये वाले एक कमरे में ठहरता है। वह केवल पांच सितारा होटल में ठहरते हैं। और उनकी परिलब्धियां कितनी होंगी और किसकी कीमत पर? क्या मंत्री महोदय उच्च प्रबन्धक मण्डल और मध्यम स्तर के प्रबन्ध कर्मियों द्वारा किये जा रहे बेतुके व्यय को नियन्त्रित करेंगे जो वे कम्पनी की कीमत पर खर्च कर रहे हैं?

श्री मुरली देवरा : सरकार ने उसकी सीमा निर्धारित कर दी है।

श्री तम्पन थामस : कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। यह सब मनोरंजन भत्ते के रूप में दिया जाता है। यह किसी अन्य शीर्ष के अन्तर्गत दिया जाता है।

महोदय, मेरे पास एक पत्र है जिसमें यह दिखाया गया है कि औद्योगिक वित्त निगम द्वारा जो उद्योगों को वित्त प्रदान करता है कितना धन कम किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि कितने करोड़ रुपयों का वे अपव्यय कर रहे हैं।

श्री जे० बेंगल राव : यदि इस प्रकार के उदाहरण हैं तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। यहां तक कि हम मंत्री भी पांच सितारा होटलों में ठहरने के पात्र नहीं हैं।

श्री तम्पन थामस : बिल्कुल ठीक। मन्त्री और संसद सदस्य पांच सितारा होटलों में नहीं ठहर सकते हैं परन्तु तथाकथित मध्यम स्तर के प्रबन्धक-कर्मी कम्पनी के खाते से कुछ भी खर्च कर सकते हैं।

महोदय, मैं चीन में था, चीन जानता है···(व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : श्री थामस, उन्हें हम कम्पनी कानून अधिनियम के अन्तर्गत नियन्त्रित कर सकते हैं।

श्री ए० चार्ल्स : महोदय, उन्हें चीन जाकर रहना चाहिए।

श्री तम्पन थामस : महोदय, यह प्रबन्ध कर्मियों द्वारा किया गया एक अपव्यय है। इसको विनियमित करना पड़ेगा और इस पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत एक सतर्कता विभाग होना चाहिए कि ये लोग कारखाने की कीमत पर कैसे खर्च कर रहे हैं। जिस प्रकार से वे पैसा हड़प रहे हैं उसके बारे में मैं काफी चिन्तित हूं। मुझे इस प्रकार की बहुत सी कहानियां सुनने को मिली हैं लेकिन मैं इन सबके विस्तार में नहीं जाना

चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि कामगारों के साथ अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने चाहिये। केवल एक कहानी मैं उद्धृत करूंगा जिसका अनुभव मुझे लगभग तीन दिन पहले हुआ है। श्री रंगराजन कुमारमंगलम दिल्ली में एक औद्योगिक इकाई के अध्यक्ष हैं। जब वह तमिलनाडु गये तो मैं केवल तीन दिन पहले ही उस औद्योगिक इकाई में गया था। जब मैं वहां गया तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं और उनके औद्योगिक सम्बन्ध क्या हैं। क्योंकि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था और मध्यान्तर के दौरान मेरा सत्कार किया अतः वे चाहते थे कि मैं उस संघ की मान्यता को वापस ले लूं...(व्यवधान)

श्री के० वेंगल राव : श्री थामस आप यह कह रहे हैं कि आपने उस समारोह में भाग लिया। आपने उस समारोह में क्यों भाग लिया ?

श्री तम्पन थामस : मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रकार से समस्त औद्योगिक सम्बन्ध गन्दे औद्योगिक सम्बन्ध जो इस प्रबन्ध मंडल के कामगारों के साथ हैं—बरकरार रखे जाते हैं। वे गलत राग अलाप रहे हैं। औद्योगिक शान्ति खत्म की जा रही है। सरकार को उन्हें समुचित प्रशिक्षण देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रबन्ध में कामगारों की भी भागेदारी हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कामगारों को पूरी मान्यता और इज्जत मिले। उसे प्रतिष्ठान को चलाने में शामिल करना चाहिए और विश्वास में लेना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो हमारा अच्छा भविष्य होगा अन्यथा मैं महसूस करता हूं कि हम अवनति के रास्ते पर हैं और पीछे जा रहे हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति जी, मैं अपने दोस्त श्री थामस की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब सबसे पहले 1956 में हमारे देश में इण्डस्ट्रियल पौलिसी रिजौल्यूशन पास हुआ तो हमें बड़ी आशाएं बंधी थीं कि अब इस देश का बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण होगा। जो देश हमारे साथ आजाद हुए, जो हमारे बाद आजाद हुए और जो हमसे कई मायनों में पिछड़े हुए थे, आज वे देश इण्डस्ट्रियलाईजेशन में हमसे काफी आगे निकल गये हैं। उन देशों में कई ऐसे हैं जो हमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत छोटे थे, जिनके पास मैनपावर नहीं थी, रॉ मैटीरियल नहीं था, लेकिन आज वे इण्डस्ट्रीज के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गये। जापान ने हमसे रॉ-मैटीरियल लिया और अपने यहां टेक्नोलोजी डैवलप की और इतनी सस्ती दरों पर परफैक्ट क्वालिटी का माल तैयार किया कि आज वह सारी दुनिया पर छा गया। जापान हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ज्यादा दूर नहीं है और उसे वैस्टर्न कंट्रीज भी नहीं कहा जा सकता। उसके पास पहले से भी साधन मौजूद नहीं थे बल्कि वह सैकेण्ड वर्ल्ड वार में बुरी तरह पिट गया था। मैं अभी "सोनी" के मैनेजिंग डायरैक्टर की एक किताब पढ़ रहा था, जिसका नाम है "मेड इन जापान", जो बड़ी फेमस पुस्तक है, सम्भव है आप में से बहुतों ने पढ़ी होगी, उसमें बताया गया है कि किस तरह सैकेण्ड वर्ल्ड वार में बुरी तरह पिटने के बाद, जब जापान के 80 प्रतिशत लोगों के सामने रोजी-रोटी की समस्या पैदा हो गयी थी रोटी के लाले पड़ गए थे, अच्छे घरों की औरतें खेतों में हल चलाती थीं, बर्तन मांजती थीं, कई-कई दिन लोग भूखे रह जाते थे परन्तु उन्होंने उस देश को बनाया और बनाया ही नहीं, बल्कि आज जिस अमेरिका को हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानते हैं, जापान ने उसे भी उठाकर फेंक दिया, फाइनेन्शियल फील्ड में भी और इण्डस्ट्रियल फील्ड में भी, आज जापान अमेरिका से कई गुना आगे बढ़ गया है। आज अमेरिका और जापान के बीच में जो टैंशन है, उसे सब जानते हैं। यही कारण है कि आज डॉलर की उतनी कीमत नहीं है, जितनी येन की है। वह जापान, जो रॉ-

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

मैटीरियल बिहार से ले जाता है, बंगाल से ले जाता है, उड़ीसा से ले जाता है, मध्य प्रदेश से ले जाता है, हम तो किसी भी दृष्टि से उसके नजदीक नहीं पहुंच पाते, आज वह कितना तरक्की कर गया। यदि आप जापान की बात थोड़ी देर के लिए भूल भी जायें तो कोरिया जैसे देश ने भी दुनिया में मिरैकल कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वह भी कहां से कहां पहुंच गया, ताइवान ने भी औद्योगिक क्षेत्र में तहलका मचा दिया, फिर हम वैसा क्यों नहीं कर सकते। मैं यहां किसी दूसरी पार्टी को दोष नहीं देना चाहता, मैं स्वयं इसके लिए दोषी हूं, सबसे बड़ा दोष मैं स्वयं अपने ऊपर लेता हूं। क्या हमने कभी अपने कलेजे पर हाथ रखकर यह सोचने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ होते हुए भी हम इण्डस्ट्रीज के क्षेत्र में इतना क्यों पिछड़ गये। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने जब इस देश के इण्डस्ट्रियलाईजेशन की कल्पना की होगी, जब स्ट्रांग इन्फ्रास्ट्रक्चर की कल्पना की होगी, तब उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि हमारे मैनेजर्स बेईमान होंगे। प्राइवेट सक्टर तो इस देश को चूस ही रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन हमारे पब्लिक सैक्टर में भी कई बड़े-बड़े ऐसे आफिसर बैठे हैं, जिन्होंने हमारी नाक कटा दी। वह बुरी तरह हमें चूस रहा है। सारे देश को चूस रहा है, और हम हैल्पलैस स्पैक्टेटर की तरह से देख रहे हैं। हम मुट्ठीभर लोगों के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं।

4.00 म०प०

सीमेंट कार्पोरेशन के एम०डी० के यहां रेड हुई, 60 लाख रुपया निकला, क्या जस्टिफिकेशन इतने पैसे उनके यहां होने की है। अगर आप 3/4 पब्लिक सैक्टर यूनिट के आफीसर्स के यहां रेड कराएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्या-क्या वहां निकलेगा, यह देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उनके सामने क्या राजा-महाराजा रहते हैं, उनसे भी ज्यादा उनका स्टैंडर्ड और ऐशोआराम है। मैंने तो बजट पर बोलते हुए भी कहा था और अब फिर कह रहा हूं कि पब्लिक सैक्टर के यूनिट्स के जनरल मैनेजर और मैनेजर्स को टेलीफोन में एस०टी०डी० की छूट है। सैलरी उसकी 5 हजार और एस०टी०डी० का बिल 50 हजार, 40 हजार, 30 हजार और 20 हजार रुपए का। यह हालत है। सारा मोहल्ला उसके यहां आकर एस०टी०डी० काल करता है। यह पैसा उनके ऊपर आप कब तक खर्च करते रहेंगे और कब तक इसे देश की जनता बर्दाश्त करेगी और हमें बेवकूफ बनाया जाता है। पब्लिक रिप्रजेंटिटिव को कहा जाता है यह पब्लिक सैक्टर की यूनिट हैं इनके खिलाफ मत बोलिए, लेकिन पब्लिक सैक्टर को फाइनेंस कौन करता है। वह पैसा हमारे टैक्स से जाता है। हम बच्चों को रोटी नहीं देते हैं, टैक्स देते हैं। जिस तरह से पब्लिक सैक्टर में घाटा हो रहा है, क्या समय नहीं आया है कि हम इस बात को सोचें कि यह क्या और क्यों हो रहा है ?

एक टाइम ऐसा था जब वेस्ट बंगाल में बड़ी इण्डस्ट्रीज बड़ी हुई थीं, उनको नैशनलाइज किया गया जिसके कारण एक के बाद एक इण्डस्ट्री सिक होती गई या सिक हो गई तब नैशनलाइज किया गया। ठीक है, प्राइवेट सैक्टर दोषी है। वह बड़ी होशियारी से हिन्दुस्तान की चालीस साल की आजादी के बाद तक हमको बेवकूफ बनाता रहा और आराम से मक्खन उसमें से निकाल लिया और उसे सिक कर दिया और वह सिक इन्डस्ट्रीज सरकार के मत्थे मढ़ दी गईं। सरकार क्या है, पब्लिक सरकार है। चूंकि उन्हें हमें चलाना है, चूंकि वह पब्लिक सैक्टर में हैं, इसलिए हम उसके मजदूरों को हटा नहीं सकते हैं। इसलिए आप घाटा बर्दाश्त करते रहेंगे। इस प्रकार से हम एक विशीयस सर्कल में आ गये हैं। हम में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हम उस विशीयस सर्कल से निकल सकें। हमें आज या कल एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा, मैं यह नहीं कहता हूं कि क्या डिसीजन लेना होगा, लेकिन

मैं कहता हूं कि एक बोल्ड डिसीजन लेना होगा। यदि किसी ने हजारों मजदूरों को सड़क पर खड़ा कर दिया है, किसी यूनिट को सिक कर दिया है, तो हम में हिम्मत होनी चाहिए कि सड़क पर खड़ा कर के उसे पत्थर मारें। यह कोई बात है कि डालमियां नगर इन्डस्ट्री जहां कि 40 हजार मजदूर काम करते थे उसे होशियारी से सिक कर दिया गया। चालीस हजार परिवारों की रोटी छिन गई है; और सरकार हैल्पलैस स्पैक्टेटर की तरह देखती रहे, यह क्या बात हुई। हम क्यों कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं इन्क्वायरी करके उस आदमी को जेल के अन्दर करते हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो जिसने 40 हजार मजदूरों की रोटी छीनी है, यह हमें करना होगा। अगर हम हिम्मत नहीं करेंगे, तो जो अनएम्प्लाइड यूथ की फौज है, चाहे वह देहातों में हो या शहरों में हो वह हमें चैन से नहीं बैठने देगी। चाहे हम किसी भी पार्टी में हों। उससे पूछिए जो अच्छा भला जीवन जी रहा था, सुविधा प्राप्त कर रहा था आज चार-पांच साल से परिवार में चूल्हा नहीं जलता है। हमें इनके बारे में बोल्ड डिसीजन लेना होगा, चाहे वह डालमियां नगर इन्डस्ट्रीज हो, चाहे वह अशोक पेपर मिल हो, चाहे वेस्ट बंगाल के पचासों कारखाने हों या एन० टी०सी० के कारखाने हैं। इसके लिए हमें कहीं न कहीं कोई लकीर खींचनी होगी और एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो कि देश के इन्टरेस्ट में हो। हमारे पास सब कुछ है। हम तेजी से पॉवर जनरेट कर रहे हैं। जिससे इन्डस्ट्रीज लग सकें।

मैं, एक बात और कहना चाहती हूं, प्रधान मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, अभी वे जापान गए थे। मैं फिर बार-बार जापान का नाम लेता हूं, जापान टेक्नोलौजी में बहुत आगे हैं। और यदि उस टैक्नोलौजी को हमने अपने यहां ट्रांसफर किया तो, तो हमें चीफ गुड्स मिलेंगी, चीफ रा-मैटीरियल मिलेंगे और मोस्ट सॉफिस्टीकेटेड टैक्नोलौजी मिलेगी। हमारे यहां इन्डस्ट्रियल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की भरमार हो जायेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस बारे में नई दिशा से सोचा जाये और उस नई दिशा से सोचने के लिए हम सब मिल-बैठकर बात करें। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ नहीं होगा। इन सबों का एक ही काम है और वह है लोगों की भलाई। लोगों की भलाई तभी हो सकती है यदि पब्लिक सेक्टर में कोई पब्लिक का पैसा खाता है तो उसे नंगा कर दिया जाये, उसे एक्सपोज कर दिया जाये, उसका नाम अखबा रों में छाप दिया जाये, उसके साथ उठना-बैठना बंद कर दिया जाये और उसके साथ हुक्का-पानी बन्द कर दिया जाये। इसी प्रकार पब्लिक सेक्टर में कोई बेईमानी करता है तो उसके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल): सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि 1985 के बाद हम वर्ष 1988 में इस सभा में इन अनुदानों की चर्चा कर पाये।

सभापति महोदय, मैं लघु उद्योगों से प्रारम्भ करूंगा। हम सब देख रहे हैं कि लघु उद्योग के क्षेत्र में प्रदर्शन काफी अच्छा है और अधिक उत्पादन हो रहा है। औद्योगिक विकास 11% है और साथ ही लघु उद्योग में रुग्णता बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्र का 50% उत्पादन लघु उद्योग में हो रहा है और लघु उद्योगों में लगभग एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

पिछड़े जिलों को दी जाने वाली राज सहायता एक स्वागत योग्य बात है। परन्तु होता यह है कि लघु उद्योग के उपक्रमियों को राज सहायता समय पर नहीं मिल पाती है। इसमें कई खामियां हैं और विलम्ब के कई कारण हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन्हें राज सहायता समय पर मिले। उन्हें विद्युत की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर दी जानी चाहिए। सरकारी विभागों द्वारा बिलों के भुगतान में विलम्ब किया जाता है जो कि अक्सर होता है

[श्री विजय एन० पाटिल]

लघु उद्योगों के उपक्रमियों को उसने उद्योग को बरकरार रखने में काफी कठिनाई होती है और औद्योगिक रुग्णता बढ़ती है। रुग्णता का यह कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है कि 10 लघु उद्योग इकाइयों में से लगभग एक रुग्ण होती जा रही है।

सभापति महोदय, यदि आप उदाहरण के लिए 1980 को लें और इसकी पिछले वर्ष के आंकड़ों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि 1980 में लगभग 409 बड़ी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण थीं और 23,148 लघु इकाइयां रुग्ण थीं। लेकिन वर्ष 1988 में लगभग 7 वर्ष के बाद 550 से अधिक बड़ी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं और एक लाख से अधिक लघु इकाइयां रुग्ण हैं या रुग्णता की ओर अग्रसर हैं। यह एक खतरे की बात है। निस्संदेह केन्द्र सरकार अपने दायरे में जो कुछ संभव है, इस रुग्णता को नियंत्रित करने के लिए और विभिन्न उपायों के जरिये रुग्णता कम करने के लिए पिछले वर्ष संसद में एक कानून का अधिनियमन कर रही है। परन्तु वह ऋण राशि जो इन इकाइयों में अवरुद्ध पड़ी है। 1988 में 7 वर्ष में 1800 करोड़ रुपये से बढ़कर 5000 करोड़ रुपये हो गई है।

सभापति महोदय, उद्योग मन्त्रालय ब्याज मुक्त राज सहायता, लघु उद्योगों के लिए ऋण तथा ग्राम दस्तकारों को खादी और ग्राम उद्योग विभाग के जरिये प्रोत्साहन देकर बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। परंतु कई बार हम देखते हैं कि राज्य स्तर पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को आवंटित धनराशि का उस वर्ष विशेष में पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। कुछ धन राशि कुछ अनुदान वर्ष के अन्त में बाकी रह जाती है। यह क्यों होता है इस पर गौर किया जाना चाहिए और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये ताकि वे समुचित ढंग से कार्य कर सकें और ग्रामीणों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकारों को लाभ मिल सके। यह भी एक बहुत अच्छा कदम है कि सरकार उद्योग विहीन जिलों में उद्योग प्रारम्भ करने के लिए 2 करोड़ रुपये की राज सहायता दे रही है। परन्तु बांटी गई धनराशि बहुत प्रोत्साहक नहीं है। लगभग 17 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं। मैं सुझाव दूंगा कि उद्योग विहीन जिलों में लघु और बड़ उद्योग लगाने के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन में जो कोई भी खामियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए और इस योजना को तीव्र गति से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। स्वरोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष के 70 करोड़ रुपये की तुलना में 100 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध की गई है। यह एक स्वागत योग्य बात है और हम आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रामीण लोगों का नौकरी प्राप्त करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कम होगा और लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां मिल जायेंगी।

मेरे मित्र श्री राजहंस जो पहले बोले हैं ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बारे में विस्तार से कहा है। हमने समाज का समाजवादी रूप अपनाया हुआ है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह अब समाज का समाजवादी रूप नहीं है। यह पूरी तरह से समाजवादी समाज है।

श्री विजय एन० पाटिल : यह पश्चिम बंगाल की तरह का समाजवाद नहीं है। पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों की संख्या श्रमिक अशान्ति और अन्य कई समस्याओं के कारण बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में औद्योगिक माहौल अच्छा नहीं है। हमें ऐसा समाजवाद नहीं चाहिए। हम अपने समाजवाद को चलाना चाहते हैं।

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्री विजय एन० पाटिल : जो कुछ भी लाभ सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा दिखाया जाता है

वह लाभ कुछ थोड़े से उद्यमों जैसे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, बी० एच० ई० एल० तथा अन्यों ने कमाया होता है। अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यम अपनी क्षमता का 50% भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि हमें घाटा हो रहा है। हम अधिक लाभ की आशा नहीं करते हैं लेकिन यदि इकाई को पहले ही घाटा हो चुका है तो कम से कम प्रत्येक वर्ष इस घाटे को कम करने का तो उद्देश्य होना ही चाहिए। इसके विपरीत घाटे बढ़ रहे हैं। आप उदाहरण के लिए दिल्ली परिवहन निगम को लें। यहां कम से कम इस घाटे को कम करने के लिए विशेष उपाय क्यों नहीं किये गये ? सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को सरकार से काफी सुविधायें, कच्चे माल की सप्लाई में, तथा बने हुए माल को सरकार और अन्य विभागों को बेचने में काफी प्राथमिकतायें मिलती हैं। फिर यह क्यों हो रहा है ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : साथ ही उनके भी जनता के प्रति कुछ दायित्व हैं। जो उन्हें पूरे करने होते हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के किराये देश में सबसे कम हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : यह ठीक है। इसे एक वर्ष में करोड़ों का घाटा नहीं होना चाहिए।

श्री हरीश रावत : आपको उसे भी अवश्य ध्यान में रखना चाहिए।

श्री विजय एन० पाटिल : हमारे देश में, जहां इतनी अधिक जनसंख्या है, हमें काफी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिलाने की योजना बनानी चाहिए। सन् 2050 तक यह अनुमान लगाया गया है कि हमारी जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर हो जायेगी। यह विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा। अतः हमें ऐसे उद्योग लगाने चाहिएं जो अधिक व्यक्तियों को रोजगार दे सकें। ऐसे उद्योग कौन से हैं ? ये इलेक्ट्रानिकी से संबंधित उद्योग हैं। कुछ वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था और यह देखा गया कि यदि हम भारी इंजीनियरी उद्योग में एक करोड़ रुपये लगाते हैं तो हम '30' लोगों को रोजगार दे पाते हैं, यदि हम यही धनराशि पेट्रो रसायन पर आधारित उद्योगों पर खर्च करें तो 300 लोगों को रोजगार दे सकते हैं और यदि हम यही एक करोड़ रुपये की धन राशि इलेक्ट्रानिकी उद्योगों को आरंभ करने में लगायें तो लगभग 1300 लोगों को रोजगार दिलाया जा सकता है। अतः हमें इलेक्ट्रानिक उद्योगों को स्थापित करने पर अधिक बल देना चाहिए।

महोदय, औरंगाबाद में एक इलेक्ट्रानिक औद्योगिक परिसर शुरू करने का प्रस्ताव था। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कोई भी सरकारी क्षेत्र का उद्यम शुरू नहीं किया गया है। हमें बताया गया है कि पहले महाराष्ट्र में कई सरकारी क्षेत्र के उद्यम खोले गये थे। निस्सन्देह ये पहले खोले गये थे लेकिन इन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में रोजगार की क्षमता 300, 500 या 1000 थी जो कि अधिकतम थी। अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि औरंगाबाद में एक इलेक्ट्रानिक औद्योगिक परिसर स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करें। आटोमोबाईल उद्योग, इंजीनियरी उद्योग की तरह विमानन उद्योग को भी प्रोत्साहित करने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। भविष्य के लिए हमारी एक संवर्धी योजना होनी चाहिए। भविष्य में विमानन विभाग को अधिकाधिक विमानों की आवश्यकता होगी। यदि कुछ उद्योगपति विमानों का निर्माण करने के लिए आगे आते हैं विशेष रूप से छोटे विमानों का, तो उद्योग मंत्रालय को इस संबंध में योजना बनानी चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के लिए कुछ इकाइयां हैं जिन्होंने पवन-चक्कियां और फोटोवोल्टेइक सेल तथा अन्य संघटक बनाये हैं जो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत बनाते हैं। ऐसे उद्योगों के लिए जो ऊर्जा के इन वैकल्पिक स्रोतों के लिये संघटकों का उत्पादन करते हैं, हमें अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए ताकि भविष्य में यह सरकार के लिये और अधिकांश लोगों के

[श्री विजय एन० पाटिल]

लिये लाभदायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इसके लिये समय दिया और मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मुझे केवल कुछेक मुद्दों का उल्लेख करना है क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम समय है। मद्रास में एक नया नारा बनाया गया है, अर्थात 'गरीबी हटाओ' के साथ-साथ 'बेकारी हटाओ'। आपको भी अच्छी तरह से मालूम है क्योंकि आप भी वहां उपस्थित थे। यह एक चुनाव हथकंडा है। नारा तो बहुत अच्छा है। किन्तु भारत में 1,50,000 औद्योगिक इकाइयां जिनमें 5000 करोड़ रु० की राशि फंसी है, बन्द करने से मैं समझता हूं कि यह नारा गरीबी हटाओ और बेकारी हटाओ जैसे नारे अर्थहीन हैं जब प्रति दिन अधिक कारखाने बन्द हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार मेरे प्रश्न का उत्तर दे। क्या आपने 1956 का अपना औद्योगिक नीति संकल्प बदल दिया है? आप सदा यह दावा करते है कि सार्वजनिक क्षेत्र को सर्वाधिक उपलब्धि करनी चाहिए; आदि। किन्तु वास्तव में आप प्रति दिन हर क्षण सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व कम करते जा रहे हैं। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की स्थिति क्या है? आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं? यह तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वास्तव में आप गैर-सरकारीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को भी गैर सरकारी एकाधिकार कम्पनियों को सौंप रहे हैं, जैसा कि आपने हाल ही में लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के मामले में किया है। यह इतना बड़ा कारखाना है जिसको उचित ढंग से चलाया जा सकता था। किन्तु आपने इसे बजाज को सौंप दिया है। बजाज किनका मित्र है? आप इस संबंध में अच्छी तरह से जानते हैं। निस्संदेह यह एक बहुत गलत नीति है जो हमारे देश को उन्नति की ओर नहीं ले जायेगी परंतु हमारी प्रगति में रुकावट आयेगी। 1956 के हमारे नीति-निर्माताओं ने वर्तमान तथ्यों की ओर ध्यान नहीं दिया। उस समय उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे जैसे गरीब तथा पिछड़े हुए देश को कैसे प्रगति की ओर ले जाया जाये। निस्सन्देह विश्व बदल गया है और प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन आया है। हम नई प्रौद्योगिकियों को भी काम में लाना है और इस संबंध में कोई संदेह नहीं है। किन्तु साथ ही यदि इतने बड़े और विशाल देश में बेरोजगारों की विश्व में सबसे अधिक संख्या है तो इस स्थिति की ओर ध्यान देना है। यदि औद्योगिक नीति संकल्प में इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और यदि सरकार केवल चुनावों की ओर ध्यान देती है इसी कारण से उन्होंने "बेकारी हटाओ" का नारा बनाया है। इससे हमारे जैसे गरीब देश का कोई हित नहीं होगा।

कल हम बंगाल पॉटरीज को पुनः चालू करने के लिये मंत्री महोदय से मिले थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कारखाना चालू करने और इसको चलाने के लिये आपको 12 करोड़ रुपये चाहिएं और कारखाने को बन्द करने के लिये आपको 60 करोड़ रुपये चाहिएं। 60 करोड़ रुपये लगभग 4 हजार कर्मकारों को क्षतिपूर्ति तथा अन्य रूप में देने हैं, किन्तु यदि हमें 12 करोड़ रुपये मिल जाएंगे तो हम कारखाना चला सकते हैं। उद्योग विभाग का यह कहना है। मैं नहीं जानता कि सरकार कैसे कार्य कर रही है। उद्योग विभाग कारखाने को पुनः खोलने के पक्ष में और उत्पादन आरंभ करने के पक्ष में है किन्तु मन्त्रिमण्डल उपसमिति अथवा अमुक समिति इसको बन्द करने के पक्ष में है। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां क्या हो रहा है। मैं सरकार को आदेश देता हूं कि वह यह देखे कि बंगाल पॉटरीज पुनः खोली जाये और उसमें उत्पादन आरंभ किया जाये।

हल्दिया में पेट्रो-केमिकल्स के संबंध में बहुत बातें—कभी कुछ और कभी कुछ कही गई हैं।

इससे पश्चिम बंगाल अथवा भारत सरकार या इस देश का कोई भला नहीं होता है। इस देश को हल्दिया में पेट्रो-रसायन कारखाने की जरूरत है। मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि इस उद्योग की सहायता करें और देखें कि यह चालू किया जाये।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के संबंध में सरकार कठिनाई महसूस करती है। मैं इनकी कठिनाई समझ सकता हूं। यह इतना सहज नहीं है कि आप जहां चाहें वहां आरंभ करें। उद्योगों के काम करने के अपने नियम हैं। किन्तु हमारे जैसे गरीब देश के लिये पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना बहुत जरूरी है। इसके लिये सभी तरह की सहायता दी जानी चाहिये। जब आप उद्योगपतियों को कुछ सहायता देते हैं तो इसके साथ ही आपको यह भी देखना चाहिये कि कुछ नियंत्रण रखे जाएं, ताकि वह उस पैसे न खेले जो सरकार अथवा बैंक उसको देती है और कर्मकारों को किसी प्रकार का धोखा न दें। इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस संबंध में यही हो रहा है। हम गाय को इन्जेक्शन देते हैं ताकि इससे दूध लें; और जो गाय सामान्यतः दस या बारह वर्ष जीवित रह सकती है और दूध दे सकती है वह अपनी पूरी शक्ति पांच वर्ष में ही खो बैठती है; तत्पश्चात् इसको कसाईखाने में भेज दिया जाता है। इसी प्रकार उद्योगपति केवल इस उद्देश्य से पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलते हैं ताकि उन्हें रियायतें मिलें। उद्योगपति पिछड़े क्षेत्र में कारखाना खोलना चाहेगा, तीन या चार या पांच वर्ष तक वह कारखाने में साज सामान लायेगा और फिर इसको बन्द करवायेगा, इसे रुग्ण घोषित किया जायेगा। फिर यह उद्योगपति किसी दूसरे पिछड़े क्षेत्र में जाकर वहां कारखाना खोलेगा और फिर सरकार से धन प्राप्त करेगा। इस प्रकार इन भले मानुषों ने लगभग 5000 करोड़ रुपये फंसा रखे है और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। अभी आपने यह कहानी सुनी है कि बिहार में क्या हो रहा है किस प्रकार उद्योग बन्द कर दिये गये हैं और किस प्रकार कर्मकार भूखों मर रहे हैं। हमारे राज्य को भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

पटसन इस मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। यह वस्त्र मन्त्रालय के अन्तर्गत आता है। फिर भी मैं कहूंगा कि पश्चिम बंगाल समेत भारत के पूरे पूर्वी भाग में पटसन कारखानें गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं। यद्यपि प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि कुछ किया जायेगा, धन दिया जायेगा, फिर भी कुछ नहीं किया गया है। हजारों कर्मकार बेरोजगार हैं और भूखों मर रहे हैं। वे अपनी जगहों और घरों को छोड़ रहे हैं। भारत सरकार के अन्तर्गत तीन चार फर्में हैं जिनसे निर्माण का काम करवाते हैं। ब्रिज एण्ड रूफ एक ऐसी फर्म है जिसका उपयोग निर्माण कार्य करने के लिये किया जाता है। यह फर्म भारत सरकार के उद्योग विभाग के अन्तर्गत है। यह फर्म अब बन्द कर दी गई है। उद्योग विभाग के कार्यालय के निकट कर्मकार कई महीनों से बैठे हैं। और मेरे विचार से हमारे मन्त्री श्री वेंगल राव मजदूर-विरोधी नहीं हैं। किन्तु कुछ अधिकारी और नौकरशाह हैं जो अभी वहां बठे हैं और जिनके पास कर्मकारों को कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं मन्त्रालय और मन्त्री से कहूंगा कि वे यह देखें कि ब्रिज एण्ड रूफ कर्मकारों की समस्याएं सुलझाई जाएं और वे पुनः काम पर चले जाएं।

इसी प्रकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेहरू प्लेस में सात महीने से अधिक समय से धरने पर हैं। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के कर्मकार भी तो हैं। भारत सरकार में विभिन्न संगठनों के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कम्पनियों के अलग-अलग किस्म के कर्मकार हैं। उनके अलग-अलग नियम हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि मन्त्रिमण्डल एक बैठक बुलाये और यह निर्णय ले कि भारत सरकार के अंतर्गत सभी निर्माण कम्पनियां विभिन्न मन्त्रालयों के अंतर्गत न आकर एक ही मन्त्रालय के अंतर्गत आएं। एक ही प्रकार के नियम होने चाहिए जबकि उनकी नियोक्ता वही एक भारत सरकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उद्योग मन्त्रालय का है या ऊर्जा मन्त्रालय का है तो उसके लिये अलग नियम हों;

[श्री नारायण चौबे]

किसी का सम्बन्ध शहरी विकास मन्त्रालय से है तो उसके लिये अलग नियम हैं। इस प्रकार की पद्धति समाप्त होनी चाहिए और उन्हें एक ही मन्त्रालय के अधीन लाया जाना चाहिए। यह आपसे मेरा एक नम्र निवेदन है।

इस देश में इस समय औद्योगिक स्थिति वास्तव में दुःखद है। हम इससे दुःखी हैं। क्या हो रहा है कि जितने उद्योग खोले जाते हैं उससे कहीं अधिक सख्या में उद्योग बन्द कर दिये जाते हैं। और वर्तमान उद्योग एक चौथाई, एक दसवां अथवा आधी क्षमता का भी उपयोग नहीं करते हैं। स्वाभाविक है कि "बेकारी हटाओ" या "गरीबी हटाओ" के जो भी दावे हैं वे केवल काल्पनिक लगते हैं या चुनाव में लोगों को आकर्षित करने वाली चाल लगती है। यह केवल चुनाव की चाल है। यदि आप वास्तव में इस गरीब देश के लिये कुछ करना चाहते हैं तो कृपया इस चाल को छोड़कर कोई वास्तविक काम कीजिये। आप यह सारा आसानी से कर सकते हैं। आप आसानी से बंगाल पॉटरीज को खुलवा कर काम आरंभ करवा सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि पटसन कारखाने काम आरंभ करें और आप देखें हैं कि पश्चिम बंगाल में हमारा पेट्रो-रसायन कारखाना काम आरंभ करे और इसमें कोई विलम्ब न हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह केवल यह चालें ही न चलते रहें किन्तु इस गरीब देश के लिये कोई ठोस काम करें।

4.28 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त (मोतीहारी) : माननीय सभापति महोदय, उद्योग विभाग के सम्बन्ध में जो डिमान्ड्स पेश हुई हैं, उनका समर्थन करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और इसके साथ ही साथ जो कटौती का प्रस्ताव है, उसका मैं विरोध करती हूं।

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग, सरकारी उद्यम विभाग, सभी विभाग आते हैं और पेट्रो-रसायन भी इसमें शामिल है लेकिन वह विभाग अलग से अपना काम कर रहा है। 1984-85 के बाद से औद्योगिक विकास की गति में बड़ी तेजी आई और हमारा निष्पादन भी अच्छा रहा है। 1984-85 में हमारी विकास दर औद्योगिक उत्पादन की 7.6 प्रतिशत थी, 1985- 6 में वह 7.8 प्रतिशत हो गई और 1986-87 में वह बढ़कर 9 प्रतिशत हो गयी। हमारी विकास दर 9.1 प्रतिशत हो गई है। इससे पता चलता है कि हमारा औद्योगिक विकास काफी उत्साहवर्द्धक रहा हैऔर हम काफी आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं उद्योग मंत्रालय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

हमारे श्री चौबे जी जब बोल रहे थे इन्होंने कहा कि अभी जो मद्रास में कांग्रेस सेशन हुआ, उसमें हमारे प्रधान मंत्री जी ने देश को यह आश्वासित किया है कि हमने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और अब हम बेकारी हटाएंगे। हम समझते हैं कि हमारी वही नीति हमारी औद्योगिक नीति 1956 में पं० जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी और आज भी जो औद्योगिक नीति का आधारभूत ढांचा है, और हम उस पर चलेंगे और हमें विश्वास है कि सभी लोगों का सहयोग लेकर, जनसंख्या पर नियन्त्रण करके हमारी सरकार बेकारी को दूर करेगी। और बेकारी दूर करने के लिए हमारे मंत्रालय ने बड़ी अच्छी

योजना बनायी है। बेकारों के लिए स्वरोजगार की योजना। सन 1983 में हमारी सम्माननीय स्व० प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस योजना को प्रारंभ किया था और अभी भी यह योजना चल रही है। इसके अन्तर्गत 25 हजार से लेकर 35 हजार रुपये स्व-रोजगार के लिए दिये जाते हैं। पहले 25 हजार दिये जाते थे अब 35 हजार रुपये तक दिये जाते हैं। अभी वर्ष 1987 तक 445 करोड़ रुपये इस योजना के लिए दिये जाएंगे। यह इस बात का काफी प्रमाण है कि हमारी सरकार राजीव गांधी के नेतृत्व में बेकारी दूर करने के लिए संकल्पशील है। बेकारी दूर करने के लिए 1986 में जो नया आर्थिक कार्यक्रम बना है, उसमें छोटे मझौले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास है। उससे भी हम बेकारी दूर करेंगे।

सभापति महोदय, किसी भी देश की औद्योगिक क्रांति के लिए कुछ बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। पूंजी कच्चा माल, बिजली, टेक्नीकल नो हाऊ। ये सभी चीजें हमारे यहां हैं। मैं समझती हूं कि 1986-87 में पूंजी निवेश के लिए जो हमने लोन स्वीकृत किये वे 20 89 प्रतिशत अधिक स्वीकृत किये और हमने ऋणों का वितरण भी 15.8 प्रतिशत अधिक किया। ये आंकड़े बहुत उत्साहवर्द्धक हैं और इनसे हमें लगता है कि हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, औद्योगिक विकास होगा।

पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति 1857 के बाद हुई। उसके बाद वहां का नक्शा बदल गया और वे देश काफी आगे बढ़े। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि आजादी के 40 वर्ष के बाद भारत के प्रत्येक राज्य में जिस तरह से औद्योगिक नक्शे में परिवर्तन आना चाहिए था वह नहीं आया। हमारे देश में ऐसे भी प्रांत हैं, राजस्थान, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, विशेषकर उत्तरी बिहार जहां पर अभी भी औद्योगिक क्रांति नहीं हुई और ऐसा लगता है कि वहां पर 1956 की औद्योगिक नीति लागू नहीं हो सकी है।

सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय से अनुरोध करना चाहूंगी कि उसका ध्यान इन पिछड़े इलाकों की तरफ भी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की तरफ जाना चाहिए। हमारा बिहार राष्ट्र का एक ऐसा अंचल है, एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश का औद्योगीकरण करके वहां काफी आधारभूत संतुलन कायम कर सकते हैं। दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर का इलाका है जहां काफी खनिज मिलते हैं। वह इलाका खनिज गर्भा, रत्न गर्भा है। वहां धनबाद के अंचल में देश का 70 प्रतिशत कोयला पैदा होता है। वहां अभ्रक होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन ओर होता है। ये सब होते हैं। हम समझते हैं कि इन सबसे हम उस इलाके में औद्योगिक क्रांति करके सारे देश का नक्शा बदल सकते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बिहार का जिस हद तक औद्योगीकरण होना चाहिए था वह नहीं हो सका।

मैं उत्तर बिहार की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं। सभापति महोदय रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि 1984-85 में औद्योगिक क्षेत्र में परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक रहे हैं लेकिन सूखे के कारण उद्योगों पर कुप्रभाव आगे पड़ सकता है। उत्तर बिहार का जो इलाका है, जिस क्षेत्र से मैं आती हूंव ह पूरा इलाका बाढ़ से प्रभावित रहता है और बाढ़ की विभीषिका के कारण वहां की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है। उस इलाके में कृषि प्रधान उद्योग लग सकते हैं लेकिन जब तक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रियट किया जाएगा, वहां आधारभूत ढांचा खड़ा नहीं किया जाएगा, वहां बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा तब तक मैं समझती हूं कि वहां उद्योगीकरण किये बिना आप उस इलाके की गरीबी को दूर नहीं कर सकते हैं।

वहां डेंसिटी आफ पापुलेशन सबसे ज्यादा है। वहां की आबादी की सघनता को देखते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूं कि आप वहां पूंजी निवेश कीजिए। जितना पूंजी निवेश उद्योग मंत्रालय की ओर से पूरे देश में हुआ है उसका बहुत ही नाम मात्र को वहां हुआ है। वहां उपजाऊ

[श्रीमती प्रभावती गुप्त]

जमीन है लेकिन वहां के लोग गरीबी से कराह रहे हैं। पर कैपिटा इनकम पहले मध्यप्रदेश की कम थी अब बिहार की सबसे कम है, नागालैण्ड से भी कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसका एक ही तरीका है कि उत्तर बिहार के इलाके में औद्योगीकरण किया जाए। गांवों में कुटीर उद्योगों का और ग्रामीण उद्योगों का जाल बिछाया जाए। अभी तक एक भी केन्द्रीय उद्योग वहां पर स्थापित नहीं किया गया है, पूंजी निवेश नहीं किया गया है। वहां के लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया जाता, मैं इसका कारण जानना चाहती हूं। केन्द्रीय क्षेत्र में एक ड्रग फैक्ट्री मुजफ्फरपुर में है जो दम तोड़ रही है, रुग्ण इकाई है, इसका उपाय करने की भी आवश्यकता है। इसी तरह से बेतिया में बूंब, पल्प और ईख के बखास द्वारा एक पेपर मिल खोली जानी चाहिए। रुग्ण उद्योगों के बारे में रिजर्व बैंक आफ इंडिया की एक कमेटी बनाई भी है, उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया की कमेटी जो 1986 में बनाई गई थी, ने कहा है कि सभी कामर्शियल बैंक्स को रुग्ण इकाइयों को सहायता पहुंचाने के लिए सहायता पैकेज बनाना चाहिए और उस पैकेज के लिए जो मार्ग निर्देशक सिद्धांत बनाए गए हैं, उनका ठोस पालन किया जाए। अगर इन पर ठीक तरह से पालन किया जाए तो रोहतास उद्योग समूह, जिसके बारे में राजहंस जी ने कहा है, जिसमें 40 हजार लोग बेकार हो गए हैं, उसमें सुधार किया जा सकता है। आज वहां पर 1 लाख की आबादी परेशान है जो लोग दाने-दाने को मोहताज हैं। उनके घर में खाना नहीं बन रहा है, उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। जमला सीमेंट फैक्ट्री बीमार है, अशोक मिल बीमार है, सभी छोटे-बड़े उद्योग बीमार हैं। मेरा अनुरोध है कि इन उद्योगों के उद्धार के लिए औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया गया है, उसको धरातल पर लाइए। इसी तरह से पूरे उत्तर बिहार में 15-20 हजार लघु इकाइयां बंद हैं, बिजली के बिना बंद हैं, मैंने पहले भी कहा था कि औद्योगीकरण के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता विद्युतीकरण की है। हमारे वहां काटी थर्मलपावर स्टेशन मुजफ्फरपुर में बना है, मेरा आपसे अनुरोध है कि उसकी बिजली पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर आदि के लिए आरक्षित कर दी जाए ताकि वहां के उद्योगों को ठीक प्रकार से बिजली मिल सके। मेरा फिर अनुरोध है कि चंपारण में, मोतीहारी में जो रमाकास्ट उद्योग बंद हो गया है, उसको चालू करने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए।

चीनी उद्योग के लिए मार्ग निर्देशक सिद्धांत के तहत आपने 2500 टन से 5000 टन प्रत्येक मिल की क्षमता बढ़ाने की बात कही है, यह एक अच्छा कदम है। लेकिन हमारे यहां तो बाबा आदम के जमाने की चम्पारण जिले में 9 चीनी मिलें हैं, उनमें से कुछ मर रही हैं कुछ जी रही हैं, इनके आधुनिकीकरण की भी आवश्यकता है। मोतीहारी वह जगह है जहां पर महात्मा गांधी जी ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनका कार्य क्षेत्र वहां था, आज वहां पर कोई उद्योग नहीं है। मेरा अनुरोध है कि उस क्षेत्र के बीमार उद्योगों को चालू करवाया जाए। वहां पर औद्योगिक संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, वहां पर रमाकास्ट में स्लीपर बन सकते हैं। आई० डी० बी० आई० लघु उद्योग वित्तीय निगम का पैसा बड़े-बड़े बिजनेसमैन लेकर चले गए, बड़े लोग इसका फायदा ले जाते हैं, छोटे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है। मोतीहारी में शीघ्र एक मझले उद्योग की आवश्यकता है, इसको अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। रुग्ण इकाइयों को खोला जाए, ताकि उत्तर बिहार की गरीबी दूर हो सके। अगर इस क्षेत्र को हिन्दुस्तान के औद्योगिक नक्शे पर लाना है तो यहां पर कृषि पर आधारित उद्योग शीघ्र खोला जाना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रानिक उद्योग की स्थापना की जा सकती है, जिसमें बिजली कम लगती है और पैसा भी कम लगता है। इन सुधारों से ही वहां की गरीबी दूर होगी, बेकारी दूर होगी।

हमें उम्मीद है कि इसके अन्तर्गत देश की बेकारी को हम दूर करेंगे, गरीबी को दूर करेंगे और देश औद्योगिक विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहेगा ।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, 1985-86 के दौरान और उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा रहा है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी औद्योगिक उत्पादन, आदि बहुत उत्साहजनक रहा है । यह इस बात के बावजूद हुआ है जबकि देश प्राकृतिक आपदाओं अभूतपूर्व सूखे का सामना कर रहा है और देश के अन्य भागों में भयंकर बाढ़ की स्थिति है ।

दशकों पूर्व निर्धारित हमारी आधारभूत औद्योगिक नीति में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि औद्योगिक कार्यनिष्पादन में प्रमुख ज़ोर सार्वजनिक क्षेत्र पर दिया जायेगा । प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए भी प्रयास किया गया है ।

यद्यपि कार्यनिष्पादन अच्छा है पर फिर भी मैं माननीय मन्त्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण पहलू की ओर दिलाना चाहता हूं । 1987-88 के प्रतिवेदन के पैरा 1 में दूसरा वाक्य निम्नलिखित है :

"औद्योगिक विकास विभाग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप संतुलित और तीव्र विकास के सुनिश्चय के लिए विकासशील और नियमित नीतियों को बनाने और कार्यान्वित करने वाला केन्द्रीय अभिकरण है ।"

अगर, इसे मान लिया जाए तो माननीय मन्त्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि उद्योगों के लगाने के मामले में खासकर, सार्वजनिक क्षेत्र में काफी क्षेत्रीय असंतुलन है । मेरे मित्र श्री बशीर ने इस पहलू की ओर ध्यान दिलाया है । मैं इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाहता । लेकिन मैं यह कहूंगा कि 31-3-87 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश 61,603 करोड़ रुपये था जबकि लेकिन केरल में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल पूंजीनिवेश लगभग 831 करोड़ रुपये ही किया गया है । तुलनात्मक दृष्टि से यह बहुत कम है ।

राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के बहुत से कारण हैं । केरल की भौगोलिक स्थिति सबसे बड़ा कारण है । दूर तक गई दक्षिणी पट्टी में वाणिज्य की विपणन क्षमता सीमित है और वहां औद्योगिक सामग्री भी उपलब्ध नहीं है इसलिए औद्योगिक विकास से वह अछूता ही रहा है । कच्चे और तैयार माल को लाने, ले जाने की लागत से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि होती है । इसलिए केरल में तैयार औद्योगिक उत्पादों की बिक्री दर केरल से बाहर के बाजारों में प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाती । इसके अलावा केरल की अन्तरूनी क्षमता भी ऐसी नहीं है कि राज्य के बाहर से निजी पूंजी निवेश को आकर्षित किया जा सके । यहां तक कि अनिवासी भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है । आधारभूत सुविधाओं के अभाव और कुछ अन्य समस्याओं के कारण उन्हें इस बात का डर रहता है कि मेहनत से कमाया उनका पैसा नष्ट हो जाएगा ।

दूसरी समस्या विद्युत की काफी कमी है । एक समय था जब केरल भारत में बिजली का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में से एक था । दुर्भाग्य से केरल में पनबिजली योजनाएं पूरी तरह मानसून पर निर्भर है । मानसून के लगातार न आने से केरल में अब अन्धकार है ।

केरल राज्य के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन के और भी बहुत से कारण हैं । अगर केरल को कुछ रियायतें देने के ठोस उपाय नहीं किए गए तो केरल को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान देना मुश्किल होगा ।

[श्री ए० चार्ल्स]

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि केवल उद्योग विभाग के लिए इसको कार्यान्वित करना मुश्किल होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय और कुछ मामलों में वाणिज्य मंत्रालय की सहायता और सहमति की जरूरत होगी। मेरा अनुरोध है कि जहां तक उद्योगों के समग्र विकास का संबंध है इन तीन मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसके अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों जिन्हें औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा राज्य माना जाता है, में स्थापित उद्योगों के लिए औद्योगिक कच्चे माल तथा तैयार माल को लाने-ले-जाने के ढुलाई प्रभारों पर 75% राजसहायता दी जाती है। महोदय, मेरा अनुरोध है कि केरल में स्थापित उद्योगों को भी वही लाभ दिये जायें। मैं पहले ही बता चुका हूं कि वहां विद्युत की कमी की समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ सालों तक निम्नलिखित रियायतें केरल को दी जा सकती हैं :—

1. 1.00 किलोवाट क्षमता से अधिक के आयातित डीजल जनरेटिंग सेटों के लिए रक्षित विद्युत उत्पादन हेतु उच्च क्षमता के डीजल जनरेटिंग सेटों पर आयात शुल्क से पूरी छूट दी जाये।

2. रक्षित विद्युत उत्पादन के लिए 1000 किलोवाट से कम क्षमता के स्थानीय तौर पर खरीदे गए डीजल जनरेटिंग सेटों के लिए लागत के 75% की दर से राजसहायता तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट।

3. रक्षित विद्युत उत्पादन कार्यों के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी छूट।

अगर विद्युत समस्या से निपटने के लिए अस्थायी तौर पर भी ये तीन रियायतें दी जाती हैं तो इससे केरल में उद्योगों के विकास को बहुत सहायता मिल सकती है।

जहां तक अन्य प्रोत्साहनों का संबंध है मेरा सुझाव है कि केरल में स्थापित उद्योगों द्वारा तैयार सभी निर्यात मदों और उनके निर्यात पर 10% अधिक की अधिक दर से अतिरिक्त नकद प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाना चाहिए। केरल में स्थापित उद्योगों द्वारा तैयार सभी निर्यात मदों और उनके निर्यात के लिए आयात सम्पूर्ति लाइसेंस में 10% अधिक की दर से अतिरिक्त 'अन्तर्निहित लचीलेपन के तत्व' की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर अचल परिसम्पत्तियों की लागत की 50% की दर से मूल्य ह्रास भत्ते की अनुमति दी जाए तो मुझे विश्वास है कि निर्यातोन्मुख उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है और इससे केरल में निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इसी तरह से राज्य के बाहर बिकने वाली औद्योगिक मदों पर पांच वर्ष की आरम्भिक अवधि के लिए केन्द्रीय बिक्री कर से छूट दी जानी चाहिए। अगर ये रियायतें 5 साल तक के लिए दी जाएं तो मुझे विश्वास है कि इन पांच सालों के दौरान केरल उद्योगों का विकास कर लेगा और उसके बाद वह अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सकता है।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश करने का संबंध है, मेरा विचार है कि टायरों के आयात के लिए अब एक नीति शुरू की जा रही है। भारत में रबड़ का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्यों में केरल प्रमुख है। हमने अनुरोध किया है कि नीति में परिवर्तन किया जाए और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री ऐसा करने पर विचार करेंगे। अगर एक टायर उद्योग की स्थापना···

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : टायर उत्पाद अभी भी प्रतिबन्धित सूची के अन्तर्गत आता है।

श्री ए० चार्ल्स : जहां तक टायर उद्योग का सम्बन्ध है, मैं ट्रक और बसों के टायरों के बारे में बोल रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि स वंजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत टायर बनाने वाली एक यूनिट केरल को दी जा सकती है। इससे टायर के आयात की समस्या हल होगी और रबड़ उत्पादकों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह केरल के लिए एक विशेष मामले के रूप में इस पर विचार करें। मेरे ख्याल से निजी क्षेत्र के लिए आटोमोबाइल नीति पर दोबारा से विचार किया जाये। नवीनतम विदेशी प्रौद्योगिकी से निर्मित कम खर्चीले डीजल यात्री कारों के लिए केरल से आवेदन पत्र आये हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर परियोजना सभी अपेक्षाओं को पूरा करती है तो केरल को प्राथमिकता दी जाए। केरल की नारियल जटा, काजू, हथकरघा आदि पारम्परिक उद्योग संकट का सामना कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय को स्वयं मालूम होगा कि उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में नारियल जटा उद्योग समाप्त हो गया है। इसलिए जब तक इन पारम्परिक उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तब तक केरल की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह समस्त केरल राज्य को उद्योग रहित पिछड़ा राज्य समझें और उस राज्य को सभी प्रोत्साहन दिये जायें ताकि केरल के शिक्षित बेरोजगारों को काफी हद तक राहत मिल सके।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० जे० अब्बासी (डुमरियागंज) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उद्योग मंत्रालय की मांगों पर बोलने का अवसर दिया। मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। यह जानकर थोड़ी परेशानी हुई कि जो हमारा नारा लगा बेकारी हटाओ, इससे हमारे विरोधियों में थोड़ी हलचल आई है। यह हलचल ऐसे ही आई जैसी पहले आई थी जब हमने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। इसके बाद हमने बीस सूत्रीय कार्यक्रम बनाया और इनकी समझ में बाद में आई कि वह नारा कोरा नारा ही नहीं था बल्कि वह सफल हुआ और उसका फायदा लोगों को मिला। वैसे ही गरीबी हटाओ का नारा हमने दिया है, हम आशा करते हैं कि इस पर अमल होगा।

मान्यवर, अगर इस पर अमल करना है, तो इसके लिए मेरा एक सुझाव है कि जो नौजवान स्कूल और कालेजों से तालीम लेकर निकलते हैं वह नौकरी की तरफ भागते हैं। हमें उनका दिमाग इंडस्ट्री की तरफ मोड़ना पड़ेगा। उद्योगों को लगाने की तरफ मोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीयल फैसेलिटीज हैं, वे उनको मुहैया कराई जाएं। लेकिन आज हालत यह है कि ये सुविधाएं उन नौजवानों को नहीं मिलती है। इन उद्योगों को लगाने के लिए उनके पास इतना धन नहीं है। इस धन को पाने के लिए वे विभागों और बैंकों के चक्कर लगाते-लगाते थक जाते हैं, लेकिन उन्हें ऋण नहीं मिल पाता है। इसके अलावा करप्शन भी मौजूद है जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन सब कठिनाइयों को दूर करना पड़ेगा तभी उन्हें कुछ इनका लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ हमें यह देखना होगा कि हमारे नौजवान जब कोई काम शुरू करते हैं और उसमें जब कोई उनका उत्पादन निकलता है, तो उसको मार्केट में बेचने में काफी परेशानी उनको आती है। इसलिए हमें कोई ऐसा इन्तजाम करना पड़ेगा कि उनको मार्केटिंग की सुविधा मिल सके। सबसे बड़ी बात तो उसके लिए यह है कि वह बड़ी मुश्किलों से फैक्ट्री लगा पाता है और बड़ी मुश्किल से लोन वगैरह लेकर उसको चलाता है और जब उसका उत्पादन होता है, तो उसमें उसकी लागत भी नहीं निकलती है। इसलिए इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि आप सभी स्माल स्केल इंडस्ट्री के सामान को खरीदने की व्यवस्था एक कार्पोरेशन के माध्यम से करे। एक गवर्नमेंट का कार्पोरेशन बनाया

[श्री के० जे० अब्बासी]

जाए जो सभी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के उत्पादित माल को खरीदे और उसको मार्केट में बेच दे। इससे नए उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इससे उन नौजवानों को बड़ी सुविधा हो जायेगी जो अपना उद्योग लगाते हैं और बाद में मार्केटिंग की जिन्हें दिक्कतें आती हैं।

इसके बाद मुझे आपसे यह अर्ज करना है यहां पर काफी लम्बी बातें पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर की हुई हैं। मैं मान्यवर, उन लोगों में से हूं जो हमेशा पब्लिक सैक्टर को पसन्द करता है, क्योंकि इसमें नीयत का सवाल है। जब हमारी नीयत यह है कि हमें मुल्क को उठाना है, तो पब्लिक सैक्टर से ही मुल्क ऊपर उठेगा। लेकिन पब्लिक सैक्टर की जो खामियां हैं उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए और सबसे बड़ी खामी पब्लिक सैक्टर की जो बताई है, मैं उसकी ताईद करता हूं। चाहे वह हमारे ही खिलाफ क्यों न जाए। लेकिन वह बात हमें कहनी पड़ेगी। वह यह है कि पब्लिक सैक्टर के ऊपर के अफसरान को इस बात का कोई एहसास नहीं है, सिवाय ओ०एन०जी०सी०, इंडियन आयल या एक-दो और को छोड़कर, ये लोग तो काफी संभलकर चलते हैं, इनके अलावा और जितने भी पब्लिक सैक्टर के यूनिट हैं, उनके आल्हा अफसरान को कतई इस बात की फिकर नहीं है कि हमें संभल कर चलना है और कम खर्च करना है। हमने जहां भी देखा है, वहां इन यूनिटों में अंधाधुन्ध खर्चा होते देखा है। इसलिए हमें इस प्रकार के खर्चों पर सख्ती लगानी पड़ेगी, तभी हम इस क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे।

चाहे कोई भी मुल्क हो, यदि वह सोशलिस्ट पैटर्न का मुल्क है, तो वह कभी भी प्राइवेट सैक्टर का हामी नहीं हो सकता है, वह हमेशा पब्लिक सैक्टर की ही बात करेगा। कोई भी सोशलिस्ट मुल्क प्राइवेट सैक्टर के जरिए कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। प्राइवेट सैक्टर की बात तो वह सोच भी नहीं सकता है। प्राइवेट सैक्टर हमेशा ऐसा काम करता है जिससे यह लगे कि प्राइवेट सैक्टर पब्लिक सैक्टर से हमेशा अच्छा है। इसलिए हमें इसके लिए कड़े कानून बनाने होंगे, तभी हम पब्लिक सैक्टर में तरक्की कर सकते हैं।

चेयरमैन साहब, मेरी कांस्टीट्यूएंसी इस प्रकार की है कि उसमें एक भी उद्योग नहीं है। उसमें 5 हलके आते हैं। पांचों क्षेत्रों में शून्य बटा शून्य। वहां गरीबी भी बेहद है। वहां गरीबी बेहद है और किसी किस्म का कोई उद्योग नहीं है। मैं सन् 1980 से पार्लियामेंट में आया हूं, तब से बराबर लिख रहा हूं और इस सदन में भी इस सम्बन्ध में मांग करता रहा हूं। वहां पर कोई उद्योग लगने के बाद ही वहां की बेकारी की समस्या हल हो पायेगी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं है। यह इतना बैकवर्ड है कि हमारे यहां के दो हलकों के लिए रेल तक नहीं है और न ही निकट भविष्य में इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे यहां एक भी गन्ना मिल नहीं है जबकि वह आसानी से हर जगह लग सकती है। हमारे यहां अच्छा-खासा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हम जैसा भी चाहें वैसा कारखाना वहां लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो चमड़े का कारखाना वहां बना सकते हैं। हमारे यहां गन्ना बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है। लेकिन वहां के किसान उसे गोरखपुर की मिलों में बेचने के लिए जाते हैं। इससे उनको बहुत असुविधा होती है। मेरी आपसे यह पुरजोर मांग है कि हमारे क्षेत्र को कोई न कोई उद्योग अवश्य दिया जाये।

हमारे यहां जो बुनकर हैं उनसे सम्बन्धित कोई छोटी-मोटी इंडस्ट्री वहां चलती नहीं है। वह हमारे हलके में तो नहीं है, लेकिन जिले में है। हमारे यहां के बुनकर जो कपड़ा बनाते हैं वह कपड़ा काफी अच्छा और मशहूर है। खलीलाबाद में यह काफी अच्छा चलता है। लेकिन बुनकरों की हालत

बहुत खराब है। मैंने बार-बार इस तरफ आपका ध्यान दिलाया और कहा कि उन गरीबों का ख्याल कीजिए, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। बुनकरों को सूत काफी मंहगा मिल रहा है। इसकी वजह से उन्हें अच्छी आमदनी नहीं हो पाती और कोई फायदा नहीं हो पाता है। इस तरफ भी सरकार को तवज्जह देनी चाहिये। उनके पास आमदनी का दूसरा कोई जरिया नहीं है। अभी तो वह पावर-लूम से और हाथ से कपड़ा बनाते हैं और उससे जो उन्हें चार पैसों की आमदनी होती है, उस पर निर्भर रह कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

खादी ग्रामोद्योग भी हमारे यहां काफी फैला हुआ है। इसके द्वारा वह अच्छा-खासा काम कर रहे हैं। उनकी छोटी-छोटी इंडस्ट्री इसके द्वारा चल रही हैं। लेकिन गांवों में उसका फैलाव बहुत कम हो रहा है क्योंकि उसके कायदे-कानून बहुत सख्त हैं। अगर वे कायदे-कानून नरम कर दिये जाएंगे तो पब्लिक आसानी से वहां पहुंच सकेगी।

मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ उद्योग मंत्रालय की जो मांगें पेश हुई हैं, उनका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और एक बार फिर आपके द्वारा मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि मेरे क्षेत्र की तरफ खास तवज्जह दी जाये व कोई न कोई उद्योग अवश्य लगाया जाये।

श्री भद्रेश्वर तांती (कालियाबोर) : उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। मैं मांगों का समर्थन करता हूं। मैं एक बात कहूंगा कि बिना औद्योगिकीकरण के देश उन्नति नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। परन्तु सरकार ने देश में औद्योगिकीकरण के लिए जो नीति अपनाई है, वह एकदम गलत है। वह इसके वास्तविक लक्ष्य को पूरा करने में निष्फल रही है। प्रतिवेदन में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हूं :—

> "यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि पिछले वर्षों में देश में प्रौद्योगिकीय दक्षताओं एवं क्षमताओं के साथ-साथ भिन्न-भिन्न प्रकार के एवं आधुनिकतम उद्योग लगाये गये हैं। आधुनिकीकरण के प्रारम्भ के दौर में जो आवश्यकताएं थीं वे आज के औद्योगिक क्षेत्र में एकदम भिन्न प्रकार की हैं। प्रौद्योगिकी के आयात के बारे में सरकार की मूल आधारभूत नीति का लक्ष्य बाह्य संसाधनों पर अनावश्यक निर्भरता को कम करना तथा देश में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके स्वावलम्बी बनना है।"
>
> " ..तथापि सरकार ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्पादन को अद्यतन बनाना समान रूप से आवश्यक है। इसलिए प्रौद्योगिकी का आयात चुने हुए एवं उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी अथवा आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए है।"

5.00 म०प०

आम व्यक्ति इन बातों को नहीं समझेगा। आपने अपने प्रतिवेदन में सभी बातों की प्रशंसा की है। यह बहुत ही अच्छा प्रतिवेदन है। परन्तु पिछले 40 वर्षों में स्वतंत्रता का आनन्द एवं लाभ किन व्यक्तियों को मिला है ? उद्योगपतियों को यह लाभ मिला है जोकि निर्धन व्यक्तियों का खून चूस रहे हैं। बिचौलिए इसका आनन्द उठा रहे हैं न कि निर्धन व्यक्ति जोकि देश के निर्माण के लिए अपना खून बहा रहे हैं।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे यहां उद्योग धन्धों में विस्तार हुआ है परन्तु ये देश के कुछ ही राज्यों में स्थापित किये गये हैं न कि सभी राज्यों में। इस सदन में अनगिनत बार मैंने आपसे कहा

[श्री महेश्वर तांती]

कि "आप सिक्किम, मिजोरम, मेघालय में जाइये आपको वहां पर स्वतंत्रता के 40 वर्षों के पश्चात् भी एक भी उद्योग नहीं मिलेगा। यह आपकी नीति है क्योंकि ये लोग आपके विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते। वे अपनी लापरवाही के कारण असफल रहे हैं या कोई और भी कारण हो सकता है। क्या आप नहीं समझते कि वहां कुछ उद्योग धंधे लगाना आपका कर्त्तव्य है? लोगों को आप पर विश्वास नहीं रहा क्योंकि आपने वहां कोई उद्योग नहीं लगाया।

मेरे राज्य में 100 वर्ष पूर्व लोगों को चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया था। असम में लगभग 800 चाय उद्योग हैं। उनमें से 350 चाय उद्योग बन्द होने के कगार पर है। इन उद्योगों के बन्द हो जाने से बहुत से लोग भूख और आवास स्थल के अभाव में मर गये हैं। मानव जाति के सम्मान को बनाये रखने के लिए बना तंत्र उनके जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने में असफल हो गया है।

औद्योगिक विकास आवश्यक है परन्तु किसी प्रकार का क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होना चाहिए और न ही धन का असमान वितरण।

मेरे राज्य में तेल उपलब्ध है लेकिन आप तेल निकालने तथा बड़े तेल शोधक कारखाने मेरे राज्य के बाहर स्थापित कर रहे हैं। जबकि असम में आपने केवल दो तेल शोधक कारखाने स्थापित किए हैं। तथा इन दो कारखानों की क्षमता और जगह स्थापित किए गये कारखानों से कहीं बहुत ही कम हैं। इन दो कारखानों की कुल क्षमता 12.5 लाख टन है। इसीलिए हाल ही में असम के लोगों ने आपको सत्ता से उतार फेंकने का निश्चय किया है। अब उनकी अपनी सरकार है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मुझे आशा है आप इन तेल शोधक कारखानों को तो बाहर नहीं निकाल फेंकेंगे।

श्री महेश्वर तांती : उन्होंने ऐसा आपकी गलत नीतियों के कारण किया है। मैं ऐसे स्थान से हूं जहां पर एक भी उद्योग नहीं है। मेरे जिले में एक भी उद्योग नहीं है और सरकार ने एक विशेष योजना बनाई है कि जिस जिले में एक भी उद्योग नहीं है वहां उद्योग लगाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए वहां पर उद्योग स्थापित करने में आपको क्या कठिनाई है? माननीय उद्योग मंत्री निश्चित ही कहेंगे। अब आप अपने उद्योग स्थापित करिये क्योंकि वहां आपकी अपनी सरकार है। जी हां, मेरी अपनी सरकार है अर्थात् असम गण परिषद सरकार। लेकिन पिछले 36 वर्षों से वहां पर कांग्रेस सत्ता में थी।

आप अपना कर्त्तव्य करने में असफल रहे हैं। और अब आप श्रमिक विरोधी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। हाल ही में आपने कहा था कि आपके विभाग का इससे सम्बन्ध नहीं है। आपके विभाग का सम्बन्ध उद्योग से है। आपकी श्रमिक विरोधी नीति सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तो बात ही क्या गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में भी लगभग सभी उद्योगों में लागू की जा रही है।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन में काम प्राइवेट ठेकेदारों को दिया जाता है और फिर वह ठेकेदार ठेके पर श्रमिकों को लगाता है। ऐसा ही नोकाणन में स्थित सीमेंट फैक्ट्री में भी हो रहा है। अशोक पेपर मिल, सिलघाट जूट मिल जोकि लम्बे समय से बन्द पड़ी है। लेकिन असम गण परिषद सरकार के आने के बाद से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। आपकी श्रमिक विरोधी नीति बहुत ही चौकाने वाली है। वर्षों तक ठेके पर लगाये गये श्रमिकों के हितों का संरक्षण नहीं हो पाता है। क्यों आप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में ठेकेदार द्वारा ठेके पर श्रमिकों से काम करवाने की प्रथा को प्रोत्सा-

हित कर रहे हैं इससे संविधान के प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियमों एवं कानूनों का उल्लंघन होता है।

श्रम और उद्योग आपस में जुड़े हुए हैं। उद्योग बिना श्रमिक के एवं श्रमिक बिना उद्योग के जीवित नहीं रह सकते। अतः आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

चाय बागानों में दैनिक मजूरी पर सैकड़ों श्रमिकों को काम दिया जाता है। इन्हें दो महीने, तीन महीने या 3 वर्ष पश्चात निकाल दिया जाता है। हरेक वर्ष यह तरीका चलता है। उन्हें स्थायी नहीं किया जाता है। महिला अस्थायी श्रमिकों को मातृत्व सुविधायें नहीं मिलती हैं। कानून के अनुसार महिला श्रमिक मातृत्व सुविधाओं की अधिकारी हैं। लेकिन इसकी जांच करने के लिये कोई तंत्र नहीं है। इसलिए उनकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है। उद्योग तथा श्रमिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, मजूरी भुगतान अधिनियम, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम का जहां तक सम्बन्ध है ये सभी कानून उद्योगपतियों द्वारा गैरसरकारी और सावजनिक क्षेत्र में लाये गये हैं। ये सभी कानून बनाये जा रहे हैं लेकिन इस पर कार्यवाही करने तथा प्रबंधकों द्वारा इनका उल्लंघन रोकने के लिए कोई तंत्र नहीं है। प्रबन्धकों के लिए कोई दण्ड का प्रावधान नहीं है चाहे वे कानून का उल्लंघन करें। आप कानून क्यों नहीं बनाते तथा प्रबन्धकों द्वारा किसी भी कानून का उल्लंघन किये जाने पर उसके लिए सजा को अनिवार्य नहीं बनाते ?

श्रमिकों के लिए मानवीय परिस्थितियों एवं अन्य राहत दिये जाने के लिए प्रावधान हैं।

सभापति महोदय : ये बातें उद्योग मंत्रालय के तहत नहीं आती हैं।

श्री भद्रेश्वर तांती : इसीलिए मैंने कहा था कि श्रम और उद्योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी जीविका योग्य मजूरी की क्या स्थिति है ? यदि आप गांवों में जाएं और यदि वहां लोगों के जीवन स्तर को देखें तो आपको उनके जीवन की निराशाजनक तस्वीर देखने को मिलेगी।

संविधान के अनुच्छेद 43क में कहा गया है कि किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठानों या अन्य संगठनों के प्रबन्धन के अधीन कार्यरत श्रमिकों की भागीदारी की रक्षा करना कोई भी कानून बनाकर या अन्य तरीके से या कोई कदम उठाकर उस राज्य की होगी। मेरा नम्र निवेदन है कि मंत्री महोदय इस तथ्य की जांच करें कि मेरे राज्य में लोहे और इस्पात का कोई उद्योग नहीं है, न ही कोई औषधि या फार्मेस्युटिकल उद्योग है। आयुध कारखाना, बंगन फैक्ट्री और न ही कोई ग्राम एवं कुटीर उद्योग ही है। तथा इन्हें वहां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि कुछ उद्योग वहां स्थापित किए जायें ताकि काफी बेरोजगार लोगों को कोई न कोई रोजगार मिल सके तथा हमारे लोकतांत्रिक देश में लोगों को जीविका का कुछ न कुछ साधन मिल सके।

[हिन्दी]

श्री उमाकान्त मिश्र (भिलाईपुर) : सभापति महोदय, अभी मद्रास में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के अवसर पर हमारे प्रधान मन्त्री जी, श्री राजीव गांधी ने, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं उन्होंने नया कार्यक्रम दिया, नया नारा दिया कि बेरोजगारी हटाई जायेगी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटी, बहुत ज्यादा मात्रा में हटी, इस देश से कम हुई और बड़ी तेजी के साथ गरीबी कम हो रही है। प्रधान मन्त्री श्री राजीव

[श्री उमा कान्त मिश्र]

गांधी जी ने जो नया नारा दिया है, बेरोजगारी दूर करने का, उसका हम स्वागत करते हैं और सारा मुल्क स्वागत करता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

5.12 म० प०

यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमें विश्वास है कि इस देश से बेरोजगारी बड़ी तेजी के साथ दूर होगी, लेकिन कैसे दूर होगी ? इसको दूर करने का रास्ता यह है, खाली खेती से इस देश से न बेरोजगारी दूर हो सकती है और न गरीबी दूर हो सकती है। खेती के साथ-साथ बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, इस देश में उद्योगों का औद्योगीकरण करना होगा। औद्योगीकरण का काम प्रारम्भ है। बुनियादी उद्योग बड़ी मात्रा में लगे हैं और लग रहे हैं। किन्तु इस देश में गरीबी दूर करने के लिये, शिक्षितों को काम में लगाने के लिए, टैक्नीकली शिक्षितों को काम में लगाने के लिये, इंजीनियरों, डिप्लोमा होल्डरों और आई० टी० आई० पास लोगों और तमाम अन्य शिक्षितों को काम में लगाने के लिए बड़े पैमाने पर देश में उद्योगों का जाल बिछाना होगा। देश में बड़े उद्योगों का, मझोले उद्योगों का, लघु उद्योगों का, ग्रामीण उद्योगों का और गृह उद्योगों का जाल बिछाना होगा। यह जाल प्रत्येक ब्लाक में, प्रत्येक गांव में और प्रत्येक जिले में बिछाना होगा। इसके लिये पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर, ज्वाइंट सैक्टर या कोई अन्य सैक्टर नहीं देखना होगा। पब्लिक सैक्टर हो, प्राइवेट सैक्टर हो, को-आपरेटिव सैक्टर हो, ज्वाइंट सैक्टर हो, प्रत्येक सैक्टर को प्रत्येक क्षेत्र को सेवा में लगाना होगा। जब बड़े पैमाने पर उद्योगों का देश में औद्योगीकरण होगा, तब बड़े पैमाने पर देश से गरीबी दूर होगी और बेरोजगारी दूर होगी।

देश में जो पिछड़े जिले हैं, तहसील हैं, ब्लाक्स हैं, उन क्षेत्रों में औद्योगीकरण करना आवश्यक है। प्रत्येक जिले में दो-तीन बड़े उद्योग लगें। उनके सहायक उद्योग लगें और प्रत्येक विकास खण्ड में मझोले उद्योग लगें और ग्रामीण उद्योगों का जाल बिछायें। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कई वर्षों पहले एक शिवरमण कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार जो बड़े जिले हैं, उनके सब-डिवीजन और उनमें विकास खण्डों को पिछड़ा घोषित किया जाए, ताकि उन विकास खण्डों में, सब-डिवीजनों मे उद्यमी लोगों को सुविधायें मिलने के कारण उद्योग लग सकें। उत्तरी मिर्जापुर जिला बहुत बड़ा जिला है और वाराणसी जिला भी पिछड़ा है, जहां पर कोई उद्योग नहीं है। मिर्जापुर के दक्षिणी क्षेत्र में कोयला और बिजली के कारण बड़ी संख्या में उद्योग लग रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। कानपुर में, नैनी में, मोदीनगर में, अहमदाबाद में—जहां एक उद्योग लगता है, वहां दो-तीन-चार-पांच उद्योग लगते चले जा रहे हैं और उन उद्योगों का केन्द्रीयकरण होता है, जबकि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। उद्योगों का लाइसेंस देते वक्त उनको बताना चाहिए कि अमुक पिछड़े विकास खण्ड में उद्योग लगाए जायें। मिर्जापुर जिले में मिर्जापुर शहर के पास एक बड़ा उद्योग लगाया जाए और वाराणसी जिले में ज्ञानपुर भदोई तहसील में एक बड़े उद्योग की स्थापना हो।

अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सेन्ट्रल सेक्टर में कम से कम 14 परसेन्ट इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किन्तु उत्तर प्रदेश में 4 परसेन्ट ही केन्द्रीय पूंजी का विनियोग हो रहा है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश की आबादी और पिछड़ेपन को देखते हुए उत्तर प्रदेश में और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी

का नियोजन किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मन्त्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया। मुझे दो तीन बातें कहनी हैं।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यहां से सिर्फ 225 किलोमीटर दूर मेरी कांस्टीटुयेन्सी है। दिल्ली जो सेन्ट्रल मुकाम है, उससे यह सिर्फ इतनी दूरी पर है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वहां पर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं है। जब श्री एन० डी० तिवारी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो सन् 1986 में जिला एटा के एक मुकाम अलीगंज, जो एक कस्बा है, पर उन्होंने कैबिनट मीटिंग बुलाई थी और ओपनली मीटिंग में यह कहा था कि हम अलीगंज के लिए एक स्पीनिंग मिल दे रहे हैं। अब वहां की जनता हमसे यह पूछती है कि उस वायदे का क्या हुआ। उन्होंने ओपनली हमें स्पीनिंग मिल देने के लिए कहा था। मैं तो अपोजीशन का आदमी हूं लेकिन कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने ओपनली यह कहा था कि हम एक स्पीनिंग मिल वहां पर दे रहे हैं। अफसोस की बात है कि वहां पर अभी तक स्पीनिंग मिल नहीं मिली। हमारा जिला बैकवर्ड है और वहां पर ओपनली कहने के बाद भी स्पीनिंग मिल नहीं लगी। हमारा जनपद उत्तर प्रदेश का बहुत ही बैकवर्ड और क्रिमिनल इलाका है। वहां पर कोई इंडस्ट्री नहीं है और इसलिए वहां के लोग बेकार हैं और परेशान हैं। वह इलाका बिल्कुल सेन्टर के करीब है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका जो इंडस्ट्रीज के लिए सर्वे होता है, वह पोलीटीकल बेसिस पर होता है। जहां पर रा-मैटीरियल है, वहां पर इंडस्ट्री खुलनी चाहिए लेकिन वहां पर इंडस्ट्री नहीं खुलती है। मेरे इलाके में तम्बाकू और गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है। मैंने कई दफा कहा है कि तम्बाकू की इंडस्ट्री वहां पर कायम की जाए ताकि वहां के काश्तकारों का खून जो मिडिलमैन चूसते हैं, वे न चूस सकें लेकिन आज तक किसी ने इस बात को सुना ही नहीं। 5 एम० एल० एज० की मेरी कांस्टीटुयेन्सी है लेकिन वहां पर आज तक कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई है। रेलवे लाइन है, तो सिर्फ देखने के लिए है। हमें आजादी मिले 40 साल हो गये हैं लेकिन आज भी उस एरिया में गरीबी और पिछड़ापन है। 225 किलोमीटर यहां से मेरी कांस्टीटुयेन्सी है लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हुआ है। इस चीज पर आपको गौर करना चाहिए। गवर्नमेंट वायदा तो पब्लिक में कर देती है लेकिन उसको पूरा नहीं करती है और इसका नतीजा यह है कि पब्लिक आपके खिलाफ हो गई है।

अन्त में मेरी गुजारिश है कि जनपद एटा में आप एक इण्डस्ट्री खुलवा दें, जिससे जो लोग बेकार हैं, उनको काम मिल सके। अब टाइम और ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं खत्म करता हूं और डिप्टी स्पीकर साहब के हुकुम की तामील करना मेरा फर्ज है।

श्री चरनजीत सिंह बालिया (पटियाला) : जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है तथा पंजाब वासियों ने कृषि उत्पादन के लिए अथक कार्य किया है। मैं कहूंगा कि देश में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब से ही आई है। कृषि उत्पादन में और अधिक वृद्धि करने की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब में दूसरे उद्योग लगाने की आवश्यकता है। यहां पर उद्योग धन्धे शुरू करने की जरूरत है। किन्तु खेद की बात है कि अन्य क्षेत्रों की तरह, उद्योगों की स्थापना के मामले में भी पंजाब से भेदभाव किया जा रहा है।

मैं यहां पर बताऊंगा कि निर्माण के क्षेत्र में 16.33 प्रतिशत राष्ट्रीय योगदान के मुकाबले पंजाब

[श्री चरनजीत सिंह वालिया]

का योजदान केवल 12.06 प्रतिशत है तथा पंजाब में बड़े स्तर के उद्योगों की स्थापना की प्रतिशतता लगातार कम होती जा रही है। 1978-79 में यह 2.20 प्रतिशत थी। 1985-86 में यह कम होकर 1.05 प्रतिशत हो गई है। इन बदली हुई परिस्थितियों में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस नीति में संशोधन करें तथा पंजाब के साथ, केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने के मामले में, कोई भेद-भाव नहीं होना चाहिए। पंजाब जहां कि अशांति है, स्थिति बहुत ही खराब है। शिक्षित और अशिक्षित युवा दोनों ही बेरोजगार हैं। राज्य में उद्योगों को स्थापित करने के लिये उद्योगपतियों तथा उद्यमियों को आकर्षित करने के वास्ते पंजाब को 'ए' श्रेणी का औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य घोषित करना चाहिए। पंजाब के तीन जिले 'बी' श्रेणी में तथा तीन 'सी' श्रेणी में आते हैं। राज्य के 118 ब्लाकों में से 16 ब्लाकों में एक भी उद्योग नहीं है। युवा व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए पंजाब को 'ए' श्रेणी या औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। उद्योग स्थापित करने के 80 प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं। मेरा अनुरोध है कि पैट्रो-रसायन परियोजना, इलैक्ट्रानिकी स्विचिंग सिस्टम परियोजना, बीग्रियो कैसेट रिकार्डिंग परियोजना जो कि केन्द्र सरकार के पास लम्बित है इन्हें स्वीकृति देकर पंजाब में स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

खनिज संसाधनों के संबंध में पंजाब काफी पीछे है। पंजाब को 50,000 वैगन सोफ्ट कोक की आवश्यकता है, उसके मुकाबले उसे 15,300 वैगन ही मिल पा रहा है। पंजाब को 14,000 वैगन हार्ड कोक की आवश्यकता है उसके मुकाबले उसे 3,300 वैगन ही मिल रहा है जैसा कि आप जानते हैं पंजाब में कच्चे लोहे की कमी है तथा औद्योगिक इकाइयां बन्द होने के कगार पर हैं। अत: सरकार से मेरी गुजारिश है कि सभी उद्योगों को देश के किन्हीं विशेष स्थानों पर केन्द्रित न करें अपितु लोगों का राजनैतिक सम्बद्धता का विचार किये बिना उन्हें देश के सभी भागों में स्थापित किया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि पंजाब के साथ भेदभाव न किया जाये और पंजाब के लिये औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृत करने में उदारता बरती जाये ताकि बेरोजगार युवाओं को किसी न किसी प्रकार का रोजगार दिलाया जा सके। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मेरी बात को सुनिये, मैं क्या कह रहा हूं। मन्त्री जी को उत्तर देने दीजिये और अगर यदि आपको कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो आप उसे अन्त में पूछ सकते हैं। अन्यथा अभी हमारे पास पर्याप्त वक्त नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, यह सही नहीं है। वास्तव में अब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि सभी दलों को अवसर मिलना चाहिए··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं सभी दलों को समय नहीं दे सकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं तीन मिनट का भाषण दूंगा। सच तो यह है कि जब मैंने श्री बेंगल राव को देखा तो मेरी बोलने की इच्छा हो गई।

प्रारम्भ में मैं—सभी लोगों को इस बात से आश्चर्य हो सकता है—एक बात के लिए श्री बेंगल राव की प्रशंसा करूंगा। हम ज्यादा नजदीक से एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं कभी भी उन्हें उनके कार्यालय में नहीं मिला लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पत्र पर उन्होंने क्या कार्यवाही की जो कि मैंने उन्हें श्रीनगर में एच० एम० टी० की इकाई लगाने के बारे में लिखा था। मैंने उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में हमारे यहां सिर्फ एक ही उद्योग अर्थात् एच० एम० टी० यूनिट ही है और किसी दिन भ्रष्टाचार, उत्पादन में कमी एवं उत्पादकता में कमी के कारण यह इकाई बंद

हो जायेगी। मैंने उन्हें बताया था कि प्रबन्धकों के खिलाफ कुछ आरोप थे। लेकिन इसका श्रेय उन्हें जाता है। उनके कार्य करने का तरीका विनम्रतापूर्ण है लेकिन मैंने पाया कि उन्होंने काफी सख्त कार्यवाही की तथा इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन मुझे यह पता चला कि उन्होंने न सिर्फ श्रीनगर स्थित एच० एम० टी० इकाई में एक दल भेजा अपितु वे स्वयं वहां गए और कुछ व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया। यद्यपि उनके पत्र में उन्होंने मेरी इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि श्रीनगर स्थित एच० एम० टी० इकाई को पिछले दो वर्षों में दो करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। लेकिन उन्होंने समय पर कार्यवाही की और इसमें कुछ सुधार हुआ है।

इस प्रशंसा के पश्चात् मैं उनके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब बुराई।

श्री सैफुद्दीन सोज : अब मैं मन्त्री जी का ध्यान जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर दिलाना चाहता हूं न सिर्फ कश्मीर की ही और अपितु पूरे राज्य की ओर कि भारत के औद्योगिक मानचित्र में हमारा कहीं नाम नहीं है। मेरे इस प्रश्न के बारे में कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में जम्मू तथा कश्मीर राज्य ने कितनी पूंजी निवेश की है तत्कालीन वित्त मन्त्री का जवाब था कि हमारी वहां सिर्फ एक ही इकाई है अर्थात् एच० एम० टी० तथा इस इकाई में कुल निवेश 6.7 करोड़ रुपये है। अतः यह 0.07 प्रतिशत बैठता है। मैं नहीं कहता कि राज्य में कुछ भी नहीं किया गया है। बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें प्रशंसनीय प्रगति की गई है। लेकिन जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का संबंध है हमारे यहां कोई उद्योग नहीं है उसके कारणों को भूल जाइये। श्री वेंगल राव कार्य करने में विश्वास रखते हैं और जब उन्हों ने कार्यवाही की तो मुझे इस कहावत में पक्का यकीन हो गया कि कहने की बजाय कार्य करने का ज्यादा महत्त्व होता है। अतः मैं जानना चाहता हूं क्या वे इस असंतुलन को दूर करेंगे। हमारे वहां राज्य में एक भी उद्योग नहीं है। मैं उनका ध्यान स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गये वचन की ओर दिलाऊंगा जिसका राजीव जी ने भी जम्मू और कश्मीर का दौरा करते वक्त समर्थन किया था। श्रीमती प्रधान मंत्री ने उस समय कहा था कि जम्मू और कश्मीर पर्यटन स्थल हैं। यहां के वातावरण को प्रदूषित नहीं किया जाना चाहिए। अतः हमें यहां पर पूंजी-प्रधान हल्के उद्योग लगाने चाहिए जिससे प्रदूषण नहीं होगा जैसे कि इलेक्ट्रानिकी या अन्य उद्योग। जो कोई भी उद्योग आप वहां लगायें मैं तो सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

इस समय तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा और अगली दफे जब आप मुझे ज्यादा समय देंगे तो मैं राज्य में औद्योगिक विकास पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा कि आपने कहा, वे कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। अतः वे अभी काफी सारे कार्योन्मुखी बातें कहेंगे।

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इस वर्ष मांगों पर उत्तर देने के लिए मुझे अवसर मिला है। पिछली दफे इन्हें गिलोटीन कर दिया गया था। चर्चा मेरे पुराने सहयोगी श्री श्रीराममूर्ति द्वारा शुरू की गई थी। जब मैं मुख्य मन्त्री था तो वह मेरे मन्त्रिमण्डल में थे··· (व्यवधान) मैं आपको एक संबंध के बारे में बता रहा हूं। यद्यपि वह विपक्ष में हैं फिर भी हमारे संबंध अभी भी अच्छे हैं।

महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विभिन्न मुद्दों का उत्तर देने से पूर्व मैं देश में व्याप्त स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा। मैं सदस्यों से अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे देश की तुलना जापान या अमरीका से न करें। महोदय, हमारे देश की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है। अभी-अभी एक

[श्री जे० वेंगल राव]

माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधान मन्त्री जी ने मद्रास में कहा था कि वे देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हम इसे अधिकतर जनता को कृषि से हटाकर औद्योगिक क्षेत्र में नहीं लगाते, हम बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकते, हम प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा सकते तथा देश में गरीबी की समस्या को दूर नहीं कर सकते। हमारी सरकार का यही मुख्य उद्देश्य है। तथा सरकार का सारा जोर देश में उद्योग-धन्धे लगाने, औद्योगिक क्रान्ति लाने पर है। तभी हम इस समस्या को हल कर सकते हैं।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरित क्रान्ति के माध्यम से हमने कृषि के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब उद्योग के क्षेत्र में क्रान्ति लाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें कई कमियां हैं। मैं नहीं कहता कि हमारे यहां सभी व्यक्ति स्वर्ग से आये हैं या देवदूत हैं। कुछ खामियां हैं।

महोदय, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने चर्चा के दौरान मूल्यवान सुझाव दिये। एक बात के लिए मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहूंगा। विशेष रूप में श्री भट्टम श्रीराममूर्ति को जो कि मेरे अच्छे सहयोगी हैं। यदि आप देश को औद्योगीकृत करना चाहते हैं, उद्योग-धन्धे स्थापित करना चाहते हैं, प्रदेशों में असंतुलन दूर करना चाहते हैं तो आपको विद्युत उत्पादन पर अपना सारा ध्यान देना होगा। बिना विद्युत के आप कैसे आशा कर सकते हैं कि विकास कार्य हों? कैसे आशा की जा सकती है कि इसके बिना उद्योग स्थापित हों? यहां तक कि आज भी देश में उद्योगों की स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए भी विद्युत पर्याप्त नहीं है। हम इन उद्योगों में पूंजी निवेश करके देश के पैसे को बर्बादी कर रहे हैं। मैं ऐसा स्पष्ट रूप में बोल रहा हूं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा पूंजी निवेश 70,000 करोड़ रुपये है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपये की पूंजी लगी हुई है। महोदय आन्ध्र प्रदेश में लगभग सभी सीमेंट कारखाने बन्द पड़े हैं। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। सूखे के कारण हमारे पनबिजली जलाशय खाली हो गये हैं तथा बिजली की कमी के कारण हम औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इन मुश्किलों के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में उद्योग मन्त्री तथा राज्य में मुख्य मन्त्री होने की वजह से मैंने राज्य में औद्योगिक दृष्टि से सुधार के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयास किये। अब हमारा दायित्व अकेले राज्य को ही नहीं अपितु पूरे देश को औद्योगीकृत करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं सम्पूर्ण देश में दो ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विद्युत का उत्पादन उनकी आवश्यकता से अधिक है। वे राज्य हैं महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश और और अन्य राज्यों में बिजली की कमी है। जैसा कि मैंने कहा था, हम स्थापित क्षमता का उपयोग करने की स्थिति में नहीं है। बहुत से नये उद्योग शुरू करने की बजाए, हमें अपने विद्युत उत्पादन में निवेश करना चाहिए। सातवीं योजना के अन्त तक, योजना आयोग के अनुसार, ऊर्जा मन्त्रालय के अनुसार, 10,000 मेगावाट की कमी रह जाएगी। इसीलिए मैं हमेशा प्रधान मन्त्री से विद्युत उत्पादन पर अधिक ध्यान दिये जाने का अनुरोध करता रहा हूं और राज्य सरकारों भी विद्युत उत्पादन के लिए अधिक धन लगाना चाहिए। उनके अन्य कार्यक्रमों के बावजूद, उन्हें विद्युत उत्पादन पर अधिक धन लगाना चाहिए। मैं एक बार फिर सभी सदस्यों को यह याद दिलाना हूं कि विद्युत के बिना आप राज्य का विकास नहीं कर सकते, आप इस देश का विकास नहीं कर सकते। क्योंकि मुख्य मन्त्री के रूप में मैंने योजना आवंटन का 40 प्रतिशत विद्युत पर खर्च किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। विद्युत के बिना हम इन उद्योगों की आशा नहीं कर सकते। आप अच्छी तरह जानते हैं, यहां पर···

प्रो० मधु दंडवते : साठे इसके लिए जिम्मेदार हैं।

श्री जे० बंगल राव : साठे नहीं, हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं क्योंकि हम लोगों का झुकाव कृषि की ओर है और हमारा झुकाव उद्योग की ओर नहीं है। यही दोष है। अमरीका में 5 प्रतिशत लोग हैं जो कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो अपने देश के लिए उत्पादन कर रहे हैं और जो अन्य देशों को भी निर्यात कर रहे हैं जबकि हमारे देश में हमारे 80 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं और हमारे लिए पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अभी-अभी पंजाब से आए हमारे माननीय सदस्य बोले थे। गत छ वर्षों में हर प्रकार की अशान्ति के बावजूद, पंजाब में उत्पादन बहुत अच्छा रहा है। पंजाब में उनकी प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी है। और हम पंजाब को एक विशेष मामला मान रहे हैं। श्री रामूवालिया से पूछिए। जब वह और उनके मंत्री मेरे कार्यालय में आये, मुझे याद है कि एक ही दिन में मैंने चार चीनी कारखानों और एक टायर फैक्टरी की स्वीकृति दी थी। जो कुछ भी वे चाहते हैं हम दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं अपने राज्य की ओर से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

श्री जे० बंगल राव : ऐसा आपकी खातिर नहीं बल्कि देश की खातिर किया गया है।

[हिन्दी]

प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज : आपके साथ तो सभी खुश है।

[अनुवाद]

श्री जे० बंगल राव : मैं आपके जम्मू और कश्मीर में भी आऊंगा। (व्यवधान)

महोदय, इस लाइसेंस नीति के बारे में, हमने सम्पूर्ण व्यवस्था में पूरी तरह परिवर्तन कर दिया है। इसको काफी उदार बना दिया गया है। आशय-पत्र प्राप्त करने के लिए हमारे उद्योग भवन आने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र हमें भेजें। यदि आप एक प्रार्थना-पत्र लिखें, तो जहां तक संभव होगा 45 दिनों के अन्दर आपको अपने घर पर आशय-पत्र मिल जाएगा। मैं अपने विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी कारण बहुत से लोग उद्योगों में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगामी मौसम में अच्छी वर्षा हो, ताकि सम्पूर्ण देश में हमारी बिजली की स्थिति में सुधार हो और बहुत से लोग उद्योगों को लगाने के लिए आगे आएं।

मैं अपने साथी श्री श्रीराम मूर्ति को एक मुद्दे के बारे में याद दिला रहा हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं, वारांगल और खम्माम जिले में, जोकि नक्सलवादियों से प्रभावित जिले हैं, ग्रेनाइट की खानें हैं। इससे पहले, आप ग्रेनाइट पत्थर का उपयोग सड़कों को पक्का करने के लिए कर रहे थे। अब वह ग्रेनाइट अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ही उपयोगी है और मैंने 30 एककों की पहले ही स्वीकृति दे दी है। एक सौ अनिवासी भारतीय वारांगल, खम्माम और नालगोंडा जिलों में यूनिटें स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए देश के अन्दर और देश के बाहर भी काफी समर्थन मिला है। अब हमें इसके लिए आधारभूत सुविधाएं पैदा करनी होंगी। हमें उनके लिए सुविधाएं पैदा करनी होंगी और हमें बिना किसी देरी के उनके आवेदन-पत्रों को निपटाना होगा। केवल तभी हम और अधिक लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। वह हम अब कर रहे हैं। हमने लाइसेंस देने के अपने बहुत से पहलुओं को उदार बना दिया है और उसके लिए और अधिक सुविधाएं और प्रोत्साहन देने होंगे।

अब हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमें आधुनिक उद्योग लगाने होंगे। हमें बड़े पैमाने पर पेट्रो-रसायन उद्योग शुरू करने चाहिए। केवल बड़ौदा में आई०पी०सी०एल० है। महाराष्ट्र

[श्री के० बेंगल राव]

में आगामी वर्ष में पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स स्थापित किया जाएगा।

हल्दिया के बारे में हमने लगभग इसे स्वीकृति दे दी है। वे इसके लिए उत्सुक नहीं हैं। आशय-पत्र 1977 में दिया गया था। उन्हें इसके लिए वित्तीय संस्थाओं के पास जाना है। ऐसा करना उद्योग मंत्री की ड्यूटी नहीं है। उद्योग मंत्री की ड्यूटी केवल उसे स्वीकृति देने की है। आप जाएं और वित्तीय संस्थाओं को अपनी बात बताएं और आप उन्हें अपनी परियोजना की व्यवहार्यता के बारे में उन्हें राजी करें। (व्यवधान) राज्यों में, जहां सुविधाएं हैं, हम 5 अथवा 6 पेट्रो-रसायन परियोजनाएं स्थापित कर रहे हैं। पेट्रो-रसायन परियोजनाओं की भारी मांगें हैं। पेट्रो-रसायन उद्योग के लिए, आपको लगभग 2000 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे। वहां सहायक उद्योग के लिए काफी गुंजाइश है और विशाखा-पत्तनम में एक पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स लगाने के बारे में विचार किया जाएगा। सौभाग्यवश गोदावरी और कृष्णा बेसिनों में गैस और तेल भी हैं। विशाखापत्तनम रिफाइनरी में और विस्तार की गुंजाइश है। इसीलिए हमें इस ओर विशेष प्रयास करने चाहिए।

लघु उद्योग के बारे में भी, हम इस क्षेत्र को काफी महत्व दे रहे हैं। अब 14.73 लाख लघु एकक हैं और जैसाकि आपने उल्लेख किया लगभग 1.45 लाख एकक रुग्ण हैं। इनका प्रतिशत क्या है? यह 7.1 प्रतिशत है। इन एककों के रुग्ण होने के बहुत से कारण हैं। उनमें कुप्रबन्ध है, धन को और काम में लगा दिया जाता है। वित्तीय संस्थाओं को उनके धन से वंचित किया जा रहा है और ऐसी बहुत सी बातें हैं। हमने एक राष्ट्रीय इक्विटी निधि बनाई है उसमें 10 करोड़ भारत सरकार का है और 10 करोड़ आई०डी०बी०आई० का है। एक प्रतिशत ब्याज के साथ वे रुग्ण एककों की उनके पुनर्वास में सहायता करेंगे। अब गुंजाइश। इस लघु उद्योग में और अधिक रोजगार पैदा होंगे। मैं एक मुद्दे का उल्लेख कर रहा हूं। आप इसको आलोचना के रूप में न लीजिए। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हम अन्ततः 7500 करोड़ निवेश कर रहे हैं। इससे केवल 10,000 प्रत्यक्ष रूप से और 10,000 अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा होगे। यदि आप इस धनराशि को लघु क्षेत्र में लगाएं तो उससे 10 लाख रोजगार पैदा होंगे। अब ये लगभग 14 लाख लघु उद्योगों में 142 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और उत्पादन बहुत अधिक हुआ। हम उत्पादों का निर्यात भी कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के बारे में, मैं एक मुद्दे पर आपके साथ अवश्य सहमत हूं। कुछ राज्य स्वामित्व के एकक हैं। पश्चिम बंगाल और अन्य स्थानों पर लघु एकक एक दो वर्ष पहले ब्रिटिश शासन में शुरू किए गये थे। बंगाल पॉटरीज 1919 में शुरू की गई थी। बंगाल कैमीकल्स एण्ड इम्युनिटीज 130 वर्ष पहले शुरू की गई थी। इन सभी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और बिना आधुनिकीकरण और बिना पर्याप्त निवेश के हमें उनसे लाभ नहीं हो सकता; इसीलिए उनमें घाटा हो रहा है। मैं आंकड़े दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : आप उन्हें धन दीजिये।

श्री के० बेंगल राव : उनके लिए धन भी आएगा। रुग्ण एककों के बारे में, जैसाकि श्री श्रीराम मूर्ति ने उल्लेख किया था कि 27 एकक हमारे सीधे नियंत्रण में आते हैं (व्यवधान) 11 एककों में घाटा हो रहा है। 16 एककों में लाभ हो रहा है (व्यवधान) कृपया मुझे टोकें नहीं। चूंकि आपने विशाखापत्तनम में भारत हैवी प्लेट्स के बारे में उल्लेख किया था, इसलिए एक वर्ष पहले मैंने उसकी जांच की थी। उसने उस वर्ष अर्थात 1986-87 में लाभ कमाया था। उन्होंने बैंक को जुर्माने के रूप में ब्याज दिया था और अन्य समायोजन कार्य किये थे। इसीलिए उनको घाटा हुआ था। उस वर्ष कर से पहले लाभ 5,72,52030 रुपए था। इस वर्ष और अगले वर्ष आर्डर बुक बहुत अच्छी है। वह

लाभ हमारी आशाओं से अधिक होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं (व्यवधान)

5.46 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो कुछ मंत्री ने कहा है उसको छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : श्री जयपाल रेड्डी की उद्योगों में रुचि नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह हल्ला गुल्ला में रुचि रखते हैं।

श्री जे० बेंगल राव : उनका निर्वाचन क्षेत्र उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। मेरे मंत्रालय के पास बहुत से विषय हैं। मैं उनके बारे में भी अवश्य बताऊंगा।

पहला है औद्योगिक विकास।

दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र।

तीसरा है सार्वजनिक उद्यम।

चौथा है डी०जी०टी०डी०।

पांचवां है कम्पनी कार्य, एम०आर०टी०पी० और छठा है पेट्रो-रसायन और रसायन और औषधियां।

मुझे इन सभी विभागों का उत्तर देना है। (व्यवधान) मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं। आपको भी मेरे मंत्रालय के बारे में अवश्य समझना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये सभी बातें बता रहा हूं। (व्यवधान) महोदय, मैं अपने मित्रों को एक बात स्पष्ट कर दूं। उनका सम्बन्ध किसी भी दल से हो, किसी भी दल का राज्य सरकार में शासन हो। हम निष्पक्ष तरीके से चल रहे हैं और हम विवेकपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपको वह बताना होगा। जब तक आप वह नहीं बताएंगे लोग यह नहीं मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगल राव : यदि आपको कोई शंका है तो कृपया अपने मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु से पूछिये (व्यवधान) श्री हेगड़े से पूछिये ··· (व्यवधान) श्री रामाराव से पूछिये। हाल ही में वह आए थे और मुझसे मिले थे। इससे पूर्व उनको कुछ शंकाएं थीं। हाल ही में वह आए और मुझ से मिले। मैंने उनके साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार किया था। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि श्री बेंगलराव बहुत ही सहयोगशील हैं ··· (व्यवधान) लेकिन सौभाग्यवश उसके पास अधिकार नहीं हैं। ये टिप्पणियां हैं। (व्यवधान) मैं अपने मुख्य मंत्री की ओर से यह रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि श्री बेंगलराव बहुत ही सहायक, सहयोगशील हैं लेकिन वह अपनी शुभकामनाओं के बावजूद भी काम नहीं करा सकते। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : आप मेरे अधिकार के बारे में नहीं जानते। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको अपना अधिकार दिखाना चाहिए। हम आपका अधिकार देखना चाहते हैं। आप भारत के उद्योग मंत्री हैं। आप उसी तरह व्यवहार कीजिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो।

श्री जे० बेंगलराव : मैं गृह मन्त्री रहा हूं और राज्य का मुख्य मन्त्री भी रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि···(व्यवधान) यह मत सोचिये कि मेरे पास शक्ति नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऊर्जा मन्त्री स्वयं यहां हैं।

(व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : मैंने रुग्ण इकाइयों के बारे में उत्तर दिया है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, बंगाल पोटरीज के बारे में क्या हुआ ?

श्री जे० बेंगलराव : मैं बंगाल पोटरीज पर भी आ रहा हूं। साइकिल निगम, बंगाल पोटरीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये सब घाटे में चल रही हैं। हम इन सब उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। मैं कुशल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पक्ष में हूं। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप कृपया उन्हें कार्यकुशल बनाइये।

श्री जे० बेंगलराव : पहले आप मेरी बात सुनिये···(व्यवधान) मैं अकार्यकुशल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पक्ष में नहीं हूं समाजवाद के नाम पर हम करोड़ों रुपये बरबाद नहीं करना चाहते हैं हम सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नाम पर करोड़ों रुपये नष्ट कर रहे हैं। आपको उनका आधुनिकीकरण करना चाहिए। आपको सभी श्रमिकों को सहयोग देने और उत्पादन बढ़ाने के लिए कहना चाहिए सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा किया गया उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र की तुलना से कम है।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या आप उसके लिए जिम्मेदार हैं ? (व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : मैंने सुबह प्रश्न काल के दौरान साइकिल निगम के बारे में जवाब दिया था। हीरो साइकिल के बारे में···(व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : कच्चा माल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : आपकी बम्बई में एक साइकिल कारपोरेशन है। उनकी कलकत्ता में एक साइकिल कारपोरेशन है। मैं उस पर आऊंगा। हीरो साइकिल के लोग, वे उत्पादन कर रहे हैं···

(व्यवधान)

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप मेरे साथ आएंगे ? मैं आपको दिखा ऊंगा। आप हमें कच्चा माल दीजिए। मैं आपको एक आश्वासन, वायदा करता हूं कि हम ऐसी बहुत सी साइकिलें बना सकते हैं। हमारे पास सभी मशीनें है। कृपया इस सम्बन्ध में कुछ कीजिए। (व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव : कृपया मेरी बात सुनिये। मैं आपसे चर्चा करूंगा। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और गैर-सरकारी उपक्रमों को उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आपके पास कुशल सार्वजनिक क्षेत्र होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर, हमें राष्ट्र का धन नष्ट नहीं करना चाहिए। आज भी मेरा यही विश्वास है। (व्यवधान)

आज भी मेरा यही विश्वास है। (व्यवधान) सुबह ही मैंने···

डा० दत्ता सामन्त : वास्तव में आप लोगों ने उद्योग को नष्ट कर दिया है···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : जब तक आप कच्चा माल नहीं उपलब्ध करवाते, जब तक आप कार्य पूंजी उपलब्ध नहीं करवाते, कर्मचारी कार्य कैसे करेंगे ? आप कच्चा माल दीजिए और आप पाओगे कि वे एक दिन में चार की बजाय छः साइकिलें बनायेंगे···(व्यवधान)

श्री जे० बेंगलराव :···बारे में···

प्रो० मधु दण्डवते : 6 बजे गिलोटीन होगी।

श्री जे० बेंगलराव : 6 बजे मैं बैठूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य : बंगाल पोटरीज का क्या हुआ ?

श्री जे० बेंगलराव : कृपया मेरी बात सुनिये।

कुमारी ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि मुझे पश्चिम बंगाल के सभी सांसदों को बुलाना चाहिए। मैं सभी दलों के सदस्यों को, आप सबको बुलाऊंगा, मैं आप सब के साथ बंगाल पोटरीज के बारे में और रुग्ण इकाइयों के बारे में चर्चा करूंगा। मैं इस सत्र के समापन से पहले अवश्य ही यह करूंगा मैं आपके सुझाव लूंगा। आप चाहते हैं तो मैं सभी राज्यों के संसद सदस्यों को भी निमन्त्रण दूंगा; मुझे कोई आपत्ति नहीं।

डा० दत्ता सामन्त : महाराष्ट्र के बारे में क्या है ?

श्री जे० बेंगलराव : मैंने आपको अभी बताया है, "सभी राज्यों के" हर रोज मैं एक राज्य ले सकता हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : सार्वजनिक क्षेत्र पर श्वेत पत्र के बारे में क्या है ?

श्री जे० बेंगलराव : अब श्वेत पत्र तैयार है; यह संवीक्षा के अधीन है। इस सत्र के समाप्त होने से पहले कभी भी, मैं इसे सदन के सभा पटल पर रखूंगा। हम उस पर चर्चा भी करेंगे।

सीमेन्ट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया का भी कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया है। सीमेन्ट कॉरपोरेशन आफ इण्डिया के प्रबन्ध के अधीन दस सीमेन्ट संयंत्र हैं और इसकी 50 प्रतिशत क्षमता आन्ध्र प्रदेश में है—वहां तीन संयंत्र हैं, एक यामुगुंटला में है, एक आदिलाबाद में और एक तंजोर में है। बिजली के कारण, क्योंकि वहां पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है, ये सभी संयंत्र बन्द पड़े हैं···

एक माननीय सदस्य : श्री साठे जी हैं।

श्री जे० बेंगलराव : वह भी पर्याप्त नहीं है। वहां सातवीं योजना के अन्त तक 10,000 मेगावाट बिजली की कमी होगी। इसीलिए, हमने हाल ही में श्री विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की है - वह उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने कुछ सिफारिशें दी है। उन सब सिफारिशों पर विचार किया जाएगा। और हम सीमेन्ट संयंत्र के कार्यकरण में सुधार लाने का प्रयास करेंगे और नुकसान नहीं होने देंगे।

कुछ माननीय सदस्यों ने सार्वजनिक उपक्रमों में खुले खर्च का और भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। कुछ सीमा तक मैं उनके इस मुद्दे से सहमत हूं, क्योंकि वे एक मन्त्री से अधिक सुख भोग रहे हैं। हमने उन्हें स्वायत्तशासी बनाया है। एक सहमति हुई है। हम उनके रोज के प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आप उनसे मंत्री के घर में रहने के लिए कहें तो वे सहमत नहीं होंगे। वे आलीशान

[श्री जे० वेंगल राव]

फर्नीचर खरीदेंगे। कुछ शिकायतें हैं। कुछ इकाइयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। मैं सुधारने का प्रयास कर रहा हूं 225 सार्वजनिक उपक्रम हैं। वे सब मेरे नियन्त्रण के अधीन नहीं हैं। केवल 27 इकाइयां मेरे अधीन हैं। कुछ श्री साठे और कुछ दूसरी इकाइयां अन्य मंत्रियों के अधीन हैं···

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम प्रधान मन्त्री जी से सिफारिश करते हैं कि बाकी इकाइयों को भी आप हस्तांतरित कर दें।

श्री जे० वेंगलराव : मेरे लिए यह पर्याप्त है। मुझे आपकी सिफारिश नहीं चाहिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरी सिफारिश से जो आपके पास अब है वह भी जाता रहेगा।

श्री जे० वेंगलराव : दंडवते जी, वह मेरी पार्टी में थे वह जहां भी रहे, एक असन्तुष्ट रहे··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : सुधार के बाद, वह हमारे पास आ गये।

श्री जे० वेंगलराव : रुग्ण इकाइयों के बारे में भी हमने इस सदन में एक कानून पारित किया था। बी० एफ० आई० इसकी देखभाल कर रहा है। हम इसे सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे।

6.00 म० प०

लघु उद्योगों के बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था।

जम्मू और काश्मीर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात है। जम्मू और काश्मीर असम उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र या भारी उद्योग लगाना बहुत कठिन है, हमें जलवायु को भी खराब नहीं करना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने इस गिलोटीन के लिए धन्यवाद दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में उद्योग मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 50 से 53 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गई, राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

(तीन) नागर विमानन मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय

संचार मंत्रालय, आदि

अध्यक्ष महोदय : अब मैं निम्नलिखित मन्त्रालयों/विभागों से सम्बन्धित शेष अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मन्त्रालयों से सम्बन्धित निम्नलिखित मांग संख्याओं के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :

(1) नागर विमानन मन्त्रालय से संबंधित मांग संख्या 6;

(2) वाणिज्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 7 और 8;

(3) संचार मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 9 से 11;

(4) पर्यावरण और वन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 22;

(5) वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 24 से 27, 29, 30 और 32 से 36;

(6) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 39 और 40;

(7) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 54 और 55;

(8) श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 56;

(9) विधि और न्याय मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 57;

(10) संसदीय कार्य मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 58;

(11) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 59;

(12) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 60;

(13) योजना मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 61 और 62;

(14) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 63;

(15) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 64 से 66;

(16) जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 69 से 71;

(17) पर्यटन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 73;

(18) शहरी विकास मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 74 से 76;

(19) जल संसाधन मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 77;

(20) कल्याण मन्त्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 78;

(21) परमाणु ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 79 और 80;

(22) इलेक्ट्रोनिकी विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 81;

(23) महासागर विकास से सम्बन्धित मांग संख्या 82;

(24) अन्तरिक्ष विभाग से सम्बन्धित मांग संख्या 83;

(25) लोक सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 84;

(26) राज्य सभा से सम्बन्धित मांग संख्या 85; और

(27) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से सम्बन्धित मांग संख्या 87।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए नागर विमानन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, संचार मंत्रालय आदि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग की संख्या	मांग का नाम	18 मार्च, 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
नागर विमानन मंत्रालय					
6.	नागर विमानन मंत्रालय	8,82,00,000	2,17,00,000	44,09,00,000	10,86,00,000
वाणिज्य मंत्रालय					
7.	वाणिज्य विभाग	202,59,00,000	32,38,00,000	1012,98,00,000	161,91,00,000
8.	पूर्ति विभाग	3,45,00,000	...	17,25,00,000	...
संचार मंत्रालय					
9.	संचार मंत्रालय	1,25,00,000	27,00,000	6,25,00,000	1,33,00,000

1	2	3		4	
10.	डाक सेवाएं	181,82,00,000	7,81,00,000	909,30,00,000	39,04,00,000
11.	दूरसंचार सेवाएं	404,25,00,000	229,00,00,000	2021,25,00,000	1144,99,00,000
पर्यावरण और वन मंत्रालय					
22.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	31,44,00,000	49,00,000	157,24,00,000	2,45,00,000
वित्त मंत्रालय					
24.	आर्थिक कार्य विभाग	70,58,00,000	27,79,00,000	352,91,00,000	138,95,00,000
25.	करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टाम्प	46,40,00,000	23,34,00,000	232,05,00,000	166,75,00,000
26.	वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	54,94,00,000	227,81,00,000	273,68,00,000	453,48,00,000
27.	पेंशनें	82,56,00,000	...	412,78,00,000	...
29.	राज्य सरकारों को अन्तरण	1150,20,00,000	17,50,00,000	2452,73,00,000	87,50,00,000
30.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	27,50,00,000	...	137,50,00,000
32.	व्यय विभाग	134,04,00,000	30,00,000	670,23,00,000	1,52,00,000
33.	लेखा परीक्षा	32,32,00,000	...	161,64,00,000	...
34.	राजस्व विभाग	34,78,00,000	24,00,000	35,88,00,000	1,20,00,000
35.	प्रत्यक्ष कर	26,58,00,000	20,00,00,000	132,95,00,000	100,00,00,000
36.	अप्रत्यक्ष कर	57,23,00,000	12,77,00,000	286,18,00,000	63,87,00,000

1	2	3		4	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय					
39.	स्वास्थ्य विभाग	65,55,00,000	24,74,00,000	327,96,00,000	123,75,00,000
40.	परिवार कल्याण विभाग	113,52,00,000	1,00,000	567,60,00,000	3,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय					
54.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	10,89,00,000	72,00,000	54,53,00,000	3,61,00,000
55.	प्रसारण सेवाएं	69,82,00,000	53,17,00,000	349,11,00,000	265,84,00,000
श्रम मन्त्रालय					
56.	श्रम मन्त्रालय	41,28,00,000	12,00,000	206,44,00,000	60,00,000
विधि और न्याय मन्त्रालय					
57.	विधि और न्याय	5,37,00,000	...	26,87,00,000	...
संसदीय कार्य मन्त्रालय					
58.	संसदीय कार्य मन्त्रालय	14,00,000	...	72,00,0000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मन्त्रालय					
59.	कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	5,95,00,000	...	31,49,00,000	...

1	2	3		4	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय					
60.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय	28,91,00,000	23,48,00,000	96,55,00,000	117,39,00,000
योजना मन्त्रालय					
61.	आयोजन	2,30,00,000	...	11,53,00,000	...
62.	सांख्यिकी विभाग	5,87,00,000	...	29,33,00,000	...
कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय					
63.	कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	13,00,000	...	66,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय					
64.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	27,75,00,000	3,08,00,000	152,72,00,000	15,42,00,000
65.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	33,99,00,000	78,00,000	169,93,00,000	3,87,00,000
66.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	6,86,00,000	92,00,000	34,29,00,000	4,58,00,000
जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय					
69	जल-भूतल परिवहन	5,45,00,000	24,89,00,000	27,24,00,000	101,46,00,000

1	2	3		4	
70.	सड़कें	47,41,00,000	81,05,00,000	237,07,00,000	405,28,00,000
71.	पत्तन, दीपस्तंभ और नौवहन	18,78,00,000	54,80,00,000	89,67,00,000	273,97,00,000
पर्यटन मन्त्रालय					
73.	पर्यटन मन्त्रालय	5,89,00,000	2,66,00,000	29,44,00,000	13,30,00,000
शहरी विकास मन्त्रालय					
74.	शहरी विकास और आवास	13,57,00,000	18,53,00,000	67,87,00,000	92,66,00,000
75.	लोक निर्माण कार्य	27,67,00,000	2,71,00,000	138,37,00,000	63,52,00,000
76.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	12,66,00,000	1,00,00,000	63,33,00,000	5,00,00,000
जल संसाधन मंत्रालय					
77.	जल संसाधन मंत्रालय	49,60,00,000	2,77,00,000	247,95,00,000	13,85,00,000
कल्याण मन्त्रालय					
78.	कल्याण मन्त्रालय	47,67,00,000	14,00,000	238,36,00,000	71,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग					
79.	परमाणु ऊर्जा	51,67,00,000	82,42,00,000	258,38,00,000	415,10,00,000
80.	न्यूकलीय विद्युत योजनाएं	56,53,00,000	38,00,00,000	110,04,00,000	190,00,00,000

1	2	3		4	
इलेक्ट्रानिकी विभाग					
81.	इलेक्ट्रानिकी विभाग	13,47,60,000	8,41,00,000	67,36,00,000	42,06,00,000
महासागर विकास विभाग					
82.	महासागर विकास विभाग	4,34,00,000	48,00,000	22,21,00,000	2,37,00,000
अन्तरिक्ष विभाग					
83.	अन्तरिक्ष विभाग	46,36,00,000	44,33,00,000	231,85,00,000	209,53,00,000
संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग					
84.	लोक सभा	2,49,00,000	...	12,45,00,000	...
85.	राज्य सभा	93,00,000	...	4,63,00,000	...
87.	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	3,00,000	...	15,00,000	...

6.04 म०प०

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1988*

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं विधेयक** को पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मैं यह बात उठाना चाहता हूं कि :

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका नोट लेट है ।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अपने अवशिष्ट शक्ति के तहत, आप उनको अनुमति दे सकते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : स्पेशल फेवर कर देते हैं ।

---

*दिनांक 26.4.1988 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत ।

[अनुवाद]

परन्तु इसमें देर हो गई है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं सिर्फ एक मिनट लूंगा ।

मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या संसद के लिए यह उचित है कि वह विनियोग अधिनियम के रूप में एक ऐसा कानून पारित करे जिससे सरकार को भारत की संचित निधि में से कोई राशि निकालने का अधिकार मिल जाये—यहां विनियोग विधेयक में यह राशि 2,25,658.55 करोड़ रुपये है जो कि इस निधि में, भारत की संचित निधि में, होने वाली प्राप्तियों से अधिक है । क्या यह संभव है, क्या यह सही है ?

प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर गणना करने से पता चलता है कि चालू वर्ष में अनुमानतः भारत की संचित निधि में 2,20,150 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी जिसमें रेलवे प्राप्तियां भी सम्मिलित हैं । यदि रेलवे प्राप्तियों को जो 9663 करोड़ रुपये की है इसमें से घटा दिया जाये तो संचित निधि में कुल प्राप्तियां 2,10,487 करोड़ रुपये बैठती हैं। परन्तु विनियोग विधेयक में 2,25,659 करोड़ रुपये की मांग की गई है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें 15,172 करोड़ रुपये का अन्तर है । व्यय बजट, खंड—I के अनुसार, सरकार संचित निधि में जमा कराये गये रुपये से 15,172 करोड़ रुपये अधिक की मांग कर रही है ।

मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं ताकि आप, यह सभा इस बात का निर्णय करे कि क्या संसद के लिए यह उचित है कि वह इस तरह का अधिनियम पारित करे, क्योंकि यह अधिक धनराशि कहां से आयेगी ? या तो यह धन सार्वजनिक खाता कहे जाने वाले दूसरे शीर्ष से आ सकता है; परन्तु वह धन इस प्रयोजन के लिए नहीं है । यह एक बिल्कुल भिन्न प्रयोजन के लिए है ।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह प्रश्न पहले भी गत वर्ष उठाया गया था । यह नियम समिति में है ।

श्री जी० के० गड़वी : शायद इस प्रश्न को गलत ढंग से पूछा गया है । जो प्राप्तियां दिखाई गई हैं वे अनुमानित हैं । आरम्भ से ही ऐसा रहा है । जब कभी भी कमी हुई, तब हमने दूसरे उपायों का भी सहारा लिया··· (व्यवधान)···। बात यह नहीं है कि वास्तविक प्राप्तियां और वास्तविक व्यय मिलने चाहिए । प्रश्न यह नहीं है । यह कानून नहीं है कि वास्तविक व्यय और वास्तविक प्राप्तियां मिलनी चाहियें । हम इस सभा से इस बात का अनुमोदन चाहते हैं कि हमें यह धनराशि निकालने की अनुमति दी जानी चाहिए और यह देखने का काम हमारा है कि यह धन राशि भारत की संचित निधि में होगी ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका मतलब है, पैसे होंगे नहीं तो खर्च कहां से करेंगे ।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : भारत की संचित निधि एक सतत निधि है । यह कोई वार्षिक निधि अथवा व्यपगत होने वाली निधि नहीं है । यह एक ऐसी निधि है जिसका प्रावधान संविधान निर्माताओं ने स्वयं संविधान में ही कर रखा है । तीन प्रकार की निधियां हैं—भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा । माननीय सदस्य ने अपने भाषण के अंत में लोक लेखा का उल्लेख किया था । परन्तु हम जब सरकार की साधनों सम्बन्धी समग्र स्थिति पर

विचार करते हैं तो लोक लेखा एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है। बजट बनाने की आधुनिक अवधारणा के अनुसार, संविधान के अन्तर्गत लोक लेखा निधि, संचितनिधि तथा आकस्मिकता निधि को साथ-साथ लिया जाता है। इसलिए लोक लेखा भारत सरकार की साधनों सम्बन्धी स्थिति में उसकी सहायता करने के लिए सदैव उपलब्ध रहता है। ऐसा हमेशा होता आया है। यहां तक कि राज्य सरकारें भी इसी तरह करती हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आकस्मिकता निधि वही होती है जो यह अपने नाम से व्यक्त करती है। यह निधि आकस्मिकता के लिए होती है। यह एक ऐसी निधि है जिसे सिर्फ आकस्मिकता के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह पहले से ही नियम समिति के सामने है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा काफी लंबे समय से होता आ रहा है। यह पहली बार नहीं हुआ है।

प्रो० मधु दंडवते : पिछली बार हमने यह लिखित में दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु यह मैंने पहली बार उठाया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : पिछले वर्ष यह मैंने उठाया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोक लेखा निधि को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : काफी अरसे से ऐसा चलता आ रहा है।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री वी० के० गड़वी : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

[श्री बी० के० गढ़वी]

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.10 म० प०

बोफोर्स ठेके की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : अब श्री शंकरानंद···

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है और किस नियम के अधीन है ?

प्रो० मधु दंडवते : आपका इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए नियम 376 के अधीन मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम 270 और 273 के उपबंधों का पालन नही किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नियम 270 लागू नहीं होता है।

प्रो० मधु दंडवते : यह लागू होता है। आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुनते क्यों नहीं ? आपने पूछा था, "मैं यह जानना चाहता हूं कि आप कौन सा मामला उठा रहे हैं।" मैंने कहलवाया था कि मैं, नियम 270 के उल्लंघन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्या आप ऐसा करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हां।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : हम लीपा-पोती नहीं चाहते। यह इस शताब्दी की सबसे बड़ी लीपा-पोती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जहां तक नियम 270 का संबंध है इसके अनुसार समिति के पास व्यक्तियों को बुलाने, कागजात और रिकार्ड मंगाने की शक्ति होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसकी कोई समस्या नहीं। यह आंतरिक प्रक्रिया है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, समस्या तो अब आ रही है। यह नियम 270 है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था तो इसके बाद कुछ ठोस सूचनाएं आई थी। नंबर एक तो, स्वीडिश रेडियो रिपोर्ट और नंबर दो, 'हिन्दू' में हिन्दुओं के बारे में प्रकाशित एक बड़ा समाचार।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समिति ने रिकार्ड मंगाए थे, व्यक्तियों इत्यादि को बुलाया था···।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही आप इसे देख सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने रिकार्ड नहीं मंगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसी बात का अनुमान नहीं लगा सकते। अस्वीकृत किया जाता है।

प्रो० मधु दंडवते : नंबर दो, नियम 273 साक्षियों के बारे में है। बिन चढ्ढा को यहां पर एक साक्षी के रूप में बुलाया गया था और अपमानजनक हालातों को स्वीकार किया गया था··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। अनुमति नहीं दी जाती है।

(व्यवधान)**

श्री बी० शंकरानन्द (चिकोड़ी) : महोदय, मैं बोफोर्स ठेके की जांच करने सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसको बाद में उठायें। आप इस पर चर्चा के दौरान ये बातें कहें। अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.12 **म० प०**

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 27 अप्रैल, 1988/7 वैशाख, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर दिल्ली-53